खण्ड-420, अंक-8
बुधवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1919
(13 अगस्त, 1997 ई0)

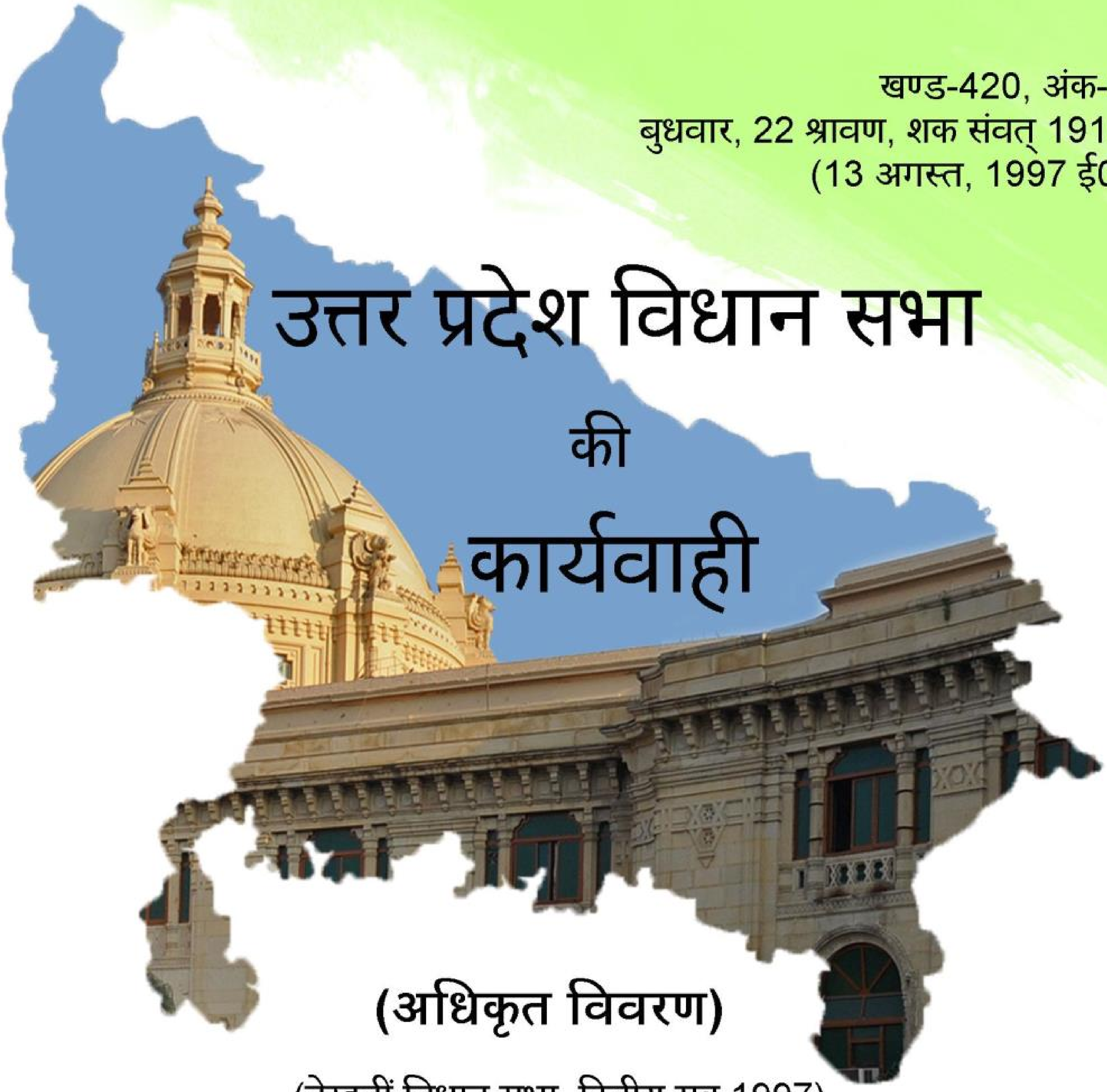

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	प–त
प्रश्नोत्तर	1-75
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनवार मोहम्मद खां तथा श्री कमल किशन पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार	75-80
विभिन्न सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	80-88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	88
प्रदेश में राजकीय कृषि फार्मों को निजी क्षेत्र में दिये जाने से स्थानीय गरीब जनता के लिये कठिनाइयां उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88-89
महोबा नगर में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित गायत्री विहार कालोनी में जल भराव से बीमारी फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित गायत्री विहार कालोनी में खड़ंजा तथा लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
लखनऊ के जलालपुर गांव में जलभराव एवं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
बहराइच में मछली एवं शिवपुर विकास खण्डों के कतिपय गांवों में बाढ़ से तबाही होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद गोण्डा के नगर पंचायत, मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा धांधली एवं मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद उन्नाव की बीघापुर तहसील की ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर में चकबन्दी के दौरान की गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर को पुनः पुरवा तहसील से सम्बद्ध किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–बी स्थित मार्केट में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
लखनऊ के मुहल्ला नवीन नगर हसनगंज बावली, सहादतगंज में जल भराव की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद फतेहपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद कौशाम्बी में ग्राम पहाड़पुर में सरकारी राशन के दुकानदार द्वारा मनमानी व धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
उ० प्र० जल निगम द्वारा लगाये जा रहे इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइपों में मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद अल्मोड़ा में बांजधार नया संगौली मार्ग बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
लघु सिंचाई विभाग, वृत्त इलाहाबाद एवं झूंसी में अनियमितता किये जाने तथा लाखों रुपयों के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद कौशाम्बी की ग्राम सभा उलांचूपुर में तत्काल विद्युतीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
निर्वाचन क्षेत्र हड़हा, जनपद–उन्नाव में स्थित 33/11 विद्युत केन्द्र, पुरवा से निकलने वाले पोषकी तारों की चोरी तथा उनके क्षतिग्रस्त हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के ग्राम तारगांव के उप प्रधान के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
ग्राम सालेहनगर, तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी में किसानों की भूमि को दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
जनपद महराजगंज स्थित फरेन्दा व लक्ष्मीपुर क्षेत्र में बाढ़ से तबाही को रोके जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
प्रदेश के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य/अधीक्षक पद पर नियुक्ति में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र में बरौली के कतिपय ग्रामों में विद्युत संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
ग्राम डोटल गांव, पो० बगवाती पोखर तह० रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में पेयजल संकट दूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 5, कोठी नम्बर–6 के अन्दर जमादारी लेन, दारुलशफा, लखनऊ में रह रहे अध्यासी को पीने के पानी की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
प्रदेश में टेन्ट व्यापारियों पर टैक्स लगाये जाने से असंतोष उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99-100

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ़ के कतिपय विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद वाराणसी में सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनियमितता एवं मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद झांसी के मऊरानीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
प्रदेश के तत्कालीन प्रादेशिक दल के महानिदेशक एवं निदेशक युवा कल्याण के विरुद्ध किये गये घपले की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
प्रादेशिक विकास दल विभाग, उ० प्र०, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा अप्रेंन्टिसों की भर्ती में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों के संबंध में शासनादेशों की अवहेलना विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
मोदी नगर (गाजियाबाद), नगरपालिका परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
प्रदेश के डिप्लोमा पास इंजीनियरों तथा आई० टी० आई० पास प्रशिक्षुओं के संबंध में सरकार द्वारा उदासीनता बरते जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104-105
प्रदेश के वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में गलत स्थानान्तरण नीति के कारण उत्पन्न ऊहा-पोह की स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद एटा में किसानों को जिप्सम आवंटन में की जा रही धांधली विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा भोकर हेड़ी में नवनिर्मित विद्युत गृह में आवश्यक मशीने न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला सुन्दर आदर्श स्कूल बरुकौता हरौनी, लखनऊ के प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गाजियाबाद के कस्बा हापुड़ में अवैध रूप से चल रही हड्डी मिलों को बन्द किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद पीलीभीत के थाना हजारा के थानाध्यक्ष द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर लूटे गये हजारों रुपयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में लो० नि० वि० द्वारा स्वीकृत कार्यों को कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
जनपद आजमगढ़ के कस्बा अम्बारी में संचालित मूक बधिर विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर इटवा मार्ग पर बने काठा के सेतु को पक्का पुल बनाये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिंग्टन गंज में वर्ष 94-95 एवं 95-96 में निःशुल्क बोरिंग एवं आई० आर० डी० आदि योजनाओं में किये गये घपलों की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, फैजाबाद मण्डल द्वारा त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
जनपद जौनपुर के क्षेत्र बयालसी के अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशन मुर्तजाबाद की पुरानी मशीनों को बदल कर विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
देहरादून नगर क्षेत्र की पिछड़ी बस्तियों में बने सार्वजनिक शौचालयों की जीर्ण-शीर्ण होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण सामग्री अपंजीकृत फर्मों से खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
कुशीनगर में स्वीकृत आसवनि केन्द्र खड्डा खोले जाने हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोकुल में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद सीतापुर के क्षेत्र हरगांव के ब्लाक महोली के कतिपय ग्रामों की भूमि पर जल भराव होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112-113
जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तहबरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोइनहा के स्वीकृत भवन को बनाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	113

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज स्थित राजकीय इण्टर कालेज में इण्टर सेक्शन हेतु सृजित प्रवक्ताओं के पदों पर नियुक्तियां किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
प्रदेश में ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी सुलेमराय में म० नं० एल० आई० जी० 322 के सामने किये गये कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद मथुरा के विकास खण्ड राया के ग्रामों में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद इलाहाबाद में सिंचाई विभाग द्वारा धांधली किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
मेरठ नगर निगम द्वारा पूरे महानगर में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों के विकास कार्य में उपेक्षा किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कतिपय सड़कों के बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् बेल्हा, प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के सफाई कर्मियों को नौकरी से निकाल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लागू रोस्टर प्रणाली की कमियों के कारण सामान्य वर्ग में उपजे असन्तोष की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में विद्युत खम्भों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद सुल्तानपुर के विद्युत वितरण खण्ड पनियारा सब स्टेशन की मरम्मत तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद जौनपुर के नगर क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे को पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
होम्योपैथी निदेशालय, उ० प्र० में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में शारदा नदी की भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
जनपद गोण्डा में कर्नैलगंज आर्यनगर मार्ग पर रामपुर घाट में टेढ़ी नदी पर लकड़ी के बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
शासन सचिवालय के कार्मिक अनुभाग–2 की कार्य प्रणाली से उत्पन्न असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
श्री नन्द किशोर रूंगटा के अपहरण से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्राम सभाओं में जूनियर हाई स्कूल न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद सहारनपुर के हरौड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सिद्ध सालवेन्ट एवं फार्मोस्ट डेरीज के प्रबन्ध तंत्र द्वारा बन्दी की स्थिति उत्पन्न कर देने के कारण श्रमिकों की दयनीय स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	122
शाहजहांपुर निवासी अब्दुल कुद्दूस द्वारा खरीदे गये पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश यात्रा बिलों को पारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
जनपद वाराणसी के धन तुलसी डेंगरपुर घाट पर पीपे का पुल बनाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद वाराणसी में सेवापुरी व आराजी लाइन को मिलाकर सेवापुरी में तहसील हेड क्वार्टर बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र सारज्यूला पट्टी में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद वाराणसी में संकलधारा विद्युत उपकेन्द्र के पुराने यंत्रों को बदलकर विद्युत व्यवस्था सुचारु बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	124-125
इलाहाबाद में थाना धूरपुर के अन्तर्गत नये बाजार कर्मा में अवैध रूप से रहे पाकिस्तानी नागरिक इब्राहिम के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125

विषय	पृष्ठ संख्या
[illegible] क्षेत्र में मन्दिर मार्गों पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को हटाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद देहरादून की ग्राम सभा रायवाला के आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद मुजफ्फरनगर में नकली खाद बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद मुजफ्फरनगर में जातीय संघर्ष में हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद सीतापुर के अम्बेडकर गांव उनई के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक के विपरीत सामग्री प्रयोग करने एवं धन के दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत कतिपय कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
लखनऊ शहर के आलमबाग क्षेत्र में स्थित कैलाशपुरी मुहल्ले में एक "सब-लेन" को लेविल कराकर दोनों ओर नालियां बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के रामराज में गंगा में आई बाढ़ से मची तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	128-129
लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डीह की ग्राम सभा गोपालपुर के कतिपय ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने हेतु लिंक रोड बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तम्बौर एवं रेऊसा में उपकरणों, दवाओं एवं डाक्टरों को उपलब्ध कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
जनपद आजमगढ़ में चयनित अम्बेडकर गांवों का व्यय पूरा कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	130-131
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 की कार्य सूची की मदों 'ग' के तारांकित प्रश्न–4 के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	131-135
श्री विनोद मणि, स० वि० स० को टेलीफोन पर धमकी दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	135-138

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रक्रिया नियमावली के नियम–56 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के समय संबंधित विभाग के मंत्री की सदन में अनुपस्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	138-139
प्रदेश के विभिन्न विकास मण्डलों एवं निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन को समय से सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	139-140
प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–26(1) के अन्तर्गत सत्रावसान की तिथि तक स्वीकृत समस्त प्रश्नों का उत्तर एक माह में दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	140-141
सरकार द्वारा महंगाई रोकने में विफल रहने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	141-142
प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा विषयक औचित्य का प्रश्न	132-143
प्रदेश में पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती में हुई अनियमितताओं के संबंध में औचित्य का प्रश्न	143-144
मुजफ्फरनगर में एक जाति विशेष की हत्या एवं उत्पीड़न विषयक औचित्य का प्रश्न	144-146
प्रदेश में दलित जातियों को एक माह के अन्दर शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	146-147
समय-समय पर सदन में दिये गये निदेशों का उल्लंघन होने विषयक औचित्य का प्रश्न	147-149
श्री चन्द्रनाथ सिंह को सदन का त्याग करने के लिये श्री अध्यक्ष का निर्देश ..	150
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मांट ब्रांच गंगा नहर के संबंध में दिये गये आश्वासन को पूर्ण न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	150-151
पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनाओं में माननीय विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने तथा 25-25 हैण्ड पम्प लगवाने हेतु सदस्य, विधान सभा व सदस्य, विधान परिषद् को अधिकार दिये जाने संबंधी संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा	151-156
बबराला एवं गीडा काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग ..	156-157
श्री शिवपाल सिंह यादव, स० वि० स० की सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से खतरा उत्पन्न होने तथा सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने संबंधी सूचना	157-160
श्री शिवपाल सिंह यादव, स० वि० स० की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी	160
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 (पटल पर रखा गया)	161

विषय	पृष्ठ संख्या
दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड की वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (पटल पर रखा गया)	161
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कूर्मांचल नगर में स्थित ग्राम बरौली खसरा नं० 95 की सार्वजनिक भूमि पर डामर रोड सहित पार्क आदि के निर्माण कराये जाने के संबंध में डा० अजय कुमार मल्ल आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	161
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन में शुगर मिल खुलवाये जाने के संबंध में डा० रमेश चन्द्र आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	161
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के कस्बा सौरब में बनी पावर स्टेशन बिल्डिंग में 33 के० वी० का पावर स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री अतुल कुमार अग्रवाल की याचिका (उपस्थित की गयी)	162
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम बरारी से थाना समसाबाद होते हुए ग्राम बेरी तक तथा बेरी से मिर्जापुर परखम तक कच्चे तथा अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग को डामर युक्त कराये जाने विषयक श्री महिपाल सिंह की याचिका (उपस्थित की गयी)	162
जनपद मथुरा के ब्लाक फरहा के ग्राम मालिकपुर तथा गोवर्धन ब्लाक के ग्राम अडिग में स्थित ऐतिहासिक स्थल "कमल कुण्ड" के सुन्दरीकरण, विस्तारीकरण एवं पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षा करवाये जाने विषयक श्री भूदेव प्रसाद शर्मा आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	162
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के रिफाइनरी गेट नं० 9 से छड़ गांव होती हुई पीलुआ–शादिकपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री हरीराम जाटव आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	162
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन ग्राम महम्मदपुर का नाम पारसोली परिवर्तित करते हुए पर्यटन की दृष्टि से उसका सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री योगेन्द्र शर्मा आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	162
विशेषाधिकार हनन की दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी (जारी) ...	163
जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्री राजबहादुर की याचिका (उपस्थित की गयी)	163
विशेषाधिकार हनन की दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी (क्रमागत) ...	163
श्री नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	164

विषय	पृष्ठ संख्या
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	164
गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर चुंगी प्रवेश शुल्क वसूली तथा हो रही अभद्रता एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	164–170
प्रदेश के मेडिकल कालेजों के छात्रों के प्रवेश शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	170-175
मेरठ के महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या, प्रयोगशाला में संसाधनों का अभाव, नये कालेजों/संकायों का न खुलना आदि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	175-181
सम्पूर्ण प्रदेश में निजी एवं अन्य राज्यों की लाटरियों की पुनः बाजार में खुले आम बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ...	181-188
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	188-192
जनपद मेरठ के थाना बहसूमा के कस्बा रामराज में शिवरात्रि के अवसर पर एकत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा बिना चेतावनी गोली चलाये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	192-194
गढ़वाल मण्डल के कर्णप्रयाग क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इण्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	194-195
जनपद गाजीपुर की नगर पंचायत दिलदार नगर में जन सुविधाओं का अभाव तथा जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	95-196
प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग कालेजों में कार्यरत अनुदेशकों को कार्यदेशकों के वेतन विसंगति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	196
साधन सहकारी समितियों द्वारा नकली खाद बिक्री किये जाने संबंधी नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	196-197
सहारनपुर नगर में काष्ठ कला में लगी आरा मशीनों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	197
जनपद गोरखपुर में पशु चिकित्सालय हेतु साउखोर परसार छपिया के लिये धन उपलब्ध होने के बाद उनका निर्माण न होने के बारे में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	198
जनपद बस्ती में नीलगायों द्वारा कृषि फसलों की क्षति पहुंचाये जाने की समस्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	198

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में व्यवसायिक कोर्सों (एम० बी० ए०, बी० बी० ए०, होटल मैनेजमेंट, एम० सी० ए०) के व्यापारीकरण रोकने, समुचित मानक के अनुसार स्थापना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	200-201
जनपद चमोली में भूस्खलन एवं नदियों के भारी कटाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	201
जनपद भदोही में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मलेरिया के भयानक प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	201-202
जनपद एटा में नालों की सफाई न होने के कारण जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य का स्थगन	202
उत्तरांचल क्षेत्र में हाईस्कूल व इंटर कालेजों के खोलने के संबंध में जिलों से शिक्षा विभाग द्वारा गलत सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	202-203
सम्पूर्ण प्रदेश में दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले लघु मध्यम श्रेणी समाचार पत्रों के लिये टेलीप्रिंटर लगाये जाने की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	203-204
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अनावंटित भवनों का हुडको के निर्देशों के विपरीत मूल्य बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	205-208
प्रदेश के मेडिकल कालेजों की गिरती स्थिति को सुधारने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	209
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं विषमताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	209-211
जनपद मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	212-213
जनपद प्रतापगढ़ की सीमा प्रारम्भ होने के स्थल से इलाहाबाद प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा उक्त मार्ग की मरम्मत के नाम पर किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	213
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों को किसी अन्य आरक्षित वर्ग से भरने के आदेशों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	213-215

अध्यक्ष विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
मेरठ जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु उद्योगपुरम् औद्योगिक स्थान पर दिल्ली, आगरा एवं मथुरा से स्थानान्तरित उद्योगों को एक पैकेज के तहत मेरठ में स्थापित कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	215-216
लोवर एवं अपर आगरा कैनाल तथा माण्ट ब्रांच की पटरियां टूटने तथा अन्य खामियों के कारण किसानों को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	216-217
इलाहाबाद क्लाइव रोड स्थित "लिटिल फोक्स स्कूल" को मध्य सत्र में बन्द कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	217-218
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के निराकरण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	218-219
जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के नाम पर की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	219-220
प्रदेश के उत्तरांचल में भूस्खलन तथा अतिवृष्टि से हुई भारी तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	220-221
जनपद महोबा के नगर क्षेत्र से सम्बद्ध ग्रामों की भूमि के "रक्षा अनुसंधान एवं रेंज" फैसिलिटी हेतु अधिग्रहण के समय किये गये एग्रीमेन्ट को न मानने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	221-222
जनपद गढ़वाल के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरसात से मोटर मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	222
प्रदेश में टेन्ट एवं डेकोरेटर व्यवसायियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	222-224
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधूरे विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	225
हरदोई जिले के संडीला कोतवाली के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपहृत कर हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	225-226
श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, स० वि० स० की गिरफ्तारी की सूचना ...	226
बबराला काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना	227

विषय | पृष्ठ संख्या

मिर्जापुर के अम्बेडकर ग्राम मुंसीपुर में सड़कों के ध्वस्त होने विषयक आज के कार्यसूची के नक्षी 'ग' के अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना 227

हरदोई जिले के सण्डीला कोतवाली के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपहृत कर के हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत) 228-229

गोरखपुर मण्डल में संग्रह अमीनों तथा चपरासियों को कार्यमुक्त किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत सूचनादाता सदस्यों के अनुपस्थिति से निरस्त किये जाने की सूचना 229

आज की कार्यसूची की चर्चाओं का समय कम किये जाने की मांग ... 229

हरिद्वार तीर्थ की मर्यादा एवं पवित्रता की रक्षा हेतु कुम्भ मेला 1998 को दृष्टिगत रखते हुए शराब की दुकानें नगरपालिका सीमा से 13 कि०मी० दूर करने हेतु शासनादेश जारी किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ... 230-232

जिला भदोही वूलेन्स लिमिटेड के बन्द हो जाने के फलस्वरूप उसके छटनी शुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने की मांग के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 232-234

जिला भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थापित किये जाने एवं उसके निर्माण हेतु शासन द्वारा अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि की नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 234-236

2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों पर ढाये गये जुल्म में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 236-238

ग्रेटर नोयडा के किसानों का मुआवजा 160 रु० प्रति गज की दर से दिये जाने, किसानों की अधिग्रहीत भूमि का दस प्रतिशत उनके लिये छोड़े जाने एवं वहां लगने वाली फैक्ट्रियों में उक्त किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दिये जाने संबंधी शासन की घोषणा के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 238

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए भारत सरकार के निर्देश पर आधे मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ... ... 23[illegible]

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी (आई० एस० आई०) द्वारा विध्वंसक कार्यवाही के प्रयासों को रोकने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ... ... 240-24[illegible]

विषय	पृष्ठ संख्या
पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा में माह अप्रैल, 1997 से भारी कमी कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं उसके निराकरण के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ...	241-242
जनपद मथुरा की तहसील मांट, ग्राम डागोली में परम पूज्य देवरहा बाबा के समाधि स्थल यमुना नदी से दो हजार एकड़ भूमि का कटान तथा कटान से समाधि स्थल को खतरा उत्पन्न हो जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	242
नवसृजित जनपद महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 1995-96 में खनिज सम्पदा का अवैध रूप से अपनी पत्नी एवं लड़के के नाम पट्टा कराये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	243
प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में बन्द पड़े अठहत्तर शीत गृहों को तत्काल चालू कराकर उनमें भण्डारण कराये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ...	244
सदन अनिश्चितकाल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	245
सदन के सफल संचालन हेतु व्यक्त किये गये आभार	245-251
राष्ट्रगान	252
नत्थियां	253-262

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, 13 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया,	गोरखपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	मातबर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मायावती, सुश्री	सहारनपुर
		रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना

---

* माननीय सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजधारी, श्री	बलिया
राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
रामतेज यादव, एडवोकेट	बहराइच
राम सखी, श्रीमती	अलीगढ़
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोंण्डा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल सिंह वर्मा, श्री	इटावा
* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर

* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

विधान सभा सचिवालय

बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इंस्टीट्यूट आफ टूलरूम प्रशिक्षण संस्थान को सरकार द्वारा अनुदान

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग को जिनी क्षेत्र में बेचने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान के बन्द होने से चार वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण भी बन्द हो जायेगा ? यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान की जर्जर वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा अनुदान दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह केवल प्रदेश का नहीं बल्कि देश और एशिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है । इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, जर्मनी के सहयोग से चल रहा है । यह उसी के सहयोग से स्थापित हुआ था । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि इसको बेचने का निर्णय नहीं है लेकिन वर्तमान समय में जो चार वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण है उसमें प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं । इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा अनुदान दिये जाने पर विचार कर रहे हैं इसकी रूप रेखा है तथा संस्थान को कब तक अनुदान दे दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय प्रशिक्षण लेने वाले कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 120 है । चार वर्षीय कोर्स है । साथ ही साथ यह अभी तक 1990 से लेकर प्रतिवर्ष के हिसाब से 55 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में इसको दे रही थी । वर्तमान समय में यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं यह इतना महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है । इस संस्थान के वित्तीय भार के उठाने के लिये कब तक अनुदान निर्गत कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नहीं था । उत्तर प्रदेश सरकार इसको प्रोत्सहित करने के लिये अनुदान देने का कार्य कर रही थी इसलिये इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं जाती है । यह अनुदान तो हम केवल प्रोत्साहन देने की नियत से कर रहे थे ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुदान कब तक दे देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह मामला वित्त विभाग में इस समय लम्बित है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अनुदान देना तय हो गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने यह बताया है कि यह मामला विचाराधीन है।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा है कि अनुदान दिये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है और इस पर जल्दी निर्णय ले लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि इस प्रशिक्षण संस्थान को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार संचालित नहीं करती थी केवल प्रतिवर्ष 55 लाख रुपये का अनुदान इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग को देती थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार ने इस प्रशिक्षण संस्थान को चलाने का निर्णय लिया है तथा यह प्रशिक्षण संस्थान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है ? भविष्य में लगातार यहां से प्रशिक्षण जारी रहे इस संबंध में सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है, आप दूसरे व तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह प्रशिक्षण कार्य जर्मनी सरकार और भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 1981 से संचालित किया गया है और इसकी जिम्मेदारी जर्मनी सरकार और भारत सरकार की रही है। सन् 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत एक समिति के माध्यम से इसका संचालन कार्य हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर इसको अनुदान दिये जाने का कार्य किया जाता रहा है और इसके लिये सन् 1981 से 1986 तक उत्तर प्रदेश सरकार की बचनबद्धता थी तथा इसके जो इक्विपमेंट वगैरह आ रहे थे उसके सीमा शुल्क देने की बचनबद्धता थी। 1990 में मंत्रिमण्डल ने पुनः निर्णय लिया और 1986 से 1990 तक फिर उसकी बचनबद्धता रही लेकिन 1990 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कोई वचनबद्धता नहीं रही और यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर अब नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष–

जो दूसरा प्रश्न प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में है उसके बारे में उत्तर दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जो वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि उनका प्रशिक्षण कार्य जारी रखा जाये और इस विषय पर वर्तमान सरकार अपनी वित्तीय अवस्था को देखते हुए विचार कर रही है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने घोषणा की है कि इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग का मुख्यालय प्रतापगढ़ में खोला जायेगा। इसकी चर्चा प्रतापगढ़ में है।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 2 श्री विनय कुमार पाण्डेय को बुला रहा हूं।

समाचार पत्र प्रतिनिधियों एवं मीडिया से संबंधित कर्मियों को सरकारी आवास आवंटन हेतु शासन की नीति

**2–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्र प्रतिनिधियों एवं मीडिया से संबंधित कर्मियों को राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन कालोनियों में आवास आवंटन के संबंध में शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? क्या इस संबंध में कोई मानक भी निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां।

सम्बन्धित नियमावली संलग्न है।

जी हां।

संलग्न नियमावली† में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट है कि मान्यता प्राप्त सम्पादकों, पत्रकारों को, जिनके लखनऊ में कार्यालय रजिस्टर्ड हैं, को मकान आवंटित किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे पत्रकार जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनका पंजीकरण लखनऊ में नहीं है, क्या उनको मकान आवंटित नहीं किये गये हैं। क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि अभी हाल में जब लखनऊ में कर्फ्यू लगा था, उस दौरान एक ऐसे पत्रकार जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, पर एन० एस० ए० लगाया गया था, क्या उनको मकान आवंटित है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। उन पत्रकारों को जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, या उन समाचार पत्रों के पत्रकार, जिन का रजिस्ट्रेशन लखनऊ में नहीं है या कार्यालय लखनऊ में नहीं है, को भवन आवंटित किये गये हैं ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, जो पत्रकार गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनको लखनऊ में कोई भवन आवंटित नहीं किया गया है।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि इस उत्तर में यह भी दिया हुआ है कि पत्रकारों को जो आवंटन है, उसका उनसे रियायती दरों पर शुल्क वसूला जाता है। क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि उसमें से कितने लोग निर्धारित शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग है । यदि आपका आदेश हो तो मैं इस पर कुछ बता दूं ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना हो तो दे दें, अन्यथा कोई आवश्कता नहीं है ।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, एन० एस० ए० लगा था, उनको भी मकान आवंटित है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना दे दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, दो प्रकार के साप्ताहिक और मासिक पत्र भी निकलते हैं, उनके लखनऊ में कार्यालय नहीं बन पाये हैं, क्या ऐसे पत्रकार जो देहात में रहते हैं, मान्यता प्राप्त हैं, क्या उनके आवेदन पत्र पर कार्यालय एलाट करने पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, आवंटन की एक समिति बनी है और 204 पत्रकारों को भवन आवंटित किये गये हैं । यदि ऐसे कोई पत्रकार हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके संबंध में अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है । कुछ ऐसे पत्रकार हैं, जिन्होंने भवन, भू आवंटन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है, उनमें किसी को अभी रियायती दर पर भवन आवंटित नहीं किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय वर्मा जी का प्रश्न बहुत छोटा सा था कि क्या उन पत्रकारों को जो साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्रिकाओं के संवाददाता हैं या उनसे सम्बद्ध हैं और जो गांव में रहते हैं, उनका भी लखनऊ नगर में आवास आवंटित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, जिनके कार्यालय लखनऊ में नहीं हैं उनके सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तमाम ऐसे समाचार पत्र के सम्पादक हैं जिन्हें नियम और कानून के तहत मकान मिलना है लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोगों को प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं जिनको मकान नहीं मिल पाया है ? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो ग्रामीण अंचलों में पत्रकार लोग हैं उनको भी उनके जिलों में यही सुविधा सरकार मुहैया करायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 204 पत्रकारों, सम्पादक, उपसम्पादक को सरकारी मकान आवंटित किया गया है जो गांव में रहते हैं । 100 पत्रकारों को मीडिया कोटे के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इनका प्रश्न यह है कि कितने पत्रकारों के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं जिनको मकान नहीं मिल पाया है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, जो प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं वह हमारे संज्ञान में नहीं आये हैं, जो लम्बित प्रार्थना-पत्र होंगे उसको संकलित कराकर देखा जायेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, कम से कम डेढ़ सौ पत्रकारों के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं उन पर कितनी बार पत्राचार हुआ लेकिन उनको न देकर अनधिकृत रूप से रह रहे और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दे रहे हैं सरकार भेदभाव कर रही है यह केवल अपने लोगों को आवास दे रही है जो मान्यता प्राप्त हैं उनको नहीं दे रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पत्रकारों को आवास आवंटित करने के उद्देश्य से सचिव, मुख्य मंत्री, सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना निदेशक और राज्य सम्पत्ति अधिकारी की एक समिति होगी तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस समिति का इन्होंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है इस समिति की पिछली बैठक कब हुई थी और उस बैठक के समक्ष कितने प्रार्थना-पत्र पत्रकार और संवाददाताओं के लम्बित थे और उसमें कितने निस्तारण हुए ? दूसरा मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि पत्रकारों, संवाददाताओं, सम्पादक, उप सम्पादक की आवश्यकता को देखते हुए जैसे लखनऊ में एक पत्रकारपुरम् बनाया गया है उसी तरह से इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी आदि कवाल टाउन में पत्रकारों के आवास की मांग की आवश्यकता को देखते हुए सरकार क्या आवासीय कालोनी बनाने का निर्णय लेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, आवंटन के संबंध में राष्ट्रपति शासन से पहले, लगभग डेढ़ वर्ष पहले बैठक हुई है, जिसकी तिथि हमारे पास नहीं है उस तिथि में 50 प्रार्थना-पत्र लम्बित थे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है वह यह है कि जो समाचार-पत्र प्रतिनिधि हैं, मीडिया से संबंधित कर्मी हैं उनको राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन कालोनियों में आवास के आवंटन में शासन की क्या नीति है तो इसमें जो हमारी राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियां हैं उसमें आवास आवंटन नीति के बारे में पूछा गया है और अगर दूसरे नगरों में शहरों में जानकारी चाहते हैं तो इसमें तो सूचना की आवश्कता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, स्वयं मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में जो नियमावली संलग्न की है, उसमें कहा गया है कि पत्रकारों को आवास आवंटन के संबंध में एक समिति बनाई गई है । मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि इस समिति की अन्तिम बैठक किस तिथि को हुई और उसमें कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मैं प्रश्न को स्पष्ट कर देता हूं । चूंकि मूल प्रश्न के साथ आपने नियमावली संलग्न की है और उसमें समिति का उल्लेख किया गया है । अतः माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि

उस समिति की अन्तिम बैठक कब हुई और उसमें कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित थे और कितने लोगों को आवंटन किया गया है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्न की महत्ता को देखते हुए इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आखिरी बैठक कब हुई, इसके लिये तो सूचना की आवश्कता होगी ? जहां तक लम्बित प्रार्थना-पत्रों का मामला है, उनकी संख्या 50 है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरों के अनुभव की कमी का लाभ आप कैसे उठायेंगे ।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि किसी पत्रकार पर एन० एस० ए० लगाया गया है और उसे मकान आवंटित किया गया है और क्या वह मान्यता प्राप्त पत्रकार है ? दूसरा, क्या उस पत्रकार के मकान को आलीशान बनाने के लिये सरकारी धन खर्च किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि किसी एक पत्रकार पर एन० एस० ए० लगाया गया है परन्तु उसे सरकारी मकान आवंटित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में कहां है ?

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

अच्छा तो मंत्री जी यह बता दें कि कोई प्रतीक्षा सूची बनाई गई है ?

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रतीक्षा सूची बनाये जाने की बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार की है ? यदि उन्होंने यह बात कही ही नहीं है तो प्रतीक्षा सूची बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के किसानों को नहर व ट्यूबवेल से संबंधित सिंचाई शुल्क माफ किये जाने की मांग

*1–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या सरकार प्रदेश के किसानों के हित में नहर व ट्यूबवेल से की जाने वाली सिंचाई पर लगने वाले सिंचाई शुल्क को माफ करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति के कारण विचार करना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि नत्थी (ख) प्रश्न संख्या–1 पर प्रश्नकर्ता श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी को अधिकृत कर गये हैं, इसलिये मैं उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मूल प्रश्न में पूछा गया है कि किसानों के हित में नहर व ट्यूबवेल से की जाने वाली सिंचाई पर जो कर लगता है, उसे माफ करने पर सरकार विचार कर रही है । इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया –"जी नहीं " । दूसरे भाग में पूछा गया है यदि नहीं, तो क्यों ? तो इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया–प्रदेश की वित्तीय स्थिति के कारण विचार करना सम्भव नहीं है । मान्यवर, प्रदेश में जो मौजूदा व्यवस्था है चाहे वह नहर सिंचाई कर हो या ट्यूबवेल कर को, आज ज्यादातर ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और जो नहरें हैं उनके टेल खण्ड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है । इसलिये जिन किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है क्या उनके शुल्क माफ करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सिंचाई टैक्स नहीं है बल्कि यह शुल्क है । इसीलिये वर्ष 1996-97 में कुल सिंचाई शुल्क जो इकट्ठा हुआ वह 143.50 करोड़ रुपये है । जहां पानी नहीं मिलता है, मैं पहले भी माननीय सदस्यगण को बता चुका हूं कि जिस खेत में पानी नहीं दिया जाता है, नहर नहीं है तो उस पर शुल्क नहीं लिया जाता है । यदि कहीं पर लिया जा रहा है तो माननीय सदस्यगण हमें सूचित कर दें, हम उस पैसे को समायोजित कर देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पिछली बार भी हमने आपके माध्यम से आग्रह किया था कि इलाहाबाद जनपद में मेजा, करछना में इस वर्ष 97-98 में खरीफ की बोआई में नहरों से पानी नहीं मिला । तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि यदि कहीं पानी नहीं मिला तो सिंचाई शुल्क माफ करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब मैं बार-बार कह रहा हूं कि जिन खेतों में एक भी पानी नहीं पहुंचेगा उनका शुल्क माफ कर देंगे और अगर गलती से ले भी लिया तो उसे अगले सत्र में समायोजित कर लिया जायेगा मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर देता हूं कि यदि वे कहीं की इस प्रकार की सूचना देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां खरीफ और रबी की फसलों में पानी चाहिये तीन बार और सिंचाई विभाग केवल अंतिम पानी देकर उन गरीब किसानों से शुल्क ले लेता है, तो क्या वह सिंचाई शुल्क माफ करेंगे या उसे भी जोड़कर उससे पैसा वसूल करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ पा रहा हूं वह तीन पानी या चार पानी की बात कर रहे हैं । सिंचाई विभाग प्रयोग प्रति फसल जितना पानी चाहिये, उतना सुनिश्चित रूप से

पानी देने का वायदा विभाग का नहीं है । यदि एक भी पानी दिया जायेगा तो सिंचाई विभाग शुल्क लेगा ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, अंतिम पानी देकर शुल्क ले लिया जाता है और सिंचाई दिखा दी जाती है लेकिन फसल नहीं होती है वह बरबाद हो जाती है तो इन परिस्थितियों में उन किसानों को सिंचाई शुल्क माफ करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, किसी भी पानी से फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है । जब आवश्यकता होती है तो पानी दिया जाता है ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक ही फ्लैट संख्या में डबल शुल्क सिंचाई विभाग द्वारा लिख दिया जाता है, जिसका खेत होता है उससे भी शुल्क लिया जाता है और जो उसमें बटाई पर बुआई कर रहा है, उससे भी सिंचाई शुल्क लिया जाता है तो क्या इस कुव्यवस्था को समाप्त करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सिंचाई विभाग का नियम है, उस नियम के विपरीत अगर किसी प्रकार का गलत व्यवहार है, तो उसकी निश्चित रूप से जांच कराई जायेगी ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अगर एक भी पानी नहर का नहीं पहुंचता है तो सिंचाई शुल्क माफ कर दिया जायेगा और अगर नहर का एक भी पानी पहुंच जायेगा तो सिंचाई शुल्क माफ नहीं होता है । मान्यवर, अगर किसी फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता है और दूसरा पानी न मिलने से उसकी फसल सूख जाती है और इस प्रकार से उसकी जुताई-खुदाई, बीज आदि पर जो खर्चा होता है उसका नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में वह क्या सिंचाई शुल्क माफ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया है कि एक भी पानी नहीं पहुंचेगा तो शुल्क नहीं लगेगा और अगर एक भी पानी नहीं पहुंच गया तो शुल्क लगेगा ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, आज ही मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या–16 लगा हुआ है । जो इसी प्रश्न से संबंधित है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर एक भी पानी नहीं पहुंचेगा तो शुल्क नहीं लिया जायेगा लेकिन जो ट्यूबवेल खराब हैं और फर्जी तरीके से यह रिपोर्ट दे दी गई है, वह चल रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मेरे गांव का ट्यूबवेल खराब है और माननीय मंत्री जी के पास रिपोर्ट है, वह ठीक है .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि जहां एक भी पानी नहीं पहुंचेगा तो शुल्क नहीं लगेगा ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है, माननीय मंत्री जी ने पिछला बार और इस बार सदन में बार-बार संज्ञान में लाया गया है कि फलांफलां ट्यूबवेल खराब हैं, उनमें तकनीकी खराबी है, उनको ठीक से बोर नहीं किया गया है और वह पूरी क्षमता से पानी नहीं दे रहे हैं, तो जिन अभियन्ताओं ने नलकूपों के निर्माण में इस प्रकार की अनियमिततायें बरती हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से नहीं उठता है। इसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन नहरों की गूलों से जब उनका पानी नहीं जा रहा है और अगर उन गूलों से कोई प्राइवेट व्यक्ति पानी ले जाता है तो उस पर शामिल बरहा आवपासी लगा दी जाती है, जिससे किसान परेशान है, तो क्या माननीय मंत्री जी शामिल बरहा आवपासी को समाप्त करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह नियम अवश्य है कि जहां नहर विभाग पानी ले जाता है और जब उसके पानी ले जाने का समय नहीं होता है तो निजी नलकूप वाले पानी डाल कर ले जाते हैं, लेकिन जहां पर नहर विभाग ने पानी नहीं दिया है तो उसका शुल्क नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि गूलों के प्रयोग के लिये कोई शुल्क नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं कि किसान अपनी प्लानिंग करता है और कितने पानी लगेंगे इसकी भी पहले से ही प्लानिंग करता है और जब उसके अनुरूप पानी नहीं मिलता है और उसकी फसल सूख जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी फसल का कम्पेनशेसन देने पर विचार करेंगे ? जिस नाली से किसान पानी निकाल लेता है तो आप पानी का शुल्क ले लेते हैं, तो जहां पर इस प्रकार की अनियमितता है उसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप इसको संज्ञान में ले लीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो हम उसकी जांच करायेंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, 4 बार पानी की जगह एक बार पानी मिलने के कारण जो किसान की फसल को नुकसान हुआ उसके लिये कम्पेनसेशन देने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिंचाई विभाग कितना पानी देगा और कितनी बार पानी देगा इस पर शुल्क का निर्धारण नहीं करता है। सिंचाई विभाग कम से कम एक पानी देने को अपना कर्तव्य समझता है। एक पानी जहां पहुंच जाता है वहां शुल्क देय हो जाता है।

श्री नन्दराम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बदायूं में जो 5 रुपया 56 पैसा की दर से वसूल किया गया दिखाया गया है और 11 रुपये 52 पैसे की दर से वसूल किया गया है, तो यह जो करीब 5 रुपये की दर से कम रेवन्यू दिया है इस बदायूं के प्रथम नलकूप खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिसमें करीब 6 लाख रुपया कम दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह सूचना दे दीजिये माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कार्यवाही करेंगे । अगर उनके पास कोई इस तरह की शिकायत आएगी तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम लोगों ने स्पष्ट चिन्ता व्यक्त की है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं या जो ऐसी गूलें हैं जहां पानी नहीं जाता है और किसान निजी साधनों से उस पर पानी ले जाता है और सिंचाई करता है, उस पर विभाग आवपासी लगा देता है । मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि अगर इनके ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं और नहरें बन्द पड़ी हैं, यह स्वयंमेव उनकी जांच करा लें क्योंकि 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उनसे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है तो क्या यह स्वयं उनकी जांच कराकर शुल्क माफ करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह कथन कि 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं, गलत है । तथ्यपरक नहीं हैं । जहां तक शुल्क की बात है शुल्क कितना लिया जाता है, कहां नहीं लिया जाता है इसके संबंध में बताना चाहता हूं । अगर कोई ट्यूबवेल पूरी खरीफ फसल में खराब है या रबी की फसल में खराब है और उससे पानी नहीं गया है तो उन खेतों में शुल्क नहीं लगेगा । और अगर कहीं ऐसा है कि विभाग कहता है नलकूप चल रहे हैं और आप कहते हैं नहीं चल रहे हैं तो लिखकर दे दें हम जांच करा लेंगे । (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह किसानों से संबंधित प्रश्न है और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने थोड़ा बहुत सोच समझकर अपना जवाब देने का प्रयास किया है । लेकिन प्रश्न यह है, जैसा अभी माननीय जगदम्बिका पाल जी ने कहा है कि 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं और उससे किसानों का नुकसान होता है तो क्या आप स्वयं सर्वे कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? क्योंकि जैसे किसान परेशान होता है उसका फल दूसरों को भी मिलना चाहिये । 50 प्रतिशत क्या मैं समझता हूं कि उससे भी अधिक खराब हैं । इसका प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है और किसानों की आजीविका पर पड़ता है । तो इन सारे ट्यूबवेलों का सर्वे कराकर जांच करायेंगे और उन्हें ठीक करने का काम करेंगे । और जिन किसानों को नुकसान हो रहा है उनका शुल्क माफ करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नलकूपों को ठीक करने की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । सारे ट्यूबवेल एक साथ खराब नहीं होते हैं । और जो खराब हैं उनका एक कार्यक्रम ठीक करने का हर डिवीजन में चलता रहता है वे बनते रहते हैं । जहां तक सर्वे की बात है आपने निर्देश दे रखा है इसी सदन में कि आप जांच करा लें । हम पहले भी कह चुके हैं इस समय बरसात के कारण नलकूपों का उपयोग कम होता है । रबी के समय जिलाधिकारी के माध्यम से नलकूपों की जांच कराने और ठीक कराने के लिये, संसाधनों को देखते हुए, अधिकाधिक नलकूपों को ठीक कराकर किसानों के हित के संरक्षण करने का प्रयास शासन कर रहा है । जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि यह सरकार किसानों का शोषण कर रही है तो ऐसी बात नहीं है पहले की सरकारों ने यह किया होगा यह सरकार किसानों की हित चिंतक है ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर ।)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, संशाधनों का बहाना बनाकर यह सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है और किसानों को राहत नहीं दे रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री राम नरेश यादव एवं श्री जदगम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैंने अपने जिले के नलकूपों के बारे में मंत्री जी को बताया है अभी तक कार्यवाही नहीं हुयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा । मंत्री जी उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मेरे जिले की नहरों में पानी नहीं हैं । ट्यूबवेल खराब हैं नालियां टूटी पड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मिश्र जी, आप बैठ जायं । आप क्यों अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं ? आपको मैने अनुमति नहीं दी है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप यह बतायें कि मैं किस मनोरोग चिकित्सक के पास आपको भेजूं ? आप बतायें, मैं इसका निर्देश दे दूंगा ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं सूचना लिखकर दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे चुके हैं, मंत्री जी उस पर कार्यवाही करेंगे । कृपया बैठ जायं, आप अनुभवी आदमी हैं ।

श्री दलवीर सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री दलवीर सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है । आपके नाम के आगे केवल ..... लिखा जायेगा ।

नोट--:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[दि० 30-7-97 को अता० प्र० सं० 141 द्वारा उत्तरित].

उत्तर प्रदेश में आवासहीन लोगों को मकान सुलभ कराये जाने की स्थिति की जानकारी

*2–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ग्रामों व शहरों में बेघरवार लोगों को मकान सुलभ कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों का सर्वेक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे आवासहीन लोगों को आवास आवंटित करने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मार्च, 1998 तक प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । आवास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में समाज के विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कई योजनायें चलायी जा रही हैं । ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कतिपय जनपदों में तेंदू पत्ता क्रय किये जाने संबंधी बकाये मूल्य के भुगतान की मांग

*3–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उ० प्र० वन निगम द्वारा वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, ओबरा, रेनुकूट, दुद्धी, कर्वी, बांदा में निगम के द्वारा घोषित सरकारी मूल्य से कम मूल्य पर तेंदू पत्ता क्रय किया गया है तथा सभी क्रय केन्द्रों पर लगभग अंतिम सप्ताह में लाखों अनुसूचित जनजाति के मजदूरों को तेंदू पत्ता का मूल्य भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मजदूरों के बकाये धन का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा तेंदू पत्ता संग्रहण कार्य किया जाता है । तेंदू पत्ता सीजन 1997 हेतु संग्रहण परिव्यय की अधिसूचना शासनादेश दिनांक 19-5-1997 द्वारा [illegible] कर बोरा रुपया 260/- पत्ता संग्रहण करने वाले व्यक्तियों को देने हेतु दर का निर्धारण किया गया था । वन निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि संग्रहण केन्द्र में सूचना पहुंचने तक 1996 सीजन की दर रुपया 250/- प्रति मानक बोरा दर से प्रति बोरा भुगतान किया जा रहा था । चूंकि दर सम्पूर्ण सीजन हेतु लागू होती है, अतः बकाये धनराशि का भुगतान उ० प्र० वन निगम द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 20-8-97 तक शेष धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

मान्यवर, वन निगम की स्थापना अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों का शोषण न हो इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी जिसके तहत वन निगम तेंदू पत्ते को तुड़वाने का कार्य करता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि तेंदू पत्ता तोड़ने के दौरान मजदूरों को भुगतान 10 रुपये प्रति बोरी मानक के हिसाब से कम दिया गया है। जिस समय मजदूर अपने तोड़े हुए पत्तों को लेकर इनके द्वारा लगाये गये केन्द्र पर पहुंचेगा तो उन मजदूरों को न तो कोई रसीद दी जाती है न कोई एड्रेस है किस किस हिसाब से कैसे यह उनको बकाये 10 रुपये का भुगतान कर देंगे। कहीं इनके पास लेखा जोखा है जिसके हिसाब से अमुक मजदूर ने इतना पत्ता तोड़ा है उसको इतना भुगतान करना है। यह सब कैसे करेंगे ? मान्यवर, यह तो सरासर धोखा देने वाला जवाब है। इसके साथ-साथ मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है कि मैंने इस प्रश्न में पूछा है कि जब तेंदू पत्ते को तोड़ने का सीजन खत्म होने लगता है उस समय उनके अधिकारियों ने तेंदू पत्ता क्रय किया है उसका भुगतान मजदूरों को नहीं दिया गया है, इस विषय में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मान्यवर, यह जांच अपने अधिकारियों के द्वारा करवायेंगे। इनके अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सीधे-सीधे घपला किया गया है। तेंदू पत्ता क्रय किया गया है। यह केवल कागज पर भुगतान दिखा देंगे। जो वांछित व्यक्ति हैं, जिसका शोषण हुआ है उसको लाभ नहीं पहुंचेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप इसकी जांच करवा लें और उस जांच के लिये जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। एक कमेटी बनाकर भुगतान कराने का प्रयास करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पत्ता संग्रह करने का सामान्य काल 25 अप्रैल से 30 जून तक होता है। जब यह गठबन्धन की सरकार आई तो इसने 19 मई को 10 रुपये प्रति बोरी पारिश्रमिक बढ़ा दिया। पहले यह 250 रुपये प्रति बोरी दिया जाता था। 19 मई को निर्णय करके शासनादेश जारी करके 250 रुपये के स्थान पर 260 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया। उस समय तक पत्ता संग्रह हो रहा था और उस समय भी भुगतान हुआ। माननीय सदस्य ने पूछा है कि भुगतान कैसे करेंगे ? मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि जब कोई भी श्रमिक पत्ता तोड़कर लाता है तो एक झाल में एक हजार बंडल और एक बंडल में 50 पत्ता होता है। यह नियम है और उस बोरी की उसको पर्ची दे दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

बोरी नहीं खरीदी जाती है। बंडल के हिसाब से लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मजदूरों को कूपन दे दिया जाता है और उस कूपन की एक प्रति शासन के पास होती है दूसरी प्रति निगम को भेजी जाती है। इस कूपन को दिखाकर भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक भी लिखा जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ भी लिखा नहीं रहता है ऐसा नहीं है। अधिकृत रिकार्ड के रूप में कूपन होता है जिसके आधार पर भुगतान होता है। यह शासनादेश 19 मई, 1997 को जारी हुआ उससे पहले से पत्ता तोड़ने और संग्रह का कार्य शुरू हो गया था। यह 2,298 संग्रह केन्द्र निगम के अन्दर हैं। सूचना पहुंचने में 10-12 दिन का विलम्ब जरूर हुआ है इसलिये जो पर्ची पर 250 रुपये लिखा है उसको पुनः मांगकर 10 रुपये के अन्तर का भुगतान किया जायेगा और इसे सुनिश्चित करने के लिये 20 जुलाई को राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण में प्रकाशित कर दिया गया कि जिन लोगों को इस बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान दिया गया था यह दावा पेश कर दें भुगतान हो जायेगा

इसके साथ ही मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जिन किसानों को सूचना नहीं मिली है उनको भुगतान करा दिया जायेगा। माननीय सदस्य बता दें उनका भुगतान करा देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

कूपन का कौन सा नम्बर है ? प्रपत्र कौन सा कटता है मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि कोई कूपन किसी फड़ पर नहीं कटता है किसी श्रमिक का पता नहीं लिखा रहता है न ही गड्डी लिखी होती है कि कितनी दी ? माननीय मंत्री जी सदन को गलत सूचना देकर गुमराह कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

पत्ती तोड़ने के दौरान भुगतान किया गया मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी बना दी जाए वह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर देखें जो जंगलों में कृषक रहते हैं उनके यहां जाकर देखें और बतायें।

श्री अध्यक्ष–

जो कूपन दिये जाते हैं उसका नम्बर क्या है ? कौन सा प्रपत्र है ? क्या नाम है ? क्या जनप्रतिनिधियों की समिति बनाने पर आप विचार करेंगे ? जो जाकर उन लोगों से जानकारी प्राप्त कर सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रपत्र 1 दशमलव 1 है जो 10-10 का होता है इस कूपन पर दो कार्बन कापी रहती है माननीय सदस्य ने कहा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज की तिथि में जिन मजदूरों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी हो वह दे दें उनके द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी से पता लगेगा कि व्यापक धांधली है तो उसमें जांच कराई जायेगी लेकिन मेरा अनुमान है कि स्पेसिफिक जानकारी इनके पास नहीं है सुनी-सुनाई बातों पर यह आरोपित कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल–

मान्यवर, मेजा विधान सभा क्षेत्र जंगल के किनारे बसा है हमारे यहां तेंदू की पत्ती का काम होता है कूपन बांटे नहीं जाते हैं अधिकारी कूपन अपने पास रखे रहते हैं.....

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछें।

श्री राम कृपाल–

क्या आप हमारी बात को सही मानते हुए मजदूरों को सही समय पर भुगतान नहीं होता है और जो कूपन दिये जाते हैं बांटे जाते हैं यह कहा जा रहा है तो कूपन बिल्कुल नहीं बांटे जाते हैं। मेरे क्षेत्र में 5-6 जगह हैं महोली, बहोरन और देवघाट कई फड़ हैं यहां आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने तीन इकाइयों के स्पष्ट नाम लिये हैं इन गांवों में भुगतान हुआ है या नहीं दिखवा लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इन्हीं तीनों जगह का नहीं अगर कोई कहेगा कि इस इकाई पर अनियमितता हुई है तो हम जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

राम कृपाल जी आप लिखित सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, मंत्री जी जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने पर क्या विचार करेंगे जो इस संबंध में जांच करके अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य से कोई स्पेसिफिक शिकायतें तो मिलें और उसकी प्रारम्भिक जांच से पता चले कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो कमेटी बनाने पर विचार किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने शिकायत किया है कि कूपन नहीं दिये जा रहे हैं तो इसके संबंध में क्या मंत्री जी कोई उच्चस्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कह दिया है कि यदि मेरे संज्ञान में कोई बात आयेगी तो जांच करा लेंगे ।

[बुधवार, दिनांक 13 अगस्त, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[दि० 30-7-97 को अता० प्र० सं० 141 द्वारा उत्तरित]

राज्य में कार्यरत फर्जी चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं पर सरकार द्वारा रोक लगाने के निर्देश

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कहां-कहां कौन से फर्जी चिकित्सा शिक्षा संस्थायें कार्य कर रही हैं जहां हजारों छात्र फर्जी डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त कर चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ? यू० पी० मेडिकल कौंसिल तथा राज्य सरकार उक्त अवैध धन्धे को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

फर्जी चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं की सूची संलग्न है ।

अवैधानिक रूप से संचालित समस्त संस्थाओं को बन्द करने के लिये सभी जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया जा चुका है । एक संस्था के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गयी है जो विवेचनाधीन है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 253-254 पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रदेश के अन्दर 31 आयुर्वेदिक, 9 यूनानी, 2 एलोपैथिक के शिक्षण संस्थायें अवैध ढंग से कार्य कर रही हैं । उन्होंने उत्तर में यह भी बताया है कि एक संस्था के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है जो विवेचनाधीन है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 42 संस्थायें फर्जी और अवैधानिक रूप से कार्य कर रही हैं तो अब तक एक ही संस्था के विरुद्ध एफ० आई आर० क्यों दर्ज कराई गई और 41 फर्जी शिक्षण संस्थाओं को बन्द करने की अब तक कार्यवाही क्यों प्रारम्भ नहीं की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि सभी फर्जी संस्थाओं को बन्द करने के लिये जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया जा चुका है और उन्हें सरकार बन्द करने के लिये कटिबद्ध है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह छात्र जो अवैधानिक तरीके से डिग्री और डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश में घूम रहे हैं और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी संस्थाओं के संचालकों के खिलाफ क्या सरकार कठोर कार्यवाही करेगी और राज्य मेडिकल कौंसिल एवं इन्डियन मेडिकल कौंसिल तथा राज्य की अन्य संस्थायें सभी एक साथ मिलकर ऐसी फर्जी संस्थाओं को बन्द करने का क्या प्रयास करेंगी ? यदि सरकार मानती है कि वे अवैधानिक हैं तो उन्हें क्यों नहीं बन्द करा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इन फर्जी संस्थाओं द्वारा जितने छात्र पढ़कर आते हैं उन्हें सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जा रही है और सरकार उन्हें बन्द करने के लिये कोई हिचकिचाहट नहीं कर रही है तथा उन्हें बन्द करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि चौधरी साहब ने प्रश्न किया कि इन संस्थाओं को बन्द करने में कौन सी कठिनाई माननीय मंत्री जी के समक्ष आ रही है ? जितने ऐसे विद्यालय चल रहे हैं उनसे पढ़कर लोग निकलते हैं वहां पर फीस देते हैं उसके बाद वह बेकार रहते हैं उनको कोई मान्यता नहीं है। ऐसे विद्यालयों को बन्द करने में कौन सी वैधानिक कठिनाई मंत्री जी को है ? क्या उस कठिनाई को दूर करने के लिये नियम, अध्यादेश अथवा अधिनियम बनाने की कार्यवाही सरकार करेगी अथवा नहीं ?

श्री रमापति शास्त्री–

इनको बन्द करने में कोई कठिनाई नहीं है केवल एक ही बात होती है यह हाई कोर्ट चले जाते हैं जहां से स्टे ले आते हैं। सरकार द्वारा अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सबको सूचित किया जा रहा है कि यह फर्जी संस्थान हैं इन फर्जी संस्थानों में कोई प्रवेश न ले नहीं तो उसे अवैध माना जायेगा। इनको बन्द करने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या अखबार के माध्यम से बन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपने हाई कोर्ट का उल्लेख कर दिया जो सूची दी गयी है इसमें कौन संस्थान हैं जो उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश ले आये ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, एरा० के० कालेज, सीतापुर है इसके खिलाफ जब कार्यवाही की गयी तो यह हाई कोर्ट से स्टे ले आये राम मनोहर लोहिया डेन्टल कालेज है इसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की गई तथा प्रबन्धक बन्द भी हुआ लेकिन बाद को छोड़ दिया गया अब वह घूम रहा है। इस प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें कही हैं एक तो सरकार को इन्हें बन्द करने में कोई कठिनाई नहीं है । दूसरी तरफ कह रहे हैं जो इन महाविद्यालयों से पास होकर निकलते हैं उन्हें हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं । मान्यवर, यह राज्य कल्याणकारी राज्य है जो पास होकर चार साल बाद निकलते हैं तो इन सालों में उन्हें 25-50 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं तथा चार साल बरबाद करने पड़ते हैं । 23 महाविद्यालयों की सूची संलग्न है वहां पर जो छात्र पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को कैपिटेशन फीस देनी पड़ती है तो क्या उन छात्रों के भविष्य की रक्षा करने के लिये जो अवैध महाविद्यालय चल रहे हैं इस संबंध में आप जिलाधिकारी को निर्देशित करेंगे कि वह वास्तविक स्थल पर जाकर उनको बन्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें ?

श्री रमापति शास्त्री–

समय-समय पर जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया जाता रहा है अब पुनः निर्देश भेज दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आदेश का प्रभावी अनुपालन तो सरकार ही सुनिश्चित करेगी ।

श्री रमापति शास्त्री–

समय-समय पर जिलाधिकारियों को व मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया जाता रहा है मैं अब तुरन्त ही फिर से जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को निर्देश दूंगा कि उनको बन्द कराने की कार्यवाही करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सीधा-सीधा प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी का मामला है, जिन लोगों को अधिकार नहीं है वह संस्थायें चला रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, सीधे-सीधे धोखाधड़ी का मामला है आपने एक संस्था के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिसकी विवेचना चल रही है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जितनी संस्थायें चल रही हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भिजवायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

इनको बन्द करने के लिये जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दूंगा ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मैं निर्देशित कर दूंगा । वह डेट बता दें कि कब तक यह संस्थायें बन्द हो जायेंगी, दो महीने, तीन महीने, कोई तारीख निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय मंत्री जी, कोई तिथि निर्धारित कर सकेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपने-अपने ढंग से काम करने का अधिकार है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह कोई जवाब नहीं हुआ । मंत्री जी ने जो बात कही है वह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी इस प्रश्न की गम्भीरता की उपेक्षा कर रहे हैं, कोई गम्भीरता नहीं दिखायी पड़ रही है । फर्जी विद्यालय चलते हैं उनके बारे में कोई तिथि निर्धारित करने की बात थी लेकिन मंत्री जी यह कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अपने-अपने ढंग से काम करने का अधिकार है । लोकतांत्रिक प्रणाली क्या बेईमानी के लिये है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अनथराईज्ड मेडिकल्स इंस्टीट्यूट प्रोहिबिशेन ऐक्ट, 1993 की धारा 5 के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि जो अवैधानिक संस्थायें चलायी जा रही हैं उसके पीछे असरदार लोग हैं और इस तरह की संस्थायें चला करके वह अवैधानिक तरीके से काफी मोटी रकम की आय करते हैं । जैसा मंत्री जी ने कहा है कि सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह हल्का प्रकरण नहीं है, काफी गम्भीर प्रकरण है । हर जिले में सी० एम० ओ० होते हैं उनसे लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन के अंग हैं तो इतने सारे लोगों के रहने के बाद भी क्या वजह है कि वर्षानुवर्ष फर्जी संस्थायें बढ़ती जा रही हैं और शासन असहाय और लाचार दिख रहा है । माननीय मंत्री जी ने हाई कोर्ट की बात कही, हाई कोर्ट में जो पैरवीकार हैं वह असर के कारण अपनी पैरवी नहीं करते । इन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए और प्रदेश के लाखों, करोड़ों जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और लोग गुमराह होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनके अभिभावकों द्वारा भारी धनराशि व्यय की जा रही है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि जो बच्चे इन संस्थाओं से पढ़कर निकलते हैं उनको आप मान्यता नहीं देते । इन सबको देखते हुए माननीय मंत्री जी कोई सख्त कदम उठाने की घोषणा करेंगे ? ताकि अगले दो-तीन दिन के अन्दर जो फर्जी संस्थाओं की सूची दी गयी है, उनके यहां मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजकर वैधानिक तरीके से छापे डालकर उन संस्थाओं में ताला डालेंगे और संचालकों को जेल के अन्दर डालेंगे ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मामला गम्भीर है और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

केवल आप इतना बतायें कि इन संस्थाओं को निकट भविष्य में बन्द कराने के लिये तथा इनके प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आप कोई घोषणा करेंगे या सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, तुरन्त निर्देश दे रहे हैं ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में चिकित्सालयों में दवाओं के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

*3–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सत्र में मरीजों की दवाई के लिये राजकीय चिकित्सालयों में कुल कितने रुपयों का प्राविधान किया गया है ? क्या मांग को देखते हुए उक्त किया गया प्राविधान पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मद में धन बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में मरीजों की दवाई के लिये राजकीय चिकित्सालयों हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आय-व्ययक में कुल रु० 41,14,55,000/- का प्राविधान किया गया है ।

जी नहीं ।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार औषधियों के मद में वृद्धि पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह प्रश्न लोगों के स्वास्थ्य एवं जनजीवन से सीधे-सीधे जुड़ा है । जब भी राजकीय अस्पतालों में लोग जाते हैं तो मामूली बुखार और दस्त की गोलियां भी उपलब्ध नहीं होतीं, ग्लूकोज की बोतल नहीं होती । मैं आपके माध्यम से दो सवाल पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि इतने धन के प्राविधान का आधार क्या है और इस सत्र में दान की मांग कितनी थी ?

दूसरा जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग इसको बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ लोगों की चिन्ता स्वास्थ्य विभाग को है, धन के आवंटन को बढ़ाने के लिये बजट में नये प्राविधान कर रहे हैं, भारत सरकार के माध्यम से भी कुछ पैसा मिलता है । सरकार ने अलग से भी व्यवस्था करने के लिये मांग की है, मिलने पर कार्यवाही करायेंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, न माननीय मंत्री जी ने आधार बताया, न यह बताया कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं, किससे बात की है, क्या विचार-विमर्श किया है, मैंने तो स्पष्ट सवाल पूछा था ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह बजट का मामला है । हम हर विषय पर व्यवस्था कर रहे हैं । भारत सरकार से बात कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करके व्यवस्था करेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि जो मानक हैं, उसके अनुसार हम दे नहीं पा रहे हैं कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार का घोषित लक्ष्य है, "सबको शिक्षा सबको स्वास्थ्य" और कुल 41,14,55,000 रुपयों का प्राविधान किया गया है, मरीजों की दवाइयों के लिये । मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में प्रतिदिन कितने मरीजों को दवा दी जाती है और प्रति मरीज प्रतिदिन कितना रुपया सरकार इस पर व्यय करती है ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तीर्ण प्रश्न है । अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो दे दें ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, पिछले साल से हमने प्रत्येक मरीज को जो दवा देने का प्राविधान किया है, उसको बढ़ाया है । इस समय प्रत्येक मरीज को 10 रुपये प्रतिदिन बाह्य रजिस्ट्रेशन पर देने का प्राविधान किया है, आगे और प्राविधान करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी ने 41 करोड़ रुपये का प्राविधान की बात कही है आज 16 करोड़ आबादी है तो उस हिसाब से 3 रुपये प्रदेश की जनसंख्या के

हिसाब से स्वास्थ्य पर नहीं खर्च हो रहा है । माननीय विकल जी ने जोड़ दिया 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से पूरे प्रदेश की आबादी के हिसाब से दे रहे हैं । तो मैं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो प्रदेश के चिकित्सालयों में न जीवन रक्षक दवायें हैं और न लोगों के स्वास्थ्य के लिये दवाओं का प्राविधान है और दूसरी तरफ प्रदेश में विगत दिनों एक अध्यादेश से प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में जो मरीज भर्ती होते हैं या आउटडोर पर भी दिखाते हैं उनकी दवाओं के लिये, एक्सरे के लिये उसमें भारी वृद्धि कर दी गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह केवल स्थगित किया गया है, क्या यह सरकार जो प्रदेश के जिला चिकित्सालय पर मरीजों के शुल्क में दवाओं पर भारी शुल्क लगाया गया है उसे निरस्त करने पर विचार करेगी ? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि बस्ती में 500 बेड का एक कैंसर अस्पताल है क्या वह निर्माण निगम से हैंड ओवर होकर स्वास्थ्य विभाग को मिल गया है, यदि हां, तो चिकित्सा पर कितना प्राविधान किया है अगर नहीं हुआ है, उद्घाटन की तिथि आप ने निर्धारित कर दी है धन का कोई प्राविधान नहीं किया है तो ऐसा क्यों है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह अलग से बात कर लें मैं बता दूंगा । यह मूल प्रश्न से बाहर है । जो राष्ट्रपति शासन के दौरान शुल्क में वृद्धि कर दी गयी थी उसे समाप्त करने पर हम विचार कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है आज आउटडोर की बात छोड़ दीजिये जो इन्डोर है वहां पेशेन्ट का इलाज ठीक से नहीं हो पाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन्डोर और आउटडोर पेशेन्ट में किस तरह से बजट का प्राविधान किया गया है और इन्डोर पेशेन्ट की ठीक से चिकित्सा हो सके इसके लिये कोई प्रभावी निर्देश देंगे ।

(श्री रमापति शास्त्री के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, अब क्या आउटडोर और इन्डोर पेशेन्ट भी माननीय मंत्री जी को समझाया जायेगा ?

मान्यवर, मैंने कहा कि आउटडोर पेशेन्ट की दुर्दशा के बारे में तो जिक्र हुआ लेकिन इन्डोर पेशेन्ट जो हास्पिटलाइज्ड हैं उनके इलाज के लिये जो उपेक्षा होती है उसके लिये माननीय मंत्री जी क्या करेंगे कि उनका ठीक से इलाज हो जाय ?

श्री रमापति शास्त्री–

मैं सारी व्यवस्था करा रहा हूं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें मूल प्रश्न यह है कि वर्तमान सत्र में मरीजों की दवाई के लिये राजकीय चिकित्सालयों में कुल कितने रुपये का प्राविधान किया गया है यहां इन्डोर आउटडोर की बात नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, बजट को अपर्याप्त समझकर मैंने यह बात कही कि कम से कम यह व्यवस्था हो जाय ।

श्री मुन्ना चौहान–

अभी बताया गया कि 41 करोड़ 14 लाख के करीब वित्तीय व्यवस्था की गयी है । जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसमें प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धन आवंटन का कोई मानक निर्धारित किया गया है ? जो खरीद होती है वे सब स्टैण्डर्ड की होती है । तो कितने अस्पतालों में सैम्पुल भरकर रेड डाली गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जी हां 10 रुपये प्रति व्यक्ति यह मानक निर्धारित है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

*4–श्री जगदम्बिका पाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पं० उमाशंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय में जनपद उन्नाव में पप्पू पासी पुत्र शिवराम पासी की अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*5–श्री दीपक कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० उमा शंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव में दिनांक 15 जून, 1997 को पप्पू पासी पुत्र शिवराम पासी ग्राम डीह, थाना कोतवली, जनपद उन्नाव की मृत्यु हुई है ? क्या मृतक की पत्नी ने अपने पति की अस्वाभाविक मृत्यु के लिये जिम्मेदार चिकित्सालय के कतिपय चिकित्सकों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराकर दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश के कार्यालय के भवन की मरम्मत किये जाने की मांग

*6–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ० प्र० के 100 वर्ष पुराने कार्यालय भवन के जीर्ण-शीर्ण हो जाने व छत से पानी के रिसाव होने के कारण उसमें रखे सैकड़ों वर्ष पुराने रजिस्ट्रेशन के अभिलेख नष्ट हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार एवं नियंत्रक भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उक्त भवन की मरम्मत के लिये धन स्वीकृति हेतु मई, 1997 में कोई आगणन शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

जी हां ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के भवन की मरम्मत हेतु प्राप्त आगणन विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में घाटे में चल रही गन्ना सहकारी समितियों को लाभप्रद बनाने के संबंध में सरकार द्वारा निर्देश

*7–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० की कितनी गन्ना सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं ? इसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त घाटे को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त घाटे को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चौरासी ।

घाटे का मुख्य कारण समितियों का प्रबन्ध व्यय उनकी आय की तुलना में अधिक होना है ।

जी हां ।

गन्ना समितियों में नई नियुक्तियों को प्रतिबन्धित करने तथा उनके प्रबन्ध व्यय को नियंत्रित करने के संबंध में आदेश जारी किये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घाटे में चल रही समितियों के व्यय में कमी करके इन्हें लाभप्रद बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

*8–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[6ठे मंगल को ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के शोषण को रोकने के संबंध में जानकारी

*9–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा सेवायोजित सुरक्षा गार्डों "निगम कर्मचारी कन्डक्ट रूल" के अनुसार नियमित है ? यदि हां, तो क्या इनको प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्या निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिकों के किये जा रहे शोषण को रोके जाने हेतु सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

जी नहीं ।

उ० प्र० भू० पू० सैनिक कल्याण निगम द्वारा सेवायोजित सुरक्षा गार्डों की सेवा नियमित नहीं है बल्कि इनकी सेवा अनुबन्ध के आधार पर ली जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस निगम की स्थापना ही राज्य सरकार द्वारा मई वर्ष 1989 में भतपूर्व सैनिकों के शोषण आदि को रोकने हेतु की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के हेमीपुर में शुगर मिल की स्थापना किये जाने की मांग

*10–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद कुशीनगर के हेमीपुर में शुगर फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मिल की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद कुशीनगर के हेतिमपुर में(न कि हेमीपुर) में एक नई चीनी मिल की स्थापना हेतु [illegible] सरकार द्वारा श्री कुंज बिहारी लाल पालड़ीवाल, गीता वाटिका, गोरखपुर के पक्ष में दिनांक [illegible] आशय-पत्र जारी किया गया है । नया आशय-पत्र होने के कारण अभी स्थापना संबंधी कार्यों में [illegible] प्रगति नहीं है ।

*11–श्री अमर मणि–

[दि० 6-8-97 कोअता० प्र० सं० 90 द्वारा उत्तरित]

गोवर्धन डेम मे पानी के उफान से मथुरा एवं आगरा के कतिपय क्षेत्रों में होने वाले विनाश को रोकने के उपाय किये जाने की मांग

*12–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्षा ऋतु में राजस्थान एवं हरियाणा के पानी से मथुरा जनपद के गोवर्धन ड्रेन में पानी का उफान आ जाता है । क्या इस पानी से मथुरा आगरा के देहाती इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं तथा तबाही मच जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भयंकर तबाही को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार गोबर्धन ड्रेन के प्राकृतिक बहाव के आधार पर राजस्थान से गुजरते हुए चम्बल नदी में गिराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजस्थान एवं हरियाणा के पानी से जनपद मथुरा के गोवर्धन ड्रेन में अत्यधिक वर्षा होने पर पानी का उफान आ जाता है, जिससे जनपद मथुरा की तहसील छाता, मथुरा एवं जनपद आगरा की तहसील किरावली व आगरा का क्षेत्र प्रभावित हो जाता है ।

गोवर्धन ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु रु० 270 लाख की एक योजना तैयार की गयी है ।

गोवर्धन ड्रेन के प्राकृतिक बहाव को परिवर्तित किया जाना भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही के ग्राम कलिंजरा में गंगा नदी के कटान को रोकने की मांग

*13–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद के ग्राम कलिंजरा के आसपास गंगा नंदी का कटाव तेजी से हो रहा है ? क्या इसके फलस्वरूप उक्त गांव को गंगा की धारा में बह जाने का खतरा है ? क्या यह भी सही है कि बढ़ते कटाव के कारण गंगा नदी की धारा परिवर्तित होने का भी संकट पैदा हो गया है जिसकी चपेट में सैकड़ों गांव आयेंगे ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद भदोही के ग्राम कलिंजरा, गोपालपुर एवं फुलवरिया गंगा नदी के बांये किनारे पर बसे हैं, जहां 15-20 वर्षों से धीरे-धीरे कटान हो रही है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*14–श्री अक्षयवर लाल तथा श्री ओम प्रकाश–

[दि० 23-7-97 को अता० प्र० सं० 18 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के मेडिकल कालिजों में डाक्टरों के रिक्त पदों एवं गोरखपुर मेडिकल कालिज में डाक्टरों के पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

*15–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में इस समय कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? कितने दिनों से डाक्टरों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है ? कितने मेडिकल कालेज के विभागों का कार्य डाक्टरों के अभाव में प्रभावित हो रहा है ? गोरखपुर मेडिकल कालेज में कितने विभाग डाक्टरों के अभाव में बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों सहित गोरखपुर के मेडिकल कालेज में विभागों का संचालन सम्पूर्ण रूप से कराने हेतु रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में वर्तमान में शैक्षिक विशिष्टताओं के विभिन्न संवर्गों में सृजित कुल 761 पदों के विरुद्ध 499 डाक्टर (शिक्षक) कार्यरत हैं और 262 पद रिक्त हैं ।

राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

किसी भी मेडिकल कालेज के विभागों का कार्य शिक्षकों के अभाव में प्रभावित नहीं हो रहा है । प्रत्येक मेडिकल कालेज के समस्त विभाग वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों से चलाये जा रहे हैं ।

गोरखपुर मेडिकल कालेज का कोई भी विभाग शिक्षकों के अभाव में बन्द नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पहाड़ के दर्जनों गांव में बाघ के आतंक से लोगों को मुक्ति कराने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*16–डा० रमेश पांखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि पहाड़ के दर्जनों गांव आदमखोर बाघ के आतंक में जी रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी जीवन रक्षा के लिये गांव छोड़ने के लिये विवश हो गये हैं ? यदि हां, तो आदमखोर बाघ के आतंक से मुक्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है ।

जनपद गढ़वाल के 6 नरभक्षी गुलदारों को विशेष अभियान के अन्तर्गत मार दिया गया है । अभी हाल में जनपद चमोली में एक गुलदार द्वारा एक व्यक्ति के मारे जाने तथा अन्य कई व्यक्तियों को घायल करने की सूचना प्राप्त हुयी जिस पर तत्काल गुलदार को सर्वप्रथम पकड़ने का प्रयास करने तथा यदि पकड़ा नहीं जाता है और आतंक मचाये रहता है, तो इसे नष्ट करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं । नष्ट करने के लिये दो वन्य जीव प्रतिपालकों के अधीन अलग-अलग दो कार्यदल गठित कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997-98 के लिये योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं पूर्ण वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु किये गये उपायों की जानकारी

*17–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के लिये योजना आयोग, भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपये की योजना उ० प्र० के लिये मंजूर की तथा उसमें कितना अंश राज्य सरकार का होगा ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1996-97 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये

स्वीकृत योजना में उ० प्र० का अंशदान पूरा न होने के कारण योजना में भारी कटौती की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार इस वर्ष स्वीकृत योजना में उ० प्र० का अंशदान पूरा करने के लिये क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश की वार्षिक योजना 1997-98 के लिये योजना आयोग ने रु० 225 करोड़ की विशेष पर्वतीय सहायता को सम्मिलिति करते हुए रु० 7080 करोड़ परिव्यय अनुमोदित किया है जिसमें राज्य का स्वयं का अंशदान रु० 3373.15 करोड़ है । वर्ष 1996-97 की योजना में योजना आयोग ने कोई कटौती नहीं की वरन् संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने स्वयं अनुमोदित परिव्यय रु० 6774.03 करोड़ को रु० 5506.74 करोड़ पर योजना आयोग से पुनरीक्षित करा लिया था । वार्षिक योजना 1997-98 का पूर्ण वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु उपायों की परिधि में बेहतर कर प्रशासन, बकाया वसूली सहित विभिन्न व्यवहारिक उपाय करके तथा राष्ट्रीय बचत के माध्यम से पर्याप्त संसाधन जुटाया जाना सम्मिलित है ।

*18–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थित खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति एवं विकास कार्यों हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*19–श्री लाखीराम जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में कितने विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी नहीं हैं ? क्या बी० डी० ओ० विहीन विकास खण्डों में बी० डी० ओ० के रिक्त पद पदोन्नति या नयी नियुक्ति से भरे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि रिक्त पदों के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा शासन की नीति निर्देशों के अनुपालन में कठिनाइयां आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या विकास कार्यों को गति देने हेतु शासन ने कोई विकल्प तैयार किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 6 विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी नहीं हैं ।

सीधी भर्ती के वर्ष 1994 बैच के 261 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की संस्तुति लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो गई है । इन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण/चरित्र प्रमाणीकरण कराया जा रहा है । रिक्त पदों के सापेक्ष्य शीघ्र तैनाती कर दी जायेगी ।

ऐसे विकास खण्ड जहां पर खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं उन विकास खंडों का कार्य निष्पादित करने हेतु वरिष्ठतम सहायक विकास अधिकारी को काम चलाऊ व्यवस्था में कार्य देखने हेतु अधिकृत किया गया है । आहरण वितरण के कार्य हेतु निकटस्थ विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को अधिकृत किया गया है जिससे कार्य प्रभावित न हो ।

*20–श्री राम औतार शाक्य–

[6ठे सोम में ता० प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में प्रशिक्षित ए०एन०एम० को स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

1–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में 1986 से 1990 तक की प्रशिक्षित ए०एन०एम० (नर्सों) को स्वास्थ्य उपकेन्द्रों आदि में नियुक्त किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्णय ले लिया जायेगा ? उन्हें कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष एवं महिला) सेवा नियमावली, 1997 का प्रख्यापन किया जा रहा है । चूंकि नियमावली में प्रश्नगत पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है, अतः रिक्तियों को भरने हेतु अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजकर भरने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड कोन में ट्यूबवेल निर्माण कराये जाने की मांग

2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड कोन में सिंचाई के उन स्थानों पर साधन सुलभ हैं जिन ग्रामों में ट्यूबवेल नहीं लगे हैं ? क्या सरकार उन ग्रामों में ट्यूबवेल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई राजकीय सिंचाई साधन नहीं है ।

तकनीकी दृष्टिकोण से उचित पाये जाने पर जिला स्थल चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानों पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग को आवंटित की गई धनराशि एवं नलकूपों के मरम्मत हेतु व्यय की गई धनराशि का विवरण

3–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 1994-95 तथा 96-97 में सिंचाई विभाग को विभिन्न मदों में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उसमें से कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? शाहजहांपुर जनपद की नहरों की मरम्मत एवं सफाई में कुल कितना व्यय हुआ ? क्या समस्त कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका विवरण उपलब्ध करायेगी ? कुल कितने नलकूपों की मरम्मत 94-95 वर्ष के अन्तर्गत की गयी ? उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई एवं कितने नलकूप नये स्थापित किये गये ? क्या समस्त कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद शाहजहांपुर को विभिन्न मदों में वर्ष 1994-95 तथा 1996-97 में निर्माण व अनुरक्षण कार्यों व डी०आर०डी०ए० से क्रमशः रु० 406.61 लाख व रु० 643.11 लाख आवंटित किया गया था जिसके विरुद्ध क्रमशः रु० 307.45 लाख व रु० 650.94 लाख व्यय किया गया। जनपद की नहरों की सफाई पर अलग व्यय जनपदवार नहीं रखा जाता है परन्तु इस जनपद में दो खण्ड कार्यरत हैं जिनके द्वारा सफाई व मरम्मत पर कुल क्रमशः रु० 79.09 लाख व रु० 73.78 लाख की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य पंजीकृत 58 ठेकेदारों, श्रमिक मुखिया व दैनिक श्रमिकों से कराया गया है।

उक्त जनपद में वर्ष 1994-95 में 439 चलित नलकूपों पर अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य कराया गया। उन पर कुल रु० 30.73 लाख व्यय किया गया। दो नये नलकूपों को वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया। प्रायः उक्त सभी कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही कराये जाते हैं। प्रश्न नहीं उठता है।

4–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

[6ठे मंगल के लिये अता०प्र०सं० 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल से सेवानिवृत ए० एन० एम० कु० राम प्यारी नौटियाल को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि भुगतान किये जाने की मांग

5–श्री राम आसरे पासवान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कु० रामप्यारी नौटियाल पुत्री श्री हरिदत्त नौटियाल दिनांक 31-3-90 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीसैंण विकास क्षेत्र एकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल से ए०एन०एम० के पद से सेवा निवृत्त हुई थी ? यदि हां, तो उन्हें राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निदेशालय कु० रामप्यारी नौटियाल को देय धनराशि को भुगतान करने में जानबूझ कर लापरवाही तथा देरी कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ? क्या सरकार कु० रामप्यारी नौटियाल की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि शीघ्र भुगतान करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित प्रपत्रों में इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनः उपनिदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को भेजे गये हैं।

कु० रामप्यारी नौटियाल को देय धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही तत्परतापूर्वक करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मेहरावां ड्रेन के निर्माण पर हुए व्यय एवं इसके भौतिक सत्यापन व भौतिक अस्तित्व की जानकारी

6–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र शाहगंज में मेहरावां ड्रेन के निर्माण में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है और वर्तमान समय में ड्रेन के निर्माण कार्य का

भौतिक सत्यापन कब और किस अधिकारी द्वारा किया गया है । वर्तमान समय में ड्रेन का भौतिक अस्तित्व है ? यदि हां, तो उसकी लम्बाई, गहराई एवं चौड़ाई कितनी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत ड्रेन रु० 62,340.43 की लागत पर वर्ष 1982 में निर्माण करायी गयी थी । इतने लम्बे समय के पश्चात् वर्तमान समय में निर्माण कार्य भौतिक सत्यापन कराये जाने का अब प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

वर्तमान समय में ड्रेन में पानी भरे होने के कारण उसकी गहराई/चौड़ाई की सही माप किया जाना सम्भव नहीं है । ड्रेन की ग्रामवार लम्बाई का विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम का नाम	लम्बाई किमी०
खलीलपुर	0.0 से 0.950 तक
भरौठा	0.950 से 1.80 तक
करौदी	1.80 से 2.00 तक
बशीरपुर	2.00 से 2.21 तक
धौरइल	2.21 से 3.40 तक
हड़ही	3.40 से 4.66 एवं
	4.81 से 4.83 तक
सोनिकपुर	5.20 से 5.90 तक
मेहरावां	5.90 से 6.40 तक
राजेपुर	6.40 से 7.60 तक
लपरी	7.60 से 8.90 तक
मखमेलपुर	8.90से 9.60 तक

जौनपुर जनपद के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के नाम में कथित परिवर्तन

7–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां को पं० दीन दयाल उपाध्याय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक सम्पन्न होगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला प्रशासन खीरी द्वारा वन क्षेत्र की भूमि का अवैध रूप से पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

8–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, गिरिजापुर जनपद बहराइच के कतर्नियाघाट रेंज बड़खड़िया बीट में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि का नियम विरुद्ध पट्टा बना कर कब्जा दिलाने के नाम पर लखीमपुर खीरी जनपद के जिला प्रशासन द्वारा वन

ग्राम कृष्णानगर व गुप्तापुरवा के निवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जिला प्रशासन, लखीमपुर खीरी द्वारा जिस स्थान पर पट्टा दिया गया है, उसकी सीमा विवादित है। वन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, खीरी को सीमा विवाद से अवगत करा दिया गया है। क्षेत्र में पानी भराव होने के कारण वर्षाकाल के बाद उक्त क्षेत्र का सीमांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गढ़वाल मण्डल के खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

9–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गढ़वाल मण्डल में विगत कई वर्षों से खण्ड विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारियों के अनेक पद रिक्त चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने के लिए शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं। खण्ड विकास अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को समय-समय पर अधियाचन भेजे गये हैं। वर्ष 1994 के 261 चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो गयी है जिनके स्वास्थ्य परीक्षण/चरित्र प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा रही है उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अधिकाधिक अभ्यर्थियों की खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तैनाती कर दी जायेगी।

सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) के अधिकांश रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जा चुका है।

विकास खण्ड रुदौली जनपद बाराबंकी के विकास योजनाओं हेतु आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

10–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में सरकार द्वारा विकास हेतु विकास खण्ड रुदौली, जनपद बाराबंकी को किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष विकास खण्ड, रुदौली द्वारा किन-किन योजनाओं में कहां-कहां पर क्या-क्या विकास कार्य कराये गये ? क्या सरकार उपरोक्त विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

योजनाओं का नाम	आवंटित धनराशि
1	2
1–क्षेत्रीय सांसद स्थानीय विकास	5,09,000
2–जवाहर रोजगार योजना (अभिकरण अंश)	1,50,000

1	2
3–सुनिश्चित रोजगार योजना	2,00,000
4–दस लाख कूप योजना	1,06,000
5–जवाहर रोजगार योजना (क्षेत्र पंचायत अंश)	2,38,896
6–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	18,05,857
7–ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान	2,50,000
8–ट्राइसेम योजना	59,843
9–इन्दिरा आवास योजना	36,00,000
10–निर्बल वर्ग आवास योजना	12,20,000

(1) क्षेत्रीय सांसद स्थानीय विकास योजना

1–कूटा सादात से रसूलपुर तक सम्पर्क मार्ग

2–फैजाबाद रोड से घटौती तक सम्पर्क मार्ग

3–भेलसर शुजागंज रोड से खोचकन खड़ंजा कार्य

4–ग्राम पंचायत भेलसर में खड़ंजा

5–भेलसर रुदौली रोड से बल्दीपुरवा तक खड़ंजा

6–स्व० कन्धई सिंह विद्यालय मत्था नेवादा (शिक्षण कक्ष)

(2) जवाहर रोजगार योजना

1–रुदौली रीछं घाट रोड से बैहारी मार्ग पर सल्लाहपुर तक खड़ंजा

2–पस्ता बरई बन्धा से अनुसूचित जाति बस्ती तक खड़ंजा

3–भेलसर फैजाबाद मार्ग से ग्राम सभा भेलसर में जावेद के मकान तक खड़ंजा

4–खुशका-सलेमपुर गणकरी नाले पर पुल निर्माण (वर्ष 1995-96 का अवशेष)

(3) सुनिश्चित रोजगार योजना

1–विकास खण्ड परिसर के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण

(4) दस लाख कूप योजना

1–फिरोजपुर मखदूमी तक नाला खुदाई

2–हरिहरपुर बलैया से मांगी झील तक ड्रेन का निर्माण

(5) जवाहर रोजगार योजना (क्षेत्र पंचायत अंश)

1–गौहन्ना से बिजड़ी तक खड़ंजा

2–अमानीगंज रोड से मल्ला का पुरवा होते हुए कोलवा तक खड़ंजा

3–नहर से दशरथ मऊ तक खड़ंजा

4–कोलवा-अमहटा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण

(6) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना

1–अल्प सिंचाई	188 लाभार्थी परिवार
2–पशुपालन	212 लाभार्थी परिवार
3–व्यवसाय एवं सेवा	21 लाभार्थी परिवार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(7) ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान

1–25,000 रुपये की दर से 10 महिला समूहों के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरित की गयी ।

(8) ट्राइसेम योजना

1–28 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 26 स्वतः रोजगार में स्थापित हो चुके हैं ।

(9) इन्दिरा आवास योजना

1–180 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया गया ।

(10) निर्बल वर्ग आवास योजना

1–61 निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कराया गया ।

उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक समिति गाजियाबाद द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद में हुए वित्तीय घोटाले की जांच एवं कृत कार्यवाही

11–श्री आनन्द प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० भ्रष्टाचार निरोधक समिति, गाजियाबाद का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद में एकाउन्ट के संबंध में व्याप्त घोटाला, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि के मामलों के संबंध में दिनांक 18 अप्रैल, 1996 का शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार घोटाले संबंधी प्रकरण में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शिकायती-पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1996 पर अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मेरठ मण्डल, मेरठ से जांच करायी गयी है ।

जांच के परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल संवर्ग के एक्सरे टैक्नीशियन पद के लिए स्थानान्तरण नीति

12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पैरा मेडिकल संवर्ग के एक्सरे-टेक्निशियन पद के लिए कोई स्थानान्तरण नीति है ? यदि हां, तो क्या जिला चिकित्सालयों में कार्यरत एक्सरे-टेक्नीशियन 15-20 वर्षों से एक ही जनपद में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1997-98 के लिए अलग से कोई विभागीय स्थानान्तरण नीति नहीं जारी की गयी ।

कतिपय जनपदों के जिला चिकित्सालयों में एक्सरे-टेक्नीशियन 15-20 वर्षों से कार्यरत हैं ।

इस वर्ष प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया सदर अस्पताल के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने संबंधी मांग

13–श्री राजधारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बलिया सदर अस्पताल का भवन निर्माण पूर्ण होने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है ? उक्त भवन निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि तत्काल अवमुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

150 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण को पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 1998 में रखा गया है ।

इस अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति जनवरी, 1991 में दी गयी थी किन्तु प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमशः वर्ष 1990-91 में 50.00 लाख, वर्ष 1992-93 में 40.00 लाख, वर्ष 1993-94 में 35.695 लाख वर्ष 1994-95 में 140.00 लाख तथा वर्ष 1996-97 में 82.97 लाख । कुल 348.665 लाख निर्माण एजेन्सी उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त किया गया है तथा भवन निर्माण कार्य लगभग 86% पूर्ण हो गया है । इस प्रकार अपेक्षित धनराशि को कई किश्तों में अवमुक्त करने/व्यवस्था करने के कारण निर्माण में विलम्ब हुआ ।

जी हां । उक्त चिकित्सालय भवन को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणनों पर व्यय वित्त समिति एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है तथा चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में धनराशि रुपये 80.00 लाख अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

अनुदान पारित होने के उपरान्त नियमानुसार यथाशीघ्र स्वीकृत की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तरांचल का मुख्यालय देहरादून रखे जाने का औचित्य

14–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तरांचल का मुख्यालय लखनऊ स्थित निदेशालय में ही रखा गया है ? क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्साधिकारियों का पर्वतीय संवर्ग अलग कर दिया गया है ? क्या सरकार उत्तरांचल की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कार्यकारी महानिदेशक उत्तरांचल का मुख्यालय जनपद नैनीताल अथवा देहरादून किये जाने हेतु आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां विभाग में पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन कर दिया गया है ।

जी नहीं । जनहित में ही निदेशक, चिकित्सा विभाग (उत्तराखण्ड) का मुख्यालय देहरादून में रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, बलरामपुर, गोण्डा एवं फैजाबाद नगरों में स्थित अस्पतालों में मुख्य चिकित्साधीक्षक, चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

15–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, बलरामपुर, गोण्डा एवं फैजाबाद नगरों में स्थित सरकारी अस्पतालों में चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उन पदों पर कुल कितने अधिकारी दिनांक 30 जून, 1997 की तिथि के अनुसार तैनात हैं ? क्या सरकार स्वीकृत संख्या से अधिक अधिकारियों को इन चिकित्सालय से अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? क्या सरकार रिक्त पदों को भी अविलम्ब भरने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के कतिपय विकास खण्डों में नलकूपों एवं आर्टीजन वेल की वर्तमान स्थिति की जानकारी एवं निष्प्रयोज्य नलकूपों को ठीक कराने की मांग

16–श्री अमरमणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, विकास खण्ड नौतनवां, विकास खण्ड वृजमनगंज जनपद महराजगंज में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं ? उनमें से कितने चल रहे हैं, कितने बन्द हैं ? कितने निष्प्रयोजित हो गये हैं ? कितने पाताल तोड़ कुएं (आर्टीजन वेल) हैं ? क्या सरकार पाताल तोड़ कुएं (आर्टीजन वेल) पर विद्युत मोटर लगाकर पूर्ण क्षमता से चलाने पर विचार कर रही है ? कितने ट्यूबवेल पर पर्याप्त नालियों का अभाव है ? क्या सरकार नालियों के अभाव को दूर कर पाताल तोड़ कुएं पर मोटर लगाकर बन्द पड़े तकनीकी खराबी के कारण नलकूपों को ठीक कराकर विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, नौतनवां वृजमनगंज के नलकूपों का संचालन मानक के अनुरूप बनाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में 12, विकास खण्ड नौतनवां में 30 तथा विकास खण्ड वृजमनगंज में 74 राजकीय नलकूप हैं ।

चलित/अस्थायी रूप से बन्द तथा फेल होने के कारण निष्प्रयोज्य राजकीय नलकूपों की स्थिति विकास खण्डवार निम्नवत् है :–

विकास खण्ड का नाम	चलित नलकूपों की संख्या	अस्थायी रूप से बन्द नलकूपों की संख्या सप्ताहन्त 31-7-97 की बन्दी के अनुसार		निष्प्रयोज्य नलकूपों की संख्या	योग
		यांत्रिक दोष	विद्युत दोष		
लक्ष्मीपुर	8	1	3	—	12
नौतनवां	20	—	4	6	30
वृजमनगंज	57	5	12	—	74

विकास खण्ड नौतनवां में 12 पाताल तोड़ नलकूप हैं ।

जी नहीं ।

नलकूपों पर आवश्यकतानुसार नालियां उपलब्ध हैं ।

अस्थायी रूप से बन्द नलकूपों को ठीक कर लिए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विरुद्ध कतिपय शिकायत के संबंध में अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्यमी परिषद्, जौनपुर का जिलाधिकारी जौनपुर को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

17–श्री अफजाल अहमद–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की समस्याओं के बारे में पूर्वांचल लघु उद्यमी परिषद्, जौनपुर के अध्यक्ष ने मार्च, 1995 को जिलाधिकारी, जौनपुर को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें उठायी गयी समस्याएं क्या-क्या हैं और सरकार ने उनका क्या निराकरण किया ? यदि निराकरण नहीं हुआ है तो इसका निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी हां ।

उक्त पत्र में जनपद जौनपुर में शासनादेश के अनुसार लघु उद्योगों पर सब्सीडी योजना लागू होने के बावजूद खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों को पूंजी उपादान न दिये जाने का उल्लेख किया गया है ।

मामले की जांच करायी जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अंशकालिक डिमांसट्रेटर्स को विनियमित किये जाने की मांग

18–डा० गंगा बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अंशकालिक डिमांसट्रेटर्स को विनियमित किये जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अमेठी जनपद सुल्तानपुर में लगे नलकूपों की वर्तमान स्थिति

19–श्री राम हर्ष सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमेठी, जनपद सुल्तानपुर में वर्तमान समय में कितने नलकूप लगे हैं ? इस समय कितने खराब पड़े हैं तथा कितने कार्यरत रहे हैं ? क्या उन खराब पड़े हुए नलकूपों को ठीक कराने की व्यवस्था सरकार करा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सुल्तानपुर की अमेठी विधान सभा क्षेत्र में 158 चलित राजकीय नलकूप हैं ।

दिनांक 24-7-97 की बन्दी सूचना के अनुसार नलकूप यांत्रिक तथा 22 नलकूप विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द हैं ।

जी हां ।

अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों को तत्काल ठीक कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड निन्दूरा तथा फतेहपुर जनपद बाराबंकी में लगे हैण्डपम्प का विवरण एवं इनके मरम्मत हेतु व्यय की गई धनराशि के सम्बंध में जानकारी

20–श्री हरदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद में विकास खण्ड निन्दूरा तथा फतेहपुर दिनांक 31-4-97 तक अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों की संख्या ब्लाकवार क्या है ? इनमें से उक्त दोनों विकास खण्डों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों की संख्या 31-4-97 को क्या है ? क्या सरकार द्वारा हैण्डपम्पों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु उनकी लागत का दस प्रतिशत कन्टीजेंसी के रूप में रखने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कितनी-कितनी राशि का प्राविधान उक्त दोनों ब्लाकों के लिये पृथक-पृथक था तथा इस प्राविधान में से दोनों वर्ष कितनी-कितनी राशि ब्लाकवार व्यय की गयी ? कितने हैण्ड पम्पों की दोनों वर्षा ब्लाकवार मरम्मत की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा एवं फतेहपुर में दिनांक 30-4-97 तक अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 816 एवं 729 है ।

उक्त दोनों विकास खण्डों में खराब पड़े हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 66 एवं 54 हैं ।

हैण्डपम्पों की सामान्य मरम्मत के लिये वर्ष के आय-व्यय अनुमान की 10 प्रतिशत राशि का प्राविधान किया जाता है ।

विकास खण्ड निन्दुरा एवं फतेहपुर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु बजट प्राविधान व व्यय निम्नानुसार है :–

वर्ष	विकास खण्ड निन्दूरा		वि०खं० फतेहपुर	
	बजट प्राविधान	व्यय बजट (रु० लाख)	प्राविधान	व्यय (रु० लाख)
1995-96	2.32	3.36	2.04	3.02
1996-97	1.83	2.20	1.47	1.87

वर्ष 1995-96 व 1996-97 में हैण्डपम्पों की ब्लाकवार मरम्मत निम्नवत् की गई:–

ब्लाक का नाम	वर्ष	
	1995-96	1996-97
निन्दुरा	201	195
फतेहपुर	201	187

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड बेवर में मातृत्व कल्याण योजना के अन्तर्गत धन का कथित दुरुपयोग

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड बेवर में मातृत्व कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाले धन का भारी दुरुपयोग किया गया है ? क्या यह सच है कि पात्र गर्भवती महिलाओं को निर्धारित धन न देकर ब्लाक बेवर में चेक संख्या 11871 दिनांक 5-3-97 मुबलिग नौ हजार रुपये व चेक संख्या 27362 मु० 6000/- दिनांक 15-3-76 को खण्ड विकास अधिकारी बेवर ने पंचायत सेक्रेटरी के नाम काटकर उक्त धन आहरण कर लिया ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी आयुक्त द्वारा सेवा से निकाले गये उर्दू अनुवादकों को सेवा में पुनः बहाल करने की मांग

22–श्री महराज सिंह यादव तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995 उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति जिलाधिकारियों द्वारा आरक्षण के रोस्टर के अनुसार पूरे प्रदेश में की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त द्वारा एक मार्च, 1996 को आबकारी विभाग में कार्यरत 12 उर्दू अनुवादकों को जनपद-आरक्षण के आधार पर सेवा से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद का आरक्षण किस नियम के तहत किया है ? क्या सरकार सेवा से निकाले गये उक्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीघाट के विकास खण्ड के रूप में गंगाई क्षेत्र का सृजन किये जाने की मांग

23–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीघाट के गंगाई क्षेत्र को विकास खण्ड बनाये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त गंगाई क्षेत्र को विकास खण्ड कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार नये विकास खण्ड गंगाई क्षेत्र का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है ।

पूर्वी यमुना नहर से किसानों को रोस्टर के आधार पर टेल तक पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

24–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी यमुना नहर के किसानों की फसलों की सिंचाई के लिये जो पानी मिलता है क्या वह आठ सप्ताह बाद केवल एक सप्ताह के लिये दिया जाता है ? क्या नहरों की सफाई न होने के कारण किसानों को टेल पर पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पूर्वी यमुना नहर से पानी की उपलब्धता के अनुसार रोस्टर बनाकर उसी के आधार पर छः से आठ सप्ताह में एक सप्ताह पानी दिया जाता है ।

नहरों की सफाई प्रत्येक वर्ष खरीफ की सिंचाई के उपरान्त तथा रबी की सिंचाई के पूर्व कार्यक्रम के अनुसार कराई जाती है एवं सभी टेलों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड तारून व बीकापुर में इण्डिया मार्क–2 लगाये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश का अनुपालन

25–श्री सीताराम निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-2-96 पर शासन ने विकास खण्ड तारून व बीकापुर जनपद फैजाबाद में पेयजल समस्याग्रस्त गांवों में 100 इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी ? क्या उक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त सचिव नगर विकास उ० प्र० शासन के अर्ध०शा०सं०–हा–412/9-2-96-47 आर/94 नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 1996 द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० जल निगम लखनऊ को प्रश्नगत विकास खण्डों में 100 (सौ) इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाकर कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के क्रियान्वयन न किये जाने के कारण क्या हैं और उक्त शासनादेश का क्रियान्वयन न किये जाने के कारण क्या हैं और उक्त शासनादेश का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड तारून व बीकापुर में कुल 127 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं । अतः शासनादेश का अनुपालन हो चुका है ।

26–श्री सीताराम निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मधुबाला निषाद प्रमुख क्षेत्र पंचायत तारुन जनपद फैजाबाद के पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1996 पर शासन ने क्षेत्र पंचायत तारुन जनपद फैजाबाद में 50 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जाने की स्वीकृति दी थी ? इस क्रम में क्या शासन के

विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग–2 का अर्ध०शा०प०सं०–रा० 240/9-2-96-47 आर/94 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 1996 द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम को विकास खण्ड तारुन में 50 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प तत्काल लगवाने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त विषयक शासन के आदेश के क्रियान्वयन न किये जाने के कारण क्या है और उक्त आदेश का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

शासनादेश का अनुपालन हो चुका है । जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड तारुन में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 54 हैण्डपम्प तथा वर्ष 1997-98 में 13 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं । इस प्रकार कुल 72 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं ।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत महेवा गोपाल के प्रधान द्वारा अपने पति को निर्बल आवास योजना में चयनित किये जाने की शिकायत

27–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत, मनकापुर में ग्राम पंचायत महेवा गोपाल के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1996-97 में अपने पति को निर्बल वर्ग आवास योजना में चयनित किया गया है ? क्या यह नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था किये जाने की मांग

28–श्री राम नक्षत्र–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि दुधवा नेशनल पार्क जनपद लखीमपुर खीरी में पार्क के चारों तरफ प्रकाश की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुधवा नेशनल पार्क के चारों तरफ प्रकाश की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दुधवा नेशनल पार्क जनपद खीरी में पार्क के चारो तरफ प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है ।

दुधवा राष्ट्रीय पार्क के चारो तरफ प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वन क्षेत्र है, जहां वन्य जीव अपने प्राकृतिक वास में विचरते । कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था से वन्य जीवों के प्राकृतिक वास में व्यवधान उत्पन्न होगा ।

शासन के निर्णय के अनुसार जनपद जौनपुर में दस्तकारों को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से लिये गये कर्जे की माफी के संबंध में जानकारी

29–श्री अफजाल अहमद–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० शासन के निर्णय के अनुसार 2 अक्टूबर, 1997 के पूर्व दस्तकारी (आर्टिजन) द्वारा लिये गये कर्जे की माफी का लाभ जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से लिये गये कर्जदारों को भी मिला है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में इसका प्राविधान नहीं है ।

जनपद जौनपुर में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित औद्योगिक सहकारी समितियों में प्रशासन की कथित नियुक्ति

30–श्री अफजाल अहमद–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित कुछ औद्योगिक सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो प्रशासक के कार्यकाल में वर्षवार समिति के उत्पादन बिक्री, अवशेष कच्चा माल तथा कैश बैलेन्स एवं आडिट रिपोर्ट समितिवार क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में ड्रेन खुदायी एवं इस पर प्रति वर्ष किये गये व्यय का विवरण

31–श्री राम जग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994 से जुलाई, 1997 तक किन-किन ड्रेनों की खुदाई की गई ? ड्रेनों की खुदाई में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि किन-किन ड्रेन पर खर्च हुयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में वर्ष 1996 में किसी भी ड्रेन की सफाई/खुदायी नहीं करायी गयी । वर्ष 1994–1995 तथा वर्ष 1997 में सफाई/खुदायी करायी गयी ड्रेनों तथा उन पर व्यय हुई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 1994

ड्रेन का नाम	व्यय हुई धनराशि (रुपयों में)
1	2
करौती	33,697.00
रानीपुर रजमों	7,425.00
मऊ परासन	49,556.00
पुरुषोत्तमपुर	17,340.00
पौनी कलां	52,776.00
नरसिंहपुर	59,524.00

1	2
बीरपुर	39,930.00
बौना	39,576.00
ठेकमा	1,76,590.00
जमुआवां	41,443.00
वर्ष 1995	
पसिका	17,960.00
पिथौरपुर	19,965.00
बरवा	14,309.00
घिनहोपुर	35,095.00
मगरावां	27,462.00
रानीपुर रजमों	22,786.00
गौरा	34,565.00
खुन्दनपुर	58,852.00
वर्ष 1997	
हटवाखाल्सा	32,375.00
गौरा	42,312.00

मिर्जापुर जिले के कोयले पर आधारित औद्योगिक इकाईयों के संबंध में विस्तृत जानकारी

32–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में कोयले पर आधारित कौन-कौन सी इण्डस्ट्री हैं, उसके नाम क्या हैं ?प्रति महीने किस इण्डस्ट्री को कितना टन कोयला प्राप्त होता है तथा उससे क्या-क्या बनाते हैं ?

सुश्री मायावती–

मिर्जापुर जनपद में कोयले पर आधारित औद्योगिक इकाईयों के नाम, पता एवं उनके द्वारा उत्पादित उत्पादन के नाम सहित सूची संलग्न है ।

औद्योगिक इकाईयों को उनकी आवश्यकता का आंकलन करके कोयले की स्पान्सरिंग की जाती है, परन्तु इकाईयों के पक्ष में वास्तविक आवंटन कोल इण्डिया लि० द्वारा किया जाता है । इकाईवार प्रति माह प्राप्ति की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

संलग्न सूची में इकाईयों के नाम के सम्मुख उत्पादित उत्पादन के नाम का उल्लेख किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 255-257 पर)

जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रमें चीनी मिल स्थापित किये जाने की मांग

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सेक्टर से प्रदेश में नई चीनी मिलें स्थापित करने की नीति क्या है ? क्या सरकार किसानों की मांग व बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुये जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में कोई चीनी मिल स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राज्य सरकार के समिति संसाधन को ध्यान में रखते हुये राज्य सेक्टर में नयी चीनी मिल लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु श्री अशोक कुमार वर्मा आदि के मुख्यमंत्री को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

34–श्री कैलाश सिंह राजपूत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र श्री माधव प्रसाद वर्मा एवं अन्य निवासी सा० अखैनी पो०–खड़सरा जनपद बलिया आदि 16 व्यक्तियों का कोई प्रार्थना-पत्र जो आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8-4-96 को लागू करने के विषय में था, मुख्य मंत्री को मई/जून, 97 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । यह पत्र जुलाई, 1997 में प्राप्त हुआ है ।

चयन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-4-94 का अनुपालन सम्भव नहीं हो सका है । अब यह मामला अवमाननावाद के रूप में न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में ऊपरी गंगा नहरखण्ड "क" की खुदाई हेतु प्रयुक्त मशीनों से लिये गये कार्य का विवरण

35–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में ऊपरी गंगा नहर खण्ड "क" खुदाई हेतु करोड़ों रुपये के भारी भूमिगत मशीने एवं सैकड़ों यांत्रिक कर्मचारियों के रहते यह कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किन परिस्थितियों में कराया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1995 से मार्च, 1997 के मध्य कार्यरत यांत्रिक कर्मचारियों से क्या कार्य लिया गया है ? खुदाई हेतु कुल कितनी भारी मशीनें हैं ? इन मशीनों से इन्हीं वर्षों में क्या कार्य लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

समानान्तर ऊपरी गंगा नहर के किमी० 189.5 से 197.00 तक 7.42 लाख घन मी० मिट्टी की खुदाई का कार्य विभागीय मशीनों से कराया गया ।

97 हजार घन मी० कार्य समानान्तर ऊपरी गंगा नहर की खुदाई पर तथा 26 हजार घन मी० मिट्टी का कार्य मथुरा जनपद में नालों पर किया गया ।

वर्ष1995–96 तथा 1996-97 में कुल 123 हजार घन मीटर मिट्टी का कार्य हुआ ।

कोई नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम उधरौरा एवं जनपद कानपुर के ग्राम भैंसाया को अम्बेडकर ग्राम के रूप में विकसित कार्यों का विवरण

36–श्री रामदेव आचार्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उधरौरा ब्लाक रुदौली, जनपद बाराबंकी तथा ग्राम भैंसाया ब्लाक व तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर, अम्बेडकर ग्राम में चयनित थे ? यदि हां, तो वहां विकास के कौन-कौन से कार्य हुए हैं ? क्या उपरोक्त दोनों गांव मुख्य मार्गों से जुड़ गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ग्राम उधरौरा, जनपद बाराबंकी वर्ष 1992-93 में तथा ग्राम भैंसाया ब्लाक व तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात का चयन वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम के रूप में किया गया था ।

अम्बेडकर ग्राम उधरौरा में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित प्रमुख 11 कार्यक्रमों में से इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय, नाली-खड़न्जा, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग, पेयजल, प्राथमिक पाठशाला, किसान पेंशन, से संतृप्त कराया गया है ।

अम्बेडकर ग्राम भैंसाया में इन्दिरा आवास, पेयजल, नाली खड़न्जा, निःशुल्क बोरिंग, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम स्वच्छ शौचालय प्राइमरी पाठशाला कार्यक्रम से संतृप्त कराया गया है । इन दोनों अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग नहीं बनाये गये हैं । सम्पर्क मार्गों के लिये शासन द्वारा सीमित संसाधनों को देखते हुए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाये गये हैं ।

37–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दि० 11-8-97 को अता० प्र० सं० 60 द्वारा उत्तरित]

श्री कुशवाहा को उ० प्र० लघु सिंचाई के मुख्य अभियन्ता पद पर नियुक्ति का औचित्य

38–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लघु सिंचाई के मुख्य अभियन्ता पद पर उनके द्वारा नामित श्री कुशवाहा पर करोड़ों रुपये के गबन के आरोप जांच में सही पाये गये थे और उन्हीं आरोपों के कारण तत्कालीन महामहिम राज्यपाल ने उन्हें इस पद से हटा दिया था यदि हां, तो सत्य पाये गये मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे तथा उनकी नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र कुमार जैन, मुख्य अभियन्ता तथा श्री श्रीगोपाल, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता एवं विषय विशेषज्ञ/अधीक्षण अभियन्ता के निलम्बन के फलस्वरूप श्री कुशवाहा को वरिष्ठतम होने के कारण काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता के पद का कार्य देखने हेतु सौंपा गया है ।

जनपद मेरठ में जवाहर रोजगार योजना एवं कूप योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार धन आवंटन की जानकारी

39–श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जनपद में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जवाहर रोजगार योजना तथा 10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? इस आवंटन का आधार क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार धनावंटन का प्राविधान नहीं है अपितु जनपद स्तर पर प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत को तथा 20 प्रतिशत धनराशि अभिकरण स्तर से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को क्षेत्र की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय की स्वीकृति से अवमुक्त की जाती है तथा आवंटन के समय कार्यों पर व्यय होने वाली धनराशि में श्रम एवं सामग्री के मध्य निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखा जाता है ।

जनपद मेरठ में "कृष्णा हिन्डन दोआब नहर परियोजना" के लिए आवंटित धन एवं इस पर किया गया व्यय

40–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जनपद में "कृष्णा हिन्डन दोआब नहर परियोजना" में इस वर्ष कितना धन आवंटित किया गया है ? इस परियोजना में कुल कितना व्यय होने का अनुमान है तथा इसे कितने समय में पूरा करने का लक्ष्य है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, हिण्डन कृष्णा दोआब में धान की नहरों की परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 97-98 में अब तक रु० 160.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है ।

वर्ष 1997-98 में 8 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव है ।

परियोजना का पुनरीक्षित प्रोजेक्ट प्राक्कलन लागत रुपये 3456.09 लाख (कार्यों की लागत रु० 3039.92 लाख) का वर्ष 1996 के मध्य में तैयार किया गया है तथा इस परियोजना का कार्य वर्ष 2000–2001 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद भदोही के अन्तर्गत ज्ञानपुर, औराई में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प का पानी शुद्ध किये जाने की मांग

41–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प का पानी जनपद भदोही अन्तर्गत ज्ञानपुर, औराई में लगने वाले पम्पों का पानी पीला क्यों है ? सरकार द्वारा इसके निराकरण की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद भदोही के अन्तर्गत ज्ञानपुर, औराई में लगने वाले इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प का पानी पीला नहीं है ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाप्रबन्धक किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० पुवांया शाहजहांपुर द्वारा लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची में कथित रूप से की गई अनियमितता

42–श्री कोविद कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० की पुवायां इकाई, शाहजहांपुर के महाप्रबन्धक, ने माह जून–जुलाई, 1995 में अपने स्थानान्तरण पर कार्यभार छोड़ने के पूर्व लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची में भारी फेरबदल कर दिया है ? यदि हां, तो अनियमित रूप से इस फेरबदल का क्या औचित्य था ? क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिए दोषी महाप्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा लिपिकों की सूची का वरिष्ठता क्रम यथावत् रखे जाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पुवायां, शाहजहांपुर के महाप्रबन्धक ने माह जून–जुलाई, 1995 में अपने स्थानान्तरण पर कार्य भार छोड़ने के पूर्व लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची में कोई फेरबदल नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नही उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद खीरी के ग्राम पटिहन में अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच एवं सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

43–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा परिवहन तह० निघासन जनपद खीरी को वर्ष 1992-93 में अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत लिये जाने के बाद इस ग्राम सभा में कौन-कौन विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान एवं विकास खण्ड के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा फर्जी कार्यवाही दिखाकर लाखों रुपये की धनराशि की हेरा-फेरी की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विकास कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम को कब तक सुविधायें उपलब्ध करा देगी ?

सुश्री मायावती–

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रमुख 11 कार्यक्रमों में जो ग्राम सभा पटिहन तहसील निघासन जिला खीरी में विकास कार्य कराये गये हैं, इनका विवरण संलग्न सूची में है ।

जी नहीं ।

जिला स्तरीय अधिकारियों से इस कार्य का सत्यापन कराया जा चुका है, जो ठीक पाया गया है ।

संलग्न सूची के अनुसार 38 आवास निर्माणाधीन है, अन्य सभी कार्यक्रमों में लक्ष्यों की पूर्ति हो गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 258 पर)

अरबन मलेरिया, फाइलेरिया जिला मलेरिया कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन भत्ते एवं पदोन्नति दिये जाने की मांग

44–श्री भाई लाल कोल तथा श्री सुरेश तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरबन मलेरिया फाइलेरिया जिला मलेरिया कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान 950-1400 रु० देने, सेवा नियमावली में पद पदोन्नति मलेरिया-फाइलेरिया निरीक्षक हेतु संशोधन, साइकिल भत्ता, वर्दी, जोखि -भत्ता सुरक्षात्मक इन्स्ट्रुमेंट्स देने, एकल पद समाप्त कर पदोन्नति का मार्ग प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

वरिष्ठ कार्यकर्ता व कीटसंग्रहकर्ता के वर्तमान नमान में विसंगति नहीं पाई गई है । पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा । साइकिल भत्ता, वर्दी, जोखिम भत्ता तथा सुरक्षात्मक उपकरण देने के संबंध में नियमानुसार विचार किया जा रहा , जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद महाराजगंज के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में आर० एस० द्वारा बनवाये गये पुलों में कथित अनियमितता

45–श्री अमर मणि त्रिपाठी–

क्या सरकार लक्ष्मीपुर (म जगंज) वि० स० क्षेत्र में आर० ई० एस० विभाग द्वारा बनवाये गये पुल पिपरहवा-दोगहंटा, चैनपुर क निर्माण कार्य में हुयी अनियमितताओं की जांच टी० ए० सी० से करायेगी और जांच में दोषी गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर (महाराजगंज) के अन्तर्गत पिपरहवा-दोगहटा, चैनपुर के पुलों के निर्माण कार्य में किसी अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः टी० ए० सी० से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

सिंचाई विभाग के अभिलेखों को बेचे जाने संबंधी मामले की जांच कराये जाने की मांग

46–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 के सितम्बर, माह में अभियन्ता, सप्तम मण्डल द्वारा इस आशय की घटना प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के संज्ञान में लायी गयी थी कि कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकारी अभिलेखों को बोरे में भरकर बेचा गया तथा उनके द्वारा उन्हें कबाड़ी की दुकान से जब्त करके पुनः विभागाध्यक्ष कार्यालय में सीलबन्द कर जांच हेतु रखवा दिया गया । यदि हां, तो क्या अब तक जांच कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच अधिकारी को शीघ्र ही जांचपूर्ण किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शराब बन्दी की योजना लागू करने एवं जनपद मैनपुरी के डी० ए० वी० कालेज के गेट के पास देशी शराब की दुकान को अन्यत्र हटवाने की मांग

47–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार प्रदेश में शराब बन्दी की योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ग्राम आर्यपुर खेड़ी थाना भोगांव जनपद मैनपुरी के डी० ए० वी० इण्टर कालेज के गेट के पास ही देशी शराब की दुकान है ? क्या इससे वहां पढ़ने वाले लड़के व लड़कियों पर विपरीत असर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शराब की दुकान को अन्यत्र हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की मौलिक नीति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुसार, मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन एवं प्रभावीकरण की है, क्योंकि पूर्ण मद्य निषेध, जन-स्वास्थ्य व आर्थिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं है ।

जी नहीं । प्रश्नगत दुकान डी० ए० वी० इंटर कालेज के गेट के पास न होकर उससे करीब 175 मीटर की दूरी पर स्थित है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत दुकान की स्थिति आबकारी नियमों के अनुसार नियमानुकूल होने के कारण उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मुरादाबाद के चिकित्सालयों द्वारा जनता को दवाइयां उपलब्ध कराने के पूर्ववत् निर्देश

48–श्री अकबर हुसैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद के जिला चिकित्सालयों में दवाइयों की आपूर्ति होने के बावजूद भी स्थानीय गरीब जनता को जिला चिकित्सालयों से दवाइयां नहीं दी जाती हैं और गरीब जनता को बाजार से दवाइयां क्रय करनी पड़ती हैं ? क्या इस संबंध में सरकार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद में स्थानीय गरीब जनता को अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां नियमानुसार दी जाती हैं । यदि किसी रोगी को उसकी आवश्यकतानुसार किसी विशेष प्रकार की औषधि की आवश्यकता होती है तथा वह दवा नियमानुसार अस्पताल में अनुपलब्ध होती है तभी रोगी को बाहर से क्रय करना पड़ता है ।

इस संबंध में नियमानुसार अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को गरीब रोगियों में वितरण के संबंध में पहले से ही स्थायी आदेश/निर्देश विद्यमान हैं । अतएव फिलहाल किसी अन्य निर्देश या आदेश दिये जाने का औचित्य/आवश्यकता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग द्वारा वित्त पोषित इकाइयों को सिक यूनिट घोषित किये जाने के संबंध में जानकारी

49–श्री अफजाल अहमद–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित कितनी इकाइयों को सिक यूनिट घोषित किया गया है ? उसका जनपदवार विवरण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सिक यूनिट घोषित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाइन्डनेस समिति, शाहजहांपुर के सचिव को पद से हटाये जाने की मांग

50–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर आई ब्लाइन्डनेस समिति, शाहजहांपुर की जांच वरिष्ठ जिला क्षय रोग अधिकारी के द्वारा दिनांक 4-7-95 को कराई थी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या उपरोक्त समिति के सचिव की लापरवाही के कारण चीफ कोआर्डिनेटर अक्टूबर, 1994 से अभी तक वेतन नहीं मिला है ? क्या सरकार उपरोक्त समिति के सचिव को सचिव के पद से हटाकर किसी अन्य वरिष्ठ नेत्र सर्जन को नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में लगाये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । समिति में चीफ कोआर्डिनेटर का कोई पद नहीं है । तत्कालीन कोआर्डिनेटर (डी० पी० एम०) को प्रश्न में संदर्भित अवधि के मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है । समिति के सचिव कोआर्डिनेटर ही होते हैं तथा कोआर्डिनेटर की नियुक्ति अथवा उसे हटाने का अधिकार जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला दृष्टिहीनता निवारण

समिति को है । कोआर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति, नेत्र सर्जन के अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ अथवा मैनेजमेन्ट में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की भी की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में प्रदेश में फर्जी नियुक्ति पत्र/प्रमाण-पत्र के आधार पत्र नियुक्त हेल्थ वर्कर (महिला) की सतर्कता विभाग से जांच कराये जाने की मांग

51–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1997 के द्वारा लगभग 10 हेल्थ वर्कर (महिला) को फर्जी नियुक्ति पत्र होने के आधार पर उन्हें राजकीय सेवा से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी उक्त पदों पर फर्जी नियुक्ति की शिकायतें शासन को माह जून, 1997 में स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से प्राप्त हुये हैं ? क्या जांच में अन्य कई जिलों में भी फर्जी नियुक्तिपत्र/फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर हेल्थ वर्कर (महिला) का राजकीय सेवा में होना पाया गया है ? यदि हां, तो शासन स्तर से उक्त गंभीर प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराकर पिछले 10 वर्षों में उक्त पदों पर नियुक्ति पाये कर्मियों के प्रमाण-पत्रों/नियुक्ति पत्रों की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा द्वारा 10 नहीं अपितु 6 हेल्थ वर्कर (महिला) को फर्जी नियुक्ति होने के आधार पर उन्हें सेवा से निकाला गया है ।

जी हां ।

जी हां ।

फर्जी नियुक्ति पत्र/फर्जी अभिलेखों के आधार पर सेवा करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सत्यापन करवाने तथा प्रमाण पत्र/पंजीकरण फर्जी पाये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश सभी परिधिगत अधिकारियों को दे दिये गये हैं । प्रमाण-पत्रों/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का परिणाम प्राप्त होने पर यदि आवश्यक हुआ तो शासन के सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास आवंटित मधुशाला की दुकानों के आवंटन रद्द न किये जाने का औचित्य

52–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-97 जोकि मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र एवं मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि के पास देशी विदेशी मदिरा "मधुशाला" की दुकानों के आवंटन को निरस्त किये जाने के संबंध में था उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 6-3-97 आबकारी विभाग में दि० 11-3-97 को प्राप्त हुआ । वर्ष 1997-98 के लिये मथुरा जनपद, जिसमें गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र तथा मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र भी सम्मिलित है, की देशी शराब एवं विदेशी मदिरा की दुकनों के व्यवस्थापन हेतु दि० 10 मार्च, 1997 को नियमानुसार नीलामी सम्पन्न हो चुकी है, अतएव अब मध्य सत्र में दुकानों का आवंटन निरस्त किया जाना न तो नियमानुसार और न ही राजस्वहित में है । प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 6-3-97 में उल्लिखित अन्य शिकायतों के संबंध में जांच कराई गई और जांचोपरान्त राजस्थान राज्य से मदिरा की तस्करी होने तथा अन्य अनियमिततायें बरते जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

मदिरा की दुकानों का आवंटन निरस्त किये जाने से अवैध मद्य निष्कर्षण, अवैध मद्य व्यापार तथा मदिरा की तस्करी और अल्कोहल युक्त विषाक्त पेयों से मृत्यु की दुर्घटनाओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः जन-स्वास्थ्य और राजस्व की दृष्टि से प्रश्नगत क्षेत्र की मदिरा की दुकानों का आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं है ।

जनपद मथुरा के गन्ना उत्पादक किसानों के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-1-97 जोकि मथुरा जनपद में गन्ना उत्पादक किसानों के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शिकायतों की जांच करा कर दोषी पाये गये नौ गन्ना पर्यवेक्षकों, आठ सामयिक लिपिकों तथा एक चपरासी सहित कुल 18 कर्मचारियों को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । उक्त के अतिरिक्त सहकारी गन्ना समिति छाता जनपद मथुरा के तत्कालीन सचिव तथा जिला गन्ना अधिकारी, मथुरा का स्थानान्तरण भी किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं सुधार के संबंध में पूर्व सांसद का कथित पत्र

54–श्री बेचन राम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार अन्तर्गत ग्राम-अमारी से डुमरी, बिशुनपुरा होते पी० डब्लू० डी० सड़क (बिशनपुरा के उत्तर) तक जाने वाले आर० ई० एस० (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) सड़क के निर्माण व सुधार हेतु शासन व जिले के संबंधित अधिकारियों को पूर्व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने मार्च, 1990 में पत्र भेजा था, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55–श्री राम औतार शाक्य–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

56–डा० सरजीत सिंह डगं–

[दि० 6-8-97 को अता० प्र० सं० 19 द्वारा उत्तरित]

सरयू नहर खण्ड, बस्ती के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की शिकायतों की जांच

57–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरयू नहर खण्ड, बस्ती के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने मार्च, 1997 से जून, 1997 तक कितनी शिकायतें शासन एवं उच्च अधिकारियों को दी गईं ? उसकी जांच किस अधिकारी ने किया ? क्या जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा० विधायक के पत्र दिनांक 23-4-97 की चार प्रतियां तथा पत्र दिनांक 25-6-97 की दो प्रतियां शासन में प्राप्त हुई हैं।

प्रकरण की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ तथा मुख्य अभियन्ता, (शारदा सहायक) द्वारा की गई।

जी हां। प्रारम्भिक जांच पूरी हो गयी है।

जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद मेरठ में लगे सरकारी नलकूपों की संख्या

58–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में कितने सरकारी नलकूप हैं ? इनमें से कितने नलकूप खराब हैं ? उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मेरठ में कुल 570 चलित राजकीय नलकूप हैं।

इनमें से 9 नलकूप यांत्रिक दोष तथा 43 नलकूप विद्युत दोष के कारण अस्थायी रूप से बन्द हैं।

अस्थायी रूप से बन्द नलकूपों को ठीक कराकर तत्काल चालू कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

श्यामा प्रसाद मुकर्जी अस्पताल, लखनऊ के महिला अस्पताल में सरकारी कर्मचारियों के लिए दवा, पर्ची आदि के लिए अलग काउन्टर की मांग

59–श्री पारस नाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ महिला अस्पताल में राज्य कर्मचारियों/महिलाओं को दवा लेने हेतु पर्ची, दवा वितरण काउन्टर आदि की अलग से कोई सुविधा नहीं है ? क्या सरकार महिलाओं एवं राज्य कर्मचारियों को अलग से ये सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ (महिला अस्पताल) वर्तमान नाम वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, केवल महिलाओं के उपचार के लिए ही है अतएव दवा पर्ची हेतु एक ही काउन्टर की व्यवस्था है एवं राज्य कर्मचारियों के लिए दवा-पर्ची हेतु अलग से काउन्टर नहीं है किन्तु राज्य कर्मचारियों के लिए दवा वितरण हेतु अलग काउन्टर की व्यवस्था है ।

चूंकि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ (महिला अस्पताल) वर्तमान नाम वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ सिर्फ महिलाओं के उपचार हेतु ही है अतएव महिलाओं के लिये दवा पर्ची एवं दवा वितरण के लिए अलग से काउन्टर की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के लिए दवा वितरण के लिए अलग काउन्टर की व्यवस्था है किन्तु दवा-पर्ची के शुल्क के समुचित रख-रखाव एवं प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधन को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से दवा-पर्ची काउन्टर की व्यवस्था को औचित्य नहीं है ।

लखनऊ में सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल तथा मेडिकल कालेज में सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्ची एवं दवा वितरण हेतु अलग काउन्टर की व्यवस्था किये जाने की मांग

60–श्री पारस नाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल (सिविल), लखनऊ मे दवा पर्ची दवा वितरण हेतु राज्य कर्मचारियों को अलग से काउन्टर नहीं खोला गया है ? क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को पर्ची बनवाने एवं दवा लेने हेतु पूर्व में अलग से एक-एक काउन्टर खोला गया था जो इस समय समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार सिविल अस्पताल लखनऊ, बलरामपुर अस्पताल, मेडिकल कालेज में राज्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु अलग से पर्ची वितरण, दवा वितरण हेतु काउन्टर स्थापित कराकर सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में दवा-पर्ची हेतु राज्य कर्मचारियों के लिये अलग से काउन्टर नहीं हैं किन्तु दवा वितरण हेतु राज्य कर्मचारियों के लिये अलग से काउन्टर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दवा पर्ची के रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि के समुचित रख-रखाव/नियंत्रण के दृष्टिकोण से इन अस्पतालों में केन्द्रीयकृत (एक ही काउन्टर) की व्यवस्था है । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में राज्य कर्मचारियों के दवा वितरण हेतु अलग से काउन्टर की व्यवस्था है तथा बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में राज्य कर्मचारियों को दवा वितरण के लिये अलग से काउन्टर खोलने के आदेश दिये गये हैं । मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्रशासकीय नियंत्रण लखनऊ विश्वविद्यालय में निहित है तथा वहां पर दवा पर्ची बनवाने अथवा दवा वितरण के संबंध में राज्य कर्मचारियों के लिये अलग से काउन्टर की व्यवस्था नहीं है । सीमित वित्तीय संसाधन एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि के समुचित रख-रखाव को दृष्टिगत रखते हुये इन अस्पतालों में अलग से राज्य कर्मचारियों के लिये दवा पर्ची का काउन्टर स्थापित किये जाने में कठिनाई है ।

सचिवालय स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी में एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, ई० सी० जी० मशीनों की स्थापना

61–श्री पारस नाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी में सचिवालय कर्मचारियों की सुविधा हेतु कौन-कौन से यंत्र लगाने की घोषणा वर्ष 1996-97 में शासन द्वारा की गयी थी ? क्या एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, ई० सी० जी० आदि सयंत्र स्थापित करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? ये सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

सचिवालय स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी में सचिवालय कर्मचारियों की सुविधा हेतु वर्ष 1996 में अल्ट्रासाउन्ड मशीन, एक्सरे मशीन तथा पैथोलोजी लैब की स्थापना की घोषणा शासन द्वारा की गयी थी।

जी नहीं । किन्तु सचिवालय, डिस्पेन्सरी (एलोपैथिक) में पैथालाजी उपकरण, सेमी आटोमेटिक एनलाइजर, एक्सरे एवं अल्ट्रासाउन्ड, उपकरण तथा फिजियोथिरेपी उपकरण की स्थापना हेतु रु० 27.85 लाख की धनराशि हास्पिटल फंड से दिनांक 31-3-1996 को स्वीकृत कर दी गयी है ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी (ऐलोपैथिक) में उक्त उपकरणों/मशीनों की स्थापना हेतु आवश्यक भवन/कक्ष का आवंटन अब तक सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया गया है जिससे इन उपकरणों/मशीनों को अब तक स्थापित नहीं किया जा सका है ।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सचिवालय डिस्पेन्सरी हेतु आवश्यक भवन/कक्ष उपलब्ध कराने के उपरान्त, इनकी स्थापना यथाशीघ्र हो जायेगी ।

रेड क्रास चिकित्सालय भौवापार, जनपद गोरखपुर को अनुदान दिये जाने की मांग

62–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रेड क्रास चिकित्सालय भौवापार, जनपद गोरखपुर को राज्य सरकार द्वारा अब तक अनुदान न दिये जाने के संबंध में ग्राम प्रधान भौवापार गोरखपुर का कोई पत्र श्रीमती गौरी देवी विधायक के पत्र के साथ माह अप्रैल/मई, 1997 में स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार अस्पताल के मरीजों की परेशानी एवं अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुये तत्काल अनुदान स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शासन द्वारा रु० 1,02,000/–का अनुदान स्वीकृत किया गया है जो महानिदेशक के पी० एल० ए० में जमा है, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के स्तर पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रारूप देर से उपलब्ध कराये जाने के कारण अभी अवमुक्त नहीं किया जा सका है ।

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ में पांच वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

63–श्री महेन्द्र कुमार–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में कितने राजपत्रित अधिकारी 5 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार 5 वर्ष

से अधिक की सेवा पर राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाता है ? यदि हां, तो राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण न किये जाने के कारण क्या हैं ? उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के कार्मिक अधिकारी ही एक मात्र राजपत्रित अधिकारी हैं, जो यहां 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

जी हां ।

शासनादेश सं० 2021 पीएस/18-8-97–2(2) पी०एस/94 दिनांक 26 जून, 1997 द्वारा इनका स्थानान्तरण राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद कर दिया गया था, परन्तु शासनादेश सं० 2251 पी०एस/18-8-97–2(2) पीएस/94 दिनांक 15 जुलाई, 1997 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 26 जून, 1997 एक वर्ष के लिए जनहित में स्थगित कर दिया गया है । दिनांक 26 जून, 1998 को स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26 जून, 1997 स्वतः प्रभावी हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत महिलाओं तथा बच्चों का उत्थान (इबाकरा) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों के छात्रवृत्ति के भुगतान की जानकारी

64–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज में वर्ष 1995-96 में किन-किन ग्रामों में ग्रामीण महिलाओं व बच्चों का उत्थान कार्यक्रम (इबाकरा) के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया था ? किन-किन ग्रामों के प्रशिक्षार्थियों व प्रशिक्षण संस्थाओं का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज ने अभी तक नहीं किया है ? किस शासनादेश के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं का भुगतान बी० डी० ओ०, नवाबगंज ने रोका है ? क्या सरकार बतायेगी कि भुगतान न करने पर खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज में वर्ष 1995-96 में ग्राम्य बीजामऊ, सतुईया–कलां, लाडपुरउसमानपुर, हाफिजगंज, ज्योरामकरन्दपुर, सैदपुरा सरौरा, बुखारपुर, रिछोला, किफायदुल्ला, रघुनाथपुर तथा फैज्जुल्लापुर में ग्रामीण महिला व बच्चों का उत्थान कार्यक्रम (इबाकरा) के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है ।

उक्त सभी ग्रामों के प्रशिक्षार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज द्वारा कर दिया गया है । मार्डन आर्ट सेन्टर, बिहारीपुर, बरेली, जनकल्याण समिति रमजानपुर, बदायूं तथा मेहतरपुर ग्राम्य विकास संस्थान मेहतरपुर तिजासिंह फरीदपुर, बरेली नामक संस्थाओं का भुगतान खंड विकास अधिकारी नवाबगंज द्वारा नहीं किया गया है ।

प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा कतिपय औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण संस्थाओं का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज, द्वारा रोका गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली का नवाबगंज तहसील के अन्तर्गत अवसरा नदी द्वारा कतिपय ग्रामों में हुए कटान को रोकने के उपाय

65--श्री छोटे लाल गंगवार (बरेली)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज की अवसरा नदी ग्राम बिहारीपुर अब्दुल रहमान व अभयपुर मुल्लापुर ग्रामों को काट रही है और सड़क ढहने को है ? यदि हां, तो सरकार कटान रोकने हेतु क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में अवसरा नदी ग्राम बिहारीपुर, अब्दुल रहमान एवं अभयमुल्ला ग्रामों की जमीन काट रही है ।

जहांनाबाद रजबहा की कैनाल सर्विस रोड के एक स्थान पर नदी कटान करते हुये सड़क के समीप आ जाने के कारण नदी को नियंत्रित रखने तथा सड़क को कटान से बचाने के लिये 6 नम्बर बल्ली स्क्रीन का निर्माण करा दिया गया है, जिससे कटान अब नियंत्रण में है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

महिला अस्पताल (डफरिन) लखनऊ में मानक से अधिक चिकित्सकों एवं नर्सों का अन्यत्र स्थानानन्तरण किये जाने की मांग

66–श्री नारायण राम दास–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महिला अस्पताल (डफरिन) लखनऊ में वर्ष 1994 से लगातार रोगियों की संख्या घट रही है ? क्या यह सही है कि अस्पताल में चिकित्सक तथा नर्सों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या रोगियों के अनुपात में निर्धारित मानक के आधार पर चिकित्सक और नर्सों को रोककर शेष को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद के पाल क्षेत्र में उच्चीकृत अस्पताल के निर्माण की मांग

67–श्री राम कृपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में उच्चीकृत अस्पतालों के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इलाहाबाद के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र पाल क्षेत्र (कोरांव ब्लाक के दक्षिण) में एक उच्चीकृत अस्पताल के निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मानकानुसार प्रश्नगत क्षेत्र में उच्चीकृत अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) का निर्माण सम्भव नहीं है ।

अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) द्वारा की गई अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

68--श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अनुभाग--3 के पत्रांक यू०ओ०–61 (1)/38-3-95-670/91–आ०डी०–7 दिनांक 20-4-95 द्वारा अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के विरुद्ध बाउचरों में अनियमितता करके लाखों रुपये हड़पने की जांच हेतु अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अनियमितता की प्रारम्भिक जांच हेतु अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था किन्तु उनके द्वारा किसी लेखा विशेषज्ञ से जांच कराये जाने के अनुरोध पर शासन द्वारा विचार करके श्री हामिद मुस्तफा, निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

जांच अधिकारी से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न ही उठता ।

हरदोई विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में किये गये विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी

69–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 86 हरदोई विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम दाहिती सलकूपुर, खुरहरा, तुर्तीपुर, बोसरा, कौथेलिया, म्योनी को पूर्ण संतृप्त गांव दिखा दिया गया, जबकि इन ग्रामों में न तो सड़क ही बनी है और न ही पूर्ण विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है और शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

हरदोई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कौथलिया खजुरहरा, बोसरा वर्ष 1996-97 में तथा तुर्तीपुर, दाहिती सलकूपुर, म्योनी वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं । शासन के निर्णयानुसार समस्त चयनित ग्रामों में निम्न प्रमुख 11 कार्यक्रम कराया जाना है :–

1–सम्पर्क मार्ग, 2–विद्युतीकरण, 3–इन्दिरा आवास, 4--प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, 5–पेयजल, 6–नाली खड़न्जा निर्माण, 7–स्वच्छ शौचालय, 8–निःशुल्क बोरिंग, 9–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, 10–किसान पेंशन तथा 11–विधवा पेंशन ।

उपरोक्त 11 कार्यक्रमों में से सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण एवं इन्दिरा आवास कार्यक्रम को छोड़कर अन्य प्रमुख 8 कार्यक्रमों में ग्रामों को संतृप्त करने के पश्चात् ग्रामों को संतृप्त माना जाता है । सम्पर्क मार्ग एवं विद्युतीकरण के लिये अलग से समय सारिणी शासन द्वारा दी गयी है । विद्युतीकरण मद में इन ग्रामों में से खजुरहरा, तुर्तीपुर, दाहिती सलकूपुर तथा बोसरा अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित होने से पूर्व विद्युतीकृत हैं । अम्बेडकर ग्राम म्योनी को वर्ष 1997 में विद्युतीकृत किया गया है ।

उपरोक्तानुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है तथा उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मिरजापुर नगर में जंगीरोड से लोहंदी महावीर मार्ग का अधूरा निर्माण एवं उसके भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

70–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर नगर में जंगी रोड से लोहंदी महावीर मार्ग का अधूरा निर्माण करके उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी नहीं । मिर्जापुर नगर में जंगी रोड से लोंहदी महावीर मार्ग के निर्माण हेतु कुल वांछित धनराशि रु० 05.52 लाख के विरुद्ध मात्र 2.42 लाख रुपया ग्राम्य विकास अभिकरण मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था । प्राप्त धनराशि से उक्त निर्माण कार्य कराकर नियमानुसार प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत ही भुगतान किया गया है । अवशेष निर्माण कार्य हेतु अभी तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को धनराशि नहीं प्राप्त हुयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर विकास खण्ड सिटी स्थित ग्राम शाहपुर चौसा में रपटा निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

71–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर विकास खण्ड सिटी स्थित ग्राम शाहपुर चौसा में रपटा निर्माण हेतु कितनी धनराशि पिछड़ा जनपद योजना एवं सांसद विकास निधि से निर्गत की गयी है ? रपटा निर्माण न होने के बावजूद पैसे का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जनपद मिर्जापुर विकास खण्ड सिटी स्थित ग्राम शाहपुर चौसा में रपटा निर्माण हेतु मात्र सधनीकृत जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 2.50 लाख एवं सांसद विकास निधि के अन्तर्गत मु०=1.50 लाख (कुल योग मु०=4.00 लाख) धनराशि प्राप्त हुई है ।

रपटा निर्माण के पश्चात ही नियमानुसार भुगतान किया गया है अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कैश क्रेडिट के अनुसार धनराशि की वसूली

72–श्री अफजाल अहमद–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में कैश क्रेडिट के अनुसार खादी बोर्ड की कितनी ऋण राशि की वसूली कालबाधित हो चुकी है ? इसका जनपद वार विवरण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कैश क्रेडिट योजना लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के विद्युतीकरण पर व्यय एवं इसके भौतिक सत्यापन की मांग

73- श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के विद्युतीकरण पर कितना रुपया व्यय हुआ ? स्वास्थ्य विभाग ने व्यय हुये रुपयों का भौतिक सत्यापन कब और किस अधिकारी द्वारा कराया है ? यदि भौतिक सत्यापन कराया गया है, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं कराया गया है, तो क्यों ? भौतिक सत्यापन कब तक कराया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड अहिरोरी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आहरित एवं व्यय धनराशि का विवरण

74- श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा वाजिदपुर मजरा अल्हादादपुर विकास खण्ड अहिरोरी जनपद हरदोई में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91, 1993-94 में कितनी धनराशि निकाली गयी ? उक्त धनराशि किन-किन पदों पर और कहां-कहां लगायी गई ? क्या इस संबंध में उक्त ग्राम के ग्रामवासियों के पत्र दिनांक 20-1-94 तथा 22-5-95 मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि द्वारा जो विकास कार्य कराये गये हैं उनकी जांच टेक्नीकल आडिट सेल से सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद-हरदोई, विकास खण्ड-अहिरोरी अन्तर्गत ग्राम सभा-वाजिदपुर मजरा अल्हादादपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91, 1992-93 तथा 1993-94 में क्रमशः 65,000.00, 56,000.00, 53,000.00 एवं 94,500.00 रु० ग्राम प्रधान द्वारा निकाले गये ।

उक्त आहरित धनराशि से ग्राम वाजिदपुर मजरा अल्हादादपुर एवं सेमरा मजरा में हैंडपम्प, सम्पर्क मार्ग, खड़ंजा, पड़न्जा, ताल पटाई, हयूम पाइप तथा कूप मरम्मत आदि कार्य कराये गये, जिनका विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 259 पर)

जनपद हरदोई के अम्बेडकर ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित कतिपय ग्रामों में हुए विकास कार्य की जानकारी

75- श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा वाजिदपुर तथा ग्राम अल्हादादपुर विकास खण्ड अहिरोरी, जनपद हरदोई अम्बेडकर ग्राम सभा घोषित होने के बाद भी उक्त ग्राम में सम्पर्क मार्ग, विद्युत, प्राथमिक पाठशाला एव खड़ंजा आदि नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य न कराने हेतु कौन

अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उक्त अम्बेडकर ग्राम में विकास कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मायावती–

वर्ष 1996-97 में ग्राम बाजिदपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम कार्यक्रम में हुआ है। अल्हादादपुर उक्त चयनित ग्राम बाजिदपुर का मजरा है। उक्त चयनित ग्राम बाजिदपुर में प्रमुख 11 कार्यक्रमों में लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्यपूर्ति का विवरण विभिन्न कार्यक्रमों में निम्नवत् है :–

सम्पर्क मार्ग:–निर्मित नहीं है। यह नगण्य कार्यक्रम है।

विद्युतीकरण:–विद्युतीकरण हो गया है परन्तु गांव तक की लाइन के कई खम्भों के तार चोरी हो गये हैं, पुन: 15-8-97 तक तार लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्राथमिक पाठशाला:–विद्यालय भवन है।

पेयजल:–मानकों के अनुसार 13 हैण्ड पम्प (इण्डिया मार्क-2) लगाये गये हैं।

नाली खड़ंजा:–मानक के अनुसार 500 मीटर नाली खड़ंजा का निर्माण हो चुका है।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम:–10 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

नि:शुल्क बोरिंग:–0 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

इन्दिरा आवास:–10 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

स्वच्छ शौचालय:–5 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

किसान पेंशन:–23 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

विधवा पेंशन:–13 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार विकास कार्य पूर्ण हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के वन भूमि पर विस्थापितों के पुनर्वासन की मांग

76. श्री अरविन्द गिरि–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के ग्राम वर्मा नगर मजरा नगर, विशेश्वर नगर, फिरोजपुर तथा कर्मा दमोदर भवानी ग्राम की वन भूमि पर विस्थापितों के पुनर्वास पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इनका पुनर्वास कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग किये जाने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत मार्ग दर्शी सिद्धान्त (25 अक्टूबर, 1992) के प्रस्तर 2.7 (2) के अनुसार विस्थापितों को बसाने हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण अनुमन्य नहीं है।

जनपद गोण्डा में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

77-श्री बावन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में चल रही सरयू नहर परियोजना नरदगंज ब्रांच के ग्राम नूरपुर व परसगोडरी तथा बांस गांव नहरसिल करनैलगंज में अधिग्रहीत की गयी भूमि का सम्बन्धित किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । नरदगंज शाखा के निर्माण हेतु ग्राम बांसगांव, नूरपुर, परसगोडरी जनपद गोण्डा की क्रमशः 12.11 एकड़ 02.52 एकड़ एवं 07.13 एकड़ कुल 21.76 एकड़ भूमि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोण्डा के माध्यम से अधिग्रहीत की गयी । इन ग्रामों के 169 प्रभावित कृषकों में से 128 कृषकों को प्रतिकर की धनराशि वितरित कर दी गयी है तथा शेष 41 कृषकों द्वारा प्रतिकर का भुगतान प्राप्त न करने के कारण प्रतिकर की धनराशि को कृषकों के नाम से कोषागार में रेवेन्यू डिपाजिट में नियमानुसार जमा किया गया है । जिसे शेष प्रभावित कृषक कभी भी प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के इन्दिरा आवास योजना में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच की मांग

78-श्री बावन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगें कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-11-96 को विकास खण्ड, हलधर मऊ, जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास में की गयी घोर अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच के दौरान पाये गये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में दैनिक वेतन भोगी लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की मांग

79-श्री महेन्द्र कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में दिनांक 22-7-1991 के पूर्व से कितने दैनिक वेतन भोगी लिपिक वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार के पास इन्हें नियमित किये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में इन्हें नियमित किये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिक वर्ग में कुल 68 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं । तृतीय श्रेणी कर्मियों के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में होने के कारण नियमित नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग

80-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ में स्वा० रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से आये धन से ग्रामीणों को रोजगार न देकर के ठेकेदारों के माध्यम से कराये गये कार्यों पर भुगतान कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सराय महिमा अम्बेडकर गांव में ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन से किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की नीति का उल्लंघन करने का क्या कारण है ?

श्री सुखदेव राजभर-

प्रश्न में उल्लिखित स्वा रोजगार योजना संचालित न होकर के सुनिश्चित रोजगार योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत धनराशि विभिन्न कार्यदायी विभागों को आवंटित की जाती है, जिनके द्वारा ठेकेदारों से कार्य न कराकर मस्टररोल पर मजदूरों से कार्य कराया जाता है जिन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में चयनित अम्बेडकर ग्राम एवं इनमें किये गये विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी

81-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अम्बेडकर गांव चयनित हुये हैं ? कितने किलोमीटर सड़क का चयन हुआ है और कितने सड़कों का निर्माण आज तक हो चुका है ? कितना-कितना इन्दिरा आवास बनाया गया है ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक कुल 11524 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं जिनमें से 31-3-97 तक 5694 गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है । वर्ष 1997-98 में 4000 अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें से 30-6-97 तक 1434 ग्राम लेपन स्तर के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जा चुके हैं तथा 636 ग्रामों में मिट्टी-गिट्टी का कार्य कराया जा चुका है ।

योजना के प्रारम्भ से 31-3-97 तक 337971 इन्दिरा आवास निर्मित किये गये । वर्तमान वर्ष में 31-3-97 तक 25400 आवास निर्मित किये गये हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्राम में विकास कार्यों का पूर्ण विवरण

82-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी अम्बेडकर ग्रामों में पक्के मार्ग, बिजली, पेयजल, प्राथमिक सीनियर विद्यालयों, पशु चिकित्सालय सहित सभी

सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो सभी कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री मायावती–

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 1995-96 व 1996-97 तक 20 ग्राम अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये हैं। इन चयनित ग्रामों में से 3 ग्राम गुलबरापुर, पीठापुरदरियापुर तथा शेखीपुर 250 से कम आबादी का ग्राम होने के कारण शासन के निर्णयानुसार इन ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, प्राथमिक पाठशाला भवन एवं खड़ञ्जा नाली का निर्माण नहीं कराया जाना है।

सम्पर्क मार्ग :–केवल 3 ग्राम गुलबरापुर, सरायशंकर एवं सरसीखुर्द ग्रामों में सम्पर्क मार्ग बनाने के कार्यक्रम नहीं है। अन्य ग्राम सम्पर्क मार्ग के अन्तर्गत संतृप्त कराये गये हैं।

विद्युतीकरण :–सरायशंकर व सरसीखुर्द ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। अन्य ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य के अन्तर्गत संतृप्त किया गया है। इन दोनों ग्रामों में समय सारिणी के अनुसार विद्युतीकरण की कार्यवाही अगस्त, 97 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

पेयजल एवं प्राथमिक विद्यालय :–उक्त दोनों कार्यक्रम में समस्त अम्बेडकर ग्राम संतृप्त हैं।

अम्बेडकर ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोले जाने का कार्यक्रम अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के 11 प्रमुख कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबंध में विस्तृत सूचना की मांग

53 श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वर्ष 1996-97 में जनपद सिद्धार्थनगर में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गयी ? इसमें कितने सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद महराजगंज, नौतनवां के अस्पताल का नाम बदले जाने के संबंध में ज्ञापन

54 श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 24-6-97 को विकास समीक्षा में मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन जनपद महराजगंज के नौतनवां, जनपद महराजगंज का नाम कुंवर घनश्याम सिंह का नाम बदल कर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम करने को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रकरण पर जिलाधिकारी महराजगंज से आख्या प्राप्त की गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर नगर के रिफ्यूजी कालोनी में मार्ग एवं नाली निर्माण की मांग

85–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर नगर परिसर क्षेत्र में स्थित रिफ्यूजी कालोनी डंगहर में मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य पूर्वांचल विकास निधि से पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बिना नाली निर्माण कार्य पूर्ण हुये धन का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

मिर्जापुर नगर परिसर क्षेत्र में स्थित रिफ्यूजी कालोनी डंगहर में मात्र नाली निर्माण का कार्य पूर्वांचल विकास निधि से प्राप्त धन से पूर्ण कराया जा चुका है ।

मार्ग निर्माण हेतु कोई धनराशि/स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है ।

नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् की नियमानुसार भुगतान किया गया है, अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र में अम्बेडकर ग्रामों में किये गये विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी

86–श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में घोषित अम्बेडकर गांवों के विकास कार्य पूरे कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में गड़रखा, महला, कपियामिश्र, गेंगटी एवं वर्ष 1996-97 में खेरा, रामनगर, पकड़ी (शोहरतगढ़) मुड़िलाखुर्द, छतहरी, दुतहरा, रमवापुर, नानकार, महादेवा, नकाही, पकड़ी (जोगिया), हर्रैया एवं पारा नानकार अम्बेडकर ग्राम चयनित थे जिनमें आई० आर० डी० पी०, निःशुल्क बोरिंग, इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय (हर्रैया को छोड़कर) किसान पेंशन, विधवा पेंशन, पेयजल, प्राथमिक विद्यालय, (छतहरी एवं नकाही को छोड़कर) खड़न्जा/नाली, विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग में महला, गड़रखा, कपियामिश्र, छतहरी, छतहरा, मुड़लाखुर्द, रमवापुर, नानकार, रामनगर, महादेवा के कार्य पूर्व कार्य योजना के अनुसार पूर्ण कर लिये गये हैं ।

हर्रैया में शौचालय, नकाही एवं छतहरी में प्राथमिक विद्यालय, हर्रैया, पकड़ी (जोगिया) नकाही, पारा नानकार, पकड़ी (शोहरतगढ़) खैरा में सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं है ।

<u>शौचालय एवं प्राइमरी पाठशालाओं का कार्य :–</u>

उपर्युक्त ग्रामों में कार्य पूर्ण करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

सम्पर्क मार्ग बनाने के लिये शासन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है । उक्त के अन्तर्गत इन ग्रामों में जब कार्य योजना स्वीकृत होगी तब सम्पर्क मार्ग बनाया जा सकता है । ग्राम गेंगटी में 250 से कम आबादी होने के कारण शासन के निर्णयानुसार सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, प्राइमरी विद्यालय एवं नाली खड़न्जा का कार्य नहीं किया जाना है ।

87–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 6-8-97 को अता० प्र० सं० 169 द्वारा उत्तरित]

सिद्धार्थनगर के प्रा० स्वा० केन्द्र सोहरतगढ़ में एम्बुलेन्स न उपलब्ध कराये जाने का औचित्य

88–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर के प्रा० स्वा० केन्द्र शोहरतगढ़ में एम्बुलेन्स की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अस्पताल को एम्बुलेन्स कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी वाहन उपलब्ध कराने का मानक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम द्वारा विकास खण्ड स्तर पर हैण्ड पम्प की देख-रेख हेतु बनायी गयी टीम

89–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प की देख-रेख एवं मरम्मत हेतु क्या विकास खण्ड स्तर पर कोई टीम बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य चीनी निगम की हरदोई चीनी मिल पर किसानों के बकाया गन्ने मूल्य के भुगतान की मांग

90–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम की हरदोई इकाई की चीनी मिल पर वर्ष 1995-96 व 1996-97 का किसानों के गन्ने मूल्य का कितना करोड़ रुपया बाकी है ? क्या सरकार उस रुपये के भुगतान किये जाने का आदेश निर्गत कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

प्रश्नगत चीनी मिल पर वर्ष 1995-96 से संबंधित कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है । दिनांक 8-8-97 की स्थिति के अनुसार इस चीनी मिल पर वर्ष 1996-97 से संबंधित रुपये 143.43 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है ।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के ग्राम रिसौली में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास के आवंटन में की गई अनियमितता की शिकायत

91–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि गांधी ग्राम–रिसौली विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं में वर्ष 1995-96 ऐसे लोगों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये गये हैं जिन्हें पूर्व में भी आवास मिल चुके हैं ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थियों के चयन एवं चेकों की हेरा-फेरी करने के आरोप में कई कर्मचारियों को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो

क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के वर्ष 1996-97 के इन्दिरा आवास योजना के चैकों के भुगतान पर रोक लगाकर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बदायूं में इन्दिरा आवास योजना में पंचायत अधिकारियों को अनियमित रूप से निलम्बित करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

92–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जनपद बदायूं में इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताओं के आधार पर कितने ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? क्या यह सही है कि बिना जांच पत्र तामील किये तथा बिना किसी प्रक्रिया के उक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? उक्त निलम्बन करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय अम्बेडकर ग्रामों में किये गये विकास कार्यों की जानकारी

93–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अम्बेडकर गांव हैंसी परजी, रामपुर गौरी पुटैली, खजौहरी एवं सीधापुर में अनुसूचित जाति बस्ती तक सम्पर्क मार्ग एवं विद्युतीकरण तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद प्रतापगढ़ के अम्बेडकर ग्राम हैंसी परजी, रामपुर गौरी, पुटैली, खजोहरी एवं सीधापुर को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित प्रमुख 11 कार्यक्रमों में से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग, इन्दिरा आवास, नाली खड़न्जा, स्वच्छ शौचालय, प्राथमिक विद्यालय, पेयजल, किसान पेंशन, विधवा पेंशन कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है ।

सम्पर्क मार्ग कार्यक्रम में रामपुर गौरी, पुटैली एवं सीधापुर को संतृप्त कर दिया गया है । हैंसी परजीखजोहरी में मिट्टी गिट्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । लेपन कार्य अवशेष है ।

विद्युतीकरण कार्यक्रम में रामपुर गौरी, पुटैली, खजोहरी अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है । हैसी परजी व सीधापुर का विद्युतीकरण 30-8-97 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं कृत कार्यवाही

94–श्री विश्वनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के डा० राजेश मोहन गुप्त व डा० ममता गुप्त के विरुद्ध शिकायतों की जांच वर्ष 1997 में अपर निदेशक स्वास्थ्य ने की है और जांच रिपोर्ट महा निदेशक स्वास्थ्य को दिनांक 15-4-97 को भेजी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

95–श्री अम्बरीष कुमार–

[दिनांक 30-7-97 का अता० प्रश्न सं०–167 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड हरिंग्टनगंज में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत किये जाने की मांग

96–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड हरिंग्टनगंज, फैजाबाद में अभी तक एक भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि जनपद के अन्य सभी विकास खण्डों में 2 से 5 तक की संख्या में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो यह दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उक्त विकास खण्ड में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापना हेतु वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जिला योजना की स्वीकृति सभी औपचारिकता पूर्ण करने के बावजूद भी अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्ष 1995-96 में फैजाबाद जनपद का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसमें हरिंग्टनगंज विकास खण्ड के आनन्दनगर स्थान पर स्थापित होने वाले चिकित्सालय की स्थापना को रोककर विकास खण्ड जहांगीरगंज जनपद फैजाबाद में चिकित्सालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु कतिपय औपचारिकताओं के अभाव में आय-व्ययक में व्यवस्था न होने के कारण चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

जनपद बिजनौर में नई नहरों में पानी दिये जाने की मांग

97–श्री मूल चन्द–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद बिजनौर में जो नई नहरें बनाई गई हैं उन नहरों में सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाता है ? क्या सरकार उक्त नई नहरों में सिंचाई हेतु पानी देने का आदेश संबंधित अधिकारियों को देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बिजनौर में जो नई नहरें बनाई गई हैं उन नहरों में फसल खरीफ की सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप मण्डल गोण्डा में स्थापित किये जाने की मांग

98–श्री राम पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप मण्डल, गोण्डा वास्तव में जनपद गोण्डा में कार्यरत न होकर जनपद फैजाबाद में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कार्यवाही करके गोण्डा में इसे स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में सरयूनहर खण्ड–4 ड्रेन नं०–34 हेतु ली गई भूमि पर किसानों की सहमति

99–श्री नारायण राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम ऐरिया विकास खण्ड व तहसील महसी, जिला बहराइच में सरयू नहर खण्ड–4 द्वारा ड्रेन नं०–34 के लिए जिन लोगों की जमीन ली जा रही है इस संबंध में न तो उनसे सहमति ही ली गयी है और न ही उनकी जमीन का बैनामा आदि कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ऐरिया विकास खण्ड व तहसील–महसी, जिला–बहराइच में ड्रेन सं०–34 के लिए संबंधित कृषकों से लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् निर्माण कार्य कराया गया है । जमीन के बैनामें हेतु अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बहराइच के ऐरिया विकास खण्ड व तहसील महसी में ड्रेन नं०–34 के खोदे जाने से कथित जल-भराव का खतरा

100–श्री नारायण राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम ऐरिया विकास खण्ड व तहसील महसी, जिला बहराइच में सरयू नहर खण्ड–4 द्वारा जो ड्रेन नं०–34 खोदी जा रही है, वह जल भराव के स्थान से हटाकर ऊंची जगह से खोदी जा रही है जिससे कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और उक्त ग्राम में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? क्या ड्रेन उपयुक्त स्थल से खोदे जाने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत ड्रेन का 1.875 से 2.075 कि० मी० तक के भाग की खुदायी शेष है, जिसमें से कुछ भाग ऊंचा है । ड्रेन के निर्माण से कोई मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और न ही ग्राम ऐरिया में जल भराव की कोई समस्या है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार के ब्लाक बहादराबाद एवं भगवानपुर में घोषित अम्बेडकर ग्राम में किये गये विकास कार्यों की प्रगति

101–श्री राम सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगवानपुर तथा ब्लाक बहादराबाद जनपद हरिद्वार में कौन-कौन से गांव को कई वर्ष पहले अम्बेडकर गांव घोषित किया गया था ? आज तक उन गांवों को अम्बेडकर गांव घोषित किया गया था ? आज तक उन गांवों को अम्बेडकर गांव को दी जाने वाली सुविधायें क्यों नहीं प्रदान की गई ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक विकास खण्ड बहादराबाद जनपद हरिद्वार के 19 ग्रामों को एवं विकास खण्ड भगवानपुर जनपद हरिद्वार के 14 ग्रामों को अम्बेंडकर ग्राम घोषित किया गया है, जिनमें प्रमुख 11 कार्यक्रमों की अब तक की प्रगति संलग्न है ।

वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड बहादराबाद के 10 ग्राम तथा विकास खण्ड भगवानपुर के 5 ग्रामों का अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन किया गया है। अम्बेडकर ग्रामों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की गई है जो शासन के विचारधीन है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 260-261 पर)

राजकीय चिकित्सालय शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में बन्द पड़े एक्सरे प्लान्ट को चालू कराये जाने की मांग

102–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय चिकित्सालय, शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर) में एक्सरे प्लान्ट काफ़ी दिनों से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसे चालू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

एक्स–रे प्लान्ट में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण।

जी हां, शीघ्र ही चालू करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

103–श्री जगदीश नारायण "मुन्ना"–

[पांचवे मंगलवार में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना में उपलब्ध करायी गयी धनराशि तथा अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

104–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ श्री मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना से उपलब्ध धनराशि से वर्ष 1996-97 में अनुसूचित जाति बस्तियों में ब्लाक वार कितना धन आवंटन किया गया है ? स्थल चयन तथा आवंटन, किस सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ ? शासनादेश क्या है ? क्या जिला योजना की उपलब्ध धनराशि से अनुसूचित बस्तियों में ब्लाक वाले हैण्डपम्पों को लगवाने में स्थानीय विधायकों की सहमति के अनुसार कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद प्रतापगढ़ में 1996-97 के जिला योजना के अन्तर्गत पूरे जनपद के लिए 176.79 लाख रु० आवंटित किये गये। राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण जिलाधिकारी के आदेशानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये। ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना वर्ष 1996-97 के लिए शासनादेश संख्या–1655/38-5-96, दिनांक 3 जून, 1996 द्वारा कार्यकारी दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये थे। राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण जिलाधिकारी के आदेश से हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये। विकास खण्ड स्तर से हैण्डपम्प गांव सभा/ग्राम पंचायत की सहमति से अधिष्ठापित किये गये हैं। विधान सभा चुनाव हो जाने के बाद मा० विधायक/सांसद से जो संस्तुतियां प्राप्त हुयीं उनके अनुरूप हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये।

105–श्री जगदम्बिका पाल–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियोलाजी विभाग में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चिकित्सकों को प्रमाण-पत्र दिये जाने की व्यवस्था

106–श्री गोमती यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1992 के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित कितने चिकित्सकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ? क्या माननीय कुलाध्यक्ष, संजय गांधी पी० जी० आई० ने वांछित प्रमाण-पत्र देने हेतु संस्थान के अधिनियम की धारा–36 के तहत आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाण-पत्र संबंधित चिकित्सकों को हस्तगत करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रमाण-पत्र हस्तगत करवा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1992 में केवल डा० ए० के० श्रीवास्तव ने ही कार्डियोलाजी विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

जी हां।

संस्थान द्वारा बनाये गये प्रशिक्षण संबंधी नियम में संबंधित चिकित्सक के प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र सूचना स्पान्सरिंग प्राधिकारी को ही दिये जाने की व्यवस्था है, जो कि पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

107–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 10-7-97 का पत्र जो जनपद सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध गंभीर आरोप की जांच की मांग विषयक था, मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नगत मामले की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से कराई जा रही है।

जांच अभी प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम विकास अभिकरण, उन्नाव द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संबंध में वस्तुस्थिति

108–श्री मस्त राम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1995-96 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में मोहाना-औरास सड़क से बरादेव गढ़ी–फतेहाबाद सम्पर्क मार्ग, मोहान–औरास सड़क से ताला सरांय सम्पर्क मार्ग तथा औरास रहीमाबाद सड़क से भुड़कुण्डी सम्पर्क मार्ग में कंकड़ का कार्य कराया गया था ? उनमें किस सड़क की कितनी दूरी स्वीकृत थी ? कितना धन स्वीकृत था तथा कितना धन खर्च किया गया ? क्या उनमें स्वीकृति दूरी का कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उन्नाव द्वारा मोहान-औरास रोड से बरादेवगढ़ी फतेहाबाद मार्ग 1.8 किमी० मु०–2.749 लाख रु० स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 1.002 लाख रु० व्यय करके 0.180 किमी० सम्पर्क मार्ग बनवाया जा चुका है । मोहान औरास रोड से ताला सरांय मार्ग 1.00 किमी० मु० 2.506 लाख रु० स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 1.11529 लाख रु० व्यय करके 0.425 किमी० का कार्य कराया जा चुका है । औरास रहीमाबाद रोड से भुड़कुण्डी सम्पर्क मार्ग 0.70 किमी० मु० रु० 1.41 लाख स्वीकृत किया गया था, जिसमें से रु० 0.90327 लाख व्यय करके 0.450 किमी० का कार्य कराया जा चुका है । संबंधित सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण हो जाने से निर्माण कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया था जिससे स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं । उक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जा रहे हैं ।

109–श्री शिवपाल सिंह यादव–

[पांचवें मंगलवार में अता० प्र० सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

110–श्री शिवपाल सिंह यादव–

[पांचवें गुरुवार में अता० प्र० सं० 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधवगंज, मल्लावां बिलग्राम में जल निगम द्वारा स्थापित अधिकांश खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक कराये जाने की मांग

111–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के क्रमशः विकास खण्ड माधोगंज, मल्लावां, बिलग्राम उ० प्र० जल निगम द्वारा जो हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं वह अधिकांश खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? खराब हैण्ड पम्प कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज, मल्लावां, बिलग्राम में दिनांक 8 अगस्त, 97 तक क्रमशः 35, 83 तथा 46 हैण्ड पम्प खराब हैं । इनमें से क्रमशः 15, 13 व 15 हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब हैं ।

अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की सूचना मिलने पर यथाशीघ्र ठीक करा दिया जाता है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

अस्थायी रूप से खराब पड़े हैण्डपम्पों की प्रक्रिया निरन्तर है । स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सापेक्ष ठीक कराया जाना सम्भव हो पाता है ।

लखनऊ कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी में कथित अवैध निर्माण

112–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी में कितने अवैध निर्माण सरकारी सेवकों द्वारा कितने अवैध निर्माण बाहरी तत्वों द्वारा किये गये हैं ? संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक द्वारा 1-1-80 से कितनी बार उक्त कालोनी का निरीक्षण अब तक किया गया है ? क्या अवैध कृत्य करने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की कृपा करेंगे ? वर्तमान सहायक अभियन्ता (प्रभारी कैनाल कालोनी) के विरुद्ध उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद से अब तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई पक्का/स्थायी अवैध निर्माण नहीं किया गया है । संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा आवश्यकतानुसार कैनाल कालोनी का निरीक्षण किया जाता रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्तमान सहायक अभियन्ता ने दिनांक 7.5-97 को कार्यभार ग्रहण किया है तथा इसके बाद से कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माइनर दोहरीघाट मुख्य नहर के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा का भुगतान

113–श्री पारस नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर जो ग्राम तरछापार, पतनारी, बीबीपुर, होते हुए बहोरवा तक जाती है, उक्त नहर निकलने के समय-किन-किन गांव के कितने कितने किसानों की जमीन उक्त नहर हेतु अधिग्रहीत की गई थी ? उक्त जमीन में कितने किसानों का मुआवजा अब तक दिया जा चुका है ? कितने किसानों का मुआवजा देना शेष है ? अवशेष किसानों का कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माईनर दोहरीघाट मुख्य नहर के कि० मी० 49.66 की बायीं पटरी से निकली है, जिसके निर्माण हेतु 20 ग्रामों से 63.1466 एकड़ भूमि वर्ष 1960 में भूमि रजिस्टर के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी थी ।

सिंचाई विभाग में इस नहर के मुआवजे के संबंध में कोई प्रकरण अवशेष नहीं है ।

सिंचाई विभाग में मुआवजे का भुगतान अब शेष नहीं है ।

सिंचाई विभाग द्वारा राजकीय अभिलेखागार को ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश

114–श्री नारायण राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अभिलेखागार के गठन होने के उपरान्त वर्ष 1978 से 1982 के मध्य उक्त अभिलेखागार द्वारा एवं शासन आशय के पत्र प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था कि विभाग द्वारा वे समस्त प्राचीन अभिलेख उक्त अभिलेखागार को उपलब्ध करा दिये जायें जिनसे विभाग के इतिहास एवं उसके महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विभागाध्यक्ष द्वारा मुख्य अभियन्ताओं से ऐसे समस्त प्राचीन अभिलेख, जिनसे विभाग के इतिहास एवं उसके महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता हैं, को संकलित कराने के निर्देश दिये गये हैं । शेष प्रश्न नहीं उटता ।

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) तथा मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के खण्डीय कार्यालयों में वर्क अब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर परिचालन का समापन

115–श्री नारायण राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) तथा मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के संगठनान्तर्गत वर्तमान खण्डीय कार्यालयों में से किन-किन कार्यालयों में "वर्क अब्स्ट्रेक्ट रजिस्टर" (फार्म–63) कब से परिचालित (मेन्टेन) नहीं किये जा रहे हैं ? क्या उक्त प्रकरण के संदर्भ में लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ से संबंधित अभिलेखों/वित्तीय अनियमितताओं की जांच विभागीय वित्त नियंत्रक के माध्यम से टेस्ट इन्क्वायरी के रूप में कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्क अब्स्टैक्ट रजिस्टर (फार्म–63) का परिचालन 1977 से समाप्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ के परिप्रेक्ष्य में जमा उत्तराधिकारी व अन्य प्रमाण-पत्र के आधार पर दावेदारों को धनराशि का भुगतान न किये जाने के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश

116–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड मेरठ के पत्रांक–1531/पी०एल०/बेजूराम, दिनांक 28 जुलाई, 1992 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती शिवकला, जयकला व बलराम द्वारा दाखिल उत्तराधिकारी व अन्य प्रमाण-पत्र स्वयं जमा करने के बाद भी भुगतान की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? क्या सरकार तत्संबंधी भुगतान शीघ्र कराने तथा अब तक भुगतान में हुए विलम्ब के दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

दाखिल उत्तराधिकार व अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर दावेदारों को ग्रेच्युटी एवं जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है । भुगतान में हुए विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ शारदा नहर के चतुर्थ उपखण्ड में ठेकेदारों को अवशेष का भुगतान करने एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर कृत कार्यवाही

117–श्री नारायण रामदास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के चतुर्थ उपखण्ड में कार्यरत कितने ठेकेदारों का भुगतान विगत 1-1-90 से नहीं किया गया है ? प्रत्येक ठेकेदार के अभिमुख (अगेन्स्ट) दिनांक 1-4-97 को कितनी धनराशि का भुगतान अवशेष था तथा कौन-कौन से कार्य का भुगतान अवशेष था ? उक्त चतुर्थ उपखण्ड के सहायक अभियन्ता श्री माधवेन्द्र सिंह के

कार्यकाल में श्री सिंह के विरुद्ध कुल कितने शिकायती पत्र मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) मण्डलीय कार्यालय/खण्डीय कार्यालय तथा शासन को प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक अंतिम कार्यवाही सम्पन्न न किये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/सहायकों के नाम व पद क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

50 ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया है ।

दिनांक 1-4-97 को रु० 23,39,038.75 (रुपये तेइस लाख उन्तालिस हजार अड़तिस तथा पैसे पचहत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान, प्रत्येक ठेकेदार के अभिमुख कार्यों के विवरण सहित † संलग्न सूची के अनुसार अवशेष है । कुल 6 शिकायती पत्र प्राप्त हुए । मण्डलीय कार्यालय/खण्डीय कार्यालय स्तर पर प्राप्त कुल तीन शिकायती पत्रों में भ्रष्टाचार अथवा आचरण के संबंध में कोई तत्यपूर्ण शिकायतें नहीं की गई हैं वरन् केवल श्री माधवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता की कार्यपद्धति के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया है । अस्तु इन पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई । शासन स्तर पर प्राप्त तीन शिकायती पत्रों पर जांच हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । अतः अधिकारियों/सहायकों के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य अभियन्ता, (बेतवा) झांसी के मण्डल/खण्ड कार्यालयों में कतिपय अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही के बावजूद उच्च वेतनमान स्वीकृत किये जाने संबंधी मामले की जांच

118–श्री नारायण रामदास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी के संगठनात्मक मण्डलों/खण्डों में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के चलते वर्ष 1993 से 1-6-97 तक रुपये 1640-2900 तथा रुपया 2200-4000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? क्या उक्त स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व सक्षम स्तर के प्राधिकारी से अनुमति/जानकारी प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

सिंचाई निर्माण मण्डल महोबा के खण्डीय कार्यालयों में बाउचर एवं यात्रा भत्ता के भुगतान में की गई अनियमितताओं की जांच

119–श्री नारायण रामदास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल महोबा के नियंत्रणाधीन खण्डों में वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 तक कितने बाउचर तथा यात्रा भत्ता बीजकों का भुगतान विभागीय कर्मचारियों को किया गया ? बाउचरों के माध्यम से क्रय की गयी सामग्री का स्टाफ रजिस्टर में अंकन है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यात्रा भत्ता, बीजक किस कार्य के लिये बनाये गये । क्या उक्त वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता की जांच प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के वित्त नियंत्रक के माध्यम से कराकर स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्त नियंत्रक को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा भटपुर में इन्दिरा आवास के मकानों के आवंटन में कथित अनियमितता की जांच की मांग

120–श्री राम पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भटपुर जनपद हरदोई के प्रधान ने दलितों को आवंटित होने वाले इन्दिरा आवास के मकानों का आवंटन पिछले वर्ष अवैध रूप से लेकर सवर्णों के नाम करा दिया है और पात्र दलित व्यक्तियों को मकानों का आवंटन नहीं किया गया है जबकि उपरोक्त

ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित है ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रधान को निलम्बित कराने एवं दलितों को उनका वाजिब हक यथाशीघ्र दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

नियमानुसार आवास आवंटित किया गया है । अतः प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेन्ट एसोसियेशन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई द्वारा शासन को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी

121–श्री नारायण रामदास–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेंट एसोसियेशन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग का पत्रांक 45/मि०इ०एशो०/96दिनांक 28-2-96 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पात्र/अर्ह कार्य प्रभारित कर्मचारियों के चयन के उपरान्त टंकण की आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिये एक वर्ष प्रशिक्षण काल अनुमन्य करने के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी बहराइच द्वारा स्वीकृत एकीकृत मार्जिन मनी ऋण वितरण की जानकारी

122–डा० वकार अहमद शाह तथा श्री अक्षयवर लाल–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अधिकारी बहराइच ने मार्च, 31.1995 को पयागपुर की किन तीन इकाइयों को एकीकृत मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत किया है ? क्या इन इकाईयों को ऋण वितरित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वितरित कर दिया जायेगा ? क्या इसमें हुए विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत इकाइयों को मार्जिन मनी ऋण जिलाधिकारी द्वारा 31-3-95 को स्वीकृत किया गया, परन्तु 31-3-95 के उपरान्त अर्थात् 1-4-95 से यह योजना समाप्त होने के कारण एकीकृत मार्जिन मनी ऋण नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल औराई में हो रहे निरन्तर घाटे एवं इसके प्रतिपूर्ति हेतु किये जाने वाले उपाय की जानकारी

123–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी चीनी मिल औराई में प्रारम्भ से अब तक कुल घाटा कितना हुआ तथा वर्ष 1996-97 में कितना घाटा हुआ ? घाटे का कारण क्या था ? क्या सरकार

इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार घाटे को पूरा करने के लिये इसकी पेराई क्षमता में वृद्धि तथा डिस्टलरी प्लांट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों /

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सहकारी चीनी मिल औराई को प्रारम्भ से 31-3-96 तक कुल रुपये 2574.43 लाख नगद तथा रु० 2894.96 लाख की शुद्ध हानियां हुई हैं । वर्ष 1996-97 में कुल रुपये 603.09 लाख नगद तथा कुल रु० 607.06 लाख शुद्ध हानि का अनुमान है ।

घाटे के प्रमुख कारण चीनी मिल की क्षमता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में किसी भी वर्ष में गन्ने का उपलब्ध न होना, तथा चनी मिल की प्रारम्भ से ही तथा वर्तमान में भी पिराई क्षमता का मात्र 1250 टीसीडी होना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

इस चीनी मिल को 1250 टीसीडी क्षमता के अनुरूप ही गन्ना नहीं मिलता इसलिये क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती । यह चीनी मिल वित्तीय संस्थाओं की ऋण स्वीकृति की शर्तों को भी पूरा नहीं करती क्योंकि वित्तीय संस्थायें उन्हीं मिलों के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता देती है जिनकी नेटवर्क ऋणात्मक न हो तथा जो गत तीन वर्षों से नगद लाभ अर्जित कर रही हो औराई चीनी मिल इन शर्तों को पूरा नहीं करती ।

ग्राम जेहटा उसहरा, ब्लाक सिंहपुर, जिला रायबरेली में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच की जानकारी

124–श्री बेचन राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राघव प्रसाद बाजपेयी, ग्राम जेहटा उसहरा, ब्लाक सिंहपुर, जिला रायबरेली का दिनांक 11 अप्रैल, 1997 का प्रार्थना पत्र श्री दलबहादुर कोरी, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 14 मई, 1997 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री बाजपेयी के प्रार्थना पत्र में वर्णित उपर्युक्त विकास खण्ड को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली, जिलाधिकारी, रायबरेली से करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

संदर्भित पत्र जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ ।

जी नहीं । जिलाधिकारी द्वारा जांच खण्ड विकास अधिकारी, सिंहपुर द्वारा करायी गयी ।

जांच में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गयी ।

किसान सहकारी मिल्स, पुवायां, हरदोई में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों को मस्टर रोल पर रखे जाने के संबंध में जानकारी

125–श्री भारत सिंह रावत–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि किसान सहकारी मिल्स लि० की पुवायां मिल शाहजहांपुर के निर्माणकाल में कार्यरत जिन दैनिक वेतन भोगी लिपिकीय कर्मचारियों को मण्डलायुक्त द्वारा नामित संस्तुति के आधार पर नियमित करते हुए दिनांक 18-8-88 से स्थाई कर दिया गया था, को पुनः दिनांक 1-10-88 से मस्टर रोल पर रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या

आधार है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों को पुनः 11-12-89 से लिपिक का वेतनमान देना आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रबन्धतंत्र के इस रवैये के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त कर्मचारियों को दिनांक 18-8-88 से वेतनमान के अनुसार भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां, उपरोक्त नियुक्ति/प्रोन्नति की शिकायती होने पर उक्त आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित/निरस्त कर दिया गया था ।

जी हां ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि पूर्व आदेशों के स्थगन/निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राप्त शिकायत के आधार पर की गयी । वर्णित परिस्थितियों में अगस्त एवं सितम्बर, 1988 में जारी किये गये नियुक्ति/प्रोन्नति पत्रों के स्थगन/निरस्तीकरण की स्थिति में बीच अवधि का वेतन देने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती ।

तराई अनुसूचित जाति विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का अन्यत्र संविलियन

126–श्री बाबू राम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या तराई अनुसूचित जाति विकास निगम को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसमें कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का संविलियन विभिन्न विभागों में कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उनका संविलियन कब तक कर दिया जायगा ?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं । तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम का संविलियन किया गया है ।

जी हां, शासनादेश सं० 2239/26-3/96-4(231)/91, दिनांक 6-6-96 द्वारा 106 कार्मिकों का संविलियन निदेशालय जनजाति विकास विभाग में किया गया तथा 66 कार्मिकों का संविलियन शासनादेश सं० 1935/26-3-96-4(231)/96, दिनांक 6-6-96 द्वारा उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में किया गया एवं शेष को अन्य सरकारी विभागों में भी समायोजित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के शारदा सहायक के विभिन्न खण्डों के स्टाक रजिस्टरों का सत्यापन कराने के संबंध में जानकारी

127–श्री बाबू राम (जालौन) तथा श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के सभी अनुरक्षण निर्माण खण्डों में स्टाक रजिस्टर का अर्धवार्षिक सत्यापन प्रत्येक अर्धवर्ष की समाप्ति के पश्चात चार माह के अन्दर करना तथा उसमें दर्ज वस्तुओं का प्रचलित बाजार भाव से मूल्यांकन करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग के शारदा सहायक संगठन में कितने ऐसे खण्ड हैं जिसमें स्टाक रजिस्टरों का सत्यापन विगत 5 वर्षों या उससे अधिक समय से नहीं किया गया है ? इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम व पद क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शारदा सहायक संगठन के निम्नलिखित खण्डों द्वारा स्टाक रजिस्टरों का सत्यापन विगत 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि से नहीं किया गया है :––

1–लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ ।

2–शारदा सहायक खण्ड–40, लखनऊ ।

3–शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़ ।

सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज स्थित मुंशीपुर अम्बेडकर ग्राम में पुल एवं सड़क के पुनः निर्माण की मांग

128–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० खं० लालगंज, जनपद मिर्जापुर स्थित गंगहरा खुर्द से अम्बेडकर ग्राम मेउड़ी जाने वाले मार्ग पर स्थित अम्बेडकर ग्राम मुंशीपुर में पुल-पुलिया एवं सड़क ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या इस पुल एवं सड़क का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

यह मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से संबंधित नहीं है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में सकरैता नाले पर निर्मित अधूरे पुल का शेष निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग

129–श्री मस्तराम–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में औरास–रहीमाबाद सड़क पर सकरैता नाले पर धन आवंटित करके पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, जो रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं, कार्य जो कि सांसद निधि से कराया गया है वह अवमुक्त की गयी धनराशि की सीमा तक करा दिया गया है ।

अधूरे पुल का शेष निर्माण कार्य मा० सांसद की क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर करता है जिसके संबंध में मा० सांसद से तद्नुसार अनुरोध किया जा चुका है ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनवार मोहम्मद खां तथा श्री कमल किशन पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन की सूचना प्राप्त हुई हैं । हम निधन के निदेश लेते हैं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनवार मोहम्मद खां का 30 जुलाई, 97 को लखनऊ में निधन हो गया वे 71 वर्ष के थे । मान्यवर, माननीय खां का जन्म 5 मार्च, 1926 को ग्राम पिरौरा, तहसील कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद में हुआ था । श्री खान इस सदन के तीन बार सदस्य रहे और गम्भीर चर्चाओं में उन्होंने भाग लिया । इस प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को हमेशा उठाने में वे तत्पर रहते थे । वे सदन के बाहर भी संघर्षशील थे । उन्होंने अनेकों बार धारा 188 को तोड़कर जेल जाने में कभी हिचक नहीं की । उन्होंने हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया । वर्ष 1984 से 86 तक वे सदन की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य रहे । वे हमेशा गरीबों और निर्बल वर्ग के लोगों की जीवनपर्यन्त सेवा करते रहे । वे अनेक शिक्षा संस्थाओं से जुड़े थे और यूपिका के अध्यक्ष भी रहे । श्री खां के निधन पर फर्रुखाबाद ने

एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया । प्रदेश ने एक कर्मठ नेता खो दिया है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से और पूरे सदन की ओर से शोक संवेदन व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

इसी के साथ मान्यवर, श्री कमल किशन पांडेय जी का 10 अगस्त, 97 को निधन हो गया । वे वर्ष 1977 तथा वर्ष 1985 में सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र पिथौरागढ़ से जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर इस सदन के सदस्य बने थे । मान्यवर, श्री पाण्डेय एक समर्पित और जुझारू नेता थे वे सदैव क्षेत्र की भलाई के लिये लगे रहते थे समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी । उनके निधन से जनपद पिथौरागढ़ ने एक कुशल राजनीतिक और समाजसेवी को खो दिया है यह अपूर्णनीय क्षति इस प्रदेश की हुई है । इस दुखद प्रकरण पर अपनी, अपने दल की इस सदन की शोक संवेदना प्रकट करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके दुखी परिवार पर हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, आज हम बड़े दुःख के साथ इस सदन में बैठने वाले अपने दो साथियों के खो जाने पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिये खड़े हुए हैं । श्रीमन्, वैसे तो इस संसार में हर प्राणी जब आता है तो कुछ विशेष गुणों से सम्पन्न होकर आता है लेकिन उचित वातावरण पाकर उचित परिस्थितियां पाकर बहुत से व्यक्ति समाज सेवा, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में ऊंचा स्थान पा लेते हैं । माननीय अनवार मोहम्मद खां साहब हमारे पड़ोसी जिले फर्रुखाबाद के निवासी थे मैं उन्हें भली भांति जानता था, सैकड़ों बार उनसे बात करने का और इस सदन में साथ बैठने का मौका मिला । वे 1974, 1980 और 1989 में इस सदन के सदस्य रहे । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन वे अपने पीछे ऐसा रास्ता छोड़ गये हैं जिसको अपना कर हमारे समाज के बहुत से लोग, जो दबे पिसे हैं, आगे का रास्ता चुन सकते हैं । वे अपनी बात पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे । समाज सेवा के नाम पर जो गरीब उनके पास आता था उसकी भरपूर मदद करते थे । उन्होंने चाहे एटा की जेल हो या फर्रुखाबाद की जेल हो, 1980 से 1989 के बीच में धारा 188 को तोड़ अनेकों बार जेल में रहे वे यूपिका के भी अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य रहे । मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें और आत्मा को शाश्वत शान्ति । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दल की ओर शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

साथ ही साथ एक माननीय सदस्य और भी हमारे बीच से उठ गये हैं कमल किशन जी । वे भी इस सदन के प्रभावशाली सदस्य रहे समाजसेवा उनका प्रमुख कार्य था और अगर समाजसेवी न होते तो इस सदन में पर्दाफाश नहीं कर पाते । मान्यवर, यहां बैठे हुए सभी लोगों में समाजसेवा का गुण उपस्थित है । किसी की किसी स्तर पर और किसी की किसी स्तर पर सामाजिक सेवा रही है । यदि उनमें यह गुण न होता तो वह इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हो सकते थे । आज ये दोनों भूतपूर्व सदस्य हमारे बीच में आज नहीं रहे लेकिन निश्चित तौर पर उनके जो विचार हैं और उनके जो रास्ते हैं, वे हमारे सामने हैं । इसलिये मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनके परिवारीजनों को हमारे ये शोक संवेदना के भाव पहुंचाने की कृपा करें ।

नोट–यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया गया ।

+छापी नहीं गयी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीशचन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मैं सदन के दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन के प्रति शोक संवेदना प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्वर्गीय अनवार मोहम्मद खां, इस सदन के तीन बार सदस्य रह चुके थे। उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से एक सम्मान का स्थान इस आदरणीय सदन के अन्दर बनाया था। फर्रुखाबाद जिले के वह रहने वाले थे। वहां पर भी अनेक शिक्षण संस्थाओं से अपने को सम्बद्ध करके उन्होंने अच्छा योगदान दिया था। गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये वह अपने को हमेशा संघर्षशील बनाये रखे। माननीय सदन के सदस्य न रहने के बाद भी वह जनता की आशाओं के केन्द्र बने रहे। उनका निधन 30 जुलाई, 1997 को हो गया। मैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे ये शोक-संवेदना के भाव उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा की जाय। दूसरे हमारे साथी श्री कमल किशन पाण्डेय जी जो पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले थे वर्ष 1977 तथा 1985 में वह चुने गये थे।

डा० अशोक वाजपेयी–

स्व० श्री पाण्डेय जी 1977 में भी इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं।

श्री हरीशचन्द्र हरीश जी–

वह हमारे साथ थे। हमने सदन के अन्दर उनके काम करने की कुशलता को देखा है और माननीय सदन के सदस्य न रहने के बाद भी वह पिथौरागढ़ जिले में लोगों की आशा के केन्द्र बिन्दु थे। उनका समाज सेवा के लिये समर्पित वह जुझारू जीवन था। वह एक कुशल समाज सेवी भी थे। उनके निधन से केवल उस जिले को ही नहीं अपितु प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। मैं उनके निधन पर अपनी शोक-संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये शोक-संवेदन के भाव उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल जी ने व नेता भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय श्री अनवार मोहम्मद खां व श्री कमल किशन पाण्डेय जी के निधन के प्रति जो शोक-संवेदनायें प्रकट की हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक श्री अनवार मोहम्मद खां जी का सवाल है, वह इस सम्मानित सदन के तीन बार सदस्य रह चुके थे। 1974 में वह निर्दलीय सदस्य के रूप में आये, उसके बाद वह 1980 में आये फिर 1989 में आये और उन्होंने तीन बार, जो जीत कर आये थे, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की जो ज्वलंत समस्यायें रहती थीं उसको समय-समय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे। मान्यवर, सन् 81-89 के बीच में जो आन्दोलन हुए उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी आन्दोलन के फलस्वरूप वे फैजाबाद और एटा की जेलों में रहे और धारा 88 में बन्द रहे। वे कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े थे, कई सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रहे और पिछले दिनों एक कालेज के अध्यक्ष भी रहे। वे सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष भी थे। इस प्रकार से राजनीतिक जीवन में संघर्ष करके जो उन्होंने लोगों के ऊपर छाप छोड़ी उनके न रहने से उसे याद किया जायेगा। आज फर्रुखाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी तथा हमारे दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शोक संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। एक दूसरे भूतपूर्व सदस्य, श्री कमल किशन पाण्डेय, जो पिथौरागढ़ से चुनकर आते थे उनका निधन हो गया है। मान्यवर, आपको ज्ञात होगा उस समय जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति थी, उन्होंने जिस प्रकार से उसको समय-समय पर यहां पर उठाया वह अनुकरणीय है। वे जनता से जुड़े हुए व्यक्ति थे और जिस तरह से

नोट (–) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया गया।

उन्होंने समाज की सेवा की वह एक अविस्मरणीय बात बन गयी है । आज इन दोनों भूतपूर्व सदस्यों के निधन से हम दुःखी हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी तथा हमारे दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, श्री अनवार मोहम्मद खां तीन बार सन् 74, 80 और 89 में इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे । मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था । वे बड़े जोरदार व्यक्ति थे और जुझारू नेता थे । वे अपने इलाके की समस्याओं को लेकर सदन में उठाने का प्रयास करते रहते थे । उनके निधन से हम दुखी हैं । मैं चाहूंगा कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मान्यवर, श्री कमल किशन पाण्डेय जी सन् 1985 में जब पहली बार मैं यहां आया था उस समय पिथौरागढ़ से मेम्बर थे और उस जमाने में जो पहाड़ की समस्यायें हुआ करती थीं उन्हें बड़े जोरदार तरीके से उठाया करते थे । वे पहाड़ी क्षेत्र के एक अच्छे नेता थे । मैं चाहूंगा कि आप हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री राम आसरे पासवान–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता भारतीय किसान कामगार पार्टी ने जो शोक संवेदनायें माननीय अनवार मोहम्मद खां की मृत्यु के संबंध में रखी हैं उससे मैं अपने भाव को भी सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । इसी तरह से श्री कमल किशन पाण्डेय जी की दिवंगत आत्मा के प्रति जो माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेता, भारतीय किसान कामगार पार्टी ने जो भाव व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राम जग–

इस सदन के दो भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री अनवार मोहम्मद खां और कमल किशन पाण्डेय के निधन पर आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस, नेता कामगार पार्टी ने जो इनके प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने दल सहित अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, स्वर्गीय अनवार मोहम्मद खां फर्रुखाबाद के निवासी थे और कमल किशन पांडेय जी पिथौरागढ़ के निवासी थे । मान्यवर, इनका अपना इतिहास रहा है । इन्होंने धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिल कर संघर्ष किया है । अपने-अपने जिलों में इन्होंने बड़ी सामाजिक सेवा की है, जिसके लिये इनको हमेशा याद किया जायेगा । जो सेवायें इन्होंने की हैं, उनकी पूरे प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है । इन दोनों नेताओं के जो अधूरे कार्य रह गये हैं उनको पूरा करने का आज हम यहां पर संकल्प लें । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके सपनों को पूरा करें । अन्त में मैं अपने सम्मानित दोनों नेताओं के निधन पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता विपक्ष, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो शोक संवेदनायें श्री अनवार मोहम्मद खां तथा श्री कमल किशन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पाण्डेय के प्रति व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मैं श्री अनवार मोहम्मद खां को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं वह हमारे पड़ोस के थे । किसानों की समस्याओं के लिये दिन रात संघर्ष किया करते थे और आन्दोलन के जरिये उनकी समस्याओं को उठाने का अथक प्रयास किया करते थे । शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने शिक्षा दीप जलाने का प्रयास किया, उनकी सेवाएं बहुत ही प्रशंसनीय रही हैं । सदन में भी वह किसानों की समस्याओं को उठाया करते थे । किसानों की समस्याओं को उठाने में उनकी अहम भूमिका इस सदन में रही है । मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । दूसरे माननीय सदस्य श्री कमल किशन पांडेय जी इस सदन के विधायक रहे और वह समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे हैं । पिथौरागढ़ और पर्वतीय अंचल में जिस प्रकार से किसानों की समस्याओं को और पर्वतीय समस्याओं को उठाया है, वह स्मरणीय रहेगा । मान्यवर, पाण्डेय जी ने सदन में और सदन के बाहर रहकर जिस तरह से पर्वतीय अंचलों की समस्याओं के लिये आन्दोलन किया और उस आन्दोलन के माध्यम से समाज में एक स्थान प्राप्त किया आज उनकी सेवायें स्मरण होती है मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कमल किशन पांडेय जी 1977 में भी विधायक थे, संभवतः आपको स्मरण होगा और वह 1985 में भी विधायक थे लेकिन जो सूचना हम लोगों को दी गयी है उसमें 1977 का जिक्र नहीं है, केवल 1985 का जिक्र है, तो यह सूचना गलत आयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको सही करवा दूंगा ।

विगत एक पखवारे में इस सदन के दो भूतपूर्व सदस्यों का निधन हो गया । 71 वर्ष की आयु में श्री अनवार मोहम्मद खां का निधन 30 जुलाई को हो गया और श्री पाण्डेय का निधन तीन दन पूर्व 10 अगस्त को हो गया । विभिन्न कालखण्डों में दोनों पूर्व सदस्यों ने इस सदन की विशिष्ट सेवा की थी । माननीय अनवार मोहम्मद खां साहब तीन बार इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे । वे सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य रहे और वे यूपिका के अध्यक्ष भी थे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से वह सम्बद्ध रहे हैं । 1989 में मेरा उनसे परिचय हुआ था । वे बड़े विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे । लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति बड़े समर्पित थे । जब-जब उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया तो उनका प्रभावी रूप हम सबने देखा था । आज उनके निधन से दुःखी माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सभी अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो अपने शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और माननीय अनवार खां साहब के परिवार तक अपनी तथा सभी मा० सदस्यों की शोक संवेदनायें पहुंचा दूंगा ।

इसी प्रकार माननीय कमल किशन पाण्डेय जी इस सदन के सदस्य के रूप में रहे हैं । वह बड़े ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे लेकिन अपनी बात को सदन में बड़ी दृढ़ता पूर्व रखते थे । उनका स्वभाव बड़ा जुझारू था । सदैव अपने क्षेत्र की भलाई में वे लगे रहे थे । उनके निधन से एक कुशल नेता और समाजसेवी हमने खो दिया है और पर्वतीय क्षेत्र के लिये उनकी सेवायें सदैव याद रहेंगी । उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और दूसरे अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा । मेरा निवेदन है, दोनों दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये हम दो मिनट खड़े होकर मौन रखेंगे ।

(सभी माननीय सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री सरदार सिंह आदि के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक-एक करके क्रम से लेंगे । आप लोग बैठ जायें । एक-एक कर मैं सबको सुनूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज हम भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधान सभा भी अपनी 60वीं वर्षगांठ हीरक जयंती के रूप में मना रही है । केन्द्र सरकार ने जो सवतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेकर हमें आजादी दिलाई हैं उनकी पेंशन केन्द्र सरकार ने 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपया कर दी है । लेकिन कदाचित् उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई है । और जो भी अनुग्रह राशि उन्हें चिकित्सा और लड़कियों की शादी आदि के लिये मिलती थी वह भी बन्द कर दी है । मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई में उन लोगों ने कुर्बानी दी और देश को आजादी मिली और हमें आज यहां यह गौरव प्रदान किया है और हम लोग आजाद भारत में बैठे हुए हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आज ही सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि इस आजादी के 50वीं वर्षगांठ और विधान सभा की 60वीं वर्षगांठ हीरक जयन्ती के अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन को दुगुना जैसा केन्द्र सरकार ने किया है, वैसा ही करेंगे और उन्हें जो चिकित्सा सुविधा और लड़कियों की शादी विवाह के लिये धनराशि मिलती थी वह पूर्ववत कायम रखेंगे । दूसरा आग्रह यह करना चाहता हूं कि बबराला और गीडा पर आपने कल निर्देश दिया था और पूर्व में भी दिया था कि उसको सदन के पटल पर रखा जाय लेकिन हम लोगों को सूचना नहीं मिली है कि जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आज आ गयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

तीसरा आग्रह मेरा यह है एक पूर्वांचल वाला मामला था और एक विधायक निधि का मामला था, आज के बाद सदन अनिश्चित काल के लिये उठ जायगा । इस संबंध में सरकार से घोषणा कराने की कृपा करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, विधायक निधि का मामला बहुत महतवपूर्ण है । मैं निवेदन करूंगा कि विधायकों को अपने कार्य कलापों में आये दिन जो दिक्कतें हो रही हैं और अधिकारियों का जो रुख व्यक्त किया जाता है उससे माननीय सदस्यों को भारी वेदना होती है । मेरा निवेदन है कि ग्राम विकास, नगर विकास, पी० डब्लू० डी०, विद्युतीकरण विभागों से संबंधित जो धन इन विभागों द्वारा व्यय किया जाता है वह विधायकों की राय से व्यय हो और जैसे हैण्ड पंप हैं, कहीं सम्पर्क मार्ग हैं, विद्युतीकरण के कार्य हैं इनमें विधायक की राय से योजना बनाकर धन व्यय किया जाय । हम विधायक गण कोई इससे अतिरिक्त धन नहीं चाहते हैं । यदि ऐसा आदेश आप सरकार से करवा दें तो हम विधायकों का सम्मान रहेगा । इससे हमें कार्य करने में आसानी होगी और जनता के प्रति जो हम वायदा करके आये हैं वह पूरे करने में आसानी होगी । मेरा निवेदन है कि इन पांच विभागों में, शिक्षा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग के बारे में प्रस्ताव विधायकों की सहमति से लिये जायं और तब उन पर काम किया जाय और इसके लिये विशेष अनुदान की व्यवस्था की जाय, यदि आप ऐसा आदेश आप सरकार से करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी । आप हम सभी की पीड़ा से

अवगत हैं मैं प्रार्थना करूंगा कि आप माननीय सदस्यों की तरफ से आप सरकार को निर्देशित करें और संसदीय कार्य मंत्री इन 5 विभागों के संबंध में व्यवस्था कराने की कृपा करें। (माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस पर विस्तार से अपने-अपने विचार रख चुके हैं। पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप फिर से कह दें।

एक सदस्य–

सरकार से इस पर जवाब दिलवा दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस दिन विधायक निधि का मामला आया था काफी विस्तार से अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। अब फिर उसी बात को शुरू करके उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। जैसा कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाया, तो चाहे वह गीडा का मामला हो, चाहे बबराला का मामला हो.....

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, मैं खड़ा हूं, आप इनको बैठा लें। बिना आपके निर्देश के बोलने लगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं आपके निर्देश के बाद बोला हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

अध्यक्ष जी, जब मैं खड़ा हुआ था तब आपने निर्देश कैसे दिया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल यह प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

हमारे माननीय सदस्य कुंवर रेवती रमण जी ने 2-3 बिन्दुओं पर आपका ध्यान दिलाया पहली बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन की सुविधा देने के बारे में कही।

श्री अध्यक्ष–

यह आप किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री धनीराम वर्मा–

जैसे आपने औरों को बुलवाया।

श्री धनीराम वर्मा–

नेता विरोधी दल नियमों से परे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री धनीराम वर्मा–

जैसे आपने औरों को बुलवाया है मैं भी वैसे ही बोल रहा हूं । अगर आपने किसी को नहीं बुलवाया होता तो मैं भी नहीं बोलता हूं । [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

बोलिये । बोलिये । अब मैं आपको अनुमति दे रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

नहीं अगर ऐसी बात है तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आप बोलिये । मैं आपको अनुमति दे रहा हूं । हां नेता विरोधी दल जी आप अपनी बात कहें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन की.....

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

अरे आप लोग तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विरुद्ध हैं और ब०स०पा० तो यह कहती है कि स्वतंत्रता बेकार मिली ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्राथमिकता नेता विरोधी दल को है । आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है, इसको भी अभी सुन लें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इनको तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ नहीं कहना है । इंदिरा गांधी, गांधी जी की मूर्ति पर गोलियां चला रहे हैं, गालियां देते हैं । इनको कोई सहानुभूति नहीं है । सहानुभूति तो हम लोगों को है, दर्द तो हम लोगों को है तो हम अपनी बात कहेंगे । यह लोग तो उनकी उपेक्षा करते रहे हैं । श्रीमन्, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान हमारे पूरे देश और हम सब लोगों के लिये जो रहा है वह अद्वितीय है । यह सब उनके त्याग और तपस्या का फल है । अगर वो जेलों में न सड़े होते, फांसी पर न झूले होते तो आज हम यहां बैठकर सदन की कार्यवाही में भाग न ले रहे होते । श्रीमन्, जिन महान हस्तियों ने जिनमें से काफी हमारे बीच नहीं रहे और जो हैं उनका हमें पूरा-पूरा आदर और सम्मान करना चाहिए और उनको सुविधा भी देनी चाहिए । बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उनकी पत्नियां आज इलाज के लिये, अपने बच्चों की शादी के अनुदान के लिये परेशान हैं । हमारी पिछली सरकार ने हमारी सरकार ने सवतंत्रता संग्राम सेनानियों की लड़कियों की शादी के लिये, उनके इलाज के लिये धन दिया था और इस सरकार के आते-आते उनको वह धन देना

नोट :[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बन्द कर दिया । इसके साथ ही साथ अन्य जो सुविधायें थीं उनको भी बन्द कर दिया । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपेक्षा करता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सुविधायें बढ़ाई जायं । जैसा केन्द्र सरकार ने 3000 रुपये पेंशन किया है आप भी वैसा ही करें । पुत्रियों की शादी के लिये, बीमार के इलाज के लिये जो सुविधायें पूर्व में दी जाती थीं उन्हें जारी रखा जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सबकी व्यवस्था सुन लूंगा । अभी नेता विरोधी दल की बात खत्म नहीं हुई है । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, हम आपके कक्ष में गये थे और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी गये थे उस समय यह कहा गया था कि सदन के अन्तिम दिन तक कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर देंगे । उस दिन चर्चा हो गयी थी तो क्या आज वह प्रश्न उठाया नहीं जा सकता । विधायकों के अधिकारों का उन्मूलन किया जाय । समाज सेवियों का तिरस्कार न किया जाय नहीं तो निश्चित रूप से समाज सेवा के लिये कोई तैयार नहीं होगा । हममें से बहुत से ऐसे विधायक भी होंगे जो इस सदन की दहलीज को झांक भी नहीं पायेंगे । आज सदन का अन्तिम दिन है विधायक निधि के बारे में कहा गया था कि कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे । अगर कर दी गयी है तो उसकी घोषणा करें और नहीं की गयी है तो कह दें कि नहीं की गयी । मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि विधायक निधि या अन्य जैसे जिला योजना है, प्रान्तीय योजना है, डी० आर० डी० ए० है उसमें जो धन खर्च किया जाय वह विधायकों से पूछ कर दिया जाय और उस कार्य को देखने के लिये भी विधायक को अधिकार दिया जाय ।

(एक बजे)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आज इस सत्र का सत्रावसान होना है आज व्यवस्था के प्रश्न के तहत माननीय रेवती रमण सिंह जी ने बात उठाई और श्री रघुबर दयाल वर्मा जी ने बात उठायी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक निधि पर चर्चा उस दिन हुई सरकार से सम्मानित सदस्यों ने चाहा, चाहे वह इस पक्ष के विधायक हों चाहे उस पक्ष के विधायक हों दलगत भावना से ऊपर उठकर यह अपेक्षा की कि सरकार इसमें गम्भीरता से विचार करेगी मैं सरकार से और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहना चाहता हूं कि आप यह मत समझिए, आप यह मत सोचिए कि यह पैसा दूसरी दिशा में चला जायेगा । यह पैसा दूसरी दिशा में डायवर्ट होने वाला नहीं है यह तो आपकी योजना बनेगी और यह निर्माण की दिशा में एक अच्छा और सार्थक कदम होगा आप जो विधायक निधि में पैसा रखें उसके लिये एक गाइड लाइन बना दें इसको आप कैसे निर्धारित करेंगे, आप सदन के सदस्यों की एक समिति बना दें वह अपनी रिपोर्ट दे दे कि सारे विभाग से कैसे निकालकर पैसा दिया जा सकता है । सचमुच में यह एक अच्छा कदम होगा । आज सत्रावसान हो रहा है और पूरा देश स्वर्ण जयन्ती मनाने की तैयारी कर रहा है इसमें बहुत ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत है यह मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इस दिशा में वह घोषणा करें । एक बार इस संबंध में चर्चा हुई उसमें क्या स्थिति है उस पर क्या विचार हुआ मैं जानना चाहता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या–128 पर लगा हुआ है प्रश्न और उत्तर दोनों लगा दिये गये हैं मेरा प्रश्न है "क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि वि० खं० लालगंज जनपद मिर्जापुर स्थित गंगहरा खुर्द से अम्बेडकर ग्राम मेउड़ी जाने वाले मार्ग पर स्थित अम्बेडकर ग्राम मुंशीपुर में पुल/पुलिया एवं सड़क ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या इस पुल एवं सड़क का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है लोक निर्माण मंत्री जी से और उत्तर दे रहे हैं राजस्व मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के.....

श्री अध्यक्ष–

यह उससे संबंधित है इसलिये उत्तर दिया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था लघु सिंचाई मंत्री जी से, मान्यवर, प्रश्न पूछा गया है ईसा से और जवाब मूसा दे रहे हैं इतनी बड़ी विसंगति है.....

श्री अध्यक्ष–

मैं पत्रावली निकलवाकर देख रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसकी पुनरावृत्ति न हो इससे मान्यवर, बड़ी कठिनाई होती है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी पत्रावली निकलवाकर देख रहा हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

श्री डंग साहब ने जो मामला उठाया है वह मान्यवर, आपके सचिवालय से संबंधित है जिसे यहां उठाने की परम्परा नहीं है लेकिन जब आपने कह दिया तो माननीय सदस्य को रुक जाना चाहिए ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आज की कार्यसूची में नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–12 मेरा लगा है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सिंचाई से संबंधित है । मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि–क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्षा ऋतु में राजस्थान एवं हरियाणा के पानी से मथुरा जनपद के गोबर्धन ड्रेन में पानी का उफान आ जाता है ? क्या इस पानी से मथुरा आगरा के देहाती इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं तथा तबाही मच जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भयंकर तबाही को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? सरकार गोवर्धन ड्रेन को प्राकृतिक बहाव के आधार पर राजस्थान से गुजारते हुए चम्बल नदी में गिराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें मान लिया है कि राजस्थान और हरियाणा के पानी जनपद मथुरा के गोबर्धन ड्रेन में अत्यधिक वर्षा होने पर पानी का उफान आ जाता है, जिससे मथुरा जनपद की तहसील छाता, मथुरा एवं आगरा की तहसील किरावली व आगरा का क्षेत्र प्रभावित हो जाता है इसलिये गोबर्धन ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु रुपये 270 लाख की एक योजना तैयार की गई है । गोबर्धन ड्रेन के प्राकृतिक बहाव को परिवर्तित किया जाना भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ।

अब सवाल यह है कि नेचुरल बहाव के लिये चम्बल में पानी डाला जाना चाहिए । देखा जाये तो हर वर्ष 270 लाख रुपये खर्च किया जाता है अब इसमें भौगोलिक स्थिति की बात कहां से आ गई ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर यदि सही नहीं है तो उसके लिये निदेशों में प्राविधान है जिसके लिये आप लिखकर सूचना दें क्योंकि नियमावली के निदेश संख्या 165 और 166 में इसका प्राविधान है। आप लिखित सूचना देंगे तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने लिखकर दे दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने इसमें आश्वासन दिया था कि भ्रष्ट अधिकारियों को जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं उनको हटा देंगे। यह आश्वासन मंत्री जी ने पहली तारीख को दिया था लेकिन 15 दिन हो गये हैं और अधिकारियों को अभी तक नहीं हटाया गया है इसलिये यहां से उनको हटाने के आदेश भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रशासन की बात है यहां से कोई आदेश नहीं जाता है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां हमको सुनने के लिये नीचे झुकना पड़ता है, इसलिये एक टेलीफोन हम लोगों को दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

वह टेलीफोन नहीं है बल्कि वह ईयरफोन है। यदि आप चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था है और कार्यालय से लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं।

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं विधायक निधि के संबंध में कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री विधायक निधि बनाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि डी० आर० डी० ए० की जो बैठकें होती हैं उसमें हम विधायक लोग क्षेत्र की जो समस्यायें लेकर देते हैं उनको ही उसमें मान लिया जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है। चूंकि जो धन यहां से जाता है वह भी योजनाओं में पूरी तरह से नहीं लगाया जाता है। इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री जी यहां घोषणा करें कि डी० आर० डी० ए० में जो भी समस्या हम लोग लिखकर देंगे उन कामों को कराया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

*डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

विधायक निधि के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर शायद आज मंत्री जी कुछ कहेंगे।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, निधि के प्रश्न पर नगरीय क्षेत्र के विधायकों की पीड़ा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य का संरक्षण प्राप्त करते हुए कहना चाहता हूं नगरीय क्षेत्र के विधायकों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना कार्य करवाने के लिये एक मात्र विभाग स्थानीय निकाय है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये जवाहर रोजगार योजना, डी० आर० डी० ए०, गन्ना समिति, सहकारी समिति, जिला योजना आदि योजनाएं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि विकास निधि पर निर्णय करते समय शहरी क्षेत्र के विधायकों का भी ध्यान रखा जाए ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं । सदन का अन्तिम दिन है इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पूरी छूट है । आज की कार्यसूची में कई विषय पर चर्चा होनी है एक ही बात को बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सम्मानित साथियों को ऋण देने का नियम है । जो भी माननीय सदस्य ऋण लेना चाहे जीप के लिए या प्लाट के लिए उन्हें एक बार ही ऋण दिया जाएगा । हमने जो ऋण लिया उसका ब्याज सहित भुगतान कर दिया । दूसरी बात जब हम जीतकर आये हैं तो जो प्लाट लिया है उस पर अगर मकान बनाना चाहें तो ऋण नहीं मिलेगा । जीवन में एक ही बार विधायकों को ऋण मिलेगा । अब अगर एक बार ऋण लिया उसका ब्याज सहित भुगतान कर दिया तो दूसरी बार ऋण देने में क्या कठिनाई है ? हमने आठ वर्ष पूर्व प्लाट के लिये ऋण लिया था उसका ब्याज सहित भुगतान कर दिया अब मुझे अगर वहां पर मकान बनाना है तो मुझे ऋण नहीं मिलेगा इसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी व्यवस्था करवाएं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पूर्व में जीप के लिए ऋण एक लाख रुपये मिलता था अब दो लाख रुपये हो गये हैं तो जो एक लाख रुपये ले चुके हैं तो एक लाख एडीशनल रुपये उनको देने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

ऋण की सुविधा या अधिनियम में अनुमन्य है या अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में अनुमन्य है । अधिनियम या नियमों से परे ऋण की सुविधा नहीं है । सुविधा अधिकार में नहीं बदल जाती । सुविधा सुविधा रहती है । इसलिये नियम या अधिनियम आज जैसा है जब तक वह उसी स्थिति में रहेगा तब तक माननीय विधायकों को वही सुविधा प्राप्त होनी रहेगी । दूसरी बार सुविधा प्राप्त करने का कोई प्राविधान नहीं है इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । इसके लिये अगर आप चाहें तो सरकार को बाध्य करें, निवेदन करें यह अधिनियम में या नियमों में परिवर्तन करे, जब तक नियमों में परिवर्तन नहीं होता तब तक यह सुविधा देना सम्भव नहीं होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एक-एक कर अपनी बात कहें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने अपनी बात रखी है उससे मैं अपने को जोड़ता हूं । शहरी क्षेत्र के विधायकों को एक भी पैसा नहीं मिलता है न तो वह विद्युत का कार्य करवा सकते हैं, न एक पुलिया बनवा सकते हैं न खडंजा लगवा सकते हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है ।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप तो पुराने सदस्य हैं, व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर खुली छूट नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शहरी क्षेत्र के विधायक के लिये केवल दो ही विकल्प हैं, या तो वह क्षेत्र बदल दे, या फिर आत्म हत्या कर ले। हमसे अच्छे तो नगरपालिका/परिषद् के सदस्य हैं उनको कम से कम अपने क्षेत्र के विकास के लिये कुछ धन तो मिलता है, वह कुछ काम तो करा सकते हैं लेकिन विधायक को कुछ नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आप संविधान का 73वां और 74 वां संशोधन का अध्ययन कर लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं कि जो माननीय सदस्यगण की पीड़ा है वह आपके संज्ञान में है और जितने माननीय सदस्य हैं उनकी अथारिटी डायलूट हुई है।

श्री अध्यक्ष–

गौरी शंकर जी यह बात आ गयी है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को विधायक विकास निधि बनाने में कठिनाई हो रही है तो मेरा अनुरोध इतना ही है कि जो विधायकों की भागीदारी योजनाओं में नहीं हो रही है, स्थल चयन में उनके सुझाव लिये जायं। कदाचित जिला पंचायत सदस्य और सभासद हैं उनकी अथारिटी वेटर है लेकिन विधायकों की अथारिटी डाइल्यूट हो रही है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आज सत्रावसान हो रहा है, कोई व्यवस्था कर दें कम से कम योजनाओं में विधायकों की भागीदारी तो हो सके।

* श्री जटा शंकर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आज सत्र का अंतिम दिन है आज अतारांकित प्रश्न संख्या 8 उसमें मैंने प्रश्न किया था कि क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, गिरिजापुरी जनपद बहराइच के कतर्नियाघाट रेंज बड़खड़िया बीट में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र को भूमि का नियम विरुद्ध पट्टा बना कर कब्जा दिलाने के नाम पर लखीमपुर खीरी जनपद के जिला प्रशासन द्वारा वन ग्राम कृष्णानगर व गुप्तापुरवा के निवासियों को उत्पीड़न किया जा रहा है यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों, इसके जबाव में कहा गया कि क्षेत्र में पानी भराव होने के कारण वर्षा काल के बाद उक्त क्षेत्र का सीमांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जबकि मेरा मूल प्रश्न वहां हो रहे उत्पीड़न से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं उसे निर्देश संख्या 165, 166 में लिखकर दे दीजिये। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इन निदेशों में लिखित दे दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

श्री जटाशंकर सिंह–

मान्यवर, कम से कम संसदीय कार्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले लें, आज भी वहां लोगों को उजाड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है। जबकि वे उन वन ग्रामों में 50 वर्ष से अधिक समय से आबाद हैं। जिला बहराइच का प्रशासन मौन है और लापरवाही बरत रहा है जबकि लखीमपुर का प्रशासन बर्बरतापूर्ण उत्पीड़न आज भी कर रहा है। मेरा आशय उनके विरुद्ध [illegible] जाने वाले कार्यवाही से है।

श्री धनीराम वर्मा–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा। किसी को मनमानी छूट नहीं होगी। न तो सदन इसका संज्ञान लेगा और न प्रेस संज्ञान लेगा। कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिये।

इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने इसका संज्ञान नहीं लिया है। प्रेस ने भी नहीं लिया है। मेरी अनुमति के विरुद्ध बोलेंगे तो इस प्रकार मनमाने ढंग से नहीं चलेगा।

(इस पर श्री राम विशुन आजाद, श्री चन्द्र नाथ सिंह, धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री सुधाकर सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 13 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 106 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें से अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई। श्री अमरमणि त्रिपाठी, श्री राजाराम पाण्डेय, डा० अशोक बाजपेयी, श्री चन्द्र पाल सिंह की सूचनायें अस्वीकार की गई।

(सर्वसम्मति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश में राजकीय कृषि फार्मों को निजी क्षेत्र में दिये जाने से स्थानीय जनता के लिये कठिनाइयां उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

| महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की सूचना दे रहा हूं।

अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन के कृषि विभाग के अन्तर्गत कुछ राजकीय कृषि फार्मों में कृषि योग्य भूमि का परीक्षण कर उन्हें कृषि योग्य बनाने का कार्य राज्य स्तर पर चल रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा उक्त राजकीय कृषि फार्मों को निजी क्षेत्र में दिये जाने का निश्चय किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है क्योंकि कृषि विभाग द्वारा सदैव "नो प्राफिट–नो लास" पर कार्य होता है तथा

नोट :–|xxx| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

नोट :–| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों का वेतन विकास कार्य हेतु माना जाता है । अतः विभाग का यह तर्क कि उक्त कृषि फार्म घाटे में चलने के कारण उन्हें निजी क्षेत्र को लीज पर दे देना चाहिये, जनहित में नहीं है ।

महोदय, उक्त फार्मों को निजी क्षेत्र में देने से स्थानीय जनता को भीषण कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी जैसे कास्तकारों को आवागमन हेतु कच्चे रास्तों को, जो उन क्षेत्रों में वर्तमान में उपलब्ध हैं को बन्द कर दिया जायेगा तथा क्षेत्रीय जनता को अभी उन फार्मों पर जो रोजगार मिलता है वह भी बन्द हो जायेगा । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को उक्त फार्मों का लाभ मिलेगा जबकि स्थानीय जनता एवं गरीब काश्तकार, जिसको उस भूमि का लाभ मिलना चाहिये, नहीं मिल सकेगा ।

अतः सरकार की नीति के विरुद्ध हो रही उक्त कार्यवाही को अविलम्ब रोकने के लिये मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । कृपया अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । ।

महोबा नगर में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरिमर्दन सिंह–

। महोदय, जनपद महोबा में महोबा नगर वासियों के स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है । तालाबों के पानी पीने के लिये आम जनता मजबूर है । तालाबों के पानी में बूचड़खाने का गंदा खून व उससे निकली अन्य गन्दगी बहाई जाती है । बुरी तरह से गढ़ा हुआ पानी पीने से जनता में भीषण बीमारी फैलती है और प्रति वर्ष हजारों लोग मृत्यु के शिकार होते हैं । लगभग 40 वर्ष पूर्व बनी एक पानी की टंकी है, जिससे पानी की सप्लाई कुछ ही लोगों को हो पाती है ।

अतः महोबा नगर की जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । ।

लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित गायत्री बिहार कालोनी में जलभराव से बीमारी फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल राजभर–

। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि लखनऊ स्थित त्रिवेणी नगर थर्ड सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्थित गायत्री बिहार कालोनी निकट सिंह टिम्बर स्टोर के सम्पर्क मार्गों में जल भराव की अत्यन्त गम्भीर समस्या है । उक्त कालोनी में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में पानी घुटनों तक भरा रहता है और वहां के निवासियों का घर से निकलना दूभर हो जाता है जल भराव होने के कारण भयंकर बीमारी उक्त कालोनी में फैल रही है ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जल भराव की समस्या एवं खतरनाक बीमारी की स्थिति को देखते हुए उक्त कालोनी में जल निकासी हेतु नाली बनाने की व्यवस्था करने हेतु सरकार को आदेशित करने की कृपा करें । ।

लखनऊ सीतापुर स्थित गायत्री बिहार कालोनी में खड़ंजा तथा लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लखनऊ में सीतापुर रोड के अन्तर्गत त्रिवेणी नगर थर्ड निकट सिंह टिम्बर स्टोर के पूरब व पश्चिम गायत्री बिहार कालोनी के सम्पर्क मार्ग डामर रोड से 800 मीटर की सड़क कच्ची है और अभी तक खड़ंजा तक नहीं लगाया गया है जिससे वहां के निवासियों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है यह बस्ती मलिन बस्ती के रूप में भी घोषित है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त 800 मीटर की कच्ची सड़क पर खड़ंजा लगाने तथा लेपर स्तर तक का कार्य पूर्ण कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें । ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ के जलालपुर गांव में जलभराव एवं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तोता राम–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ स्थित जलालपुर गांव के माध्यम में रिक्त पड़ी भूमि पर जल भराव की समस्या अत्यन्त गम्भीर है । चारों ओर मकान बन जाने के कारण उक्त स्थान तालाब बन गया है और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण पूरे जलालपुर गांव के घरों का गन्दा पानी यही पर भरता और वर्षों सड़ता रहता है जिससे कि पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है और किसी भी समय भयंकर बीमारी फैल सकती है ।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त स्थान से स्थायी तौर पर जल भराव दूर करने हेतु जल निकासी हेतु नाला बनाने हेतु सरकार को अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें ।]

बहराइच में महसी एवं शिवपुर विकास खण्डों के कतिपय गांवों में बाढ़ से तबाही होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलीप कुमार–

[महोदय, मेरे क्षेत्र महसी के अन्तर्गत विकास खण्ड महसी के उक्त गांव व शिवपुर विकास खण्ड के करीब 25 गांव घाघरा नदी व सरयू नदी के बाढ़ के चपेट में है । इसके पहले भी दो बार बाढ़ आ चुकी है, पुनः तीसरी बार बाढ़ आयी है । जिसमें हजारों हजार लोग बाढ़ में घिरे हैं । ग्राम सभा मांझादरिया बुर्द केवलपुर, बेलामकन, बांसगढ़ी, चौरसाहार, अग्घरा, वल्दूपुरवा, तिगड़ा, रायगंज में हजारों लोगों के मकानात कट चुके हैं । उन लोगों को बसने की जगह नहीं मिल पा रही है । शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है ।

मेरा आपके माध्यम से शासन से आग्रह है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिलायी जाय तथा जिनके मकान कट गये हैं, उन्हें पुनःबसाने हेतु जमीन दिलाने हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा धांधली एवं मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से कानून एवं नियमों के विपरीत बिना सभासदों की बैठक आहूत किये हुए नगर पंचायत को प्राप्त धन को हड़पा जा रहा है । पूरा का पूरा धन अध्यक्ष नगर पंचायत के नाम से न करके अपने व्यक्तिगत नाम से इलाहाबाद बैंक मनकापुर में खाता खोलकर धन को हड़पा जा रहा है । मनकापुर नगर पंचायत में दस सभासदों में सात सभासदों ने लिखित रूप से इनके भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र 8-4-97 को जिलाधिकारी गोण्डा, अपर जिला अधिकारी गोण्डा एवं सिटी मजिस्ट्रेट गोण्डा को दिया है । अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में दर्शाया है कि अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है । तह बाजारी, टैक्सी स्टैंड की वसूली सही न करवाकर प्राप्त धन को खाते में न डालकर अपने निहित स्वार्थ में खर्च किया जा रहा है । नेहरू रोजगार योजना के पैसे में आज तक कोई मानव दिवस सृजित नहीं किया गया है और अध्यक्ष द्वारा कोई भी आय व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया । सभासदों की शिकायत पर दिनांक 25-6-97 को सिटी मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा सभासदों का साक्ष्य भी लिया गया परन्तु राजनैतिक दबाववश अध्यक्ष के विरुद्ध आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है जिससे उनका मनोबल बढ़ गया है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सी० बी० सी० आई० डी०/विजिलेंस द्वारा जांच कराई जाय और अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर का वित्तीय अधिकार किसी अधिकारी में निहित कर दिया जाय । तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी ।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरिया गंज में न्यायालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तौफीक अहमद व श्री राम पाल सिंह–

[महोदय जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन में काफी दिनों से लम्बित है । जिससे इस तहसील के वादकारियों के सामने एक घोर संकट पैदा हो गया है लोगों को अपने मुकदमें के लिए सिद्धार्थनगर व बस्ती का दौड़ लगाना पड़ता है हजारों लोग प्रतिदिन इस मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं । स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही है इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि तत्कालीन डुमरियागंज तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जाय ।]

जनपद उन्नाव की बीघापुर तहसील की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर में चांबली के दौरान की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सौलत अली–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जनहित का अति महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाई की मांग करता हूं ।

जनपद उन्नाव की बीघापुर तहसील की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर में चकबन्दी के दौरान उच्चाधिकारियों के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है । उच्चाधिकारियों के आदेशों के बावजूद निचले स्तर के कर्मचारी कुछ स्वार्थी लोगों से सांठ-गांठ करके वास्तविक कार्यवाही पूरी नहीं करते सिर्फ कागजी कार्यवाई ही पूरी हो रही है । इस बात से उच्चाधिकारी अवगत नहीं है जिससे उन्हें सही कार्य एवं जनहित के कार्यों को निपटाने में दिक्कत महसूस हो रही है । उदाहरण के तौर पर ग्राम रम्माखेड़ा निवासी दर्शन बनाम महादेव, दर्शन बनाम श्री केशन का मामला क्रमशः जनवरी, 1966 तथा दिसम्बर, 1995 में निस्तारित हो चुका था एवं चक पैमाइश तथा कब्जा दिलाने के आदेश भी हुए किन्तु आज तक स्थिति पूर्ववत ही है । यही नहीं महादेव, दर्शन बनाम श्री केशन का मामला क्रमशः जनवरी 1996 तथा दिसम्बर, 1995 में निस्तारित हो चुका था एवं चक पैमाइश तथा कब्जा दिलाने के आदेश भी हुए किन्तु आज तक स्थिति पूर्ववत ही है । यही नहीं महादेव, राम आसरे व राम प्रसाद पुत्रगण महादेव ने अपने चकों को गलत ढंग से नपाकर मूल चकों के क्षेत्राफलों में बढ़ोत्तरी करा ली है । यही नहीं गांव की सैकड़ों बीघें जमीन की सींच के लिए नाली नहीं है । पचासों लोग चकबन्दी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं । इसी गांव से मिली ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 723 जो आबादी हेतु अत्यन्त उपयुक्त है जिसे आबादी हेतु छोड़ जाना नितान्त आवश्यक है, पर कुछ दबंग लोग एकाधिकार कब्जा जमाने की कोशिश में है । इन उपरोक्त मामलों से लोगों में अत्याधिक तनाव एवं रोष है ।

अतः इस अविलम्बनीय जनहित के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाते हुए कार्यवाई की मांग करता हूं ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर को पुरवा तहसील से सम्बद्ध किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव की वृहद तहसील पुरवा का विभाजन करे नई तहसील बीघापुर गठित की गई है । बीघापुर तहसील के गठन में पुरवा तहसील के मुख्यालय में मात्र 5-6 कि०मी० दूर स्थित ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर जिसके अन्तर्गत रम्माखेड़ा, त्रिपुरारिपुर कला, त्रिपुरारिपुर खुर्द पूरनखेड़ा, पूरनदास खेड़ा, कोदइया खेड़ा एवं सिलौली आते हैं, को बीघापुर तहसील से सम्बद्ध कर दिया गया है । इस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 8 हजार से भी अधिक है । यहां से बीघापुर तहसील का मुख्यालय पाटन 14 कि०मी० दूर है । यहां के लोगों की समस्त आवश्यकताएं पुरवा कस्बे से ही पूरी होती है । इस ग्राम पंचायत को बीघापुर तहसील से सम्बद्ध कर देने से यहां की जनता हताश एवं निराश है । इस संबंध में शासन से यहां की जनता ने अनुरोध भी किया है किन्तु अभी तक इस ग्राम पंचायत को पुरवा तहसील से सम्बद्ध नहीं किया गया है ।

जनहित में इस ग्राम पंचायत को बीघापुर तहसील से हटाकर पुरवा तहसील में जोड़ा जाना नितान्त आवश्यक है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इसका पुनः सीमांकन कराकर ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर को पुनः पुरवा तहसील से सम्बद्ध कर दिया जाय ।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी स्थित मार्केट में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बच्चा पाठक–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में 178 दुकानों का एक मार्केट बनाया है । उक्त मार्केट में बिजली की व्यवस्था हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध करा दी गयी हैं तथा स्ट्रीट लाईट आदि लग गई है, दुकानों के अतिरिक्त मार्केट के रिक्त स्थानों पर सब्जी की दुकानें लगती हैं । उक्त मार्केट में कुछ व्यक्तियों ने दो हाई पावर के विद्युत जनरेटर लगा रखे हैं और मार्केट की दुकानों एवं सब्जी की दुकानों को प्रति बल्ब के हिसाब से पैसा लेकर बिजली सप्लाई करते हैं और प्रतिदिन 500/- या अधिक कमा रहे हैं । जनरेटर वालों ने लकड़ी के खम्भे गाड़ कर अपनी लाइने बिछा रखी हैं जिससे मार्केट के व्यापारी गत सरकारी पोल से बिजली नहीं ले रहे और प्रतिवर्ष लाखों रुपये के हिसाब से सरकारी राजस्व की हानि हो रही है । अक्सर यह जनरेटर वाले लोग जानबूझकर ट्रांसफार्मर से बिजली की लाइन डिस्कनेक्ट कर देते हैं या अन्य कोई तकनीकी खराबी अपने आदमियों से करवा देते हैं जिससे कोई बिजली के पोल से बिजली न ले सके और मजबूरी में उन्हीं से बिजली ले ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकारी राजस्व के नुकसान को देखते हुए उक्त जनरेटरों को तत्काल बन्द कराया जाये और यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि ऐसे लोग सरकारी बिजली की लाइन को खराब न कर सकें इसके लिये व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । कृपया इस संबंध में तुरन्त एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु सरकार को निदेशित करने की कृपा करें ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ के मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बावली सआदतगंज में जल भराव की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० मुस्लिम–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बावली सआदतगंज, लखनऊ में घरेलू तथा बरसाती जल निकासी की स्थाई व्यवस्था न होने के कारण भयंकर जलभराव बना रहता है । इसके अलावा मोहल्ला में नालियां व सड़कों का निर्माण भी नहीं कराया गया है । भयंकर जल भराव के कारण मोहल्लावासियों को बड़ी असुविधा हो रही है । मोहल्ला से हुआ कैम्पवेल रोड का मुख्य मार्ग है इस सड़क के किनारे पर एकजान हाईस्कूल स्थापित है । उक्त मोहल्ला के कई घरों का पानी उक्त सड़क पर गिरता है सड़क के किनारे भी कोई स्थाई जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर भी (एकजान स्कूल के पास) सदैव जलभराव रहता है जिससे प्रायः सड़क क्षतिग्रस्त ही रहती है । जिससे तमाम–आने जाने वाले नागरिकों को तथा स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उपरोक्त दोनों स्थानों पर भयंकर जल भराव के कारण अत्यधिक गन्दगी फैली हुई है जिससे कोई बड़ी बीमारी भी इस क्षेत्र में फैलने की आशंका है । उपरोक्त परेशानियों से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोहल्ला की जल निकासी की स्थाई व्यवस्था तथा अन्य उक्त कार्यों को कराने के आदेश देने की कृपा करें ।]

जनपद फतेहपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

[महोदय, आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र 282 विशुनपुर जनपद फतेहपुर जमुना व गंगा नदी के मध्य स्थित है । इसलिए भूमि असमतल है एवं शिक्षा व सामाजिक स्तर से बहुत पिछड़ा है । ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा विकास खण्ड विजयीपुर थाना खागा इसी पिछड़े गांवों में प्रथम है । अशिक्षा एवं पिछड़ेपन के कारण अपराध अधिक होते हैं ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा थाना खागा से लगभग 15 किमी० सुदूर स्थित है तथा थाना खागा, थाना किशुनपुर, थाना असोथर तीनों थानों के मध्यम स्थित इस ग्राम में अपराध कन्ट्रोल करने हेतु एक पुलिस चौकी स्थापित करना जनहित में अति आवश्यक है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा थाना खागा जो तीन पुलिस थानों के मध्य स्थित हैं, में अपराध कन्ट्रोल करने हेतु जनहित में एक पुलिस चौकी स्थापित करने की व्यवस्था अतिशीघ्र करायी जाय ।]

जनपद कौशाम्बी के ग्राम पहाड़पुर में सरकारी राशन के कोटेदार द्वारा मनमानी कालाबाजी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अतुल कुमार–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान केन्द्रित करता हूं । ग्राम पहाड़पुर पोस्ट सांखा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के कोटेदार द्वारा गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को मनमानी तौर पर शक्कर, मिट्टी का तेल आदि देने के उपरान्त बाकी को खुलेआम ब्लैक कर दिया जाता है । इसकी शिकायत गांव के अनुसूचितों द्वारा क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक से की गयी । उक्त शिकायत पर क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच की गई तथा जांचोपरान्त उपरोक्त तथ्य सत्य पाये जाने पर भी कोटेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

नोट : - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त कोटे को निरस्त करते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की जाय ।।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लगाये जा रहे इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों के मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

।माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व, अति संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन द्वारा पेयजल संकट निवारण हेतु लगाये जा रहे इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइप राज्य परिषद् द्वारा मानकदर रुपया 14,500/- (रुपया चौदह हजार पांच सौ मात्र) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लगाये जा रहे इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइप मानक दर रुपया 22,000/- (रुपया बाईस हजार मात्र) प्रति हैण्ड पाइप की दर से ठेका दिया जा रहा है इसके मूल्य में विरोधाभाष प्रतीत होने के साथ ही साथ स्पष्ट है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस प्रकरण की जांच कराये जाने की मांग करता हूं ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग को रोककर शासन के धन की बचत हो सके ।।

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

। महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोकहित की सूचना लाना चाहता हूं । उ० प्र० लोक सेवा आरक्षण अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 प्रदेश में लागू हो जाने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त आरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन करते हुए 4-4-1994 से 20-4-1994 के बीच चयन समितियां करवाकर विभिन्न विभागों में प्रोफेसर रीडर एवं लेक्चरर पदों पर नियुक्ति हेतु संस्तुतियां प्राप्त कर कर ली । जबकि मा० उच्चतम न्यायालय ने 16-12-96 तथा 21-8-1997 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय को विशेष अनुमति याचिकाओं (1997 11 एससी 22 तथा 1997 11एडी एससी 643) का निस्तारण करते हुए व्यवस्था दी है कि उ० प्र० आरक्षण अधिनियम संख्या 4, 1994 उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर व लेक्चरर के पदों के चयन में लागू होगा । यहां तक कि एकल पद स्पेशिलिटी, सुपर स्पेशिलिटी पदों पर भी लागू होगा । इसके बावजूद मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने दिनांक 11-9-96 तथा 10-4-97 के निर्णय में कहा कि उ० प्र० विश्वविद्यालयों में उपरोक्त आरक्षण अधिनियम लागू नहीं होता । इस आदेश के कारण 12-4-97 को इस निर्णय द्वारा सफल उम्मीदवार को लखनऊ विश्वविद्यालय ने शिक्षा शास्त्र विभाग में उपाचार्य पद पर नियुक्त कर दिया । इस विषय में दायर पुनरीक्षण याचिका भी मा० उच्च न्यायालय द्वारा 25-7-97 को निरस्त कर दी गई ।

अतएव मैं इस लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उ० प्र० शासन, मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16-2-96 तथा 21-1-97 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आरक्षण विषयक विशेष अनुमति याचिकाओं के संदर्भ में जो निर्णय दिया गया है उसको दृष्टि में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में 4-4-94 से 20-4-95 के मध्य विभिन्न चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों को उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(8) का उल्लंघन तथा उ० प्र० आरक्षण अधिनियम सं० 4, 1994 का पालन न करने के कारण रद्द किया जाय । साथ ही मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा 25-7-97 की पुनरीक्षण याचिका रद्द करने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एस० एल० पी० दायर करने हेतु भी सरकार, लखनऊ विश्वविद्यालय का निर्दिष्ट करें ।।

नोट : ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद अल्मोड़ा में, बांजधार नया संग्रौली मार्ग बनवाए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

[महोदय, बांजधार नयां संग्रौली जयंती जिला अल्मोड़ा हेतु हल्का वाहन मार्ग काफी समय पूर्व से स्वीकृत है । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है । यह मार्ग जहां एक ओर 20.22 ग्राम सभाओं को एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जोड़ता है । वहीं दूसरी ओर इस मार्ग के बन जाने से उक्त ग्राम सभाओं के लोगों को जो इस समय आवागमन की समस्या है बहुत कुछ हद तक हल हो जायेगा और विशेषकर वर्षात में काफी राहत मिलेगी । इसके अतिरिक्त इस मार्ग के बन जाने से वहां के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री दुर्गादत्ता शास्त्री के पैतृक गांव की भी इससे जोड़ा जा सकेगा और उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति जो लोगों में अगाध सम्मान है उनकी भावनाओं का भी आदर होगा । इसके अभी तक न बनने से जो लोगों में रोष है वह भी शान्त होगा ।

अतः निवेदन है कि उक्त मार्ग के निर्माण हेतु पर्वतीय विकास विभाग से धन अवमुक्त कराने की कृपा करें ताकि स्थानीय लोगों में जो असंतोष है वह शान्त हो सके तथा उनको आवश्यक जन सुविधाओं का लाभ मिल सके ।]

लघु सिंचाई विभाग वृत इलाहाबाद एवं झूंसी में अनियमितता किये जाने एवं लाखों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल–

[महोदय, माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लघु सिंचाई विभाग वृत इलाहाबाद एवं झूंसी में अनियमित तथा विधि विरुद्ध कार्य कर लाखों रुपये हड़पने तथा अनियमित नियुक्तियां तथा प्रोन्नतियां करने का गढ़ बन कर रह गया है, जन शिकायतों पर सरकार ने इस प्रकरण की जांच लोक सेवा आयोग उ० प्र० इलाहाबाद को सौंपी तो लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र संख्या 65/से०7/7/6/9/27 बी० सी०/96-97 दिनांक 19-11-96 से आरोपी अधिकारी श्री आर० वाई० कुशवाहा प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता को पदावनीत कर अधिशासी अभियंता बनाने का दण्ड दिये जाने का निर्णय दिया परन्तु शासन द्वारा श्री कुशवाहा को पदावनति करने के बजाय पदोन्नति कर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का कार्यभार दे दिया । यह एक गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है । तथा आयोग ने अपने निर्णय में यह भी लिखा था कि श्री कुशवाहा को भविष्य में विभागाध्यक्ष बनाया गया तो श्री कुशवाहा निरंकुश होकर कार्य करेंगे तथा इससे शासन को गम्भीर हानि हो सकती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश सदन से जारी किये जाय क्योंकि यह एक लोकमहत्व का मामला है ।]

जनपद कौशाम्बी की ग्राम सभा उलाचूपुर के तत्काल विद्युतीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

देश इक्कीसवीं सदी की ओर तेजी से बढ़ रहा है किन्तु प्रदेश के हजारों गांव आज भी ऐसे हैं जहां विकास की किरण का नामोनिशान भी नहीं है ।

जनपद कौशाम्बी के क्षेत्र सिराथू की ग्राम पंचायत उलाचूपुर जो हरिजन पंचायत है, में आज तक बिजली नहीं पहुंची । ग्राम वासियों ने विद्युतीकरण हेतु आवेदन भी कर रखा है ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं मांग करता हूं कि ग्राम सभा उलाचूपुर में तत्काल विद्युतीकरण की व्यवस्था करें, ताकि इस हरिजन ग्राम पंचायत के गरीब लोग भी लाभान्वित हो सकें और विकास की धारा में जुड़ सकें।।

निर्वाचन क्षेत्र हड़हा जनपद उन्नाव में स्थित 33/11 विद्युत केन्द्र पुरवा से निकलने वाले पोषकी तारों की चोरी तथा उनके क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० श्री गंगा बख्श सिंह–

।महोदय, निवेदन है कि मैं निर्वाचन क्षेत्र हड़हा जनपद उन्नाव में स्थित 33/11 विद्युत केन्द्र पुरवा से निकलने वाले पोषकी तारों की चोरी तथा उनके क्षतिग्रस्त हो जाने के संबंध में श्री राज्यपाल शासन काल में श्री राज्यपाल के लोक प्रिय सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री से प्रमुख सचिव ऊर्जा अध्यक्ष एवं सदस्य उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन लखनऊ से अनेकों बार मिला मिलकर जनहित में समस्या के शीघ्रातिशीघ्र निदान हेतु अनवरत मौखिक एवं लिखित रूप में अनुरोध किया सक्षम अधिकारियों द्वारा यहां समय-समय पर मौखिक एव लिखित आश्वासन भी दिये गये किन्तु मौके की विद्युत समस्या पूर्ववत नहीं है। विद्युत समस्या के चलते क्षेत्रीय कृषक अत्यन्त परेशान है। क्षेत्रीय कृषकों सामाजिक बुद्धिजीवियों राजनैतिक कार्यकर्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों में जनहित से संबंधित इस समस्या के निदान के प्रति शासन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की उदासीनता एवं उपेक्षा है और क्षोभ एवं संतोष व्याप्त है जो कभी उग्र रूप ले सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन व विद्युत परिषद् की होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त विद्युत समस्या के तत्काल समाधान एवं समस्या के निदान में असहयोग के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के ग्राम तारगांव के उप प्रधान के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार सिंह–

।महोदय, निवेदन है कि उप प्रधान व पूर्व प्रधान तारगांव विकास खण्ड बिछिया तहसील व जिला उन्नाव के अनुसूचित एवं अवैधानिक दबाव में झूठी मनगढ़न्त शिकायतों के आधार पर मौजूदा दलित प्रधान के विरुद्ध पुलिस थाना अंचल गंज में झूठा मनगढ़न्त अपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिन लोगों के दबाव में दलित प्रधान का उत्पीड़न किया जा रहा है वह जघन्य अपराधी है। व इनका लम्बा अपराधिक इतिहास रहा है। प्रकरण पर विस्तृत एवं लिखित जानकारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री एवं आयुक्त लखनऊ मण्डल को मा० विधायक डा० गंगा बख्श सिंह ने दी है। मैं इस मामले की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच एवं निरपराध दलित प्रधान के उत्पीड़न पर रोक लगाये जाने का अनुरोध करता हूं। सम्पूर्ण प्रकरण शासन के संज्ञान में होने पर दिनांक 21-7-97 को सायं काल 5.00 बजे दलित प्रधान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस उत्पीड़न से जन साधारण, जन प्रतिनिधियों एवं दलितों में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है जो कभी भी उग्र रूप ले सकता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की शासन स्तर से जांच व उत्पीड़न के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश शर्मा–

[महोदय, अनूपशहर में नगर में कोई भी अलग से कन्याओं के लिए महा विद्यालय नहीं है । जिससे तमाम अनूपशहर क्षेत्र की जनता बहुत ही परेशान है और बुलन्दशहर वहां से 40 कि० मी० दूर पड़ता है । अतः वहां पर देहात के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने इतनी दूर भेजना नहीं चाहते, जिससे वहां की काफी लड़कियां पूर्ण शिक्षित नहीं हो पाती है । अतः वहां की सभी जनता एवं सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं, बुद्धि जीवियों एवं सभी जनप्रतिनिधियों की यह मांग है कि वहां शीघ्र से शीघ्र कन्या महाविद्यालय खुल जाना चाहिए ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए अनूपशहर में कन्या महाविद्यालय शीघ्र से शीघ्र खुलवाने की मांग करता हूं ।]

ग्राम सालेहनगर तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी के किसानों की भूमि को दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संग्राम सिंह–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सालेहनगर तहसील नवाबगंज (बाराबंकी) में किसानों का पट्टा दिनांक 8-3-52 का है और वन विभाग अपनी विज्ञप्ति संख्या 617/94 के अनुसार दिनांक 11.10.52 में वन में निहित बताया है । यह जमीन पट्टे के अनुसार किसानों की पहले हैं किसान काबिज हैं तथा जांच भी रहे हैं ।

आदेश दिनांक 2-6-66 के अनुसार जमीन किसानों की सरकार और वन दोनों द्वारा संदर्भित किसानों को दी गई और सहायक सचिव उ० प्र० शासन के नम्बर 3078 (1) एक्स० जे० वी० दिनांक मई 23, 1966 में यह भी कहां गया है कि मामले को कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं है । किसानों का कब्जा बहाल रखा जाय यदि जमीन वन विभाग के कब्जे की हों तो जमीन विपक्षी लोगों (किसानो) को दे दिया जाय । माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को अब अनावश्यक कानूनी विवाद एवं कागजी माया जाल में न फंसाया जाय ।

चूंकि यह विषय बहुत ही अभिलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है छोटे-छोटे किसानों का मामला है खेती इनके पालन पोषण का जरिया है । अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है । अतः किसानों का पट्टे व शासनादेश के आधार पर कितनी जमीन उनके कब्जे में है किसानों को खेती बारी के लिए छोड़वाने की कृपा करें ।]

जनपद महाराजगंज स्थिति फरेन्दा व लक्ष्मीपुर क्षेत्र में बाढ़ से तबाही को रोके जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद मणि–

[मान्यवर, जनपद महाराजगंज में स्थित फरेन्दा व लक्ष्मीपुर क्षेत्र में रोहिन, राप्ती, कूछा नदी की बाढ़ से हर वर्ष तबाह हो जाता है । लाखों हेक्टेयर भूमि में लगी फसल बरबाद होती है हजारों गांव में पानी भर जाता है । मैं उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि करमैनी–पनघटिया, करमैनी–बेलौली, अन्देइया व नगवा-लेहुडा बन्धों की हालत दयनीय है, मरम्मत के अभाव में कभी भी टूट सकते हैं । रोहिन नदी पर भगवानपुर-जलालगढ़ पर नये बन्धों के निर्माण हेतु शासन ने धन भी दिया है, परन्तु ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा कार्य नहीं कराये गये ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं इस तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर वर्ष बाढ़ से फरेन्दा क्षेत्र में होने वाली तबाही को रोकने में सरकार कोई नीति या कार्यवाही करेगी ? बन्धों के मरम्मत में हुयी लापरवाही के लिये ड्रेनेज काण्ड गोरखपुर के खिलाफ कार्यवाही सरकार करेगी ? ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक महा विद्यालयों में प्रधानाचार्य/अधीक्षक पद पर नियुक्ति में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण राम दास–

। महोदय, मैं आपके संज्ञान मे निम्नलिखित लोकमहत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं :–

आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य/अधीक्षक पद हेतु दिनांक 26-10-96 को विज्ञापन हुआ था । इस संबंध मे मैंने एक प्रश्न भी विधान सभा में लगाया था, जिसका विभाग की ओर से बहुत ही विरोधाभाष वाला उत्तर दिया गया । यह प्रश्न दिनांक 30-7-97 को तारांकित प्रश्न संख्या–12 के रूप में लगा था विभाग में विभागाध्यक्ष का पद सृजित न होने व न ही परिभाषित होने के बावजूद भी अपात्र व्यक्तियों को अनुभव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये और जो सक्षम योग्य आयु सीमा के अन्तर्गत रीडर्स थे, उन्हें उक्त प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये । यही नहीं इस पद हेतु होने वाले साक्षात्कार को भी शासन ने परीक्षण तक स्थगित करने के लिए लिखा था फिर भी उक्त पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया गया, जो कि सर्वथा अनुचित है ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि सक्षम, अर्ह, आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले रीडर्स को भी उक्त पद हेतु साक्षात्कार का अवसर मिल सके, इसलिए उक्त पदों की पुर्नविज्ञापित किये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें । ।

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली के कतिपय ग्रामों में विद्युत संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

। महोदय, जनपद–अलीगढ़ के मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली में घोर विद्युत संकट व्याप्त है । विभिन्न कारणों से अभी तक विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुयी है, कई विद्युत घर धन अभाव में जैसे भरतरीख, इस्माइलपुर, पीरपुरा, अधूरे पड़े हैं तथा प्रस्तावित बिजलीघर बरौली पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है । चण्डौस, इस्माईलपुर, खेर, बीपुर, गभाना, जलालपुर सारसौल, साथा, सुमेरा, हरदुआगंज, बिजली घरों पर कटौती रहती है, तथा जलाकेसरू गईयनपुर, दिलावरपुर केनआ, भगवानपुर, अजना, अजनियां, रामपुर नगर (गंगई) रामी नगला, नगला–जैत, चांदपुर, नगला–पहावती, बलवन्त नगरिया, भूपाल नगरिया, कटरा अर्जुनपुर, उदयगढ़ी, उदयपुर, नीमखेड़ा, नेहरौला चिलावटी, बाजना, हीसेल, देवपुर, हीरापुर, हसनपुर नगला बंजारा लालपुर, ग्वालराबीरिया, गिरधरपुर, राजमऊ बरई, कन्दौली, नगरियों, फतहनगरिया रिगसपुरी तातेपुर, ढकनगला, माधवगढ़, गोगुलपुर, दाउदपुर कोटा, आजादनगर सोंगरामदनपुर छबीला आदि गांवों सामान्य व अम्बेडकर हैं, परन्तु उपरोक्त गांवों में बिजली न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः यह अति लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न हैं, कृपया अपने माध्यम से समस्या का समाधान कराने की कृपा करें । ।

ग्राम डोटल गांव पो० बगवाती पोखर तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में पेयजल संकट दूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

। महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । महोदय, ग्राम डोटल गांव पो० बगवाती पोखर तहसील रानी खेत जिला अल्मोड़ा में

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लगभग 70 परिवार अनुसूचित जाति के सदस्य स्थायी निवास करते हैं । जिन्हें पीने के पानी की काफी समस्या है । वर्तमान सरकार ने 1997 में उक्त गांव में तीन डिग्गी लगाने के लिए धन स्वीकार किया है । नियमानुसार एक डिग्गी जैराड़ी में तथा एक डिग्गी ताला बांखई में एक डिग्गी पाल बांखई में लगना चाहिए था किन्तु जैराड़ी में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होने तथा ग्राम प्रधान से साठ-गांठ से तीनों डिग्गी जैराड़ी में लगा रहे हैं । जो नियमानुसार शासन के धन का मनमानी ढंग से गलत प्रयोग हो रहा है तथा अन्य लोगों को पानी से वंचित किया जा रहा है । जो अनुचित है । मैं चाहूंगा कि उक्त पर प्रकरण की किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने के आदेश देने की कृपा करें ताकि सभी को पानी मिल सके ।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अनुसूचित जाति की पूर्णतया उपेक्षा हैं इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं । कि यह सदन इस विषय पर अपना सही निर्देश देकर सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित कर सके । ।

सर्वेन्ट क्वाटर नं०–5 कोठी नं०–6 के अन्दर जमादारी लेन दारुलशफा लखनऊ में रह रहे अध्यासी को पीने के पानी की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद–

। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं । महोदय, सर्वेन्ट क्वार्टर्स नम्बर–5 कोठी नं०–6 के अन्दर जमादारी लेन दारुलशफा लखनऊ में रह रहे अध्यासी को पीने की पानी की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिस प्रकार कमरा नं०–5 के सामने चार कमरों में अभी हाल में ही नये नल लगा है । उसी नल से जोड़ने की प्रार्थना की थी जिसका आंगणन दिनांक 27-11-96 को अवर अभियन्ता दारुलशफा ने भेज दिया है जिस सन्दर्भ में एक पत्रावली भी चली संख्या 89/969 (1) 96 लूज दिनांक 14-5-97 को किन्तु अभी तक उक्त नल नहीं लगा है । उक्त कमरे के पीछे की दीवार सदैव सीलन रहती है पीछे की नाली बन्द करने तथा अन्य कमरों की भी भांति पीछे की तरफ से एक खिड़की लगाने के संबंध में भी अवर अभियन्ता ने आंगणन दिनांक 24-11-95 को भेज दिया है खेद है कि उक्त कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है । जो शासन की नीतियों के खिलाफ है ।

अतः महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है तथा सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा में विलम्ब की जा रही है । इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदन उपरोक्त सभी कार्य करने के आदेश संबंधित अधिकारी को देकर रह रहे अध्यासी की समस्या का समाधान हो सके । ।

प्रदेश में टेन्ट व्यापारियों पर टैक्स लगाये जाने से असन्तोष उत्पन्न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव–

। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार टेन्ट व्यापारियों पर 4 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगा रही है, जो कि टेन्ट व्यापारियों का शोषण है और टेन्ट व्यापारियों को भी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के साथ ही टेन्ट व्यापारियों को भी काफी असुविधा होगा । इस संबंध में श्री महेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, उ० प्र० टेन्ट

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व्यापार एसोसियेशन द्वारा दिनांक 22-7-97 को अपना प्रार्थना-पत्र वित्त मंत्री संस्थागत, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जा चुका है, जिसमें टैक्स लगाने के संबंध में समाधान का भी उल्लेख किया गया है ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित समाधान पर विचार करते हुए कार्यवाही करने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें । ।

जनपद पिथौरागढ़ के कतिपय विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशन सिंह चुफाल–

। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के रा० इ० का० चौबाटी, बरम, पांगू, खेला और मदकोट में विज्ञान वर्ग के एक भी प्रवक्ता न होने से विज्ञान वर्ग की कक्षाओं में एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है, जिस कारण छात्रों का भविष्य अन्धकार में लटका हुआ है, निम्न रा० उ० मा० वि० उछती, रा० उ० मा० वि० खतेड़ा, रा० उ० मा० वि० खेन, रा० उ० मा० वि० छडन्देव में भी अध्यापक न होने से विद्यालय बन्द होने की दशा में है ।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि तत्काल उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने की कृपा करें । ।

जनपद वाराणसी के सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनियमितता एवं मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

। मान्यवर, परिवहन मंत्रालय के अधीन वाराणसी जिले में संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा निम्न अनियमिततायें की जा रही हैं । (क) अन्तर राज्यीय परमिटों में लगने वाले ड्राफ्ट की भारी पैमाने पर हेरा-फेरी की गई है । भार वाहन तथा बसों के रोड टैक्स, मालकर तथा यात्रीकर को मनमाने ढंग से पैसा लेकर माफ कर दिए हैं । अवैध बसों एवं ट्रकों से संचालित कराकर धन उगाही कर रहे हैं । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ।

अतः इस घोटाले के पर्दाफाश करने के लिए लोकमहत्व के प्रश्न पर उठाने के लिए अनुमति देने का कष्ट करें । ।

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल आर्य–

। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर बुनकर बाहुल्य औद्योगिक क्षेत्र है । यहां पर लगभग 50 हजार अनुसूचित जाति के गरीबी बुनकर निवास करते हैं जो हथकरघा एवं शक्ति चालित करघों द्वारा टेरीकाट वस्त्रों का निर्माण करते हैं । जिसके लिए पर्याप्त विद्युत मिलना अतिआवश्यक है । यहां नगर मऊरानीपुर में 40 वर्ष पुराना 66 के० वी० क्षमता का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित है, जिससे मऊरानीपुर तहसील एवं गरौठा तहसील में विद्युत की आपूर्ति की जाती है । परन्तु विद्युत सब-स्टेशन पर क्षमता से ज्यादा भार होने के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं हो पाती है । शहरी क्षेत्र में मात्र 4-6 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल पाती है । जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महीनों विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस कारण विद्युत विभाग ने पावर कनेक्शनों पर रोक लगा दी है, जिससे सारे उद्योग-धन्धे बन्द होते जा रहे हैं। यहां बुनकरों एवं कृषकों को अपने परिवार का भरण-पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। बुनकर यहां से पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में यहां पर 132 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन को स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में मैंने कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रवासियों की जटिल विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुए मऊरानीपुर में यथाशीघ्र 132 के० वी० विद्युत सब स्टेशन को स्थापित कराने का कष्ट करें।]

प्रदेश के तत्कालीन प्रादेशिक दल के महानिदेशक एवं निदेशक युवा कल्याण के विरुद्ध किये गये घपले की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र यादव–

[मान्यवर, प्रादेशिक दल के महानिदेशक जो निदेशक युवा कल्याण का कार्य भी देख रहे थे, दिनांक 30-4-1997 के अपराह्न 58 वर्ष की सेवा के उपरान्त, सेवानिवृत्त हो गये। श्री कौशल किशोर नारायण सिंह के सेवानिवृत्त होने से पूर्व नियमों के विरुद्ध कु० इन्द्राचिकवाल की नियुक्ति ब्लाक आर्गनाइजर के पद पर करने, राज्ययुवा कल्याण परिषद् के लाखों रुपये के घोटाले स्थानान्तरण, नियुक्ति, निलम्बन आदि में धन वसूली की गंभीर शिकायतें थीं। शिकायतें महामहिम राज्यपाल और उनके सलाहकार के स्तर से जांच कराने के उपरान्त सही पायी गयी थी। श्री कौशल किशोर नारायण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही होनी थी उसी समय सचिवालय से उक्त जांच पत्रावली गायब करा दी गयी। श्री कौशल किशोर नारायण सिंह ने राज्य युवा कल्याण परिषद का फिक्स डिपाजिट की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से निकालकर मान सरोवर बैंक में रखा, जिसमें लाखों रुपये का कमीशन लिया गया। शासन के बिना अनुमति के राष्ट्रीयकृत बैंक से धनराशि निकालकर प्राइवेट बैंक मानसरोवर में जमा नहीं की जा सकती थी। परिषद के धनराशि का दुरुपयोग जलपान, दवाओं एवं अन्य व्यक्तिगत कार्यों में किया गया, जिसका नियमावली में प्राविधान नहीं है। पत्रावली गायब कराने से सेवानिवृत्त निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। 4 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अपने बंगले पर स्वयंसेवक एवं नियमित कर्मचारी लगाए हुए हैं, जिसका प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक भुगतान हो रहा है। यह भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है। चर्चा है कि पत्रावली गायब कराने में अनुसचिव युवा कल्याण, श्री जहूर अहमद आशुलिपिक महानिदेशक तथा अमीन अन्सारी वैयक्तिक सहायक का हाथ है। इस मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए और जांच तक सेवा निवृत्त महानिदेशक के भुगतान, पेंशन आदि को रोक देना चाहिए। यह अतिलोकमहत्व का मामला है। सदन में इस पर प्रादेशिक विकास दल मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य कराने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रादेशिक विकास दल विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रादेशिक विकास दल विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं । श्री राम श्रृंगार तिवारी सहायक समादेष्टा मुख्यालय लखनऊ, श्री अरुण वीर सक्सेना ब्लाक आर्गेनाइजर व श्री विवेकानन्द श्रीवास्तव ब्लाक आर्गेनाइजर जो जनपद लखनऊ में तैनात हैं । इन अधिकारियों के विरुद्ध माह जुलाई, 1997 में मेरे द्वारा अनेक भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें की गयी थी । उक्त शिकायतों पर माननीय प्रादेशिक विकास दल मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने सचिव युवा कल्याण को आदेश दिये थे कि इन तीन अधिकारियों का स्थानान्तरण कर जांच संयुक्त सचिव शासन की टीम से करायी जाए, क्योंकि बिना इन अधिकारियों को स्थानान्तरण अथवा निलम्बित किये जांच निष्पक्ष रूप से संभव नहीं है । मंत्री जी के आदेशों के विपरीत जांच कार्य निदेशालय भेज दिया गया तथा उन्हीं को जांच दे दिया जो अधिकारी स्वयं इन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच को स्पष्ट रूप से निष्प्रभावी कर रहे हैं । इन तीनों अधिकारियों की जांच निदेशालय एवं जनपद स्तर से पिछले तीन चार वर्षों से नहीं हो पाई, इसीलिए शासन स्तर से जांच कराने का अनुरोध माननीय विधायक ने किया था और माननीय मंत्री जी ने शासन से ही जांच कराने का निर्णय लिया था । शिकायतों के साक्ष्य में जिन कर्मचारियों की जांच होनी है उन्हें डराया, धमकाया जा रहा है । यहां तक की एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री चन्द्र अवस्थी को निलम्बित भी कर दिया गया है तथा साक्ष्य व अभिलेख गायब किये जा रहे हैं । इन अधिकारियों के भ्रष्टाचारों के कारण प्रदेश के हजारों युवक/युवतियां, स्वयं सेवक तथा मुख्यालय के कर्मचारी समय-समय पर हड़ताल व प्रदर्शन कर चुके हैं । इसलिए यह मामला अति लोकमहत्व का है । इस मामले पर प्रादेशिक विकास दल मंत्री जी सदन में वक्तव्य दें ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर वक्तव्य कराने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा अप्रेन्टिसों की भर्ती में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोडवेज परिवहन निगम उत्तर प्रदेश को, अपने एक निर्णय दिनांक 12-1-1995 में स्पष्ट निर्देश दिया था कि अप्रेन्टिसों की वरिष्ठता सूची वर्षवार बनाई जाये और उन्हें वरिष्ठता क्रम में रिक्त स्थानों पर प्रशिक्षित पदों में या उनके समकक्ष वेतनमान पर नियुक्त किया जाय उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बाध्य न किया जाय, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है । परन्तु आज तक इस निर्देश का परिपालन नहीं किया गया । इसके विपरीत दिनांक 26-7-97 को परिचालकों के पदों पर नियुक्तियों हेतु विज्ञप्ति निकाली गयी है, जिसमें सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जा रही है । उससे पूरे प्रदेश के हजारों अप्रेन्टिसों में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का परिपालन न किए जाने से जनता में न्यायालय की क्षमता पर भी विश्वास खत्म हो रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन कराए जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों के संबंध में शासनादेशों की अवहेलना विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कोविद कुमार सिंह–

[मान्यवर, क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि निम्न शासनादेशों की अवहेलना लो० नि० वि० में आशुलिपिकों के साथ क्या की जा रही है ।

1. अतारांकित प्रश्न सं० 41 एवं 42 वर्ष 1992 प्रथम सत्र दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित उत्तर के बाद समय वेतनमान दिनांक 1-7-82 से क्यों नहीं दिया गया ।

2. शासनादेश संख्या–वे०आ०–1-84/10-12/एम–95 दिनांक 5-2-97 के पैरा 3 के पैरा 3 एवं 4 के अनुसार खन्डीय आशुलिपिकों को क्यों नहीं लाभान्वित किया गया है ।

3. ज्येष्ठता नियमावली 1991 के भाग–एक बिन्दु 3 एवं भाग–दो बिन्दु 6 के अनुसार एवं शासनादेश सं० वे०आ०–1-1311 दस–10 एम–89 दिनांक 16-7-93 के संलग्नक–11 के पैरा–1 के प्राविधानों के अनुसार प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० लखनऊ ने ज्येष्ठता सूची क्यों नहीं प्रकाशित की है । तथा शासनादेशों की अवहेलना करके कनिष्ठ आशुलिपिकों को उच्च वेतनमान क्यों दे दिये हैं ?]

आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के विद्युत व्यवस्था की गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० रामबाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की बहुत ही कष्टदायक स्थिति है । यहां विद्युत लाइने जर्जर, नीचे से खम्भे गले, टूटे हुए जर्जर विद्युत तार ट्रान्सफार्मरों पर ओवरलोडिंग आदि की व्यवस्था चल रही है । यहां अम्बेडकर पो०, ग्यासपुरा फतेहपुर सीकरी रोड, प्रताप नगर (डी ब्लाक), कोल्हाई संगीता रोड, सिन्धी कालोनी अर्जुन नगर, बारहखम्भा अर्जुन नगर, न्यू गोविन्दनगर शाहगंज, नया बासलोहमण्डी, नौबस्ता (बी–4), प्रकाशनगर फतेहपुर सीकरी रोड किशोरपुर पोइन्ट, कलारी–2 (नई मण्डी), शाहगंज चौक, सोरी कटरा–2, रतनमुनि गर्ल्स कालेज, पानी की टंकी लोहमण्डी, आर्यसमाज मन्दिर (मजार के पास), में नये 400 के०वी०ए० के ट्रान्सफार्मर, जयपुर हाऊस (नयी मार्केट), आलमगंज (पानी की टंकी के पास), नार्थ अर्जुन नगर, कृष्णापुरी पुराना महल, जोगी पाड़ा, नयी आबादी राजनगर, तेली पाड़ा 2, जट्ट बाजार में नए 250 के०वी०ए० के ट्रान्सफार्मर रुई की मण्डी शाहगंज शिब्द, साहनीनगर, मानस नगर द्वितीय पोइन्ट, राजनगर में नये 160 के० वी० ए० के ट्रान्सफार्मर । केदारनगर, पांडवनगर फतेहपुर सीकरी रोड, सेल टैक्स आफिस के सामने नये 100 के०वी०ए० के ट्रान्सफार्मर, बन्नी वाली गली जगदीशपुरा, आनन्द नगर, चारबाग–3 शाहगंज, नगला तेजा, गंगा रामनगर, बुर्जीवाला मन्दिर, चारबाग–1 खतैना रोड में स्थित 250 के०वी०ए० के क्षमता बढ़ाकर 400 के०वी०ए० के ट्रान्सफार्मर करना । विसनू कालोनी दयालनगर, कोठी मीना बाजार के 160 के०वी०ए० से 400 के०वी०ए० ट्रान्सफार्मर करना । भीमनगर, रामनगर की पुलिया, केदारनगर डी ब्लाक फ्रेण्ड्स कालोनी के ट्रान्सफार्मर 160 के०वी०ए० से 250 के०वी०ए० के ट्रान्सफार्मर की क्षमता 100 के०वी०ए० की क्षमता से 250 के० वी० ए० करना नगलावेर में 100 के० वी० ए० ट्रान्सफार्मर की क्षमता 160 के० वी० ए० करना आदि की अत्यन्त आवश्यकता है । यही नहीं तारों (कन्डक्टर वायस) की लगभग 35 कि०मी० आर्थिक वायर की 8 कि०मी०, फ्यूज वायर एल०पी० 185 मिमी० की 115 मी० एल०पी० 120 मिमी० थी । 225 मी० फ्यूज वायर व 150 विद्युत पोल की आवश्यकता है ।

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की विद्युत समस्या के निराकरण हेतु उपरोक्त सामग्री अविलम्ब विद्युत वितरण खण्ड आगरा को तुरन्त दिलाने का कष्ट करें ।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मोदी नगर नगरपालिका परिषद् में व्याज भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[मान्यवर, मोदी नगर नगरपालिका परिषद् मोदीनगर (गाजियाबाद) के महा० सभासदों की शिकायत के द्वारा शासन को अवगत कराया कि मोदीनगर नगरपालिका, मोदीनगर इस सौन्दर्यीकरण के नाम पर राज चोपला व एस स्टैण्ड से थाने के पास तक सड़क पर ट्री गार्ड लगाने हेतु करोड़ों रुपये में मात्र वोटों की राजनीति के तहत चेयरमैन नगरपालिका मोदीनगर, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से पी०डब्लू०डी० की इजाजत के बिना सड़क के चारों ओर दुकानदारों में दो फड़ करने हेतु 12 फीट चोड़े तथा डेढ़ फीट ऊंचे चबूतरे फुटपाथ के नाम बनाकर दे दिये परन्तु गत दिनों अवैध कब्जा हटाने क जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया उसके अन्तर्गत उन चबूतरों को हटाया गया जिनमें नगरपालिका के कर्मचारी ईटों को ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर गये तथा मिट्टी को दुकानदारों ने 100/- ट्राली देकर उठवाया । जिसमें दुकानदारों को आर्थिक तथा मानसिक हानि महज नगरपालिका मोदीनगर के कारण उठानी पड़ी । मोदीनगर की जनता की खून पसीने की कमाई महज सौन्दर्यीकरण के नाम पर दुरूपयोग की गई । मेरा आपसे आग्रह है कि सौन्दर्यीकरण के नाम पर जो करोड़ों रुपया मोदीनगर का जनता का दुरुपयोग हुआ है । दोषी अधिकारी तथा चेयरमैन के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराइये तथा जो धन का दुरुपयोग किया गया है उसको वापिस कराकर सरकारी खजाने में जमा कराने का कष्ट करें ।]

प्रदेश के डिप्लोमा पास इंजीनियरों तथा आई० टी० आई०, पास प्रशिक्षुओं के संबंध में सरकार द्वारा उदासीनता बरते जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[मान्यवर, प्रदेश के डिप्लोमा पास इन्जीनियरों तथा ट्रेनिग को अप्रेन्टिस ऐक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों का प्राविधान है किन्तु प्रदेश सरकार के विभाग उसका पालन नहीं करते, जिससे अप्रेन्टिस करने के बाद उन्हें नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी और फटेहाली के शिकार है । आर्थिक तंगी से उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं । डिप्लोमा पास तथा आई०टी०आई० पास प्रशिक्षु इस सन्दर्भ में राज्य सरकार से निरन्तर अनुरोध करते रहे हैं किन्तु प्रदेश सरकार व उसके विभाग व निगम इस सन्दर्भ में उदासीन रहे और उन्हें सेवायोजित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया । फलतः प्रशिक्षु संघ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया जहां से उन्हें समायोजित किये जाने हेतु निर्देश दिए गए जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील संख्या-42754 सन् 1990 प्रस्तुत किया जिसे 12 जनवरी, 95 का निर्णित करते हुए सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिये ।

1. जो अभ्यर्थी जिस विभाग/संस्थान/निगम आदि में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उसी विभाग में वरीयता सूची बनाकर बिना किसी परीक्षा के नियुक्ति/समायोजित किया जाय ।

2. जो अभ्यर्थी पहले प्रशिक्षण किया हो उसके बाद वाले से वरिष्ठ माना जाय ।

3. प्रशिक्षुओं को आयु सीमा में छूट दिया जाय ।

इस संदर्भ में मा० सर्वोच्च न्यायालय केनिर्णय के आलोक में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री माता प्रसाद द्वारा जारी शासनादेश संख्या वी०-1070/का-1/1996 द्वारा सभी विभागाध्यक्षों संस्थानों/आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्ग निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं सेवा नियमावली में संशोधन करने का आदेश दिया गया । जिसके सन्दर्भ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई, लो०नि०वि० आदि को लिखा कि "आयोग एक परीक्षा लेने वाली संस्था है चूंकि

परीक्षा से छूट के निर्देश मा० सर्वोच्च न्यायालय ने दिये हैं फलतः अपने अधीन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति वरीयता क्रम से करके हमें सूचित करें । किन्तु लो०नि०वि० सिंचाई, परिवहन, जलनिगम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व वर्णित सभी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे उन प्रशिक्षुओं को अब भी सेवायुक्त होने का अवसर नहीं मिल रहा है ।

फलतः इस लोकमहत्व के विषय को सदन की संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से सरकार से प्रभावी कार्यवाही करते हुए उपरवर्णित निर्देशों के अनुपालन कराये जाने की मांग करता हूं । ।

प्रदेश में वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

। महोदय, पिछले समय से लेकर अब तक प्रदेश में वाहनों की लूट करके अन्य प्रदेशों की फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट लगा करके अपने प्रदेश में नये नम्बर दिये जाते रहे हैं और इन वाहनों पर फर्जी चेचिस नम्बर खुदवा कर वैधानिक बना दिया जाता है । इस संदर्भ में मा० परिवहन मंत्री जी बनाने की कृपा करें कि वर्तमान समय में विगत तीन वर्षों में कितने वाहनों पर अन्य प्रदेश की आर०सी०ओ० पर इस प्रदेश के नये नम्बर जारी किये गये हैं और नियमानुसार उन आर० सी० बुकों की पुष्टि अन्य प्रदेशों से आ गयी है या नहीं यदि नहीं तो इन वाहनों का पता लगाया जाय कि यह वाहन कहां से आये किनके पास हैं । इस खुलासा से प्रदेश की वाहनों की लूट एवं हत्याओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश में आ जायेंगे ।

इसी परिपेक्ष्य में परिवहन मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि इस प्रकार की जारी आर०सी०ओ० की पत्रावलियों क्या संबंधित परिवहन अधिकारियों के कार्यालय में सुरक्षित है, मेरे संज्ञान में यह बात भलीभांति है कि पंजीयन अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय से इस प्रकार जारी की गई आर०सी०ओ० की जारी 34 पत्रावली गायब है जिसमें से कि एक नम्बर यू०पी०/71ए/6627 ट्रक का नम्बर है । वर्तमान समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र, बदायूं के ऊंझानी कोतवाली में खड़ा है । थाना बन्थरा पुलिस अभियुक्तों को बचाने के प्रयास उपरोक्त में जुटी है । जब कि माननीय मुख्य मंत्री राज्यपाल महोदय व पुलिस अधीक्षक उक्त सभी उच्च पदस्थ महानुभावों को प्रमाण सूचित किया जा चुका है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं । ।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के गलत स्थानान्तरण नीति के कारण उत्पन्न ऊहापोह की स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नक्षत्र–

। महोदय, अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग के गलत स्थानान्तरण नीति के कारण प्रतिदिन प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों का गलत स्थानान्तरण होने के कारण प्रदेश में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, कृपया इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर विचार करने का कष्ट करें, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है ।

।–माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या डा० आई० ए० खान जिस आदेश के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया था वह निरस्त कर दिया गया है यदि हां तो डा० खान किस आदेश के तहत अभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पद पर कार्य कर रहे हैं । जबकि उन्हें तुरन्त आदेश प्राप्त होते ही कार्यमुक्त हो जाना चाहिए था । न कि मुख्य चिकित्सा

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधीक्षक के पद पर कार्य कर दुर्वव्यवस्था फैलाना चाहिए था, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी शासनादेश के अनुपालन में डा० आई० ए० खान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पद से मुक्त करेंगे या नहीं इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट कराने का कष्ट करें । ।

जनपद एटा में किसानों को जिप्सम आबंटन में की जा रही धांधली विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश (एटा)–

। महोदय, हजारों भूमि संरक्षण किसान जनपद एटा को जिप्सम किसानों की जमीनों को न देकर जिला कृषि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपनीय ढंग से जिप्सम को बेचा जा रहा है । किसानों को हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है । शासन का आदेश है कि गरीब किसानों की जमीन खुद जिप्सम दिया जाय, इनको न देकर घपला किया गया । इन्होंने सन् 1996 जो शासन द्वारा सूरजमुखी का वितरण गरीब किसानों के लिए था इनको न देकर गलत ढंग से वितरण किया जा रहा है । दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय और हजारों किसानों की मदद करें ।

अतः इन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को तत्काल से कार्यवाही करायी जाये । ।

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा भोकरहेडी के नवनिर्मित विद्युत गृह में आवश्यक मशीनें न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह चौहान–

। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा भोकरहेडी में राज्य सरकार के आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास से बिजलीघर के लिए भवन का निर्माण कर लिया है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों के निरन्तर आश्वासन के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा लगायी जाने वाली आवश्यक मशीन आदि वहां अभी तक नहीं पहुंची है, जिससे करीब 50,000 आबादी बिजली की गम्भीर समस्या का सामना कर रही है ।

अतः इस सम्बन्ध में उ० प्र० राज्य विद्युत बोर्ड को आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें ।

सधन्यवाद । ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला सुन्दर आदर्श स्कूल, बरूकौता, हरौनी, लखनऊ के द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला सुन्दर आदर्श स्कूल, वरूकौता, हरौनी, लखनऊ के प्रधानाध्यापक के फर्जी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि श्री सुन्दर लाल, प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर उपर्युक्त सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला मे नौकरी कर रहे हैं । इनके बिरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी पाने के सम्बन्ध में कई शिकायतें उच्चाधिकारियों तक हुई हैं किन्तु उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

अस्तु मैं चाहूंगा कि प्राइमरी पाठशाला सुन्दर आदर्श बेसिक स्कूल वरुकौता, हरौनी, लखनऊ के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच कराकर उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग करता हूं और प्रश्नगत प्रकरण पर सदन में सरकार का बयान की भी मांग करता हूं । ।

जनपद गाजियाबाद के कस्बा हापुड़ में अवैध रूप से चल रही हड्डी मिलों को बन्द किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश–

[महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हापुड़ (गाजियाबाद) में लगभग 70 हड्डी मिलें अवैध रूप से चल रहे हैं । जिससे क्षेत्र में प्रदूषण एवं गन्दगी व्याप्त है एवं महामारी फैलने की संभावना है । इस प्रकार जनता का जीना दुर्लभ हो रहा है ।

अतः मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन हड्डी मिलों को तुरन्त बन्द कराने की कार्यवाही की जाये ।]

जनपद पीलीभीत के थाना हजारा के थानाध्यक्ष द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर लूटे गये हजारों रुपयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती उर्मिला देवी यादव–

[मान्यवर, दिनांक 26-6-97 को सांय-रात्रि लगभग 8.45 बजे श्री महेन्द्र सिंह यादव, थानाध्यक्ष, थाना-हजारा, जनपद–पीलीभीत ने दल-बल सहित वाहन चेकिंग के बहाने श्री अश्वनी कुमार सिंह पुत्र जगतपाल सिंह निवासी ग्राम–गोविन्द नगर, पोस्ट-भानुपुरी, खजुरिया, थाना-सम्पूर्णानगर जनपद-लखीमपुर खीरी को थाने के ही सामने रोका । चेकिंग के बहाने राजदूत मोटर साइकिल सहित श्री सिंह को थाना परिसर में ले गये । श्री सिंह के साथ गाली-गलौज किया । मोटर साइकिल की डिक्की की चेकिंग के नाम डिक्की में ही रखा रु० 7,000/- (सात हजार रुपया) निकाल लिया । श्री अश्वनी कुमार सिंह के मांगने पर रुपये नहीं दिए । घटना की सूचना श्री अश्वनी कुमार सिंह ने तत्काल पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को दिया । घटना की सूचना मुख्यमंत्री-सचिवालय, प्रमुख सचिव (गृह) एवं पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को श्री अश्वनी कुमार सिंह के बड़े भाई डा० के० के० सिंह ने दिनांक 27-6-97 व पुनः दिनांक 14-7-97 को दिया, किन्तु अब तक न ता लूटे गये रुपयों की बरामदगी हो सकी है । न ही लूट के लिए दोषी पुलिस के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकी है । जिससे क्षेत्रीय सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, गणमान्य लोगों एवं जन-प्रतिनिधियों में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है, जो कभी भी उग्र रूप ले सकता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए लूटे गये रुपयों की बरामदगी एवं लूट के लिए दोषी पुलिस थाना-हजारा, जनपद-पीलीभीत के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद इटावा के कस्बा बिलग्राम में लो० नि० विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा सिंह चौहान–

[महोदय, मैं बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत कार्य जिसका विवरण निम्नवत है पूरा कराये जाने की मांग कई वर्ष से चल रही है । परन्तु किसी न किसी कारणवश कार्य पूरे नहीं हो सके । यदि यह कार्य पूरे होते हैं तो इससे क्षेत्र की डेढ़ लाख जनता लाभान्वित होगी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1–हरपाल पुल बड़ा गांव मार्ग पर गम्भीरी नदी पर पुल निर्माण हेतु 93 लाख रुपये 21-11-94 को स्वीकृत हुआ था जिसके विरुद्ध मात्र 1,00,000/- रुपया अवमुक्त हुआ । कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका ।

2–शासनादेश संख्या 3160 ई०/लो०नि०वि०–11–86 ई०/94 दिनांक 19 सितम्बर, 94 तथा संशोधित शासनादेश संख्या 56ई०/23–11–66 ई०/94 दिनांक 1 फरवरी, 95 द्वारा हरपालपुर बड़ा गांव मार्ग पर स्टीमेट आगणन का 10 प्रतिशत धनराशि मात्र 1.70 लाख रुपया आवंटित हुआ था । शेष धनराशि आवंटित न होने कारण कार्य अधूरा पड़ा है ।

3–हरपाल पुर बड़ा गांव का निर्माण 94-95 व 95-96 में हुआ । बड़ा गांव के पास कुण्डा नदी की बाढ़ से लगभग 50 मी० सड़क कटकर तालाब हो गई है । जिसका निर्माण अब तक नहीं हुआ ।

4–बड़ागांव से अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी में पुल की आवश्यकता है । इस पुल के निर्माण से हरदोई से फर्रुखाबाद की दूरी 97 किमी० से घटकर 65 किमी० ही रह जायेगी और हरदोई व फर्रुखाबाद दोनों जनपदों की जनता को लाभ होगा ।

5–बी०एस०ए० मार्ग पर भदार मार्ग का निर्माण 89-90 में हुआ था परन्तु म के पास नीलम नदी पर पुल के निर्माण न होने से लगभग 50 हजार जनता के लिये यह मार्ग अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है ।

लोक महत्व के इन अविलम्बनीय प्रश्नों पर मैं शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

जनपद आजमगढ़ के कारण अम्बारी में संचालित मूक बधिर विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

। मान्यवर, मूक बधिर विद्यालय अम्बारी, आजमगढ़ ग्रामीण अंचल की एक अनोखी समाजसेवी संस्था है । यह संस्था बाधित बाल विकास समिति अम्बारी आजमगढ़ द्वारा चलाई जा रही है । समिति नियमानुकूल पंजीकृत है । 1988 से भारत सरकार द्वारा अनुदान मिलता रहा है, किन्तु समय पर नहीं मिल पाता एवं उसे भी प्राप्त करने में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है । विद्यालय छात्रावासीय है । 60 छात्रों के भरण-पोषण हेतु अनुदान मिलता रहा है । इससे कर्मचारियों को कुछ पारिश्रमिक मिल जाता है, जो आज की मंहगाई के युग के तगण्य है । इसलिए वित्तीय संसाधनों के अभाव में उसे चलाना मुश्किल हो रहा है । इसके पास भूमि भवन सज्जा तो है । प्रधानाचार्य अध्यापक एवं कर्मचारी भी हैं । वैसे तो इस मूक बधिर विद्यालय द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है, किन्तु दुरूह भी है । विद्यालय की संस्था ने प्रस्ताव द्वारा इसे सरकार द्वारा अधिग्रहण करके सरकार द्वारा संचालित करने का आग्रह किया है ।

अतः वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को निर्देशित करें कि इस संस्था को राज्य सरकार प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं कर्मचारियों के साथ-साथ भूमि भवन सज्जा आदि के आधार पर अधिग्रहण कर स्वयं राजकीय मूक बधिर विद्यालय के रूप में चलाएं ताकि संस्थाओं की भावना साकार हो सके एवं जनता का कल्याण भी हो सके । ।

नोट : । । यह अंश पढ़ा हुआ समझा गया ।

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर इटवा मार्ग पर बने काठ के सेतु को पक्का पुल बनाए जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद–बलरामपुर के तुलसीपुर इटवा मार्ग पर काठा का सेतु बना है । यह मार्ग तुलसीपुर से जनपद–सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर को जाता है । काठ के पुल होने के कारण जो कि बहुत पुराना पुल है, उसकी लकड़ियां सड़ गयी हैं, जिससे उस पुल से आना-जाना बन्द कर दिया जाता है । दो वर्षों से यह पुल बन्द था, लेकिन इस वर्ष उसकी मरम्मत की गई है, जो रुपये मरम्मत के लिए मिला था, उसका आधा ही रुपया लगाया गया है, जिसके कारण पुल खुलते ही फिर से कई स्लीपर टूट गये हैं । इस पुल के उस पार मेरे क्षेत्र के पचासों गांव हैं, जिनका गन्ना इसी पुल से होकर तुलसीपुर चीनी मिल में आता है । इस पुल की दशा देखकर क्षेत्र के किसान चिन्तित हैं कि इस पुल से क्या तुलसीपुर चीनी मिल को गन्ना जा सकेगा । क्योंकि पिछले वर्ष भी पुल के कारण इस क्षेत्र का गन्ना बलरामपुर चीनी मिल को देना पड़ा, जो एक महीने देर से गन्ना सप्लाई हो सकी ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, इसी स्थान पर 1977-78 में एक बस के गिर जाने से कई लोगों की जानें गयी थीं । इसलिए इस पुल को पक्का पुल बनाने की अति आवश्यकता को देखते हुए इस भुलेसवा पाइल ब्रिज पर पक्का पुल बनाने की कृपा करें ।

आदर सहित । ।

आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाए जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विरक्त –

।महोदय, आगरा पेयजल संकट की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र है । इस संकट के हल करने की दिशा में गत वर्ष 27 अगस्त, 1996 को आगरा में यमुना की अप स्ट्रीम में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले आगरा बैराज का शिलान्यास करते हुए श्री राज्यपाल ने 4 करोड़ रुपया इसके लिये तत्काल दिये जाने की घोषणा की थी । दिसम्बर, 1996 से इस पर कार्य शुरू हो जाने की भी घोषणा की गई थी ।

एक वर्ष बीत चुका है, अभी तक बैराज निर्माण की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है और न यह पता है कि अवमुक्त किये गये धन 4 करोड़ का क्या हुआ ? आगरा की जनता पेयजल संकट से बुरी तरह त्रस्त है । हैण्डपम्प खराब पड़े हैं और बैराज का बनना ही जलापूर्ति के लिये एक मात्र आशा है जिसके बारे में शासन की उपेक्षा से जनता में व्यापक क्षोभ व असन्तोष व्याप्त है ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए मैं मांग करता हूं कि बैराज निर्माण के लिये तत्काल आवश्यक कार्यवाही व कार्य आरम्भ किया जाय । ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिंगटनगंज में वर्ष 94-95 एवं 95-96 में निःशुल्क बोरिंग एवं आई०आर०डी० आदि योजनाओं में किये गये घपलों की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन यादव–

। महोदय, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड हरिंगटनगंज में वर्ष 94-95 और 95-96 में निःशुल्क बोरिंग तथा आई०आर०डी० एवं सुलभ शौचालय के चयन में गम्भीर अनियमितता की गई है । तथा उपरोक्त जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से पात्र व्यक्तियों को वंचित रखा गया है । इन योजनाओं के अन्तर्गत उक्त विकास खण्ड में 68 अपात्र व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है । जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला कर संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लिया है ।

नोट :–1 । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 94-95, 95-96 विकास खण्ड हरिंगटनगंज फैजाबाद में 68 अपात्र व्यक्तियों को चयनित कर निःशुल्क बोरिंग आई०आर०डी० एवं सुलभ शौचालय में की गई गम्भीर अनियमितता की जांच जिलाधिकारी स्तर से कराकर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । ।

सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा फैजाबाद मण्डल द्वारा त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

। महोदय, माह मार्च, 31, 1997 को सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा फैजाबाद मण्डल द्वारा त्रिभाषा सूत्र अनुदान की स्वीकृत राशि मान्टेसरी जूनियर हाईस्कूल बहराइच (दरहियापुरा) की उर्दू अध्यापिका श्रीमती नाज सईदा के पक्ष में की गयी थी, इस धन का चेक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक को माह जून में भेज दिया गया, जो कि मेरी जानकारी के अनुसार अब तक उस चेक का भुगतान उर्दू अध्यापिका का नहीं किया गया ।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें कि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत स्वीकृत धन उर्दू अध्यापिका मान्टेसरी जूनियर हाईस्कूल, बहराइच को भुगतान सुनिश्चित करें । ।

जनपद जौनपुर के क्षेत्र बयालसी के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन मुर्तजाबाद की पुरानी मशीनों को बदलकर विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बयालसी जौनपुर अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशन 33 के०वी० मुर्तजाबाद जो सर्वाधिक प्राचीन है । अत्यन्त जर्जर हो गया है उसकी सारी मशीनें अति प्राचीन होने के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पाती है । जिससे क्षेत्र में विद्युत संकट रहता है । कृषि कार्य प्रभावित होता है । जिसके कारण क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो गया है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त [illegible] को शीघ्र दूर करने, सम्पूर्ण व्यवस्था के नवीनीकरण तथा आपात कटौती समाप्त करने की मांग [illegible] हूं । ।

देहरादून नगर क्षेत्र की पिछड़ी बस्तियों में बने सार्वजनिक शौचालयों की जीर्ण-शीर्ण होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरपाल कपूर–

। महोदय, देहरादून नगर क्षेत्र की पिछड़ी बस्तियों में लगभग 125 सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं जो कि पुराने होने के कारण जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं । रख-रखाव के अभाव में इस शौचालयों के दरवाजे, एवं सीटें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं । शौचालयों में सेप्टिक टैंक भर चुके हैं और यहां तक प्रकाश एवं जल व्यवस्था भी ठप्प हो चुकी है । शौचालयों की दयनीय स्थिति से बस्ती वासियों के सम्मुख विकट समस्या खड़ी हो गयी है । पूर्व में ऐसी स्थिति में बस्तीवासी नदियों नालों या बन्जर जमीन पर शौच आदि के लिए जाते थे परन्तु अब वहां पर मलिन बस्तियों के बस जाने से लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सदन में रखने की अनुज्ञा चाहता हूं ।।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण सामग्री अपंजीकृत फर्मों से खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरि शंकर माहौर–

।महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की उन इकाईयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिन्होंने लाखों रुपये की निर्माण सामग्री अपंजीकृत फर्मों से खरीद कर न केवल मैनुअल के प्रस्तर (15) एवं (16) का उल्लंघन किया वरन् व्यापार कर अधिनियम की अवहेलना के आरोप में व्यापार कर अधिकारियों ने लाखों रुपये का अर्थदण्ड भी निर्धारित किया है । जिससे निगम या शासन को लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ी है । सार्वजनिक धन का यह अपव्यय मुख्यतः उन इकाईयों पर अधिक हुआ है, जहां मैनुअल के प्रस्तर 862(बी) का उल्लंघन करके इकाई लेखाकार के रूप में सहायक लेखाधिकारी तैनात हुए हैं । जबकि निगम की कोई इकाई मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा संचालित नहीं है । इन अनियमितताओं हेतु दोषियों को यथाशीघ्र दण्डित करना आवश्यक है ।

अतः इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करता हूं ।।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

।महोदय, मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अरबन मलेरिया-फाईलेरिया, जिला मलेरिया कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान रु० 950–14-00 देने, सेवा नियमावली में पद पदोन्नति मलेरिया-फाईलेरिया निरीक्षक पद पर 50 प्रतिशत हेतु संशोधन, साइकिल भत्ता, वर्दी, जोखिम भत्ता, सुरक्षात्मक एप्लायान्स दिया जाना एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ० प्र० में समूह "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति परीक्षा कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित करवायी गई है और निदेशक प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा मनमाने ढंग से पदोन्नतियां की गई है एवं कर्मचारियों को उक्त विभागीय परीक्षा में सम्मिलित किया गया और परीक्षा परिणाम घोषित कर अर्हता सूची भी नहीं बनाई गई । पदोन्नतियों में की गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जाये ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त विषयक तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।।

कुशी नगर के स्वीकृत आसवनि केन्द्र खड्डा खोले जाने हेतु धन उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप लाल भारती–

।महोदय, मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई–खड्डा (पडरौना) के परिसर में ही कच्चे माल की अधिकता व क्षेत्र के विकास के लिए एक आसवनि उत्पादन केन्द्र खोलने (स्थापित) हेतु सरकार ने वर्ष 1981 में स्वीकृति दी है, किन्तु आज तक उक्त फैक्ट्री की स्थापना हेतु

नोट :–। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भवन का शिलान्यास नहीं किया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय बेरोजगार शिक्षित युवकों को घोर निराशा है ।

ज्ञातव्य हो कि उक्त क्षेत्र में 4-5 राजकीय चीनी मिले हैं, जहां शीरा भरपूर उपलब्ध है तथा प्रदेश/देश में आसवनि की बढ़ती मांग को देखते हुए स्वीकृत आसवनि केन्द्र खड्डा (कुशीनगर) में ही खोलने हेतु धन दिया जाना अति आवश्यक है ।

अतः उक्त सूचना के माध्यम से अत्यन्त लोकहित का मामला सरकार के संज्ञान में दे रहा हूं ।।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोकुल में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की दुर्दशा विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहर सिंह अम्बाडी–

।महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार के संज्ञान में जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में मण्डी समिति मथुरा द्वारा निर्मित की गई सड़कों की दुर्दशा बताते हुए तुरन्त शासन से मरम्मत की मांग करता हूं । मार्ग अवैरनी बुर्ज पचावर मार्ग, नगला संजा-बुर्जतुलामार्ग, दौलतपुर लहरौली घाट मार्ग, मथुरा बल्देव मार्ग से क्रमशः मदनपुर (मु०पुर), स्लामपुर, नगला पापड़ी मार्ग, कुम्हा-बिलअलियाबाद मार्ग, काख सौंख खेड़ा मार्ग, मडौरा नगला बलि म.. राया-आबराखेड़ा से खरवा मार्ग, राया कारब मार्ग से इटौली मार्ग, पचावर-सौंखखेड़ा मार्ग, राया-मथुरा मार्ग से लोहवन नगला चीता मार्ग, सुगमना-मेदुआ-दधोटा मार्ग, राया मथुरा मार्ग से दीवानाखुद व सिरिया की नगरिया मार्ग आदि का निर्माण व डामरीकरण हो गया है । अतिवृष्टि के कारण ये मार्ग उखड़ गए हैं और चलने लायक नहीं रहे हैं । मथुरा धार्मिक स्थल है, धार्मिक यात्रियों के भी चलने में भी असुविधा हो रही है । ग्रामों से कृषि उत्पादन मण्डी नहीं आ पा रहे हैं । परिषद् के अधिकारियों से वार्ता करने पर बताया जाता है कि मरम्मत एवं मार्गों के रख-रखाव के लिए परिषद् में कोई धन की व्यवस्था नहीं है । इस कारण प्रश्नगत क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश, असन्तोष और चिन्ता व्याप्त हो गयी है ।

अनुरोध है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस ज्वलन्त प्रश्न पर कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् व सरकार तत्काल कार्यवाही करें और मार्गों की मरम्मत कराये ।।

जनपद सीतापुर के क्षेत्र हरगांव के ब्लाक महोली के कतिपय ग्रामों की भूमि पर जल भराव होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही–

।मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र हरगांव जनपद–सीतापुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत ब्लाक महोली के ग्राम गंगापुर, पैलाकीसा मदनिया, मसन्दापुर, कुंवरापुर एवं कोल्हौरा की भूमि जल भराव के कारण लगभग 600 एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है । गांवों में आने जाने का रास्ता बन्द हो जाता है, जिससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । मा० अध्यक्ष महोदय इसके लिये ड्रेन बनाया जाना अति आवश्यक है । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 20 वर्षों पूर्व यहां पर पानी निकालने की व्यवस्था की गयी थी, मान्यवर, 20 वर्षों से सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है । मा० अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखकर तत्काल ड्रेन बनाये जाने के

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्देश सरकार को देवें । ताकि ग्रामवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न होने से बच जाये और ग्रामवासी भुखमरी के कगार पर न पहुंचे ।

मान्यवर, मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ड्रेन बनाये जाने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करें ।]

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तहबरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोइनहा की स्वीकृत भवन को बनाए जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सूचित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदन, आजमगढ़ में 1997-98 के योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोइनहा ब्लाक-तहबरपुर में स्वीकृत हुआ है । इसका बजट भी मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में स्वीकृत होकर आया है परन्तु अभी तक उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण शुरू नहीं हुआ है । यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से स्वीकृत था और भवन निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत है । इस क्षेत्र में दूर-दूर तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । वहां के मरीजों को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ जाना पड़ता है जो कि बहुत ही दूर पड़ता है । गरीब जनता नहीं पहुंच पाती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा आपसे मांग करता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोइनहा ब्लाक तहबरपुर का भवन निर्माण जो स्वीकृत हुआ है उसको तत्काल बनवाया जाय ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके ।]

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज स्थित राजकीय इण्टर कालेज में इण्टर सेक्शन हेतु सृजित प्रवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरवर अली खां–

महोदय, सम्मानित सदन का ध्यान मैं जनपद बाराबंकी के सर्वाधिक पिछड़े घाघरा, सुमली व चौरिया नदियों के कटान छटान पर बसे विकास खण्ड-सूरतगंज स्थित राजकीय इण्टर कालेज में इण्टर सेक्शन हेतु सृजित प्रवक्ताओं के छः पद नियुक्ति के अभाव में रिक्त हैं । इस कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही इन पदों के सृजन का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है । इस क्षेत्र के पिछड़ेपन व विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए इन रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति किया जाना आवश्यक है ।

अतः इस सूचना के माध्यम से मैं इस सम्बन्ध में तत्काल जांच व कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरदेव सिंह–

[मान्यवर, सदन का ध्यान प्रमुख सचिव ऊर्जा को प्रेषित मुख्य सचिव, उ० प्र० के पत्र दिनांक 10-1-97 पर आकर्षित करना चाहूंगा, जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्रामीण विद्युतीकरण का योगदान व समीक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पत्र 30-9-80 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति की नियमित बैठकों एवं तत्कालीन उपमंत्री ऊर्जा के पत्र 17-11-92 विषयक है । प्रदेश विशेषतः बाराबंकी में फर्जी अपूर्ण व अनियमित ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ ही 1992-93 में तस्तुग्रस्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु प्राविधानित रुपया दो

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करोड़ [illegible] सम्पूर्ण राशि प्रस्ताव न होने से व्यय न होने एवं 1-4-88 से 31-2-92 तक ग्रामीण विद्युतीकरण में दि[illegible] की क्षतिपूर्ति हेतु उक्त अवधि के विद्युत परिषद् के ऋण दायित्वों में से रुपया चौदह अरब [illegible] करोड़ उनचास लाख ही राशि शासन द्वारा बट्टे खाते में डालने एवं तथ्यों को छिपाने हेतु उक्त समिति निष्क्रिय कर [illegible] देने एवं ऐसे विषय कजन पर अनिवार्य होते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री/मंत्रिपरिषद् का कोई निर्[illegible] नहीं हुआ है, उन पर अनावश्यक रूप से फर्जी आदेश बनाये जाने के मामले प्रकाश मे आये हैं।

अतः इस सूचना के माध्यम से उक्त समितियों की नियमित बैठकों 1-4-88 से 31-3-92 तक उपरोक्त संदर्भित हानि का वर्षवार विवरण ऊर्जा अनुभाग–1 के पत्रांक 488पी–1/94-23 दिनांक 19-2-94 में सूचित आदेश दिनांक 30-1-9[illegible] 12-7-91 व 6-6-92 की कार्यालय प्रतियों की छाया प्रतियां उपलब्ध कराने एवं जांच की मांग करत[illegible]।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी सुलेमसराय में म० नं० एल० आई० जी० 822 के सामने किये गये कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मिथलेश कुमारी–

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी सुलेमसराय म० नं० एल०आईजी० 322 के सामने अवैध रूप से किये गए कब्जे की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं उक्त संबंध में मुझे अवगत कराया गया है कि मकान नं० 322 एल० आई० जी० के सामने कुछ अपराधिक किस्म के व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा करके छप्पर डाल रखा है जिसमें सब्जी बेचने के बहाने रात में शराब व भांग गांजा बेचने का धंधा करते हैं तथा रात में कभी-कभी गाली गलौज मारपीट भी करते हैं जिससे वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त कब्जा हटाये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे लोगों को अपराधियों से राहत मिल सके।]

जनपद मथुरा के विकास खण्ड राया के ग्रामों में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से जनपद मथुरा विकास खण्ड राया के ग्रामों की पेयजल की अव्यवस्था के सन्दर्भ में अवगत कराते हुए पेयजल की आपूर्ति को सुव्यवस्थित कराने की मांग करता हूं ग्राम मदेम गढ़ी मझली, रौसिंगा पवेसरा बसें, गुडेरा, गढ़ी नन्दा, सेतिया नगौडा भकण्डी, पीलीगढ़ी, नगला महापत, खलौआ, केसरगढ़ी, सरूपा, नगर अर्जुन, बील अलियावाद, जासा, आदि गांवों में पानी के भारी समस्या है। नगौडा में खारी पानी है पेयजल हेतु जो टंकियां निर्मित की गई हैं वे बन्द पड़ी हैं महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। अनौडा की टंकी बन्द पड़ी है गांव सोनई की टंकी से जो गांव जुड़े हुए हैं उनमें भी पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। इसी प्रकार सुथरिया, चिमला, बिन्दू बुलाकी, कपूरा लोहवन, कारब, सिहोरा, सौखखेड़ा, सियरा एवं बिसावली की टंकियां बन्द पड़ी हैं।

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धन उपलब्ध कराकर, प्रश्न गत पेयजल योजनाओं को शुरू कराने का कष्ट करें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद में सिंचाई विभाग द्वारा धांधली किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में सिंचाई विभाग द्वारा माइनरों की सफाई व नालों की सफाई पुलों व पुलियों के निर्माण में भीषण धांधली की जा रही है अधिशासी अभियन्ता खण्ड प्रथम झांसी व अधिशासी अभियन्ता खण्ड 30 गुप्ता द्वारा बिना कार्य कराये ही भुगतान निकाल लिया गया है । ये दोनों अधिशासी अभियन्ता इतने भ्रष्ट है कि किसानों के मुआवजे की आधे से ज्यादा धनराशि कमीशन में ले रहे हैं । कई मृतक किसानों के नाम फर्जी भुगतान निकाल लिया गया है कार्यालय में कभी मिलते नहीं है ।

हमारे क्षेत्र में व पूरे गंगापार में माइनरों व ड्रेनों की सफाई के नाम पर लाखों का चूना लगाया गया है सौरांव से कल्याणपुर पक्का मार्ग गदियानी चौराहा के आगे पुल निर्माण होना था जिसे बिना टेण्डर आदि के खुदवा दिया गया है । आवागमन बिल्कुल बाधित है क्षेत्रीय जनता में व्यापक असंतोष है ।

कृपया इस विभाग के वर्ष 93 से 97 तक के कार्यों की जांच कराकर दोषी दोनों अधिशासी अभियन्ताओं के खिलाफ तथा हमारे क्षेत्र में जनपद प्रतापगढ़ सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की भी जांच कराकर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

मेरठ नगर निगम द्वारा पूरे महानगर में अनुसूचित जाति.जनजाति बस्तियों के विकास कार्य में उपेक्षा किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[श्रीमन् उपरोक्त विषयक कार्यक्रम के अर्न्तर्गत यह प्रतिबन्ध है कि संबंधित बस्ती में कम से कम (5) प्रति व्यक्ति अनुसूचित वर्ग के निवास करते हैं ।

मेरठ नगर निगम ने पूरे महानगर में उपरोक्त कार्यक्रम में ऐसी बस्तियों में विकास कार्य किये हैं जिनमें एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति का निवास नहीं करता है ।

मेरठ नगर निगम के इस कृत्य से जहां शासन की बीती का उल्लंघन धन का अपव्यय और अनुसूचित बस्तियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ है ।

तत्काल जांच कराकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कतिपय सड़कों के बनाये जाने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल–

[मान्यवर, मेरे जनपद फतेहपुर विधान सभा बिन्दकी में लगभग 25 वर्षों से बोल्डर पड़ी हुई सड़के लेपन कार्य हेतु पड़ी हुई हैं इन मार्गों में लाखों रुपये सरकार के खर्च हुये हैं । परन्तु जो मार्गों में बोल्डर पड़ा है धीरे-धीरे उखड़ रहा है सरकार की हानि भी हो रही है सम्पर्क मार्गों से गांव जुड़ते हैं । ग्राम वासियों को इन मार्गों में आने जाने में असुविधा होती है और ग्रामवासियों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है जिससे मेरे विधान सभा बिन्दकी के गांवों मे 80% अशिक्षित लोग है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः अनुरोध है कि विधान सभा विन्दकी की निम्न मार्गों के लेपन हेतु धन स्वीकृत कराने की कृपा होगी । गांव की जनता आपकी आभारी रहेगी ।

1–मुगलरोड से अठेना गोपालपुर लगभग 2.5 किमी० पेन्टिंग स्तर तक

2–जी०टी० रोड से गुनीर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.4 पेन्टिंग स्तर तक

3–जी०टी० रोड से उमरोडी कल्याणपुर से लंहगी मार्ग लगभग 5 किमी० पेन्टिंग स्तर तक कार्य ।

4–मुगल रोड से लाला बक्सरा लगभग 1 किमी० पेविंग स्तर तक कार्य ।

5–मुगलरोड से कृपालपुर वाया मालमपुर (नदी किनारे तक) पेस्टिंग स्तर तक

6–मुसाफा–सकराबाद मार्ग से जराटा तक लगभग 1 किमी० पेस्टिंग स्तर तक

7–खुजुहा से गगौली पेस्टिंग स्तर तक कार्य 1 किमी०

8–चौडगरा बकेपर मार्ग से पधारा सम्पर्क मार्ग में पेस्टिंग

9–बकेपर जहानाबाद मुगलरोड मार्ग से करनपुर गोपालपुर में पेस्टिंग कार्य

10–मलवां कोतिया रोड से ग्राम मयाराम खेडा बनदीपुर तक सम्पर्क मार्ग ।]

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् बेल्हा प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के सफाई कार्मियों को नौकरी से निकाल दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ के नगरपालिका परिषद् बेल्हा प्रतापगढ़ के निम्नलिखित सफाई कर्मचारियों ने मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश तथा नगर विकास मंत्री एवं मुख्य सचिव नगर विकास सचिव उत्तर प्रदेश शासन तथा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को लिखित शिकायत किया कि शिकायतकर्ता बाल्मीकि बिरादरी जिनके नाम 1–श्री किशन 2–श्री राज रतन 3–श्री अच्छेलाल 4–श्री होती लाल 5–अनारा देवी 6–तारादेवी 7–आरती 8–गुडिया 9–किरन देवी है इनको नौकरी देने के लिए अधिशासी अभियन्ता बेल्हा प्रतापगढ़ ने 15-15 हजार (पन्द्रह–पन्द्रह हजार) रुपया रिश्वत लिया तथा नियुक्त पत्र भी दिया इसके उपरान्त माह नवम्बर 1996 से इनसे सफाई कार्य की ड्यूटी भी लिया गया है । किन्तु जब से अपना वेतन मांगते थे इन्हें टाल दिया जाता था । वेतन न मिलने पर उक्त प्रार्थीगणों ने अपने पैसे वापसी की मांग कियातब अधिशासी अधिकारी ने इन्हें मौखिक रूप से नौकरी से निकाल दिया तथा भद्दी-भद्दी गाली दिया ।

कृपया अविलम्ब अधिशासी अधिकारी नगरपालिका प्रतापगढ़ के विरुद्ध हरिजन उत्पीड़न के रिश्वत एवं भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम कराके इस प्रकरण की जांच करने हेतु मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।]

प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लागू रोस्टर प्रणाली की कमियों के कारण सामान्य संवर्ग में उपजे असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार–

[मान्यवर, आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्रमशः 21 मार्च, 1994 तथा 10 अक्टूबर, 1994 को नियुक्तियां प्रदान करने के समय तथा पदोन्नतियां करने के समय 100 पदों के अलग-अलग रोस्टर प्रदेश की सेवाओं में अनिवार्य रूप से लागू किये गये हैं जब से रोस्टर नियुक्तियों और पदोन्नतियों में प्रयोग हो रहे हैं, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्गों के संवैधानिक हितों का हनन हो रहा है क्योंकि रोस्टर के द्वारा केवल कुछ बिन्दुओं को छोड़कर समस्त बिन्दुओं पर अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है आरक्षण 21 प्रतिशत से अधिक हो जाता है और उसी अनुपात में अन्य वर्गों के अधिकारों का दमन हो जाता है किसी भी संवर्ग जिसमें 100 पदों से कम पद हैं यानी

नोट :–[ ] यह अंश हटाया गया ।

12 पदों के संवर्ग का उदाहरण लें तो प्रोन्नति के मामले में प्रथम, छठवां तथा ग्यारहवां पद अनुसूचित जाति को दिया जाता है यानी 12 पदों में से 3 पद उनको मिलते हैं जो उनके आरक्षण का प्रतिशत 21 के बजाय 25 कर देता है अर्थात् 4 प्रतिशत अन्य वर्गों की प्रोन्नतियां इस रोस्टर के द्वारा अनुसूचित जाति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि एक पद है और रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति को दे दिया जाता है तो उनका आरक्षण 21 स्थान 100 प्रतिशत हो जाता है, यदि दो पदों में प्रथम पद अनुसूचित जाति को दे दिया जाता है तो उनका आरक्षण 50 प्रतिशत हो जाता है। तीन में से प्रथम पद देने से 33 प्रतिशत हो जाता है और चार में से प्रथम देने से 25 प्रतिशत उनका आरक्षण हो जाता है अर्थात् अन्य वर्गों का क्रमशः 79 प्रतिशत, 29 प्रतिशत, 12 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत हमें मारा जाता है, जो आरक्षण अधिनियम की नहीं है। यह अन्याय सभी विभागों में 3 वर्ष से चला आ रहा है। 13 मई, 1997 के कार्मिक विभाग के भ्रामक शासनादेश ने कम पदों के संवर्ग में तथा एकल पदों पर भी पदोन्नति में अनुसूचित जाति की न्यायालयों के निर्णयों न्यायविदों की राय को आधार बनाकर विभागाध्यक्षों पर दबाव बनाकर इस अन्याय को बढ़ावा दिया है। न्यायालयों ने सदैव यह मानकर निर्णय दिये हैं कि सरकार द्वारा बनाया गया रोस्टर संविधान तथा आरक्षण अधिनियम के अनुरूप बना होगा, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। महाधिवक्ता की राय के अनुसार खाद्य विभाग के एक प्रकरण में रोस्टर के संशोधन का प्रकरण कार्मिक विभाग में एक वर्ष से लम्बित पड़ा हुआ है।

इसी प्रकार नियुक्तियों में भी प्रथम पद अनुसूचित जाति को देने से कम पदों के संवर्ग में उनको अधिक आरक्षण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार रोस्टर द्वारा जो आरक्षण प्रथम पद अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है वह अधिकांश मामलों में 21 प्रतिशत से नियुक्ति तथा पदोन्नति दोनों के मामले में अधिक हो रहा है चूंकि इस रोस्टर के कारण प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों में मनमुटाव तथा मुकदमेबाजी बढ़ रही है और इसका परिणाम काफी गम्भीर हो रहा है। अतः रोस्टर में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है ताकि संविधान तथा आरक्षण अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति को दिया गया आरक्षण 21 प्रतिशत तक सीमित रहे और अन्य वर्गों के संवैधानिक हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, अतः कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में विद्युत खम्भों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 की अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र गोकुल जनपद मथुरा के ग्रामों में चल रही विद्युत खम्भों की कमी की समस्या के सम्मानित सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब विद्युत खम्भों की आपूर्ति की मांग करता हूं।

ग्राम पंचायत कारब, अवेरनी, डघैटा, गंडेरा, पदेसरा अनौडा नगौडा मुनेरा सैखेडा जोसना बल्टोकरी, सोनई मगोनाबूल, पन्नापुर, भूडासनी शेरनी, दरौली, नगलासंजा, दौलतपुर, लहरोलीघाट, पटलोनो हथकोली, किलौनी अमोरपुर, छौली, बन्दौ, किशुनपुर, अलीपुर, लगलापापड़ी गुज, शिवली, विरहना खरवा, बिन्दु बुलाकी, बरेला सुखरिया, ककरेटिया, दीवानाकलां, पानोगांव, सूरज, खिरारी, इटौली आदि गांवों में खम्भे आंधी तूफान से टूट गये हैं या पुराने होकर टूट गये हैं। किसानों ने लकड़ी

नोट :–[ ] यह अंश [illegible] हुआ माना गया।

आदि के खम्भे लगाकर बिजली अपने-अपने नलकूपों को अपने घरों को ले जा रहे हैं। यह मानव जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। आये दिन मवेशी या मानव मर रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है आपके माध्यम से सरकार से विद्युत खम्भों की आपूर्ति कर विद्युत व्यवस्था को सुचारु करने की अपील करता हूं।।

जनपद सुल्तानपुर के विद्युत वितरण खण्ड पनियार सब-स्टेशन की मरम्मत तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

। मान्यवर, उपरोक्त विद्युत वितरण खण्ड के पनियार सब-स्टेशन 3 माह से मरम्मत के अभाव में बन्द है इससे एक घण्टे भी विद्युत आपूर्ति नहीं होती है जगदीशपुर जामों गौरीगंज क्षेत्र में कई वर्षों से पुराने लकड़ी के खम्भे टूटे तथा खराब हो गये हैं इस विद्युत खण्ड में सब-स्टेशन तथा खराब लाइन के मरम्मत के नाम पर जनवरी-फरवरी-मार्च, 1997 में लगभग 15 लाख रुपये की टी० आई० खोलकर तथा लाखों रुपये की स्टेशनरी खरीदने एवं छपाने के फर्जी आर्डर एवं भुगतान कर विभाग को चूना लगाया गया है इस धन का ऊपर तक बन्दरबाट कर लिया गया है जबकि वास्तव में न तो कोई मरम्मत हुई है और न ही कोई खरीद।

श्रीमान् जी, अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण फसल की सिंचाई न होने से कई बार किसानों ने रोड जाम भी किया है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर ऐसी जांच की मांग करता हूं कि जिसमें जनप्रतिनिधि ही शामिल हों तथा फर्जी भुगतान का भौतिक सत्यापन कर दोषी अधिकारियों को दण्डित तथा नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग करता हूं।।

जनपद जौनपुर के नगर क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद–

। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर के नगर क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक वर्तमान में कटौती की जा रही है जिससे नगर क्षेत्र में रहने वाली जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल/कालेजों के छात्र/छात्राएं अपनी पढ़ाई-लिखाई सही तरह से नहीं कर पा रही हैं। बिजली कटौती के कारण नगर के तमाम व्यापारियों के धन्धे चौपट हो रहे हैं। जनपद के नगर क्षेत्र के मोहल्ला मुल्ला टोला स्टेशन भण्डारी तथा मोहल्ला-ताडतला आदि जगहों पर तीन ट्रान्सफार्मर लगने हेतु काफी दिनों से प्रस्तावित हैं, परन्तु खेद है कि अभी तक यह तीनों ट्रान्सफार्मर उक्त स्थानों पर नहीं लगाये गये हैं। आये दिन जनपद के नगर क्षेत्र की बिजली कटौती को देखते हुए अतिरिक्त दो इमरजेंसी मोबाइल ट्रान्सफार्मर लगाने की आवश्यकता है। आये दिन बिजली कटौती के कारण नगर की आम जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के संबंध में आदेश देने की कृपा करें।।

नोट :– । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे के पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचन राम–

।मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे के अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद काफी समय से प्रोन्नति हेतु रिक्त पड़े हुये हैं किन्तु आरक्षित रिक्तियां भरने हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है जबकि विभाग में उपर्युक्त अधिकारी उपलब्ध हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19–9–96 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को छः माह के भीतर प्रोन्नति के आदेश दिये थे परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को एक पत्र संख्या–पी०एस० 150 सी०एम०/97 दिनांक 13 मई, 1997 द्वारा यह निदेश दिये गये हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र आरक्षित रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाय । उक्त निदेश के बावजूद भी अभी रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही नहीं की गई ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि आरक्षित रिक्त पदों को यथाशीघ्र प्रोन्नति द्वारा भरा जाय । ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके ।।

होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

।मान्यवर, स्थानान्तरण, जांच अनुशासनिक कार्यवाही सम्भावित हानि लाभ आदि के नाम पर होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का शोषण दोहन किया जा रहा है । शासन एक विभागीय स्थानान्तरण नीति के विपरीत झूठी, मनगढ़न्त एवं अभिलेखों के विपरीत समय सूचनायें अग्रसारित कर निदेशालय द्वारा उत्पीड़नात्मक तबादले करा लेने में सफलता प्राप्त कर ली गई है । होम्योपैथी निदेशालय द्वारा मुख्य मंत्री सचिवालय के निर्देशों, जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों व उच्चादेशों की अवज्ञा भी की गई है । होम्योपैथी निदेशालय द्वारा अपना व पराया का व्यवहार किया जा रहा है कुछ विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को अनुचित अवैध संरक्षण एवं कुछ का अकारण ही उत्पीड़न किया जा रहा है । होम्योपैथी निदेशालय के उत्पीड़नकारी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही शोषण दोहन आदि से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है । साथ ही प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है । स्वच्छ प्रशासन, कार्यहित एवं जनहित में होम्योपैथी निदेशालय के क्रिया-कलापों की शासन स्तर से ही जांच नितांत आवश्यक है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुये होम्योपैथी निदेशालय के क्रिया-कलापों की शासन स्तर से जांच कराये जाने की मांग करता हूं ।।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद पीलीभीत में विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में शारदा नदी की भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल कृष्ण–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना दे रहा हूं कि इस पर अविलम्बनीय कोई ठोस योजना बनाकर कार्यवाही नहीं की गई तो भयंकर हादशा हो जायेगा। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में शारदा नदी भीषण बाढ़ का तांडव कर रही है।

मान्यवर, ग्राम गढ़िया सराय क्षेत्र भ्रमण पर मैं गया था वहां पर मार्जिनल बांध को बचाने हेतु नहर विभाग के इन्जीनियर फर्जी ट्रक (के–4) लिखकर पत्थर डाल रहे हैं और इस 90 के एंगल पर बना रहे हैं जिससे कि कटान हो रहा है और सारा पत्थर बहा जा रहा है जिससे सरकार का सारा पैसा व्यर्थ हो रहा है जिससे शारदा सागर बांध निश्चित रूप से भयावह रूप ले सकता है और एक या दो दिन में फट सकता है जिससे चारों ओर प्रलय का दृश्य होगा।

ग्राम गढ़िया सराय आदि में दहशत का वातावरण है और ग्राम प्रधान अजीत कुमार व मोनू भाई और हजारों नागरिकों ने बताया यदि कोई योजना नहीं बनाई गई तो लोगों के प्राण नहीं बचेंगे।

समस्त नागरिकों में दहशत व्याप्त है शीघ्र ही सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार को रोका जाये। शारदा बांध पर भी बाढ़ आई हुई है वहां पर बचाव राहत के कार्य किये जायें।]

जनपद गोण्डा में कर्नेलगंज आर्यनगर मार्ग पर रामपुर घाट में टेढ़ी नदी पर लकड़ी के बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद गोण्डा में कर्नेलगंज आर्यनगर मार्ग पर टेढ़ी नदी (रामपुर घाट) लकड़ी का पुल काफी दिनों पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है इस संबंध में मैंने पूर्व में ही शासन को अवगत कराया था परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुख्य मार्ग है तथा बलरामपुर जनपद को भी मुख्य रूप से पट्टी जोड़ता है। टेढ़ी नदी में शैलाब आ जाने से जिससे रास्ता बन्द हो गया है। जिससे जनता में भारी असंतोष है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर मैं सरकार को दिशा निर्देश देने की कृपा करें।]

शासन सचिवालय के कार्मिक अनु०–2 की कार्य प्रणाली से उत्पन्न असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरि शंकर तिवारी–

[महोदय, शासन सचिवालय के कार्मिक अनुभाग–2 की जितनी भी आलोचना की जाये कम है। उक्त अनुभाग से अराजपत्रित कर्मचारियों के शासन तथा निदेशालय स्तर के मामले देखे जाते हैं। यहां पर मामले वर्षों तक लम्बित रहते हैं। प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है नहीं ऐसा कोई नियम यहां पर है जिससे वहां पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी मनमानी से ही मामलों को करते हैं। यहां पर तीन वर्ष से ऊपर के कतिपय लोग अब भी हमें बैठे हैं जो निरीह तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कार्यों के मामले में हीला हवाली करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करते है इसी अनुभाग में वे

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मृतकाश्रित जिन्होंने अज्ञानतावश मृत्यु के समय बालिग न होने के कारण नौकरी के क्लेम को नहीं उठाया, उनके बाद में बालिग होने पर बीच की अवधि के विलम्ब को क्षमा करने का काम भी डील किया जाता है ऐसे अनेकों मामलों में भिन्न-भिन्न मत इस अनुभाग द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। अगर दस मामले एक जैसे आये हैं तो उनमें हर मामलों में अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं इसका कारण अब तक नहीं समझ में आया है।

इस बिन्दु को सदन के संज्ञान में लाते है ऐसी पत्रावलियों जिनमें मृतकाश्रित ने विलम्ब क्षमा करने का अनुरोध किया हो तथा निदेशालय स्तर से आयी हों गत तीन वर्ष की ऐसी समस्त पत्रावलियों पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति में व्यक्त किये गये विचारों से उत्पन्न आदेशों की बिजलेंस से जांच कराने की मांग करता हूं। आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा।।

श्री नन्द किशोर रूंगटा के अपहरण से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

। मान्यवर, दिनांक 23-1-97 को अपराध संख्या 19/97 धारा 384 ए एवं 355 भारतीय दण्ड विधान थाना भैलूपुर जनपद वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया कि श्री नन्द किशोर रूंगटा का अपहरण कर लिया गया है उस तिथि से आज तक पुलिस मूक दर्शक बन कर बैठी है। न तो उनका जीवित अवस्था में कोई पता लगा है न ही मृत्यु की कोई सूचना पुलिस दे पा रही है पुलिस विभाग इनकों ढूढ़ने में नाकाम रहा है।

अतः आदरणीय सदन के संज्ञान में यह सूचना लाते हुये अनुरोध करता हूं कि या तो 15 दिन में इस तथ्य के सत्य पहलू उजागर किये जायें अन्यथा उच्च गुप्तचर जांच के आदेश सरकार तत्काल दें।।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्राम सभाओं में जूनियर हाई स्कूल न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

। मान्यवर, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। अभी तक तमाम बड़ी-बड़ी आबादी वाले ग्रामों में जू० हा० स्कूलों की स्थापना नहीं हो सकी है। जबकि निम्न ग्रामों के आस-पास 4 किलोमीटर की परिधि में कोई जू० हा० स्कूल नहीं है जिससे क्षेत्रों के सामने पढ़ाई की गम्भीर समस्या है शिक्षा के विकास में पीछे है। ऐसी दशा में निम्न ग्रामों में जू० हा० स्कूल खोले जायं :—

1–बिलग्राम ब्लाक के ग्राम पंचायत छिवरा मऊ बरऊली शेरपुर, परचल रसूलपुर बेरूआ निजामपुर, हैवतपुर, करेहा चौगवा बैपरिया, जफरपुर दिवाली, विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत शहपुर गंगा, बेरिया नजीरपुर, पूरनमऊ, अकबरपुर विकास खण्ड माधोगंज शाहबदा, पढेया खेडाशाहपुर वसुदेव इकसइया,चन्दौली तेरवाकुल्ली, इसरापुर, जू०हा० स्कूल की स्थापना करा दी जाय।

चूंकि यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है जिस पर प्रश्न में चर्चा होना आवश्यक है। जिससे छात्रों के हित में जू० हा० स्कूल खोले जा सकें।।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के हरौड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित में सिद्ध साल्वेट एवं फार मोस्ट डेयरीज के प्रबन्धतंत्र द्वारा बन्दी की स्थिति उत्पन्न कर देने के कारण श्रमिकों की दयनीय स्थिति विषयक नियम 301 के संबंध में सूचना

श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अतिमहत्वपूर्ण लोकहित की सूचना लाना चाहता हूं सहारनपुर जनपद के हरौड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित मै सिद्ध साल्वेन्ट एवं फार मोस्ट डेयरीज लि० में हजारों श्रमिक कार्यरत हैं । उक्त दोनों फैक्ट्रियों के प्रबन्धन द्वारा श्रम कानूनों की घोर अवहेलना करके बन्दी की स्थित पैदा कर दी गई हैं प्रबन्धन तंत्र द्वारा करोड़ों रुपयों के कर्जे बैंकों से फैक्ट्रियों के नाम पर लिए गये हैं जिनका समुचित प्रयोग न करके उसे अंध उत्पादक कार्यों में लगाया है । इससे श्रमिकों के समक्ष बन्दी स्थिति के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण आये दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है ।

श्रमिकों में व्याप्त भंयकर आक्रोश व्याप्त होने से तनाव की स्थिति बनी हुई है जिससे किसी भी वक्त भंयकर घटना हो सकती है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि श्रमिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों फैक्ट्रियों के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु सुदृढ़ प्रबन्ध किया जाये ।]

शाहजहांपुर निवासी अब्दुल कुद्दूस द्वारा नियमानुसार खरीदे गये पेड़ों को काटने का अनुमति प्रदान किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, शाहजहांपुर निवासी अब्दुल कुद्दूस नें खसरा सं० 1ज/56/एकड़/184ब/47.3, 210अ/122.71, 316/75.49=4 किता/249.23 दि० वाकम मौजा हरीमपुर परगना खुटार तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर पर खड़े कुल दरख्तान काट लेने के लिये नियमानुसार 27-4-1945 को खरीदे तथा धारा 4 फारेस्ट ऐक्ट का नोटिफिकेशन होने के बाद फ़ारेस्ट सेटि लमेंट अफीसर शाहजहांपुर को उक्त दरख्तान काटने की अनुमति दिये जाने हेतु 23.8.57 को आवेदन किया । फारेस्ट पैरोकार के इस बयान पर उपरोक्त क्षेत्र पर पुराना घना जंगल है और क्षेत्र की मेडबन्दी हो चुकी है । इस आधार पर दिनांक 24-7-61 को उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया । दिनांक 7.5.62 को जिला कलेक्टर शाहजहांपुर ने अपील के फैराले में फारेस्ट सेटिलमेन्ट आफीसर शाहजहांपुर का 24-7-81 का आदेश निरस्त करते हुए आवेदक को पेड़ काटने की अनुमति प्रदान कर दी । वन विभाग ने जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध ट्रिवनल जिला जज के यहां रिवीजन किया जो 22-8-68 को निरस्त हो गया दिनांक 2-3-1970 को डी०एफ०ओ० ने धारा38 (एच) फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत उक्त के अन्तर्गत उक्त दरख्तान को अपने कब्जे में ले लिये डी०एफ०ओ० के इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी गई जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी पुनः बड़ी बेन्च के समक्ष इसकी अपील हुई । माननीय न्यायालय ने 13-10-72 को स्वीकार करते हुए 38(एच) फारेस्ट ऐक्ट का नोटिस खारिज कर दिया और पेड़ो पर कुद्दूस का हक मानते हुए काटने की अनुमति प्रदान की जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एस०एल०पी० नं० 1602/73 दायर की जोकि 21-11-84 को खारिज हो गई । इस प्रकार अब्दुल कुद्दूस व उनके वारिसान को उक्त पेड़ों को काटने का कानूनी हक मिल गया । न्यायालय ने इसकी पुष्टि कर दी परन्तु आदेशों का अनुपालन आज 13 साल हो गये वन विभाग

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शाहजहांपुर नहीं कर रहा है ना ही उत्तर प्रदेश सरकार इनका अनुपालन करा रही है । इस संबंध में कई आवेदन भी दिये गये हैं ।

आपके माध्यम से मेरी मांग है कि माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उक्त पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की जाये ।]

मुख्य चिकित्साधिकारी डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश यात्रा बिलों को पारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल गंगवार–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्य चिकित्साधिकारी डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित एवं पंजीकृत ट्रैवलिंग एजेन्सीज से अवकाश यात्रा करने वाले कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अवकाश यात्रा बिलों का भुगतान न करके आर्थिक हानि, शोषण एवं प्रताड़ित करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है । विदित है कि प्रभावशाली ऊंची राजनीतिक पहुंच के कारण इनका अधिकांश सेवाकाल इसी चिकित्सालय में विभिन्न पदों पर तैनात रह कर बीता है । और वर्तमान में इनकी पहुंच के ही कारण जुलाई, 1993 से किसी प्रमुख अधीक्षक की नियुक्ति अस्पताल में नहीं हो पा रही है । इससे उत्साहित होकर यह अच्छी छवि वाले कर्मचारियों के एवं गरीब जनता का भरपूर शोषण कर रहे हैं । जीवन रक्षक दवाओं की भी काफी कमी हो गयी है ।

अतः उपरोक्त विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही करके कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अवकाश यात्रा बिलों का भुगतान कराने एवं शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनके स्थानान्तरण की मांग करता हूं ।]

जनपद वाराणसी के धनतुलसी डेंगरपुर घाट पर पीपे का पुल बनाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[महोदय, जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में कोनिया धनतुलसी एक छोर का बार्डर है जो मुख्यालय से लगभग 70 कि०मी० की दूरी पर है तीन तरफ गंगा नदी से घिरा हुआ है । सघन आबादी वाला क्षेत्र जनपद वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद जाने के लिए 100 कि०मी० गंगा नदी की वजह से चक्कर लगाकर जाना पड़ता है । यदि धनतुलसी डेंगरपुर गंगा नदी घाट पर पीपा का पुल जो कि पहले से प्रस्तावित है, कई बार पी०डब्लू०डी० द्वारा इस्टीमेट भेजा जा चुका है किन्तु शासन द्वारा अभी तक स्वीकृत प्रदान नहीं की गयी है जिसके कारण मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों अन्तर्राज्यीय प्रदेशों को जोड़ने के लिए काफी दूर चलना पड़ता है यदि इस पुल का निर्माण हो जाय तो मात्र 20 कि०मी० का सफर करना पड़ेगा । जो दूरी लगभग 100 कि०मी० चलकर विभिन्न जनपदों में जाना पड़ता है इस पुल की वजह से वह दूरी सिमटकर 15–20 कि०मी० में हो जायेगी ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि इस लोक हित के मामले को ध्यान में रखते हुए तथा जनता की बेहद मांग को मद्देनजर रखते हुए धनतुलसी डेंगरपुर घाट पर पीपे का पुल के निर्माण के लिए शासन को निर्देश देने की कृपा करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद वाराणसी में सेवापुरी व आराजी लाइन को मिलाकर सेवापुरी में तहसील हेड क्वार्टर बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ–

[मान्यवर, वाराणसी जनपद को अन्तर्राज्यीय जगत में एक महान ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी माना जाता है। यहां पर अनेकों राष्ट्रीय धरोहरें सुरक्षित हैं जहां पर प्रायः विदेशियों का आवागमन बना रहता है इसकी विशालता को देखते हुए इसे 3 जनपदों में विभाजित कर दिया गया है भदोही तथा चन्दौली जिले बना दिये गये हैं। किन्तु आज भी वाराणसी महान की ही आबादी इतनी बड़ी है कि वाराणसी महानगर तथा वाराणसी जिला पृथक-पृथक जिले बनाये जा सकते हैं परन्तु अभी तक यह सम्भव नहीं हो पाया है। सेवापुरी आराजी लाइन मिलाकर एक तहसील बना दी जाय तो विकास व कानून व्यवस्था की दृष्टि से वाराणसी जनपद और महानगर व्यवस्थित हो जायेगा क्योंकि आराजी लाइन व सेवापुरी की जनता को तहसील न्याय विकास एवं प्रशासनिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आये दिन वाराणसी कलेक्ट्रेट जाना पड़ता है और इस क्षेत्र की जनता को महानगर शहर से ही होकर गुजरना पड़ता है- वाराणसी नगर में आये दिन रास्ता जाम व भीड़भाड़ की वजह से 2 ब्लाकों की जनता को कलेक्ट्रेट पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सदर तहसील तथा जिले का प्रशासनिक सदैव जिले की भीड़भाड़ की समस्यायें आये दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन को लेकर अन्य शहर की समस्याओं में उलझा रहता है इससे देहात के इलाकों की घोर उपेक्षा होती है। इसलिए भी सेवापुरी तहसील हेडक्वार्टर बनाया जाना अति आवश्यक हो गया है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि सेवापुरी व आराजी लाइन ब्लाकों को मिलाकर सेवापुरी में तहसील हेडक्वार्टर बनाने का शासन को निर्देश करने की कृपा करें।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र सारज्यूला पट्टी में पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखी राम जोशी–

[महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय नई टिहरी से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंगा नदी से पम्पिंग योजना निर्माण करने की मांग सारज्यूला पट्टी के लोगों द्वारा की जा रही है इस योजना का निर्माण नितान्त आवश्यक है यह पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त घोषित है।

अतः इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय को स्वीकार कर सारज्यूला पम्पिंग पेयजल योजना शीघ्र निर्माण हेतु सरकार को सख्त निर्देश करें।]

जनपद वाराणसी में शंकलधारा विद्युत उप केन्द्र के पुराने यन्त्रों को बदलकर विद्युत व्यवस्था सुचारु बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शंकलधारा विद्युत उपकेन्द्र में कई क्षेत्रों से सम्बद्ध फीडर है। लेकिन उक्त केन्द्र के उपकरण अत्यन्त पुराना होने के कारण अक्सर खराबी आती रहती है जिससे सम्बद्ध क्षेत्रों में अक्सर विद्युत आपूर्ति की शिकायत रहती है इसकी जांच लागबुक से की जा सकती है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरी मांग है कि शंकलधारा विद्युत उपकेन्द्र के सभी पुराने उपकरण बदल दिये जायें ताकि सम्बद्ध क्षेत्रों के नागरिकों को विद्युत की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा सके।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत सुचित निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को दिये जाने की कृपा की जाय।]

इलाहाबाद के थाना धूरपुर के अन्तर्गत नये बाजार कर्मा में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक श्री इब्राहिम के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदम्बिका पाल–

[मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के नये बाजार कर्मा थाना धूरपुर में एक पाकिस्तानी नागरिक बीजा की अवधि समाप्ति के उपरान्त भी रह रहा है इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद के कार्यालय से पत्र संख्या–1333, दिनांक 7-8-95 को प्रकरण की जांच हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं इसके बावजूद अभी तक कोई भी अग्रेतर कार्यवाही नहीं हुई है जबकि पाकिस्तानी नागरिक इब्राहिम पुत्र रज्जब अली, नई बाजार कर्मा में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए छूटी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है इसी प्रकार के सार्वजनिक जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया है लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। श्री इब्राहिम स्थानीय असामाजिक तत्वों को पनाह देते हैं जिसके कारण आम आदमी असुरक्षित महसूस करता है लोग भयवश उसके खिलाफ शिकायत भी नहीं करते हैं एक तरफ प्रदेश एवं देश की सरकार अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की छानबीन करके उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं दूसरी तरफ नई बाजार कर्मा थाना धूरपुर में इब्राहिम पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से प्रदेश में रहकर सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं तथा कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। इससे लोगों में क्षोभ एवं रोष है स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है।

अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन की माध्यम से सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

[मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है परन्तु कुछ वर्षों पूर्व उर्दू भाषा के विकास एवं पठन-पाठन के उद्देश्य से प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों एवं अनुवादकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी परन्तु वर्तमान समय में यह प्रक्रिया पूरी तरह रुकी पड़ी है। इससे उन बेरोजगारों के सामने समस्या पैदा हो गयी है जिन्होंने उर्दू भाषा में पाठ्यक्रम इस उद्देश्य से किये हैं कि उन्हें भी सार्टीफिकेट/डिप्लोमा का लाभ रोजगार में मिलेगा आज बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उर्दू के अध्ययन से डिग्री डिप्लोमा सार्टीफिकेट प्राप्त बेरोजगार अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए भटक रहे हैं। परन्तु सरकारी विभागों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

चूंकि वर्तमान समय शिक्षा सत्र का प्रारम्भिक समय है इसलिए अभी से उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की अवधारणा सुनिश्चित करने की नितान्त आवश्यकता है। विषय अविलम्बनीय निश्चित लोक महत्व का है। अतः सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा कराना जरूरी है।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर्वतीय क्षेत्रों में मन्दिर मार्गों पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को हटाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[महोदय, शासनादेश है कि यात्रा मार्गों पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी साथ ही उत्तरांचल के धार्मिक क्षेत्र में वैसे भी मद्य निषेध लागू है फिर भी ऋषिकेश से जोशीमठ व गंगोत्री तक स्थान-स्थान पर यात्रा मार्गों में शराब की दुकानों के खुलने से जहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है वहां पहाड़ की पीढ़ी को भी बर्बाद किया जा रहा है।

शासनादेशों के विपरीत मन्दिरों व शिक्षण संस्थाओं के एक कि०मी० तक शराब की दुकानें नहीं खुल सकतीं किन्तु प्रशासन की मिलीभगत से उस शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और स्कूल व मन्दिर से सटाकर मदिरा की दुकानों को खोला गया है।

पहाड़ में अधिकांश पुरुष वर्ग रोजी-रोटी के चक्कर में पलायन कर गया है। गांव में महिलायें या बच्चे ही बचे हैं। शराब की दुकानों के खुलने से तथा गांव-गांव में कच्ची शराब बनने से यहां की भावी पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि यात्रा मार्गों पर तत्काल प्रभाव से शराब की दुकानों को खत्म किया जाय तथा शिक्षण संस्थान एवं मन्दिर के निकट से कम से कम एक कि०मी० दूर शराब की दुकान को एक सप्ताह के अन्दर हटाये जाने के सरकार को आदेश जारी करने की कृपा करें।]

जनपद देहरादून की ग्राम सभा रायवाला के आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह–

[महोदय, जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोई वाला में ग्राम सभा रायवाला एवं प्रतीतनगर व आसपास के गांव में जो पेयजल गढ़वाल जल संस्थान द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, वह अत्यधिक गन्दा है क्योंकि पेयजल सीधे नदी से लिफ्ट करके सप्लाई किया जाता है जिसमें कि गन्दगी के साथ-साथ मरे हुए जानवर भी नदी के पानी में पड़े देखे गये हैं, गन्दा पानी पीने के कारण गावों में उल्टी, दस्त व अन्य बीमारियों का अत्यधिक प्रकोप है। गढ़वाल जल संस्थान से बार-बार आग्रह करने पर भी पानी के फिल्टर की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है तथा जनता को गन्दा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है जिसके कारण क्षेत्र की जनता में अत्यन्त आक्रोश है तथा आन्दोलित हैं।

अतः इस गम्भीर औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर शासन को जनपद देहरादून के रायवाला के आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद मुजफ्फरनगर में नकली खाद बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में नकली खाद बनाने के कारखाने पुनः सक्रिय हो गये हैं। ज्ञातव्य है कि 1995 में कई कारखानों को मिलावटी खाद बनाने के जुर्म में सीलबन्द कर मालिकों को जेल खाने में डाल दिया गया था लेकिन इसके बावजूद फैक्ट्रियां अवैध रूप से चलायी जा रही हैं तथा जनपद में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिलावटी खाद निर्माण का कार्य जोर-शोर से प्रारम्भ हो गया है। जिससे जहां भूमि बंजर होती जा रही है वहीं किसानों का भी शोषण हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए त्वरित प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में जातीय संघर्ष में हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधाकर सिंह–

[मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले एक माह के दौरान इस सरकार के जातीय विघटन के चलते बीस से अधिक ब्राह्मणों की हत्या कर दी गयी। दिनांक 28 जुलाई, 1997 को पण्डित केदार दत्त शर्मा, उनके पुत्र व पुत्रवधू की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गयी। दिनांक 1 अगस्त, 1997 को एक टाइप ट्रेनिंग स्कूल की विधवा संचालिका श्रीमती उर्मिला शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव काकड़ा निवासी पं० राम कुमार शर्मा (सींचपाल) को 9 जुलाई, 1997 को मौत के घाट उतार दिया गया। सिविल कोर्ट मुजफ्फरनगर में कार्यरत आलोक कुमार शर्मा, लिपिक को 12 जुलाई, 1997 को मार दिया गया। थाना बावरी क्षेत्र के गांव सोहजनी जाराव में मन्दिर में सो रहे पुजारी की गोली मार कर दिनांक 7 जुलाई, 1997 को हत्या कर दी गयी।

इन घटनाओं से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के मन में घोर भय और असुरक्षा व्याप्त है। प्रशासन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कारगर कार्यवाही न करने से घटनायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

अतः इस लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये जाने की अनुज्ञा चाहता हूं।]

जनपद सीतापुर के अम्बेडकर गांव उनई के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक के विपरीत सामग्री प्रयोग करने एवं धन का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम लाल रावत–

[महोदय, सीतापुर जनपद के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम उनई में डामर रोड बनाकर अटरिया नीलगांव सड़क से जो विगत जून, 1997 में जोड़ा गया है। सम्पर्क मार्ग के निर्माण में निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराया गया है। इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.5 कि०मी० है। मात्र तीन माह के बाद सम्पर्क मार्ग बहुत खराब हालत में है। पत्थर, गिट्टी और डामर घटिया किस्म का डाला गया है तथा बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया गया है। सड़क पर रोलर तक का प्रयोग नहीं किया गया है। सड़क कई जगह धंस गयी है। सड़क पर गड्ढे हो गये हैं। आवागमन मुश्किल है। इस अम्बेडकर गांव के सम्पर्क मार्ग निर्माण में भारी वित्तीय अनियमिततायें और धन का गोल-माल किया गया है।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय मामला है। इस अम्बेडकर गांव को डामर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक के विपरीत कराये गये कार्य एवं धन के भारी गोल-माल के विरुद्ध कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत कतिपय कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डेय–

[महोदय, गोमती नगर आवासीय योजना हेतु श्री दुलारे पुत्र जोधा निवासी ग्वारी, गोमती नगर, लखनऊ की जमीन अधिग्रहीत की गयी है । लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा एवं शासन द्वारा आज तक सम्पूर्ण अधिग्रहीत भूमि का अधिग्रहण काफी दिनों बाद भी मुआवजा तक न दिया जा सका है । भू-स्वामी श्री दुलारे व उनके पुत्रगण श्री राम किशोर व राम चन्द्र द्वारा अनवरत शासन एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ से अपनी ही अधिग्रहीत भूमि के भूखण्ड संख्या–4/21, विशाल खण्ड, गोमती नगर को अपने ही पक्ष में अवमुक्त एवं आवंटित किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है किन्तु निहित स्वार्थ में विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले को अनदेखी करते हुए निस्तारण में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । शासन के आवास विभाग एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा प्रदत्त व्यवस्था का भी समादर नहीं किया जा रहा है । जिससे क्षेत्रीय कृषकों में घोर क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है जो कभी भी उग्र रूप ले सकता है । भूखण्ड संख्या–4/21, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को अवमुक्त एवं आवंटित किये जाने के फलस्वरूप श्री दुलारे पुत्र जोधा व श्री राम किशोर, राम चन्द्र पुत्रगण दुलारे उक्त ने दिनांक 6-8-97 को लिखित रूप से शासन-प्रशासन को सूचित किया है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर यदि प्रार्थीगण की समस्या का निदान नहीं कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण आमरण अनशन पर बैठ जायेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए भूखण्ड संख्या–4/21, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ श्री दुलारे पुत्र जोधा, श्री राम किशोर, राम चन्द्र पुत्रगण दुलारे निवासी ग्वारी, गोमतीनगर, लखनऊ के पक्ष में अवमुक्त एवं आवंटित किये जाने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ शहर के आलमबाग क्षेत्र में स्थित कैलाशपुरी मुहल्ले में एवं "सब-लेन" को लेबिल कराकर दोनों ओर नालियां बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्दराम–

[मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान लखनऊ शहर, आलमबाग क्षेत्र में स्थित मोहल्ला कैलाशपुरी की एक सब-लेन जो सोहनलाल के होटल से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर महोदव दूधवाले के मकान से होते हुए जाती है और जिसकी दूरी मात्र 50-60 मीटर होगी, बड़ी ही खराब अवस्था में है । उसके दोनों ओर की नालियां टूट गयी हैं और उसका खण्डंजा निकल गया है तथा काफी नीचे हो गयी है, जिससे घरों से निकलने वाला गन्दा पानी उसी सब-लेन में एकत्र होता रहता है । इस कारण वहां पर मच्छरों का साम्राज्य हो गया है और उस एरिया के निवासी गन्दगी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं ।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त सब-लेन को लेबिल कराकर दोनों ओर की नालियों को ठीक कराकर पिच कराने की कृपा करें ।]

मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के रामराज में गंगा में आयी बाढ़ से मची तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र आर्य–

[मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र जानसठ के रामराज (मुजफ्फरनगर) में गंगा में आयी बाढ़ के कारण सैकड़ों ग्रामों में हुई तबाही की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, बाढ़ के कारण हजारों लोग पशु, बालक, महिलायें तबाही का शिकार हुई हैं । किन्तु

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरकार और प्रशासन इस दिशा में बिल्कुल अकर्मण्य है और ऐसी दर्दनाक आपदा जो विगत कई वर्षों से उस क्षेत्र में तबाही मचाये हुए है इस दिशा में कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।

मान्यवर, आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस आपदा से हुई तबाही का समुचित मुआवजा सरकार अविलम्ब पीड़ितवासियों को मुहैया कराये और आप सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि इस समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाय।]

लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव शंकर सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 775 कर्मचारियों जोकि विगत 20–25 वर्षों से कार्यरत हैं तथा जिनकी सेवा अनानुमोदित दैनिक वेतन, दैनिक वेतन फिक्स पर कार्य रहे हैं, को शासन निकालने पर विचार कर रहा है। उक्त कारण से कर्मचारियों में घोर निराशा तथा भय व रोष व्याप्त हो गया है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सतदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु शासन से मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डीह की ग्राम सभा गोपालपुर के कतिपय ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु लिंक रोड बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दल बहादुर कोरी–

[महोदय, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डीह की ग्राम सभा गोपालपुर के मजरे शेरनाथपुर, शिवपुर, बड़ी चिल्हिया, छोटी चिल्हिया, बाबा गंगादास की कुटिया तथा मुराइन का पुरवा में लगभग 10 हजार की आबादी दलितों एवं पिछड़ों की है और इन लोगों को आने-जाने का कोई भी मार्ग अभी तक नहीं बना है। जबकि बरसात में तो बिल्कुल ही आने-जाने का मार्ग नहीं रह जाता है तथा दूसरी ग्राम सभा से 4-5 कि०मी० का रास्ता तय करके आना-जाना पड़ता है। उक्त ग्रामों से सम्पर्क मार्ग रोड से जोड़ दिये जाने से मात्र एक कि०मी० दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग बन जाने से लोगों का विकास एवं विद्यालय आने-जाने में आसानी होगी। इसी प्रकार जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सलोन की ग्राम सभा केशवापुर में दलित बस्ती में आने-जाने का कोई मार्ग नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्राम सभाओं के सम्पर्क मार्गों का आदेश करते हुए इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बेहटा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तम्बौर एवं रेऊसा में उपकरणों, दवाओं एवं डाक्टरों को उपलब्ध कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार–

[विधान सभा क्षेत्र बेहटा (सीतापुर) के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तम्बौर एवं रेऊसा में एक डाक्टरों (महिला/पुरुष) एवं कर्मचारियों की कमी से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ की कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाये गये उपकरण भी बेकार हो रहे हैं तथा दवाओं की समुचित आपूर्ति न होने के कारण प्रायः मरीजों की असामयिक मृत्यु हो जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कहलाने वाला यह विधान सभा क्षेत्र जनपद मुख्यालय से लगभग

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

70 कि०मी० की दूरी पर स्थित है और वर्तमान में आयी बाढ़ के कारण गांवों में पानी भर गया है। जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेऊसा में शासन द्वारा 30 (तीस) शैय्याओं का चिकित्सालय है परन्तु वहां शैय्या उपलब्ध नहीं है। महिला चिकित्सक की भी नियुक्ति नहीं है।

अस्तु जनहित को ध्यान में रखते हुए इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की उपेक्षा में यह सूचना सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।]

जनपद आजमगढ़ में चयनित अम्बेडकर गांवों का काम पूरा कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जग–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के बावजूद आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र तथा दूसरी विधान सभाओं में 1995-96 के अम्बेडकर गांवों को 1997-98 के लिए चुना गया। जबकि मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार पुराने अम्बेडकर गांव के व्यय को पूरा कराया जायेगा। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दस-दस अम्बेडकर ग्राम लिए जायेंगे।

आपसे अनुरोध है विधान सभा में 1997-98 में नये 10 अम्बेडकर गांव लिये जायेंगे। इसके पूर्व में सभी अम्बेडकर गांवों का काम पूरा करा लिया जाय।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब में नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहते रहे तथा नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान होता रहा।)

इस प्रकार आप धमकी नहीं दे सकते कि सदन नहीं चलेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। (घोर व्यवधान)

मैं 2.00 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर रहा हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(तीन बजे)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं अभी एक महत्वपूर्ण सूचना पर जो कि अति लोक महत्व की और अविलम्बनीय सूचना थी, पर अपने विचार रख रहा था । आपने उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल मेरा अनुरोध है कि पहले मैं नियम 300 की सूचनाएं ले लूं उसके बाद आपको सुन लूंगा । आज नियम 300 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इसमें पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री भरत सिंह, श्री अजय राय जी और इसी सम्बन्ध में दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र यादव जी की भी है । मेरा आपसे अनुरोध कोई एक सदस्य बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दें । अभी बहुत सा कार्य पड़ा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन को एक दिन और बढ़ा दें, हम लोग तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आज हम लोग देर तक बैठ लेंगे ।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 की कार्यसूची की मत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न–4 के उत्तर के संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होनेके संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

श्री नन्द किशोर रूंगटा पूर्वांचल के एक सफल व्यापारी थे, उद्योगपति थे और सबसे बड़े, तो वे एक सफल समाज सेवी थे और अनेक संस्थाओं से जुड़े थे । यह अत्यन्त ही दुखद और गम्भीर प्रकरण है । इसी वर्ष 22 जनवरी को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका अपहरण हो गया । मैंने इस संबंध में एक तारांकित प्रश्न किया था जिसके उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कार्यवाही की है, वह बतायें । मैंने उस पर अपनी असहमति जतायी थी और मेरी मांग यह थी कि चूंकि यह एक अत्यन्त ही गम्भीर और संवेदनशील मामला है जिस तरह से वाराणसी पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की जा रही है वह किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, उसमें प्रगति नहीं हुई है इसलिए आई० जी० और डी० आई० जी० द्वारा इसकी जांच करायी जाय । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, "मैं यहां पर कोट कर रहा हूं जो अपहरण हुआ है मकसद उन्हें प्राप्त करना है । बड़े स्तर के अधिकारी ज्यादा व्यस्त होते हैं उनके पास समय कम होता है और माननीय चौधरी जी को विश्वास में लेकर इस मामले में कार्यवाही करा दी जायेगी ।" यह उत्तर उन्होंने सदन में दिया था । और यह अक्षरतः कार्यवाही में अंकित है । मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी ने मुझे विश्वास में लियाऔर मुझे बुलाया भी नहीं गया । इस बीच मुझे अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई कि उस प्रकरण को सी० बी० सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिया गया है और जो बनारस के डी०आई०जी० इस प्रकरण में काफी हद तक आगे बढ़ गये थे ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आयेगा ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

वहां के जो डी०आई०जी० जो काफी हद तक आगे बढ़ गये थे, अपराधियों को पकड़ने वाले थे, लेकिन उनका एकाएक स्थानान्तरण कर दिया गया और डी०आई०जी० के स्थानान्तरण करने से और

केस का पर्दाफाश न होने से वाराणसी की जनता में रोष व्याप्त है और वहां की जनता उद्वेलित है। इस कृत्य से वाराणसी की जनता में यह सन्देश गया है कि शासन इस मामले में लीपापोती करना चाहता है, लीपापोती करने की मंशा है। मान्यवर, वाराणसी की ही जनता नहीं बल्कि समस्त पूर्वांचल की जनता क्षुब्ध है और कल वाराणसी पूरी तरह से बन्द रहा और इस प्रकार से वहां की जनता ने अपना विरोध जताया।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आयेगा ? सीधा-सीधा आश्वासन है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, 300 में है कि जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जा सकेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था वह आपके संज्ञान में है और जिन नियमों से यह सदन चलता है उसके अन्तर्गत भी हमारी सूचना है। बिलकुल सही तरह से नियम 300 में आती है। अब तक शासन ने जो कार्यवाही की है। वह संतोषजनक नहीं है। विश्व हिन्दू परिषद् ही नहीं, वाराणसी की जनता ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की पूरी जनता और व्यापारी उद्वेलित है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गम्भीर और संवेदनशील मामले को सी०बी०आई० से जांच कराने के निर्देश दें।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

चार माननीय सदस्यों ने कुल मिला कर सूचना दी है।

(श्री भरत सिंह के खड़े होने पर)

सभी लोग बोलेंगे तो दिक्कत हो जायेगी।

*श्री भरत सिंह–

मेरा नाम सूचना में है।

मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् के कोषाध्यक्ष थे, उनका अपहरण हुआ, उनके बारे में माननीय चौधरी जी ने सवाल उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का अपहरण हुआ और उनका आज तक पता नहीं चला। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री नन्द किशोर के मामले को सी०बी०आई० से जांच करावें, वाराणसी जिले का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का अहम् सवाल है। कल वाराणसी बन्द था और वहां की जनता ने उस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है मैं निवेदन करता हूं कि इस पर अपनी व्यवस्था दें और सरकार को निर्देश दे कि एक तो डी० आई० जी० रंजन द्विवेदी को वाराणसी वापस लाया जाये, उनको क्यों हटाया गया ? पूरी घटना की सी०बी०आई० से जांच कराई जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह चर्चा नहीं है और उनकी नोटिस भी नहीं है ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

इस प्रकरण में बोलने के लिए आपकी अनुमति लेनी पड़ी, दो माननीय सदस्यों ने जिस गम्भीर घटना का जिक्र किया है कि हिन्दू परिषद् के पदाधिकारी की हत्या हो गयी । मान्यवर, इस घटना को करने वाले लोगों के हाथ बहुत लम्बे हैं, वह लोग बहुत पहुंच वाले हैं और उन्हें बहुत ऊंचे लोगों का संरक्षण प्राप्त है । इस घटना से न सिर्फ पूर्वांचल और वहां के व्यापारी ही त्रस्त है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का माहौल पैदा हो गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जाएगा । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है, लिखा नहीं जाएगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(श्री जगदम्बिका पाल आदि के खड़े होने पर)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय श्याम देव राय चौधरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं । उन्होंने नियम 300 को पढ़ा परन्तु कदाचित् उन्होंने 300 (1), (2) को पढ़ा होता तो शायद इस प्रश्न को वह नहीं उठाते । इसी के 2 में लिखा है, औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने 300 (2) की ओर ध्यान आकृष्ट किया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय श्याम देव राय चौधरी वरिष्ठ सदस्य हैं, पढ़ने–लिखने वाले हैं,वह नियमों का उल्लंघन इस तरह से नहीं करेंगे । मान्यवर, नियम 300 में यह किसी तरह से नहीं आता है । जो कहा गया कि गम्भीर घटना है । यह मैं मानता हूं उस दिन भी मैंने कहा था, मामला गम्भीर है । इस पर हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है । उसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही कर रहे हैं । हमारी कोशिश है, निश्चित तौर पर जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी अपराधी रहे हैं वह गिरफ्तार हों और उन्हें सजा

नोट :–[× × ×] यह अंश का अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिलनी चाहिए । हर मामले में केवल आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए । घटना गम्भीर है और गम्भीरता से सरकार ले रही है । हमने भी जब आवश्यकता महसूस की, सी०बी०सी० आई० डी० को जांच के लिए कहा है । हमारी सरकार की कोशिश है कि एक महीने के अन्दर-अन्दर उस बात का पर्दाफाश हो जाना चाहिए । दोषी अपराधी पकड़े जायें, चाहे जितनी बड़ी पहुंच वह रखते हों । और दोषी अपराधी जेल के अन्दर जायें । यह हमारी चाहत है, इसलिए इसे गम्भीरता से लिया है । (व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जांच की कार्यवाही भी तय की जाय । मैंने कोट किया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चौधरी साहब को भी विश्वास में ले लीजिए । उन्होंने कोट किया है । आपने कहा है माननीय चौधरी जी को विश्वास में लेकर कार्यवाही की जाएगी । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूरे सदन को विश्वास में लेकर जांच होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने केवल इतना कहा था कि माननीय चौधरी जी को विश्वास में लेकर इस मामले में कार्यवाही की जाएगी । (व्यवधान) अगर आपको विश्वास में नहीं लिया गया है तो आप उनसे बात कर लें आपको विश्वास में लेकर वह बात करेंगे । (व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया और अपने मन से मामले की जांच सी०बी०सी०आई०डी० को सौंप दी जो ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि माननीय चौधरी जी को विश्वास में लेकर इस मामले में कार्यवाही की जायगी । इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि माननीय चौधरी जी के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक किसी अधिकारी के ट्रांसफर का सवाल है तो यह प्रशासनिक मामला है । प्रशासनिक मामला औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं इस मामले की जांच सी०बी०आई० से कराने के निर्देश देने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रत्येक मामले में यथासंभव कोशिश करता हूं, अध्यक्ष पीठ की गरिमा को ध्यान में रखते हुये यथा सम्भव कोशिश करता हूं कि निर्देश दूं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, 8 महीनों का समय बीत गया है अभी तक पता नहीं लग पाया कि वह व्यक्ति जिन्दा है या मर गया । अब एक महीने में कैसे पता लग जायगा ?

श्री अध्यक्ष–

सदन भी यह पता नहीं कर पायेगा, सदन भी किसी न किसी एजेंसी से जांच करायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये उस परिवार के दुख को देखते हुये और बनारस की स्थिति देखते हुये और सारी चीजों को देखते हुये मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस मामले की जांच सी०बी०सी०आई०डी० करेगी । सरकार की कोशिश है कि 1 महीने के अन्दर अपराधी जेल जायं और चार्जशीट अदालत में जाय । इसके बाद भी यदि आवश्यक समझा गया, इस जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट आयेगी, यदि आवश्यक समझा गया तो सी०बी०आई से जांच करा ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी और माननीय संसदीयकार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मामला नियम 300 में नहीं आता है । मैं यह सूचना अग्राह्य करता हूं ।

श्री विनोद मणि, सदस्य, विधान सभा को टेलीफोन आदि द्वारा धमकी दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं नियम 300 की सूचना देते हुये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आती है, यह बता दें ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है । मान्यवर, 28 जुलाई को विधान सभा में प्रदेश में आई०एस०आई० की गतिविधियों की चर्चा के दौरान भारत और नेपाल सीमा पर आई०एस०आई० की बढ़ती गतिविधियों की चर्चा करते हुये मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया था । मेरे द्वारा विधान सभा में मामला उठाने से मेरे फरेन्दा स्थित आवास पर 6.30 बजे से 7 बजे एक अज्ञात टेलीफोन आया जिसमें मेरी हत्या की धमकी दी गयी । जब मैं विधान सभा को छोड़कर 30 तारीख को अपने घर गया तो वहां मुझे मेरे कार्यकर्ता जिसने टेलीफोन उठाया था, उसने मुझे सारी जानकारी दी । मैंने इसकी सूचना जिलाधिकारी, महराजगंज को पहली तारीख को दी । पहली तारीख से आज 13 तारीख हो गयी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी । प्रदेश की सुरक्षा के सवाल पर मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी और उसी नाते मैंने इस सवाल को यहां उठाया था जिसपर मुझे मेरी हत्या की धमकी मिल रही है । मैं इस पर आपकी पीठ से कोई निर्णय चाहूंगा । इसी 11 तारीख को मेरे बूढ़े पिता जिनकी उम्र 87 साल की है, कार से परिवार के साथ गोरखपुर जा रहे थे ।

गोरखपुर के एस०एस०पी० ने मेरी कार और मेरे मरणासन्न पिता को रोक कर 3 घंटे तक जांच कराई और यह कहा कि हमको टलीफोन पर सूचना मिली है कि आपकी कार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया ए०के०–47 लेकर जा रहा है । मान्यवर, हम ऐसे परिवार से हैं जिनके खिलाफ आज तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक भी एफ०आई०आर० नहीं हुई है । मेरे बीमार पिता को गोरखपुर के एस०एस०पी० ने परेशान किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई हैं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, एक मिनट और दें । मान्यवर, इस तरह का आरोप लगाकर मुझे उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी गिरोह से सम्बद्ध कर दिया । गोरखपुर जिले में चर्चा हुई । अखबारों के माध्यम से और मेरी स्थिति संदिग्ध हो गई । मान्यवर, मेरी हत्या कभी भी हो सकती है । मान्यवर, मैं आपसे न्याय चाहूंगा । मान्यवर, मेरी जांच करा ली जाय, मेरे खानदान की जांच करा लें एक भी एफ०आई०आर० नहीं हुई है । अगर यह झूठ निकल जाय तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । आई०एस०आई० से सम्बद्ध इलजाम लगाया और एस०एस०पी०, गोरखपुर ने मेरे परिवार को रोककर 3 घंटे टार्चर किया । मान्यवर, यह हमारी जिन्दगी का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना है, इसे संज्ञान में लिया जाना चाहिए । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है । उन्हें धमकी दी जा रही है । नियम–300 में औचित्य का प्रश्न ग्राह्यता का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य की जिन्दगी का खतरा है उसकी जिन्दगी की सुरक्षा का सवाल है । उनकी सुरक्षा के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल है । यह गम्भीर मामला है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि माननीय सदस्यों की ही नहीं, प्रदेश की जनता की सुरक्षा करें । जब माननीय सदस्य की बात संज्ञान में आई तो जैसे कि सुरक्षा दिये जाने की जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार शासन ने एक अतिरिक्त गनर देने के निर्देश दिये हैं । पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को माननीय सदस्य को एक अतिरिक्त गनर तुरन्त दिये जाने का निर्देश दिया गया है । यह गम्भीर मामला है, जो भी सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है । एक गनर तो है ही, उसके अलावा एक अतिरिक्त अलग से दिया गया है ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शासन के संज्ञान में आया है उस पर व्यवधान हो गया है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था की बात है । उनकी जिन्दगी खतरे में है ....

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर,एक प्रकरण और है, दोषी अधिकारियों केखिलाफ जांच का.....

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसी कि माननीय सदस्य ने शिकायत.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग खड़े रहेंगे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनाई नहीं पड़ेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो शिकायत माननीय सदस्य ने कही है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं । एक पत्र डी०एम० को दिया था उसके आधार पर कार्यवाही करा रहे हैं जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री ओम प्रकाश–

जिन्होंने उन्हें परेशान किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

जो डी० एम० को पत्र दिया है, उसके आधार पर जांच कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो पत्र लिखा है उस पत्र को संज्ञान में लेकर अतिरिक्त गनर दे रहे हैं और जो बिन्दु उठाए हैं उसमें शीघ्रता से जांच करा रहे हैं । इसमें कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री और माननीय सदस्य को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री विनोद मणि–

अगर मेरी हत्या हो गई तो सरकार उसकी जिम्मेदार होगी । मैं यह भी आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सदस्य से व्यक्तिगत तौर पर बात कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

जो भी अतिरिक्त सूचना माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री जी को देना चाहते हों, वह दे दीजिएगा । अब मैंने वाजपेयी जी को बुला लिया है ।

(श्री पारसनाथ यादव के खड़े होने पर)

अब यादव जी इसमें क्षमा करें । आप बैठ जाएं ।

श्री पारसनाथ यादव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें क्या व्यवस्था है ?

* श्री पारसनाथ यादव–

मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज सत्रावसान होना है । इस अवसर पर गम्भीर प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए हैं । आपने विषयों पर माननीय सदस्यों को सुना है । आपकी पीठ से बार-बार निर्देश होते रहे हैं जब-जब यह सवाल सम्मानित सदन में आया कि विधायकों की जान का खतरा है तो आपने उसे बहुत गम्भीरता के साथ लिया और निर्देश दिए । मैं संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं । बहुत नम्रता के साथ कहना है चाहता हूं कि जो सम्मानित सदन में बात कही जाए उसका पालन किया जाए । कोई धरती पर अमर होकर नहीं आया है । मौत आएगी तभी वह मरेगा । हमारी मौत आएगी तो आप सरकार में बैठ कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे । कोई भी धरती पर उसको नहीं रोक पाएगा, इसलिए जो बात सम्मानित सदन में कही जाए उसका पालन किया जाए । हमने अपनी जिन्दगी की बात उठाई थी, टेलीफोन से कहा गया, ए०के० 47 से आक्रमण किया गया । जेड कैटेगरी की सुविधा दी । इस पर कहा गया । हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और मुलायम सिंह जी के साथ हैं । क्या इसलिए हमारी हत्या हो जाए ?

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पारसनाथ यादव–

आप निर्देश दें । सम्मानित सदस्यों के बारे में सुरक्षा यह सरकार करे ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के समय संबंधित विभाग के मंत्री की सदन में अनुपस्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका आभारी हूं । मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कहना चाहता हूं । समय-समय पर आपकी गरिमा मय पीठ से निर्देश दिये गये हैं । जब सदन चलता है इस सदन के माध्यम से सरकार में माननीय मंत्रीगणों के सामने विभाग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं लेकिन इस सदन में जब इस प्रकार के विषय नियम 56 के माध्यम से आये हों तो संबंधित विभाग के मंत्रीगण की अनुपस्थिति के कारण माननीय सदस्यों की जिज्ञासा शान्त नहीं हो पाती है । मान्यवर, इस संबंध में दो उदाहरण देना चाहूंगा । मान्यवर, 15 फरवरी, 1985 को इस पीठ से निर्देश दिये गये थे । बुन्देलखण्ड का सवाल राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने उठाया था । खाद्य मंत्री अनुपस्थित थे । उत्तर बुन्देलखण्ड पर नहीं आया था तो मान्यवर, गरिमामय पीठ से निर्णय हुआ था कि संबंधित मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए था । इसी तरह से मान्यवर, दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा । 1 मार्च, 1985 को अध्यक्ष पीठ से निर्णय हुआ था उस समय रियासत हुसैन ने इस विषय को उठाया था तब आपकी गरिमामय पीठ से निर्णय हुआ था कि माननीय सदस्य जब बोल रहे हों और विषय रखा जाय तो उस समय संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित रहें तो अच्छा रहेगा । संबंधित जानकारी माननीय सदस्य को मिल सकेगी । एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि गन्ना मंत्री की अनुपस्थिति में इसी तरह का निर्देश दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया था। इसलिए सरकार में मंत्रीगणों को इस तरह सदन के प्रति गम्भीर रहना चाहिए और महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखनी चाहिए, इस पर आपकी मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

डा० वाजपेयी जी ने जो यह सूचना दी है वह पूर्व अध्यक्षपीठ से दिये गये निर्देशों के आधार पर है और आज सदन का अन्तिम दिन है, इसलिए इस पर विशेष निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर चिन्ता करेंगे कि भविष्य में जब सदन हो तो संबंधित विभाग के मंत्री यथा समय सदन में उपस्थित रहा करें। इसलिए इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश के विभिन्न विकास मण्डलों एवं निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन को समय से सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव की है।

* श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से औचित्य के प्रश्न के माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जितने विकास मण्डल और निगम हैं तथा प्रदेश में जो आयोग हैं इन सभी को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन यथा शीघ्र निर्धारित समय के अन्दर इस सदन के पटल पर रखने का प्राविधान है। इसका प्राविधान कम्पनी अधिनियम तथा साधारण खण्ड अधिनियम की धाराओं में किया गया है। लेकिन दुःख के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले पांच से दस सालों की अवधि में विभिन्न निगमों, विकास मण्डलों एवं आयोगों के प्रतिवेदन यहां सदन के पटल पर नहीं रखे गये हैं। मान्यवर, चाहे लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट हो जो 1989 के बाद से अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है, चाहे सतर्कता आयोग की रिपोर्ट हो जो 1992–93 के बाद से अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है। लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 323(2) नियम के अन्तर्गत रिपोर्ट यहां रखी जाती है लेकिन 1986–87 के बाद अभी तक नहीं रखी गयी। नलकूप निगम की रिपोर्ट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए)/3 के अन्तर्गत रखी जाती है जो 1993 के बाद अभी तक नहीं रखी गयी है। इसी तरह सड़क परिवहन निगम, सीमेन्ट कारपोरेशन और राज्य चीनी निगम की रिपोर्ट 1993 के बाद से आज तक यहां नहीं रखी गयी है। मान्यवर, सबसे विचित्र बात यह है कि जो प्रतिनिहित विधायन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन जो नियमावली नियम, उपनियम और अधिसूचना बनाते हैं उनको निर्धारित समय के अन्दर सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। आज अत्यन्त महत्वपूर्ण पंचायत राज अधिनियम है। पंचायत राज विभाग जो लगभग 32 महत्वपूर्ण नियमों को बनाया है उन्हें भी आज तक यहां रखने की शासन ने आवश्यकता नहीं समझी है जबकि आज सत्रावसान हो रहा है तो कम से कम पंचायत राज विभाग द्वारा जो नियमावली/नियम तैयार किये गये हैं, उन्हें सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था किन्तु यहां सदन के पटल पर नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष जी मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज निगम, मण्डल और आयोग इनके गठन के पीछे जो शासन और सदन की मंशा थी आज वह पवित्र मंशा और उद्देश्य समाप्त हो रहे हैं। इनकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के बारे में कोई निश्चित अवधि तो नहीं है लेकिन यह जरूर लिखा हुआ है कि जब यह अपनी सालाना बैठक करें तो सालाना बैठक के तीन माह के अन्दर इनको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है जिसको यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जाय । मैं यह कहना चाहता हूं यथाशीघ्र की परिभाषा क्या है ? 10-10 वर्षों से रिपोर्टें सदन के पटल पर नहीं रखी गयी हैं । इससे सदन का अपमान होता है ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

माननीय सदस्य ने विद्वतापूर्ण तर्क दिये हैं । अगर वह एक शब्द का सही अर्थ लिए होते, यथाशीघ्र शब्द का अर्थ समझे होते तो यह बातें कहने की जरूरत न पड़ती । इसी यथाशीघ्र के तहत कार्यवाही होती है और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान हैं वह यथाशीघ्र को परिभाषित कर दें । यथाशीघ्र जो लिखा हुआ है उसका मतलब आधी शदी है या पूरी एक शदी होता है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के आगे अपने को छोटा मानता हूं कृपया वह यथाशीघ्र की परिभाषा बता दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

हम उसी परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं जिस तरह की परम्परा आपने डाली है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि रिपोर्ट प्राप्त करना एक चीज है और रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना दूसरी चीज है । जहां से रिपोर्ट शासन को प्राप्त होती है या प्राप्ति में विलम्ब हो गया उस विभाग के द्वारा रिपोर्ट भेजने में विलम्ब हो गया तो उसको पटल पर रखने में निश्चित रूप से विलम्ब होगा । दूसरी परिस्थिति यह है कि जहां शासन के विभाग के द्वारा ही रिपोर्ट प्रस्तुत होनी है या नियमावली या प्रतिनिहित विधायन के अन्तर्गत जो आदेश होता है उन्हें रखना है वहां तो शासन को जैसे ही विधान सभा का प्रारम्भ हो, प्रयास यह होना चाहिए कि उस नियमावली के जारी होने के पश्चात ही जो सबसे पहला अवसर मिले जब तक कोई दूसरा अपरिहार्य कारण न हो इस पर ही सदन के पटल पर रखेंगे इस अनुदेश के साथ इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 26(1) के अन्तर्गत सत्रावसान की तिथि तक स्वीकृत समस्त प्रश्नों का उत्तर एक माह में दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पांचवीं सूचना श्री हरि शंकर तिवारी की है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर,आपके समक्ष अभी विधायी कार्यों के संबंध में चर्चा की गई । मैं भी इस संबंध में कुछ बातें आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । आए दिए इस सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आते हैं जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा यथाशीघ्र तो परम्परा बनती जा रही है तथा यह दुखद परम्परा बनती जा रही है । सदस्य प्रश्न करते हैं और प्रश्नकर्ता का उत्तर सही नहीं आता है । जिसके कारण तमाम जनहितकारी काम प्रभावित होते हैं तथा सदन का अमूल्य समय बरबाद होता है और कई बार माननीय सदस्यों के उद्वेलित होने पर सदन स्थगित करना पड़ता है । इसलिए मैं नियम 300 के द्वारा यह सूचना देकर अपेक्षा करता हूं कि सभी सदस्यों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक माह के अन्दर अवश्य आ जाएं और अपरिहार्य कारणों से लिख दिया जाता है । अभी पिछले सत्र में हमने नियम 301 में प्रश्न दिया था और उसमें लिख दिया गया कि

अपरिहार्य कारणों से इसका उत्तर नहीं दिया जा सका है। एक परम्परा पड़ती जा रही है, अभी सुबाष जी और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रश्न लगाया लेकिन अनुत्तरित रहा। सत्रावसान के कारण उस सीमा को सम्बद्ध कर दें। जो प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा किये जाएं उसका निर्धारित समय से उत्तर दिया जाये और टाल मटोल की स्थिति से बचा जाये जिससे जनहितकारी काम भी प्रभावित नहीं होंगे। गलत उत्तर और टाल-मटोल से सदन का अमूल्य समय बर्बाद होता है, उससे बचा जा सकेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि आज अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों को अपमानित करने की परम्परा बनती जा रही है। अभी माननीय सदस्य रंगनाथ मिश्र ने तथा विनोद मणि जी ने यह बात उठायी है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपनी पीठ से शासन को निर्देश दें। आज मुझे खुशी है कि हमारे बी० आर० वर्मा जी संसदीय कार्य मंत्री हैं लेकिन कल जब एक साधारण सदस्य की तरह बैठेंगे और उस कुर्सी पर कोई दूसरा संसदीय कार्य मंत्री बैठेगा तो वह भी तत्काल यथाशीघ्र सूचना की बात करेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो गलत परिपाटी बनती जा रही है इसको रोके ताकि आपको उस समय तकलीफ न हो। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश सं० 26 (1) की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया गया है कि "सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर संबंधित सदस्य को भेजा जायेगा और मंत्री द्वारा संबंधित सदस्य को दिये ऐसे प्रत्येक उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी। नियम 14 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जाएगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो। तो कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, छठवीं सूचना की जो आखिरी लाइन है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, उसको देखने की कृपा करें। इसमें श्री राम नरेश यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री लोकपति त्रिपाठी और श्री वीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। मान्यवर, सदन के ऐसे वरिष्ठ सदस्यों ने नोटिस दी है। इसमें यह लिखा गया है कि अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और ऊपर लिखा है कि नियम 300 के अन्तर्गत सूचना। मान्यवर, यदि वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार की सूचना देंगे तो नये सदस्य क्या नसीहत लेंगे?

सरकार द्वारा महंगाई रोकने में विफल रहने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

6 माननीय सदस्यों के इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं। अगर एक माननीय सदस्य इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहेंगे तो सुन लूंगा। वैसे यह नियम 300 में दूर-दूर तक नहीं आती है। अगर माननीय पाल जी आप मंहगाई पर चर्चा करना चाहते हैं तो नियम 300 के अन्तर्गत उठाकर महंगाई पर चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वैसे जो इस सूचना द्वारा मांग की गयी है वह नियम 56 में मांग होती है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये चूंकि आज सदन में कार्यस्थगन का विषय नहीं आ सकता इसलिये इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पाल जी, नियम 300 की जो शर्तें हैं, आपकी सूचना उन्हें कहीं से पूरा नहीं करती ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम इस प्रदेश में महंगाई को रोकेंगे, यह उनकी इसी सदन में घोषणा हुई थी । आज पूरे प्रदेश में महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना प्रथम दृष्टया ही नियम 300 में नहीं आती ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपके ऊपर कोई दबाव है, इसलिए नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं ।

प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान तथा डा० रमेश पोखरियाल निशंक की है ।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपने मुझे इस नोटिस पर बोलने का अवसर दिया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज प्रदेश के अन्दर मैदानी संवर्ग और पर्वतीय संवर्ग की अलग-अलग व्यवस्था लागू है । पर्वतीय संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति, पदोन्नति सभी तरह की अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन आज प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर पर्वतीय संवर्ग लागू है, वहां पर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना कहीं से नियम 300 में नहीं आती । आपने इसमें चर्चा की मांग की है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बयान दिया जाता है, शासनादेश जारी होता है कि वहां पर नियुक्ति, पदोन्नति के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है । संविधान के अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश के, देश के किसी भी हिस्से के लिये नियोजन संबंधी जो समता का अधिकार है, उसके बारे में राज्य कोई भी विशिष्ट प्राविधान कर सकते हैं । इसी के तहत उत्तराखण्ड में विशिष्ट प्राविधान किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना में सदन की कार्यवाही से क्या संबंध है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, कल जब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में एक प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, तो यहां पर माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया था, आप यह भी जानते हैं कि कैबिनेट की कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि उत्तराखण्ड क्षेत्र के बारे में और मैदानी क्षेत्र के बारे में एक ही आदेश जारी किया गया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने पर्वतीय संवर्ग के सृजन को नकारा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, यह सूचना नियम 3(x) में नहीं आती। मैंने इसका एक-एक शब्द पढ़ा है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, उत्तराखण्ड क्षेत्र में जो मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासियों को आवेदन करने का अधिकार होगा। मान्यवर, सरकार गंभीर नहीं है, यह केवल गुमराह करने के लिये कहा गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 3(x) में नहीं आती।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मात्र 1(x) पदों के लिए 53,000(x) आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 3(x) में नहीं आती है, इसे मैं निरस्त करता हूं।

प्रदेश में पुलिस कांस्टेबिल की भर्ती में हुई अनियमितताओं के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था चल रही है वह ठीक नहीं है। आप की जो पुलिस की भर्ती हुई है उसमें अनियमितता की गई है और एक वर्ग के लोगों को ही उसमें भर्ती किया गया है, योग्य लोगों को नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 3(x) में कहां से आता है।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैंने नियम 3(x) में दिया है। मेरी बात को सुन लें। वहां पर पुलिस की भर्ती में घोर अनियमितता की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मिश्रा जी, मेरे लाभ के लिए और सदन के लाभ के लिए नियम 3(x) हमको पढ़ायें। थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, नियम 300 में मैंने यह सूचना दी है । एक वर्ग विशेष के लोगों को भर्ती किया गया है, उसमें धांधली की गयी है । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाय जिससे आम जनता को लाभ मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात फिर कहता हूं कि इसकी जांच किसी सुपर अधिकारी को भेज कर कराई जाय ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य किसी एक जिले की भी जहां भर्ती हुई है उसकी लिस्ट ले लिये होते और लिस्ट के नाम वगैरह पढ़ लिये होते तो शायद यहां इस बात को न उठाते और कदाचित 1994-95 की भी लिस्ट उठाकर पढ़ लिये होते तो इसे न उठाते ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय धर्मज्ञ मिश्र और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

मुजफ्फरनगर में एक जाति विशेष की हत्या एवं उत्पीड़न विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नवीं सूचना माननीय ओम प्रकाश जी की है ।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

श्रीमन् संविधान के अनुच्छेद 166-168 में यह व्यवस्था की गयी है कि जाति, रंगभेद, वर्ग, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं बरता जायेगा । जब से यह सरकार आयी है, मुजफ्फरनगर में एक जाति विशेष, ब्राह्मण जाति के 45 लोगों की हत्याएं हुई..

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कहां आता है ?

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, राज्यों के कार्यों के संचालन और विधान सभा का गठन । मान्यवर, इसमें हिफाजत करेंगे जान-माल की यह है मान्यवर, मुजफ्फरनगर जनपद में शहर में मन्दिर पुजारी श्री केदार दत्त शर्मा उसके पुत्र व पुत्र वधू की हत्या हुई । इसी तरह से मुजफ्फरनगर में टाइप ट्रेनिंग स्कूल की विधवा संचालिका श्रीमती उर्मिला शर्मा की ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कहां आता है ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मेरठ में गांव टिकरी में ब्राह्मण कन्या के साथ बलात्कार किया गया । देवकी नन्दन शर्मा जो स्वास्थ्य विभाग से मलेरिया निरीक्षक पद से फरवरी, 86 में सेवा निवृत्त हुए, उनको अभी तक पेंशन आदि का भुगतान नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, राजनीति में इनकी उत्पत्ति नाजायज तरीके से हुई है, पहले कहते थे ठाकुर, बनियां, ब्राह्मण चोर, फिर तिलक, तराजू और तलवार अब इस नारे को बन्द कर दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गये हैं । लेकिन अभी भी इनके मन में कटुता है और जाति के आधार पर भेद-भाव तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप का आशय आ गया है । यह नियम 3(8) में नहीं आती है । आपने जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया है उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं कृपया उन्हें सुन लें । जरा आप ही 166-168 देख लें ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

अनुच्छेद 166 क्या है वे मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं । ताकि आप जैसे विद्वान लोगों को भी अनुच्छेद 166-168 की जानकारी हो सके ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जावेगा । अनुच्छेद 166 व 168 के बारे में आपको जिसने बताया, उसने आपको सही सूचना नहीं दी । मैंने इसका अवलोकन कर लिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के उप नेता ने अनुच्छेद 166 व 168 का उल्लेख किया है । अनुच्छेद 166 में लिखा है "राज्य की सरकार के कार्य का संचालन–1 किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी ।"

(श्री धर्मज्ञ मिश्र जी के खड़े होने पर व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक जाति विशेष की चर्चा यहां पर हो रही है। पहले यह अपने गिरेबान में झांककर तो देखे .....

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने इस सूचना पर माननीय सदस्य को सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, इसे मैं अग्राह्य करता हूं। श्री धर्मज्ञ मिश्र जी मनोविनोद कभी-कभी अच्छा लगता है। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सदन में हास-परिहास भी हो परन्तु जो जिम्मेदार साथी हैं या पदाधिकारी हैं, उन्हें नियमों की सही जानकारी होनी चाहिये। समाजवादी पार्टी के उपनेता ने अनुच्छेद 166 व 168 का उल्लेख किया, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसे पढ़ देता हूं। जो पदाधिकारी किसी दल का नेतृत्व कर रहे हों, वह बिना नियमों को देखें उसका उल्लेख कर दें, ठीक बात नहीं है। अनुच्छेद 166 से कहां पर सदन की कार्यवाही का विनियमन, निर्वचन और प्रवर्तन हो रहा है और लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं किया जायेगा यह किधर लिखा हुआ है। तो मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो पुराने सदस्य है या दल के उपनेता है वह जो सदन में कोड करें तो उसे पढ़कर करें। नये सदस्य अगर ऐसा करें तो उन्हें तो क्षम्य हो सकता है। लेकिन पुराने सदस्यों को ऐसा नहीं कहना चाहिये और जो आरोप लगाये गये हैं यह बिल्कुल निराधार हैं इनका मैं प्रतिवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मैंने पहले ही कह दिया था 166, 168 इसमें लागू नहीं होता है।

प्रदेश में दलित जाति के लोगों को एक माह के अन्दर शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आज प्रदेश में इस सरकार द्वारा जिला प्रशासन को यह निर्देश दे दिया गया है कि एक जाति विशेष के लोगों को बिना जांच पड़ताल किये आग्नेयास्त्रों को दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह शासनादेश कहां निर्गत हुआ है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, भारतीय शस्त्र अधिनियम में जो व्यवस्थायें दी गयी हैं वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को शस्त्र धारण करने के लिये कुछ औपचारिकताओं का निर्धारण करना पड़ता है। मान्यवर, समाज में सबको समता का अधिकार है और संविधान में यह दर्शाया गया है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जावेगा। मान्यवर, इस शासनादेश से तुगलकी व्यवस्था उत्पन्न हो गयी है ...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी यह सूचना नियम–341 में नहीं आती है। इसलिये समाप्त करें।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, इस तरह से एक जाति विशेष के लोगों को अग्नेयास्त्र दिये जायेंगे तो प्रदेश में जातीय विद्रोह हो जायेगा इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह आदेश लोगों में विभेद पैदा करने वाला है और इससे समाज में प्रतिकूलगामी असर पड़ेगा इसलिये इस पर आप अपना निर्देश देने की कृपा करें कि इस तरह के आदेश प्रभावी न माने जावे।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय वाजपेयी जी ने किसी शासनादेश का उल्लेख नहीं किया है और न ही उसका उद्धरण है और वैसे भी यह नियम 341 में नहीं आती है इसलिये इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री कोविद कुमार जी की प्रश्न के रूप में है इसे भी मैं अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना डा० अशोक वाजपेयी जी की है इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

समय-समय पर सदन में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

एक और सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह जी की है।

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, इस तेरहवीं विधान सभा। x x x। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह ऊपर वाली लाइन कार्यवाही से निकाल दी जायेगी।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष की और पीठ की बहुत ही गरिमा होती है। इस तेरहवीं विधान सभा के अंतिम दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने अध्यक्ष पीठ की गरिमा का जिस तरह से निर्वाह किया है वह अति प्रशंसनीय है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, बहुत अच्छी एक किताब देखने को मिली। "द आफिस आफ द स्पीकर" इसमें विभिन्न देशों के स्पीकरों के बारे में बताया गया है .....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–। x x x। यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, इस पीठ से तमाम देशों में, माननीय अध्यक्ष ने ऐसे-ऐसे निर्णय दिये हैं जो जुडियेशियरी के निर्णयों के तरह हैं। आपको बहुत अधिकार हैं। आपका निर्णय सर्वोपरि है, आप सदन की रक्षा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप कौन सा औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

हमारे देश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। कल पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि बिहार की सरकार को भंग कर दिया जाये और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये। तो आप भी ऐसी संस्तुति कर सकते हैं। आज मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है। मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल समय-समय पर बोलने का ही मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में लिखा है–(1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों एवं उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रि परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करें तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चिय अन्तिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गयी किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जायेगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी।

अनुच्छेद–164 की उपधारा–3 में लिखा है "किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलायेगा।" मान्यवर, अनुसूची–3 के पांचवें बिन्दु पर लिखा है कि किसी राज्य के मंत्री के लिये पद की शपथ का प्रारूप क्या होगा? "मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार से लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

श्री अध्यक्ष–

आपका आशय क्या है, आपका औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता।

श्री अध्यक्ष–

आप नाम न लें, नहीं तो विशेषाधिकार का प्रश्न हो जायेगा।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

समय-समय पर सदन में जो निर्देश दिये गये हैं उनका उल्लंघन हो रहा है । डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं ...

(व्यवधान)

इस गरीब प्रदेश की मुख्य मंत्री जब कल सदन में आयी थी [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार का आक्षेप नहीं लिखा जायेगा । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह सब निकाल दिया जायेगा ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

संविधान के अनुरूप हमको चलना चाहिए । हम लोग जनता से चुनकर आये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियमों में नहीं आती है । आपकी बात पूरी हो गयी है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात सुन लें । वह क्या कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका आशय स्पष्ट हो गया है यह नियम 300 में नहीं आता है । (व्यवधान) मैं इसे अग्राह्य करता हूं, कृपया बैठ जायें ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं औचित्य के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना निरस्त कर दी है । इसके आगे कुछ लिखा नहीं जायेगा । मैंने सोचा था कि कोई गम्भीर बात आप कह रहे हैं । अगली सूचना माननीय सरदार सिंह जी की है । (व्यवधान)

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । प्रेस के लिये भी कह रहा हूं कि संज्ञान नहीं लेंगे और न शासन इनकी बात का संज्ञान लेगा । (व्यवधान) मैंने सोचा था कि कोई गम्भीर बात आप कहेंगे । आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए । (व्यवधान) आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, कुछ लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, आपके निर्देशों का सम्मान होता है । इस सरकार ने हमारी भावनाओं का निरादर किया है। आप इसी किताब में देख लीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें । (व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मैं मान्यवर, न्याय मांगता हूं। आप सरकार को निर्देश दें (व्यवधान) आपके आदेशों का सरकार पालन नहीं करती है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र नाथ सिंह के सदन का त्याग करने के लिये श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 299(1) के अन्तर्गत आपको निर्देश दे रहा हूं कि आप सदन से तुरन्त बाहर चले जायें। (व्यवधान) कृपया सदन से बाहर चले जायें। (व्यवधान) मैंने निर्देश दे दिया है कृपया आप सदन से बाहर चले जायें।

(श्री चन्द्रनाथ सिंह सदन त्यागकर चले गये)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, आपके आदेशों का पालन हो गया। वह भावावेग में कुछ कह गये इसलिये आगे कार्यवाही न करें।

श्री अध्यक्ष–

आप थोड़ा उनके संयम रखने की सलाह दें। मैंने सोचा था कोई गम्भीर बात करेंगे वे 5.00 बजे सदन में आयेंगे। इससे पहले नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मांट ब्रांच गंगा नहर के संबंध में दिये गये आश्वासन को पूर्ण न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, इस कृषि प्रधान प्रदेश में सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गत सत्र में मैंने नियम–301 में आपकी कृपा से एक सूचना दी थी। जिसे स्वयं सिंचाई मंत्री जी ने गम्भीर माना था और टी० ए० सी० से जांच के आदेश दिये थे और 300 में सवाल उठा था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था जो संबंधित अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहा है उसे तुरन्त हटा देंगे। आज 13 दिन हो गये वह अधिकारी नहीं हटा। आगरा मण्डल की समीक्षा के समय सभी विधायकों ने शिकायत की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लखनऊ जाते ही हटा देंगे, दो बार मुख्य मंत्री जी ने लिखकर भेज दिया है सिंचाई मंत्री जी को कि इस अधिकारी को तुरन्त हटा दिया जाय लेकिन अभी तक अधिकारी को नहीं हटाया गया है। यह सदन सर्वोपरि है आपकी सूचना में यह आ गया है। माननीय मंत्री जी भी आरोप को गम्भीर मानते हैं और इस पर आश्वासन हो गया है, मैं चाहूंगा कि आज शाम तक उन्हें वहां से हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपने इस संबंध में जो आश्वासन दिया था उसका अनुपालन करा दीजिये।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

माननीय सदस्य जो बात संज्ञान में लाये हैं वह जरूर खेद का विषय है कि सदन के निर्देश के बावजूद भी यह नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन का निर्देश नहीं था, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उसका अनुपालन करा लीजिये।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उसका अनुपालन किया जायेगा । सुनिश्चित तौर पर अधिकारी को जल्द से जल्द, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, जल्द से जल्द 1–2–3 दिन में, आश्वासन पूरा करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सरदार सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं ।

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनाओं में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने तथा 25–25 हैण्डपम्प लगवाने हेतु सदस्य, विधान सभा व सदस्य, विधान परिषद् को अधिकार दिये जाने संबंधी संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, मैंने कहा था कि नियम 300 की सूचनायें समाप्त होने के बाद मैं आपको सुनूंगा ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)

मान्यवर, सरकार की तरफ से कुछ घोषणा होने वाली है वह आ जाय ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ घोषणा करना चाहते हों तो कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

जब सदन का स्थगन हुआ था उसके पश्चात् जब हम यहां बैठे तो माननीय नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते थे । मैंने कहा था कि पहले नियम 300 की सूचनायें निस्तारित हो जायं उसके पश्चात् मैं सुन लूंगा । तो उसी नाते मैंने माननीय नेता विपक्ष को आमंत्रित किया है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहले संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा कर दें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, अगर माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं । मान्यवर, आज का दिन इसी परपज से रखा है । आज तमाम चर्चायें हैं, काफी समय भी हो चुका है । आज बहुत सारे जो माननीय सदस्य हैं उनकी चर्चायें लगी हैं वह माननीय सदस्य अपनी सारी बातें कहना चाहते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात आपके कक्ष में तय हुई थी उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कहना भी नहीं चाहिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य अपेक्षा कर रहे हैं कि विधायकों की भागीदारी के संबंध में आप पहले कुछ घोषणा करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो भावनाएं थीं उनका आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत हैण्ड पम्प लग रहे हैं उसके अतिरिक्त 25 हैण्ड पम्प माननीय सदस्य जो स्थल चयन करेंगे उसके अनुसार लगेंगे ।

दूसरे पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि में जो जिलाधिकारी द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं उसमें माननीय सदस्य विधान सभा और माननीय सदस्य विधान परिषद् की राय से योजनायें तैयार की जायंगी । इसमें किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

संसद सदस्यों की (शोर)

श्री बी० आर० वर्मा–

इसमें माननीय सांसदों की राय नहीं लेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये सुनाई नहीं पड़ रहा है । सुन तो लीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पूर्वांचल और बुन्देलखंड में जिलाधिकारी माननीय सदस्य विधान सभा तथा माननीय सदस्य, विधान परिषद् और सांसद की राय से करते थे । अब माननीय सदस्य विधान सभा और माननीय सदस्य विधान परिषद् की राय से लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

जिला योजना और डी० आर० डी० ए० में क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हैण्ड पम्प के बारे में बताया कि जो योजनायें हैं उनके अतिरिक्त 25 हैण्ड पम्प के लिये माननीय सदस्य के द्वारा स्थल चयन किया जायेगा । यह अतिरिक्त होंगे ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब लोग इस तरह से बोलेंगे तो कैसे चलेगा ? कृपया बैठ जायं । बीच-बीच में व्यवधान न करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय सदस्यों को कनफ्यूजन नहीं होना चाहिए । जितनी भी योजनाएं पेयजल की नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उसके अतिरिक्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को यह अधिकार है कि वह स्थल चयन करके नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में 25 हैंड पम्प लगवा सकते हैं । यह माननीय विधायकों की मर्जी से लगेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है । श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जिला योजना और डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत हैंड पम्प लगेंगे उनमें विधायकों को स्थल चयन के लिये रखा गया है कि विधायक स्थल चयन करेंगे । जहां भी जिला योजना और डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत व्यय होगा वह विधायक की मर्जी से होगा ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा इतना स्पष्ट कर देने के बाद भी समझ में नहीं आया । उसके अतिरिक्त 25 हैंड पम्प अलग से दिये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

जिला योजना में क्या कर रहे हैं, यह भी बतायें ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है । जो सामान्य योजनायें हैं पी० डब्लू० डी० की सड़क और अन्य सामान्य योजना में हैंड पम्प, स्कूल के स्थल का चयन, बिजली की, इन योजनाओं में विधायकों की स्वीकृति होती थी वह यथावत् रहेगी कि नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है मैं बता दूं जितनी सुविधाएं माननीय सदस्य, विधान सभा और विधान परिषद् को देनी चाहिए थीं उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा कर दी। उन्होंने यह कहा कि जो योजनायें चल रही हैं उसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान सभा सदस्य और विधान परिषद् सदस्य को 25 हैण्ड पम्प अपनी इच्छा से अपने विवेक से लगवाने का अधिकार होगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक स्पष्टीकरण मांगा था कि जिला योजना और डी० आर० डी० ए० में जो व्यय होगा वह विधायक की स्वीकृति से होगा ? मान्यवर, इसको स्पष्ट करा देते ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, रघुवर दयाल वर्मा जी ने हैण्ड पम्प के बारे में कहा.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

अरे सुन तो लो भई, मैं आपसे आग्रह कर रहा था जो बात हुई उसमें हैण्ड पम्प के अलावा बात हुई कि विधायक क्षेत्र में, स्कूल के स्थल चयन के बारे में और आर० ई० एस० की स्कीम के बारे में और जो भी स्कीम विधायकों के क्षेत्र में हैं बिजली लगाने की बात है, तो इसमें विधायकों से सुझाव लेकर कार्यवाही की जायेगी । आधी अधूरी सूचना दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग एक मिनट सुन तो लें । आप लोग शान्त रहेंगे ? क्या घोषणा हो रही है उसको शान्ति से सुन तो लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिला योजना के अन्तर्गत जितने विभाग आते हैं जिला योजना में जितने सदस्य हैं इसमें मंत्री प्रभारी होते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं । उपाध्यक्ष जिला अनुश्रवण समिति के हैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं माननीय सदस्य, सदस्य होते हैं इन्हीं माननीय सदस्यों की मर्जी से जो यह निर्णय लेते हैं उस निर्णय के अनुसार ही वहां से जिला योजना बनाकर प्रदेश को भेजी जाती है । प्रदेश का नियोजन विभाग उस बैठक में जो माननीय सदस्य निर्णय लेंगे उस निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । चाहे

वह बिजली की व्यवस्था हो चाहे पी० डब्लू० डी० की व्यवस्था होगी, जितनी योजना आच्छादित होती हैं जिला योजना की समिति अनुश्रवण समिति में जो निर्णय लिया जाएगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक चीज और कहना चाहूंगा शिक्षा समिति का प्रस्ताव अन्तिम माना जाता है शिक्षा समिति में कहीं विधायक नहीं हैं। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें जो स्कूल खोले जायेंगे वह शिक्षा समिति की राय से नहीं विधायकों की राय से खोले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी का कहना है कि एक शिक्षा समिति है जिसके परामर्श से विद्यालय खोले जाते हैं। उस शिक्षा समिति में विधायकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें उनका कहना है रेवती रमण सिंह जी का एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि उस शिक्षा समिति में माननीय सदस्यों की भागीदारी रहेगी?

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

जो नियमानुसार होगा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के मुताबिक एक व्यवस्था है जो हमारे लिये बाध्यकारी है।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं अभी विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व जनपद सिद्धार्थनगर में बैठक हो रही थी विद्युत सलाहकार समिति की, उसमें गांव के विद्युतीकरण की बातें आई थीं, वहां एक विद्युत परिषद् का आर्डर दिखाया और कहा गया कि इसके अन्तर्गत जो गांव आयेंगे उन गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा इसमें विधायकों के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विधायकों की राय से सब होगा, लेकिन वहां इस तरह से आर्डर दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि विधायकों के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बोर्ड के अलग आदेश चलते हैं और आपके आदेश अलग हैं तो सरकार के निर्देश ऊपर होंगे या बोर्ड के आदेश ऊपर होंगे। क्या विद्युतीकरण योजना में विधायकों की कोई भागीदारी होगी।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने अर्ज किया है कि जिला नियोजन और अनुश्रवण समितियों के दायरे में जितने विभाग आते हैं उनमें जो योजनायें तैयार की जाती हैं, उनकी बैठक में जो निर्णय लेंगे उसको सरकार अक्षरशः पालन करेगी। (व्यवधान)

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, जिले में जितनी योजनायें हैं, चाहे वह डी० आर० डी० ए० की हो या सिंचाई की हों, सभी में उनकी सुविधानुसार शासन की अनुमति से प्रस्ताव रखने के लिए अनुमति दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती है और कार्य होते हैं । लेकिन नगर क्षेत्र के विधायक की स्थिति यह है कि नगर में कोई भी योजना चल रही हो अथवा डूडा की योजना हो उनमें न तो जनप्रतिनिधियों का और न सभासदों का ही कोई योगदान लिया गया है बल्कि केवल अधिकारी उसका निर्णय लेते हैं और वे अपनी एजेन्सी तय करते हैं जिससे विकास कार्यों में जन प्रतिनिधियों का कोई योगदान नहीं रहता है और न उनसे कोई सलाह ही ली जाती है । इसलिये हम चाहते हैं कि 25 हैण्डपाइप जो दिये गये हैं उसके साथ ही साथ डूडा योजना को उसके साथ जोड़ा जाए तो शायद अनुसूचित जाति, मलिन बस्तियों में विकास के कार्य कुछ लागू हो सकें अन्यथा अभी तक तो केवल अधिकारी ही उसमें काम कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं है । किसी घोषणा के लिये अथवा उत्तर देने के लिये मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता हूं । (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

आप लोग कृपया बैठ जाएं । आप लोग तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं । आप लोग बैठ जाएं । आपके अनुरोध को मैंने मंत्री जी तक पहुंचा दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं । शेष बातों पर माननीय मंत्री जी अगर चाहेंगे तो घोषणा करेंगे नहीं तो शासन उन पर विचार करेगा । आपके अनुरोध को मैंने शासन तक पहुंचा दिया । इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । नियम के तहत जो व्यवस्था थी उसके अनुरूप कार्यवाही कर रहे हैं । पीठ से जो अपेक्षा की जाती है वह हमारे लिये आदेश हुआ करता है । संसाधनों को देखते हुए जो कुछ सम्भव था वह किया गया । कुछ योजनायें केन्द्र सरकार की हैं उसमें हमारी मजबूरी है । बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जो संविधान के 73वे व 74वे संशोधन के तहत आती हैं । इस तरह की जो समितियां हैं उसमें हमारी मजबूरी है । उसकी सदन की मजबूरी है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने जो बात कही है उसके बारे में कुछ नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष–

शुक्ला जी, आप बैठ जाएं वह प्रकरण अब समाप्त हो चुका है । यह कौन सा तरीका है कि माननीय सदस्य आपस में कहा सुनी कर रहे हैं ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पूर्वांचल विकास निधि, उत्तरांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि के.....

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो गया ? व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जा सकता है इसको आप बता दें ताकि हमारा ज्ञानवर्धन हो जाए ?

श्री धनीराम वर्मा–

जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की है उसमें एक चीज संदिग्ध रह गयी है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि योजना जिस तरह भेजी जायेगी वह उसी हिसाब से मानी

जायेगी । स्वीकृत होने के बाद चाहे वह विद्यालय हों, चाहे बिजली हो, चाहे हैण्ड पम्प हों, चाहे सड़क हो स्वीकृति के बाद विधायकों से पूछकर, उनका कार्यान्वयन होगा यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जब स्वीकृत होंगी तो कार्यान्वयन तो होगा ही ।

श्री धनीराम वर्मा–

योजना स्वीकृत होने के बाद क्षेत्र वाइज बंटवारा करने के बाद क्या क्षेत्रीय विधायक को पूछकर सारी योजनायें क्रियान्वित की जाएंगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जो निर्णय लिया जायेगा उसी के अनुरूप कार्य होगा । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति योजना बनने के बाद उसका अनुश्रवण भी करती है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसके अनुरूप पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं । यह समिति जो निर्णय करेगी उसी के अनुरूप कार्यवाही होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

ठीक है मेरा स्पष्टीकरण आ गया ।

बबराला एवं गीडा काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । आपकी पीठ से एक निर्देश हुआ था बबराला के बारे में, गीडा के बारे में नहीं था लेकिन उसकी भी जांच करायी गयी है । ये दोनों जांच अध्यक्ष राजस्व परिषद् के सुपुर्द की गयी थी और अध्यक्ष, राजस्व परिषद् ने दोनों जांच पूरी कर ली हैं। इसी से सरकार की संवेदनशीलता, निष्पक्षता तथा दूध का दूध तथा पानी का पानी होना स्पष्ट हो जाता है । मान्यवर, दोनों जांच रिपोर्ट 11-8-97 को शासन को प्राप्त हो गयी है और अब जो प्रक्रिया है उसके अनुसार उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से नियम–3(X) के अन्तर्गत मैंने औचित्य का प्रश्न रखा और उसके समाधान में यह कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री जब रिपोर्ट रख दें तो रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही किये जाने की बात थी, यही आश्वासन था । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि रिपोर्ट इस सदन में इसी सत्र में रख दी जायेगी । आप कार्यवाही दिखवा लें । यह आश्वासन था कि इसी सत्र में वह रिपोर्ट सदन के सम्मुख रख दी जायेगी ।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सरकार की ओर से मंत्री होने के बाद भी यह तरीका अख्तियार किया जायेगा, यह शोभनीय नहीं है । मैंने पहले भी कहा था और आज भी विनम्रता से कह रहा हूं । जब आपका स्पष्ट निर्देश था कि इसी सत्र में इस रिपोर्ट को आना चाहिए । रिपोर्ट पहले सदन की पटल पर आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही निकलवा ली जाये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपकी पीठ से जो भी निर्देश हुए हैं उसका अक्षरशः पालन किया हूं और जहां तक जानकारी है आपने कहा था कि इस जांच रिपोर्ट में क्या प्रगति हुई है वह प्रगति रिपोर्ट भेज दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

किस दिन की थी, कार्यवाही निकलवा ली जाये।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर मेरी बात में कोई त्रुटि हो तो मैं बिना किसी निर्देश के यह स्वीकार करने को तैयार हूं और अगर आपकी व्यवस्था में यह बात नहीं हुई है तो अपनी बात वापस ले लूंगा।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो जांच रिपोर्ट आ गयी है उसको सदन के पटल पर रख दें उसका परीक्षण बाद में करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

पहले कार्यवाही देख लें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गीडा और बबराला के संबंध में जो रिपोर्ट आयी है उसको सदन के पटल पर रखवा दिया जाय।

श्री शिवपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से खतरा उत्पन्न होने तथा सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने संबंधी सूचना

श्री धनीराम वर्मा–

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, तब से इस सरकार का दमनचक्र समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं पर निरन्तर चल रहा है। आज 13 तारीख से समाजवादी पार्टी का जेल भरो आन्दोलन, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रारम्भ हो चुका है। श्रीमन्, इस सरकार ने गोरखपुर और उन्नाव में पहले ही हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को, जो शान्तिमय ढंग से बिजली और पानी की समस्या के लिये धरना दे रहे थे, को जेल में बन्द किया है। उन्नाव में ही 6 कार्यकर्ताओं को बन्द किया है, उनमें से दोपर रासुका लगा दी है और अन्य को विभिन्न गम्भीर अपराधों में दर्ज किया है, ऐसे ही गोरखपुर की स्थिति है। श्रीमन् आज यह बात और भी पूर्णतः सत्य हो गई है, जो मैंने आरोप लगाया था। जेल भरो आन्दोलन सफल न होने पावे, इसके लिये यह सरकार पहले से ही दमनात्मक कार्यवाही कर रही है, उसी के तहत हम जनपद के शिव पाल सिंह यादव के सुरक्षा गार्डों को वापस कर लिया गया और उसकी जगह नये सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं। इतना ही नहीं, कल रात को और आज सबेरे के बीच उनके घर पर बमों से हमला किया गया, दरवाजे तोड़ने का काम किया गया, तब तक पुलिस और लोग आ गये तब लोग नाले की तरफ से भाग गये।

मान्यवर, आज उनकी जान का खतरा है, मेरे पास फैक्स आया है, मैं उसे आपके पास भिजवा दूंगा। जेल भरो आन्दोलन के तहत आज बहुत से कार्यकर्ता जो चिनहट की तरफ से आ रहे थे, गाजीपुर थाने के पास उन्हें रोककर, बस से उतारकर, उन पर लाठी चार्ज किया गया और तितर-बितर किया गया, इस बस का ड्राइवर प्रदीप सिंह था। इसी प्रकार मलिहाबाद की तरफ से आ रहे सत्याग्रहियों को चौक के पास पुलिस ने बसों से बाहर निकाल दिया और लाठी-डन्डों से मार कर भगा दिया। इसी तरह से गोसाईगंज की तरफ से 100 कार्यकर्ता टेम्पो पर सवार होकर रायल होटल आये, उनके हाथों में

झन्डे और बैनर थे, उन पर भी पुलिस के लोग बुरी तरह से लाठी चार्ज करने लगे, जिससे 40-50 कार्यकर्ता घायल हुये । श्रीमन् मैंने आज पहले ही इन सब बातों को आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया, कि यह सरकार जेल भरो आन्दोलन को दबाने के लिये दमनात्मक कार्यवाही कर रही है । मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस संबंध में इस सरकार को आपकी तरफ से निर्देशित किया जाय कि यह दमनात्मक कार्यवाही न करें । समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इससे डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, यह मैं आगाह किये देता हूं कि इस तरह से कार्यवाही हुई तो घर-घर से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकलकर सड़कों पर आयेगा, चाहे आप सबको जेल में भेज दीजिये, लेकिन कोई इस तरह से भयभीत होने वाला नहीं है । इसकी जांच करवा ली जाय और जिन अधिकारियों के संरक्षण में कार्यकर्ताओं को पीटा गया और जिन्होंने पीटा, उनको दंडित किया जाय, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, यही मै आपसे अपेक्षा करता हूं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । मान्यवर, हमारी दिली चाहत तो जरूर रहती है । मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के दल के लोगों ने लखनऊ के अन्दर एक हल्लाबोल रैली रखी थी । हमारी चाहत थी कि बड़े पैमाने पर लोग उस रैली में आये और उस रैली में अपनी शक्ति प्रदर्शन करें परन्तु इनके लाख प्रयास के बावजूद उसमें कोई आया ही नहीं तो उसमें मेरा क्या दोष है । दूसरा मान्यवर, इनका आज से जेल भरो आन्दोलन चल रहा है उसमेंअगर कोई आना नहीं चाहता है और भाग नहीं लेना चाहता है, इनके कहने पर जनता नहीं उपस्थित हो रही है, इनके लाख कोशिश करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । जब इनका प्रोग्राम फेल हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है इनके कहने पर कोई सुनने वाला नहीं है, अभी एक माननीय सदस्य अपने आप ही कह रहे थे कि अब हमारी तेरहीं होने वाली है तो जब इनके कहने पर कोई आने वाला नहीं तो मैं क्या करूं । मान्यवर, मेरी तो चाहत थी कि लोग आये और शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करें और जो नियमानुसार कार्यवाही होगी हम करेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इसकी जांच करा लीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो झूठे आरोप लगाये गये हैं मैं उनका प्रतिवाद करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री के लिये यह उचित नहीं है । यह किसी बात के लिये गम्भीर नहीं है । नेता विरोधी दल ने जो बात बड़ी गम्भीरता से कही उस पर गम्भीर नहीं है । मान्यवर, शिव पाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं और इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं उनके शैडो और गनर हटा दिये गये थे उस पर कोई बात नहीं कह रहे हैं और हल्लाबोल रैली और क्या बता रहे हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, शिव पाल सिंह यादव के पास आज भी शैडो और गनर है उसे हटाया नहीं गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आचरण मैं देख रहा हूं कि कितनी भी गम्भीर बात कही जाय उसको ये अगम्भीर बनाने का काम सदन में करते हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक निश्चित जानकारी दी है कि बस से लोग प्रदर्शन करने के लिये लखनऊ आ रहे थे, गाजीपुर थाने के पास, चिनहट के पास उनको लाठियों से पीटा गया, बर्बरतापूर्वक पीटा गया, बहुत से लोग जख्मी हो गये और यह कह रहे हैं कि कोई आ ही नहीं रहा है आ नहीं रहा है तो लाठी कहां से चल रही है । अगर

शान्तिपूर्वक प्रदर्शन पर सरकार दण्डात्मक कार्रवाई करेगी तो कैसे काम चलेगा । मान्यवर, एक बार इस देश में इमरजेंसी लगी थी और उसमें आपने देखा कि जनता ने क्या किया था । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की दण्डात्मक कार्रवाई न करें । शान्तिपूर्वक तरीके से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको गिरफ्तार करें वह खुद गिरफ्तारी देने आ रहे हैं । मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दिलवा दें और शिवपाल सिंह का जो गनर वापस लिया गया हैं वह गनर उनको वापिस दिला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

दो बातें माननीय नेता विरोध पक्ष और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कही शिव पाल सिंह जी के गनर के बारे में और लाठी चार्ज के बारे में, उसमें बता दें । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लाठीचार्ज के समय अपनी राजनीतिक बात भी कह दी और उसका आपने राजनीतिक जवाब भी दे दिया ।

(पांच बजे)

लेकिन माननीय शिवपाल जी के गनर के बारे में उत्तर नहीं आया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, शिवपाल जी की बात आई है, आज विनोद मणि जी की बात आई, उन्होंने अपनी सुरक्षा की बात कही, उस समय मैंने कहा था कि एक अतिरिक्त गनर देने का आदेश कर दिया गया है । मान्यवर, माननीय शिवपाल जी ही नहीं, सभी माननीय सदस्यों की और उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारन्टी सरकार ने ली है ।

श्री अध्यक्ष–

केवल माननीय शिव पाल जी के बारे में बता दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उनकी सुरक्षा की हमें पूरी चिन्ता है । मान्यवर, जितने गनर और शैडो उनके पास थे, मान्यवर, यह सामान्य सी प्रक्रिया है कि सुरक्षा हमें करनी है ।

(व्यवधान)

सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार किस तरीके से सुरक्षा कर पाती है, यह सरकार का अपना दृष्टिकोण है हम गनर शैडो, स्क्वायड या फोर्स क्या लगाकर सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था को देखते हुए, मान्यवर, यह सामान्य सी प्रक्रिया है कि हमेशा वही शैडो गनर रखना चाहते हैं, तो यह तो संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पारसनाथ यादव जी के पास गनर शैडो था ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो उत्तर आ रहा है उसमें किसी गम्भीर साजिश की बू आती है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

वह छुट्टी लेकर चले गये उनके साथ जाना भी नहीं चाहते हैं तो यह सब भी हमें देखना पड़ता है। उनकी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम कर रहे हैं। इसमें इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि आज पार्टी के लोग शान्ति पूर्वक आ रहे थे तो मान्यवर किसी भी शान्ति पूर्वक व्यक्ति के खिलाफ कदापि कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। परन्तु जो लोग इस प्रदेश के कानून को हाथ में लेना चाहेगे। (व्यवधान) उनके मंसूबों को हम पूरा होने नहीं देंगे।

(इसी मध्य श्री उदयराज यादव व समाजवादी पार्टी के अधिकांश विधायक सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य एक साथ सदन के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके अपने-अपने स्थान पर चले जायं। मैं सदन को पांच बजकर तीस मिनट तक तक स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 5 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवपाल सिंह यादव सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, जो गनर की बात हो रही थी उसके संबंध में स्पष्ट करा दें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बीर० आर० वर्मा)–

मान्यवर, इस संबंध में विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना मिली थी, जो पारस नाथ जी ने कहा था कि उनका गनर हटा लिया गया है लेकिन बाद में पता चला कि वह तो छुट्टी चला गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी पता लगा लेंगे कि कहीं वह छुट्टी तो नहीं चला गया है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, जो ए० एस० पी० है उसकी वहां पर चार बार पोस्टिंग हो चुकी है और माननीय सदस्य ने इस सदन में उस ए० एस० पी० के खिलाफ आरोप भी लगाये थे। इनकी मंशा साफ नहीं दिखती है।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन-जिन सदस्यों को जान का खतरा हो वह सरकार को कह दें सरकार उन्हें जेल में बन्द कर देगी इससे उनकी सुरक्षा हो जायेगी।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, कोई आश्वासन तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह तो दिया है कि हम विचार कर लेंगे।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से औद्योगिक विकास अनुभाग–10 द्वारा प्रकाशित नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 123 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रदेशीय इण्डिस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० की वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से औद्योगिक विकास अनुभाग–10 द्वारा प्रकाशित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०-पी० लिमिटेड की वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(श्री हरिशंकर तिवारी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने किसी को अधिकृत तो नहीं किया है।

(कोई उत्तर न आने पर)

अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कूर्मांचल नगर में स्थित ग्राम बस्तौली खसरा नं० 95 की सार्वजनिक भूमि पर डामर रोड सहित पार्क आदि का निर्माण कराये जाने के संबंध में डा० अजय कुमार मल्ल आदि की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कूर्मांचल नगर में स्थित ग्राम बस्तौली खसरा नं० 95 की सार्वजनिक भूमि पर डामर रोड सहित चहारदीवारी युक्त पार्क एवं कम्युनिटी हाल का निर्माण कराये जाने के संबंध में डा० अजय कुमार मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन में शुगर मिल खुलवाये जाने के संबंध में डा० रमेश चन्द्र आदि की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में शुगर मिल खुलवाये जाने के संबंध में डा० रमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के कस्बा सौख में बनी पावर स्टेशन बिल्डिंग में 33 के० वी० का पावर स्टेशन स्थापित किये जाने के विषयक श्री अतुल कुमार अग्रवाल की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के कस्बा सौख में बनी पावर स्टेशन बिल्डिंग में 33 के० वी० का पावर स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री अतुल कुमार अग्रवाल, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम बरारी से थाना शमशाबाद होते हुए ग्राम बेरी तक तथा ग्राम बेरी से मिर्जापुर परखम तक कच्चे तथा अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों को डामरयुक्त कराये जाने विषयक श्री महिपाल सिंह की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम बरारी से थाना शमशाबाद होते हुए ग्राम बेरी तक तथा ग्राम बेरी से मिर्जापुर परखम तक कच्चे तथा अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों को डामर युक्त कराये जाने के संबंध में श्री महिपाल सिंह निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के ग्राम मलिकपुर तथा ब्लाक गोवर्धन के ग्राम अडींग में स्थित ऐतिहासिक स्थल "कमल कुन्ड" के सुन्दरीकरण विस्तारीकरण एवं पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित करवाये जाने विषयक श्री भूदेव प्रसाद शर्मा आदि की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा ब्लाक फरह के ग्राम मलिकापुर तथा गोवर्धन ब्लाक के ग्राम अडींग में स्थित ऐतिहासिक स्थल "कमल कुन्ड" के सुन्दरीकरण, विस्तारीकरण एवं पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित करवाये जाने के संबंध में श्री भूदेव प्रसाद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के रिफाइनरी गेट नं० 9 से छड़गांव होती हुई पीलुआ सादिकपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री हरिराम जाटव आदि की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के रिफाइनरी गेट नं० 9 से छड़गांव होती हुई पीलुआ सादिकपुर तक के सम्पर्क मार्ग को पक्का काराये जाने के संबंध में श्री हरिराम जाटव व अन्य निवासीगण मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम मुहम्मदपुर का नाम परसौली परिवर्तित करते हुए पर्यटन की दृटि से उसका सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के संबंध में श्री योगेन्द्र शर्मा आदि की याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम "महमूदपुर" का नाम परसौली परिवर्तित करते हुए पर्यटन की दृष्टि से उसका सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के संबंध में श्री योगेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद सं० 9, 10 और 11 में कुछ नहीं है।

---

†† यह छापी नहीं गयी।

विशेषाधिकार हनन की दी गई सूचना के संबंध में जानकारी

श्री अमरमणि–

हमने कल सवाल उठाया था कि हमारे जनपद में आर० ई० एस.....

श्री अध्यक्ष–

क्या आपने सूचना दी है। अगर सूचना दी जाती है कि पहले उसका परीक्षण कराया जाता है और अगर नियमों की पूर्ति होती है तो संबंधित मंत्री से उत्तर मांगा जाता है। आप तो नयी प्रक्रिया को जन्म दे रहे हैं।

श्री अमरमणि–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं हो सकता है। यह लिखा नहीं जायेगा।

जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्री राज बहादुर की याचिका ††

श्री अध्यक्ष–

मानीनय श्री हरिशंकर तिवारी जी आ गये हैं, अपनी याचिका को प्रस्तुत करें।

श्री हरि शंकर तिवारी–

आपकी आज्ञा से मैं जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्री राज बहादुर निवासी जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार हनन की दी गई सूचना के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

श्री अमरमणि–

मान्यवर, वहां पर भ्रष्टाचार फैल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार से नहीं होता है। यह प्रक्रिया ही नहीं है। आप प्रक्रिया की जानकारी कर लें। जब सूचना दी जाती है तो उस सूचना का परीक्षण किया जाता है, तब यदि यह नियमों की शर्तों को पूरा करती है, तो संबंधित मंत्री के पास भेजी जाती है और अपना उत्तर देने के पूर्व यदि किसी अधिकारी से संबंधित है, तो उस अधिकारी से उसका उत्तर प्राप्त किया जाता है और जब उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे पास आता है। यह अभी नहीं हो सकता है। मैं आपको कैसे समझाऊं। आप इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। यह प्रक्रिया नहीं है। जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार परीक्षण हो रहा है।

श्री अमरमणि–

कब तक परीक्षण होगा।

श्री अध्यक्ष–

जो आपने तथ्य लिखे हैं, उनका परीक्षण होगा।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†† छापी नहीं गयी।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के आज दिनांक 13 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान सभा के आज दिनांक 13 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित नियम अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अफजाल अहमद–

मान्यवर, क्या इसमें कोई राय नहीं होती।

श्री अध्यक्ष–

इसमें राय नहीं होती, नेता विपक्ष की सहमति होती है।

गढ़वाल मण्डल के स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी, प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अभद्रता एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

(डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

यूं तो कार्यसूची में इस पर आधे घन्टे की चर्चा लिखी है लेकिन माननीय सदस्य इसे संक्षेप में कहना चाहें तो उसका स्वागत होगा।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, कोशिश करूंगा । मान्यवर, उत्तरांचल के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि केदार नाथ बद्रीनाथ तथा केदारनाथ आज से नहीं बल्कि हजारों हजार वर्ष पहले से उनकी मान्यता रही है । उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया है चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो पूरे देश से लोग बद्रीनाथ दर्शन के लिये आते हैं । इस धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के पहले चट्टियों पर रुकते हुए वर्षों वर्ष का कार्यक्रम बनाकर यात्री आते हैं तब कहीं जाकर बद्रीनाथ के दर्शन करते थे । वर्तमान परिस्थितियों में यातायात की सुविधा हो जाने से थोड़ी सुविधा यात्रियों को प्राप्त हुई है । लेकिन पिछले समय में जिस तरीके से यात्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है उससे कठिनाई पैदा हो गयी है । यह सिर्फ वहां पर चुंगी के कारण हो रहा है । उसके कारण पूरे देश के यात्रियों को कठिनाई हो रही है । जो इस संबंध में शासनादेश संख्या–1948/9-993–12–जनरल/93 नगर विकास अनुभाग–9, दिनांक 17 मई, 1993 द्वारा पहाडी क्षेत्र उत्तरांचल के जिले की नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया कमेटियों और टाउन एरिया कमेटियों द्वारा उनकी सीमाओं में प्रवेश करने वाले निजी वाहनों व कान्ट्रेक्ट बसों पर प्रवेश शुल्क लगेगा । तो मान्यवर, यह निजी वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाने का शासनादेश राष्ट्रपति शासन में जारी हो गया । इसके तहत नगर पालिकाओं टाउन एरिया कमेटियों नोटीफाइड एरिया कमेटियों द्वारा पर्यटकों के लिये की जा रही नागरिक सेवाओं के लिये यह किया गया । निजी वाहनों तथा कांट्रैक्ट बसों पर अधिकतम 50 रु० प्रति माह प्रति आगमन की दर से प्रवेश शुल्क लेने का प्राविधान हो गया । ऐसे प्रवेश शुल्क से यू० पी० एस० आर० टी० सी० व राज्य सरकार के वाहन एवं भारवाहक वाहन जैसे ट्रक आदि मुक्त कर दिये गये । किन्तु इसके मूल उप नियम 93 के प्राविधान में स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गयी और न स्थानीय वाहनों को उससे मुक्त रखा गया जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीवन भी अस्तव्यस्त हो गया और जिस तरीके से यह प्रवेश शुल्क वसूला जाने लगा है उससे पहाड़ की गरिमा पर विपरीत असर पड़ा है ।

इस उप नियम के बिन्दु 4 पर स्पष्ट उल्लेख है कि सीमा प्रारम्भ पर पालिका कमेटी द्वारा स्वागत कक्ष स्थापित किये जायेंगे जहां पर निजी वाहन, कंट्रैक्ट वाहन और निजी भार वाहन रुकेंगे और उन्हें पेय जल और शौच आदि की सुविधा स्वागत कक्ष में उपलब्ध होगी और स्वागत कक्ष में ही उनसे प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जायेगा जिसकी हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पालिका/कमेटी की रसीद स्वागत कक्ष के प्रभारी द्वारा दी जायेगी । किन्तु इस स्वागत की जगह उनके साथ बदसलूकी का बर्ताव किया जा रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहां की संस्कृति के विपरीत है ।

(इस समय 6 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

हमारा कहना यह है कि यह जो गलत तरीके से शुल्क लगाया गया है इसको वापस लेना चाहिए । मैं मानता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की नोटीफाइड एरिया, नगरपालिकाओं के पास उतने संसाधन नहीं हैं, आर्थिक कमजोरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश के कोने-कोने से जो पर्यटक तीर्थ स्थानों का दर्शन करने आते हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमनोत्री का दर्शन करने आते हैं । उनका उत्पीड़न किया जाय । वहां पर जिन लोगों को वसूली का ठेका दे दिया गया है वह मनमाने ढंग से वसूली कर रहे हैं । वाहनों की लम्बी-लम्बी कतारें लग जाती हैं । नगर पालिका ने यह व्यवस्था कुछ लोगों को ठेके पर दे दी है और वह लोग चाकू और तमंचे के बल पर खुले आम लूट रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र में घटनाओं पर घटनायें होती जा रही हैं । माननीय राज्यपाल महोदय जब 28 तारीख को बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां घोषणा कर आते हैं कि उत्तराखण्ड से प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया है । लेकिन 28 मई की उनकी घोषणा का कोई पालन नहीं किया गया और चुंगी वसूली की जा रही है ।

माननीय राज्यपाल जी ने नैनीताल में भी घोषणा कर दी कि टैक्स समाप्त कर दिया गया और प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है । लेकिन मौके पर आज भी वाहनों पर चुंगी लगायी जा रही है जिससे

जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घन्टों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कम से कम 50 जगह रुकना पड़ता है जिससे समय की बरबादी के साथ-साथ लोगों को अपमानित भी होना पड़ता है। लम्बी-लम्बी कतारें लगी रहती हैं। 15 जूनं को मुनि की रेती में महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी की गयी और 10 हजार रुपये छीनने की घटना हुई जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। वहां पर लोगों को चाकू मारने और घायल करने की स्थिति आ गयी। 15 जून की घटना के बाद भी सरकार ने अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जिसके कारण तमाम जगहों पर जाम लगाया गया। 15 जून की घटना के बाद 18 जून को एक और शर्मनाक घटना पौड़ी चुंगी पर हुई जहां पर खूब मार पिटाई हुई और उसकी भी रिपोर्ट दर्ज हुई, वहां पर यू० एस० बी० 3231 नम्बर का वाहन पकड़ लिया गया और बन्द कर दिया गया। नगर पालिका ने जिनको ठेका दे दिया है वह लोग चाकू और तमंचे के बल पर वसूली कर रहे हैं। आज लोगों को वाहनों से जाने में दिक्कत हो रही है। इस तरह से वहां लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और घटनाओं पर घटनायें होती चली जा रही हैं। ऐसी घटनाओं का शर्मनाक पहलू यह है कि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। वहां की घटनायें रोज अखबारों में आ रही हैं और लोगों के साथ चुंगियों पर अपमानजनक बर्ताव हो रहा है। श्रीनगर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है यह प्रकरण भी किसी से छिपा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पोखरियाल जी समय का ध्यान रखें।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैंने तो अभी शुरू किया है। मेरी चर्चा पर समय तो सीमित कर दिया गया है, मेरे साथ वैसे ही अन्याय हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आधे घंटे की चर्चा है। 10 मिनट आप बोल चुके हैं। कुछ माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे और मंत्री जी जवाब भी देंगे। आप समय का ध्यान रखें अब समाप्त करें।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

कर्ण प्रयाग के अन्दर खुंखरी से ड्राइवर को काट दिया। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। 10–12 घटनाएं हो गयी हैं। इसके बाद भी समझ में नहीं आता कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय क्यों नहीं लिया जाता ? कमिश्नर गढ़वाल महसूस करते हैं। 7 तारीख का अखबार है इसमें उन्होंने स्वीकार किया यह 26 जुलाई का है। उन्होंने कहा है कि यात्री प्रवेश शुल्क वसूले जाने से यात्रियों को कठिनाई हो रही है जिससे कि यहां पर आने वाले यात्रियों की संख्या पर भारी प्रभाव पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

निशंक जी अब आप समाप्त करें।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

कुछ नगर परिषदों द्वारा सीमा प्रवेश शुल्क की व्यवस्था ठेके पर दिये जाने के संबंध में उनका कहना था कि इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ बदतमीजी की घटनाएं होगी और यातायात भी प्रभावित होगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर विषय है बद्री केदार जाने वाले लोग आस्था लेकर आते हैं वह क्या संदेश देना चाहेंगे। मान्यवर, इसको तत्काल से समाप्त किया जाना चाहिए। केवल यात्रियों का ही विषय नहीं है। यह पूरे देश की एकता और अखंडता का विषय है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं है पूरे देश को जोड़ने वाली एक यात्रा है। दक्षिण भारत से व्यक्ति आस्था लेकर आता है कि एक किनारे से वह दूसरे किनारे मुख्य हिमालय को जाता है। और वहां पर उसको किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। अभी और भी माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसको समाप्त किया जाय। यदि आवश्यक हो तो ऋषिकेश में तय कर लिया जाय। एक स्थान पर चुंगी ले ली जाय। स्थान-स्थान पर चुंगी न ली जाय। मैं इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग करता हूं अन्यथा जो स्थिति पूरे पहाड़ के अन्दर होगी वह सम्भाले नहीं सम्भलेगी। यह कहकर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इसको समाप्त करने की कृपा करें।

* श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी हमारे साथी विधायक निशंक जी ने उत्तराखण्ड क्षेत्र के नगर पालिकाओं में, टाउन एरिया में प्रवेश शुल्क के ट्रांजिट फीस के नाम पर यात्रियों से आवागमन कर वसूला जा रहा है और उससे उन यात्रियों को जो असुविधा हो रही है, उसको उजागर किया है। इस सदन के अन्दर पहले भी चर्चा की गई है। हरिद्वार से लेकर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सिक्खों का पवित्र तीर्थस्थल हेमकुण्ड साहब, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा की जाती है। तो यात्रियों को 18 जगह चुंगी और प्रवेश शुल्क के नाम पर रुकना पड़ता है। यदि हम इसको हल्के अंदाज से भी देखें तो यदि एक बैरियर पर वह 10 मिनट रुकता है तो 18 जगह के हिसाब से उसको 180 मिनट लगते हैं जिसका मतलब हुआ कि तीन घंटे का समय हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचने में लगता है। जैसा निशंक जी ने कहा यात्रियों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां प्रवेश शुल्क के बैरियर पर टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और नगर पालिका का स्टाफ तैनात रहता है उनसे अशोभनीय व्यवहार किये जाने की बहुत शिकायतें मिलती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यही एक मुद्दा नहीं है दूसरा पहलू यह भी है पर्वतीय क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र से, टाउन एरिया से, नोटिफाइड एरिया से, नगर पालिका क्षेत्र से इतनी बड़ी मात्रा में सैलानी एकत्रित होते हैं कि आने वाले टूरिस्ट के लिये यह नगर पालिका की लोकल बाडी की ड्यूटी बनती है कि उन तमाम पर्यटकों को जो मान्य सुविधायें हैं शौचालय की, पीने के पानी की सुविधा, नाली की सफाई की सुविधा है जो सिविक एनीमिटीज देने की गारन्टी करे। यह जो टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया हैं इन कामों को करने के लिये जिस का मैंने जिक्र किया है। कोई संसाधन नहीं है लिहाजा आज तमाम नगरपालिकाओं के पास, स्थानीय निकाय संस्थायें हैं उनकी बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गयी है। एक तरफ जनप्रतिनिधि हैं जो पर्यटकों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और उनको होने वाली असुविधा की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यह प्रश्न उठाना चाहते हैं कि इसको समाप्त किया जाए तो जो बुनियादी सुविधायें हैं यह आने-जाने वालों को कैसे मुहैया करायेंगे। आपकी पीठ से इस पर कोई निर्देश आना चाहिए मैं सरकार से और आपसे आग्रह करूंगा कि यह उत्तराखण्ड का ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान का प्रश्न है। पूरे हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोग आते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें सब बात आ गयी है।

श्री मुन्ना चौहान–

यदि उनको सुविधा नहीं दी गयी तो उत्तराखंड के क्षेत्रों के बारे में तीर्थ स्थानों के बारे में पर्यटक क्या नक्शा लेकर जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तीन पूर्ववर्ती सरकारों ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना चलाई । जैसे ऋषिकेश से होकर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं उसी तरह से हरिद्वार हरवटपुर डोईवाला.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

इसको नेशनल पर्यटक ग्रीड योजना से जोड़ा जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

जो भारत सरकार की पोषित योजना है वह इसमें योगदान करे । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ को यात्री रूट से जोड़ा गया.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

उसी तरह से हरिद्वार, हरवटपुर डोईवाला, गंगोत्री, यमुनोत्री को यात्री रूट घोषित किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

एक मिनट और सुन लें । व्यापारी कर का 4 प्रतिशत का एलान सरकार ने किया था स्थानीय निकाय को दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें । गांववासी जी आप चर्चा शुरू करें ।

* श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । उत्तरांचल में जो चुंगी ली जा रही है उससे पर्यटक भी और वहां के स्थानीय लोग भी अत्यधिक त्रस्त हैं । वहां जो चुंगी लेने की व्यवस्था बनायी गयी है वह लूटने जैसा हो गया है । अनेक नगरपालिकाओं और नगर परिषदों ने चुंगी लेने का काम ठेके पर दे दिया है । मान्यवर, ठेका जिन्होंने लिया है वह टार्चर करेंगे, परेशान करेंगे वह यात्रियों और वाहनों से पैसा ऐंठ रहे हैं । जिससे त्राहि-त्राहि मची हुई है । चुंगी कर लेने की कोई सही व्यवसथा होनी चाहिए थी । कोई गाइड लाइन होनी चाहिए थी । जिसके कारण वहां जो अव्यवस्था फैल रही है वह दूर होती । अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार जितनी उत्तरांचल की नगर परिषदें और नगर पंचायतें हैं उनको इतना अनुदान दें जिससे वहां के कर्मचारियों को वेतन मिल सके । जो वहां की व्यवस्थाओं में खर्चा होता है वह दिया जा सके । इस चुंगी को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए यही सबका आग्रह है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, चुंगी प्रकरण पर चर्चा हुई पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरी दुनिया से लोग तीर्थ यात्रा करने के लिये उत्तराखंड में जाते हैं और जब वहां पर इस प्रकार की घटनायें होती है उनके सम्मान से खिलवाड़ होता है तो उसका असर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा पर पड़ता है और पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा पर दाग लगता है.....

(छः बजे)

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हरिद्वार में एक रुपये प्रति यात्री कर लगता था तो उसे जजिया की संज्ञा देकर भाजपा सरकार ने उस कर को समाप्त किया था। तो आज जब भाजपा बसपा की सरकार में शामिल है और नगर विकास मंत्री भाजपा पार्टी के हैं तो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जो 18 स्थानों पर यात्री कर वसूल किया जा रहा है उसको समाप्त न करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। इसलिये नगर विकास मंत्री जी पर्वतीय विकास की धनराशि को चाहे तो बढ़ा लें लेकिन नगरपालिकाओं को संसाधन उपलब्ध करायें जिससे यात्रियों के लिये वहां अच्छी व्यवस्था की जा सके। मान्यवर, बद्रीनाथ और केदारनाथ में पहुंचने के लिये यात्रियों को यहां तीन-तीन दिन लगते हैं और 18 स्थानों पर टैक्स वसूला जाता है जिससे उत्तर प्रदेश की छवि का यात्रियों पर खराब बनती है। संविधान में जो बराबरी का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है क्योंकि यू० पी० एस० आर० टी० सी० और कुमाऊं एवं गढ़वाल की जो बसें वहां चलती हैं उनसे टैक्स नहीं वसूल किया जाता हैं किन्तु जो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक प्राइवेट वाहनों से जाते हैं उनसे कर वसूल किया जाता है। यह समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिये सरकार जनहित में इस कर को 18 स्थानों से तुरन्त समाप्त करें और पर्वतीय विकास के लिये अधिक से अधिक धन देकर उसकी प्रतिपूर्ति करें।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें उतनी धनराशि तो उपलब्ध करानी ही चाहिए जो प्रवेश शुल्क के रूप में नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया जो निर्बल हैं उनको पुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिये आशा है कि गढ़वाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो बिन्दु जुड़ा है उसमें करों को समाप्त करने की घोषणा आज मंत्री जी यहां सदन में करेंगे।

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह सरकार यह चुंगी व्यवस्था, जो कर लगाया है, वह पर्यटकों को अधिक अच्छी सुविधायें देने के लिये लगाया गया है, न कि फायदा कमाने के लिये। इसलिये मान्यवर, आप सभी जानते हैं जो यात्री पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं उनको जो न्यूनतम सुविधायें मिलनी चाहिए वह स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से नहीं दे सकती हैं। इसलिए नगर विकास स्थानीय निकायों को जो अनुदान देती है उससे यात्रियों को सुविधाएं अच्छी देना सम्भव नहीं होता है। इसलिए स्वायत्तशासी संस्थाओं को आज से नहीं बल्कि 1996 से शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये 17 मई, 1993 के शासनादेश के अन्तर्गत यह चुंगी के रूप में टैक्स लगाने की बात हुई है। माननीय सदस्यों ने वहां कठिनाइयों का जिक्र किया है इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि श्रीनगर, गढ़वाल और पौड़ी की घटना जिस रूप में छपी है और जो चर्चा में यहां आई है वह इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। वह खोखरी मारने की घटना है। वहां पर कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था कुछ झड़प हुई थी। जिसमें बस के शीशे टूट गये थे। चूंकि घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया इसलिए मैं स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझता हूं। जो भी घटनाएं हुई थीं उस पर कार्यवाही की गयी। उनको चालान किया गया है। उन पर न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन है। आज जो स्थानीय निकायों को चुंगी लेने की आवश्यकता प्रतीत हुई। वहां की जर्जर अवस्था के सुधार के लिए इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। महामहिम की घोषणा की बात कही गयी है। महामहिम की बैठक में 27 मई, 1997 को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के साथ बैठक के दौरान महामहिम ने

विचार करने का आश्वासन दिया था उन्होंने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की थी। मैं यह बात सदन के संज्ञान में स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें दो-तीन बातें बहुत ही औचित्यपूर्ण रखी गयी हैं। यह जो ठेकेदारों से चुंगी वसूल करने की शिकायत की गयी है यह शिकायतें शासन के संज्ञान में आयी हैं। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा वसूली करने पर कहीं दुर्व्यवहार की घटनायें हो जाती हैं। हमारी सरकार प्रदेश के अन्दर से और प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के सम्मान के प्रति बचनवद्ध है। सरकार ठेकेदारों द्वारा वसूली न करके स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी हैं उनसे अच्छे व्यवहार की हिदायत देकर वसूली करवाने पर विचार कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

अगर ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री वाला रूट यात्री रूट घोषित कर दिया जाये तो केन्द्र सरकार से भी पैसा मिल जाएगा।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सभी माननीय सदस्यों और श्री निशंक जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार सवयं आने वाले पर्यटकों तीर्थ यात्रियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता, अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए आज सदन को आश्वस्त करती है कि यह जो औचित्यपूर्ण बातें उठायी गयी हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में रास्तों की कठिनाई है, वहां पर जगह-जगह रोकने की कठिनाई है इसको देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है कि हम उसके प्रवेश द्वार पर कहीं एक जगह कर वसूल किये जायें। वहां पर उचित मानक पर कर लिया जाए जिससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। उसका निर्धारण कर देंगे जिसके आधार पर समानुपातिक रूप से संबंधित निकायों को इसको वितरण हो सके, जो 18 जगह रोकने की कठिनाई है उससे मुक्त करायेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील है और पुनः आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पर्यटक वहां आते हैं वहां उनका रिसेप्शन हो, सम्मान हो।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में आप यह बता दें कि आप क्या कर रहे हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जो आज जगह-जगह वसूली हो रही है जिससे यात्रियों और पर्यटकों को कठिनाई होती है वह न हो इसके लिये सरकार विचार कर रही है।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के छात्रों के प्रवेश शुल्क बढ़ाए जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रदेश के एम० बी० बी० एस०, बी० डी० एस०, आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में सरकार द्वारा जो अंधाधुंध फीस की वृद्धि की गयी है उसकी चर्चा को स्वीकार करके बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह चर्चा बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर है। प्रदेश के बीमार लोगों की चिकित्सा करने के लिये जो जिम्मेदार चिकित्सक बनते हैं उनके अध्ययन शुल्क में इस सरकार ने 30 से 55 गुना वृद्धि की है। 2-7-97 को जो शासनादेश जारी किया है उसके मुताबिक एम० बी० बी० एस० तथा बी० डी० एस० के छात्रों को जो 200 रुपये ट्यूशन फीस देकर पढ़ते थे अब उनको 6 हजार रुपया देकर पढ़ना पड़ेगा तथा जो अन्य व्यय के रूप में 79.25 रुपये देते थे वह अब 1360 रुपया देना पड़ेगा। हास्टल फीस को तिगुना कर दिया गया है। प्रत्येक छात्र से प्रत्येक माह में बिजली का 50 रुपया लिया जायेगा मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि दो छात्र एक कमरे में रहते हैं तो एक पंखा और एक ट्यूबलाइट जलेगी, तो उसका 100 रुपया लिया जायेगा। क्या एक पंखा और एक ट्यूबलाइट में 100 रुपये की बिजली खर्च होगी। हास्टल शुल्क तिगुना किया है, दूसरे शुल्क भी बढ़ाये हैं, अन्य व्यय जो 79.25/- था उसको 1360/- कर दिया है। होम्योपैथिक के छात्रों की शुल्क 144/- थी उसे 2000/- कर दिया, यूनानी की 92/- से 6 हजार रुपये कर दिया गया, आयुर्वेदिक की फीस 2100/- से 8 हजार रुपये कर दिया गया है। शुल्कों में भारी वृद्धि कर दी गयी है जिससे कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोगों को पढ़ने में कठिनाई होगी। यह

इस सरकार का निर्णय नहीं है, इस सरकार ने पिछली सरकार के निर्णयों को अपने ऊपर लेकर चलने का काम किया है ।

इस संबंध में मैंने नियम 51 में प्रश्न उठाया था और स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया था । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने इन चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों से ली जाने वाली शुल्कों का निर्धारण वर्ष 1960 से पूर्व किया गया था । चूंकि महंगाई बढ़ गयी है, और महाविद्यालयों की मांगों की पूर्ति करना संसाधनों के अभाव में सम्भव नहीं हो पा रहा था जिस कारण शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था इसको ध्यान में रखते हुए 24-1-94 को तत्कालीन मंत्रि परिषद् ने विचार किया था और मंत्रि परिषद् की उप समिति ने निर्णय लिया कि शुल्क में वृद्धि की जाये लेकिन निर्णय लागू नहीं हो पाया । राष्ट्रपति शासन में 23-12-95 को महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसने 3-1-97 को निर्णय लिया और 31-1-97 को शासनादेश जारी कर दिया । इस शासनादेश से उद्वेलित छात्र माननीय उच्च न्यायालय में गये, माननीय उच्च न्यायालय ने फीस लेना स्थगित कर दिया और सरकार को यह आदेश दिया कि इस अंधाधुंध वृद्धि पर सरकार पुनर्विचार करे और एक माह में निर्णय ले । सरकार ने दोबारा विचार करके इस महत्वपूर्ण शिक्षा के प्रति सरकार की कितनी संवेदनशीलता जाहिर होती है, एक माह में सरकार ने महामहिम राज्यपाल के कुठाराघात करने वाले निर्णय को औचित्यपूर्ण बताया और यह कहा कि 31-1-97 के शासनादेश में संशोधन का कोई औचित्य नहीं है और उसके अनुसार 2-7-97 को शासनादेश निर्गत कर दिये गये ।

मान्यवर, इस शासनादेश के पैरा 3 में यह कहा गया है कि आरक्षित श्रेणी के छात्रों से शिक्षण शुल्क आधी ली जायेगी । जबकि सी० पी० एम० टी० में आरक्षित श्रेणी के छात्रों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण है उनको वहां सुविधायें दी जाती हैं इसके बावजूद आरक्षित श्रेणी के छात्रों से आधी फीस लेने का शासनादेश किया है ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाये जाने पर)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आधे घंटे की चर्चा है, पूरे तथ्य तो रख लेने दीजिये । मेरा यिह निवेदन है कि सरकार ने एम० बी० बी० एस०, यूनानी, आयुर्वेदिक तथा बी० डी० एस० के छात्रों पर जो शिक्षण शुल्क बढ़ाया है उससे गरीब छात्रों का पढ़ना असम्भव हो जायेगा । मेरे बाद मेरे साथी डाक्टर साहब इस विषय में और भी बतायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट होने के बाद उन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ दिया ही जाता है जबकि एम० बी० बी० एस० और बी० डी० एस० में सेलेक्ट होने वाले छात्रों से संसाधनों के अभाव में, जिस तरीके से सरकार शिक्षण शुल्क बढ़ा रही है । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कितना शिक्षण शुल्क वसूला जायेगा उसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संसाधनों की वृद्धि हेतु खर्च किया जायेगा ? सरकार यह कहेगी कि लेने की मद और है और खर्च करने की मद और हैं ।

मान्यवर, आज मेडिकल छात्र मा० उच्च न्यायालय की शरण में चले गये हैं । मा० उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरह फीस बढ़ाया जाना उचित नहीं है । मा० उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप करने का कारण सरकार का छात्र विरोधी शासनादेश है जो गरीब छात्रों को पढ़ने देने को समाप्त करने का शासनादेश है । अगर सरकार इस पर पुनर्विचार कर ले तो उचित होगा । साथ ही बढ़ी हुई फीस को वापस ले ले तो उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप भी समाप्त हो जायेगा । यदि सरकार को संसाधनों की कमी है तो सरकार को चाहिए कि वर्तमान विधान सभा में इस मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले अनेक मा० सदस्य हैं उनकी एक समिति बनाये और उनसे सुझाव ले तब ही फीस को बढ़ाये । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, यूनानी कालेज, और होम्योपैथिक कालेजों में जो शिक्षण शुल्क, हास्टल शुल्क बिजली आदि के शुल्कों में जो वृद्धि की गयी है उसे निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए । यदि सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो इससे गरीब छात्रों का शोषण होगा । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* डा० वेद प्रकाश सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे ध्यान आ रहा है जब मैं 1970 में मेडिकल स्टूडेंट के रूप में भर्ती हुआ था उस समय 360–370 रुपये साल भर के फीस हुआ करती थी तब मुझे 100 रुपये घर से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाना पड़ता था और वह 100 रुपया लेना भी बहुत मुश्किल होता था । कुल मिलाकर खर्च 200 रुपये होता था जो आज 1500 रुपये बैठ रहा है यदि 600 रुपये फीस बढ़ा दी जाती है और हास्टल आदि की फीस बढ़ा दी जाती है तो यह खर्च 2500–3000 रुपये प्रतिमाह के करीब पड़ेगा । जिसका खर्च गरीब छात्रों के लिये उठा पाना असम्भव होगा । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वह सेलेक्ट होने के साथ ही सरकारी दामाद बन जाते हैं । उसी दिन से उनको पूरा वेतन तथा अन्य सुविधायें शुरू हो जाती हैं और वहीं दूसरी ओर एक मेडिकल स्टूडेंट 2500–3000 रुपया प्रतिमाह अपनी पाकेट से कहां से लायेगा ? कहां से उसके अभिभावक की इतनी तनख्वाह बढ़ गयी जो उसे पूरा कर सके । मान्यवर, ब्यूरोक्रेट तथा प्रोफेशनल में यह फर्क पैदा करने वाली चीज है और इस प्रकार आप मेडिकल स्टूडेंट को हतोत्साहित कर रहे हैं । मान्यवर, एक बात और है हमारा देश एक कल्याणकारी राष्ट्र है और हम जो चिकित्सा सुविधायें दे रहे हैं उसका स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है इससे न तो मरीज संतुष्ट हो पाता है और न ही डाक्टर संतुष्ट हो पाता है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं पेशे से डाक्टर हूं और नया विधायक हूं, मुझे कुछ समय अवश्य दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आधे घंटे में चर्चा समाप्त करनी है चाहे नये हों या पुराने ।

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इसमें मरीज और डाक्टर दोनों की शिकायत चली आ रही है ऐसे में यदि डाक्टर को सुविधा नहीं प्रदान करेंगे, उसके ऊपर बोझ बढ़ावेंगे तो उसमें देशभक्ति की भावना कैसे डाल सकते हैं । यह गम्भीर चिन्तन का विषय है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब की सीटें रिजर्व हैं 50 प्रतिशत इसके अलावा जो 50 प्रतिशत छात्र हैं जो सामान्य वर्ग के हैं और उसमें जो गरीब हैं उनको कहां से अनुदान मिलता है उनके पास तो कोई अन्य साधन भी नहीं है । लगभग 100 स्टूडेन्ट हर कालेज में हैं 50 स्टूडेन्ट उसमें से निकाल दें तो 50 की फीस 3 लाख रुपये ही तो होती है इससे कहां मेडिकल कालेज का भला होगा यह सोचने का विषय है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस तरह से मेडिकल छात्रों का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है जो अनुचित और अन्यायपूर्ण है । मेरी सिफारिश है कि इसे खत्म करके स्टूडेन्ट को 1000 रुपया मासिक दिया जाय ।

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 21 जनवरी, 1997 जब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं हुआ था, राष्ट्रपति शासन था उस समय एक शासनादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया था और इस शासनादेश के अन्तर्गत एम० बी० बी० एस०, बी० डी० एस०, बी० यू० एस० के पाठ्यक्रम के जो छात्र थे उनका जो शिक्षा शुल्क और अन्य फीस थी उस पर भारी वृद्धि कर दी गयी । इस भारी फीस वृद्धि से जो छात्र थे वह आन्दोलित हो उठे और उन्होंने एक रिट पिटीशन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में पेश की । उस रिट पिटीशन में माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश दिया कि एक माह के अन्दर यह सरकार पुनर्विचार करे जो शिक्षा में भारी फीस की वृद्धि हुई है इसको वापस ले ले किन्तु सरकार ने उस पर विचार करने के उपरान्त जो शासनादेश राष्ट्रपति शासन में लागू हुआ था उसकी पुष्टि कर दी । मान्यवर, यह गरीबों की सरकार है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेडिकल कालेज में छात्र पढ़ते हैं उसमें दो प्रकार के छात्र हैं एक तो वह छात्र हैं जो सी० पी० एम० टी० की परीक्षा पास करके जाते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और दूसरे वे छात्र हैं जो पहले से उसमें प्रवेश किये हुए अधिकांशतः मध्यमवर्गीय परिवार के छात्र हैं, यदि उनके अभिभावक इतनी फीस का बोझ नहीं वहन कर पायेंगे तो वे छात्र अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकेंगे। वे मध्यमवर्गीय, गरीब छात्र अपनी डाक्टरी की शिक्षा पूरी कर के इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार इस 30 गुना वृद्धि को वापस ले। 16 जुलाई, 97 को के०जी०एम०सी० के छात्रों ने मा० मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का प्रयास किया था उन पर भारी बल का प्रयोग किया गया वे अपना आवेदन नहीं प्रस्तुत कर सके जिसको बाद में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी श्री दिवाकर त्रिपाठी ने स्वीकार किया। 17 जुलाई को पुनः छात्रों ने जी०पी०ओ० पर धरना दिया, इसके बाद 18 जुलाई को विधान भवन के समक्ष धरना दिया। इस भारी फीस वृद्धि से मान्यवर, मेडिकल छात्र आंदोलित है किसी भी समय सड़कों पर आ सकते हैं, जिसमें सामान्य जनजीवन कठिन हो सकता है। इस वृद्धि को सरकार वापस ले।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह मेडिकल की शिक्षा जगत में जो यह प्रवेश शुल्क महंगा किया गया है यह निहायत ही हमारे प्रदेश की जनता के साथ एक अन्याय किया गया है, इसके कारण जो मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्र गरीब छात्र हैं वे मंहगी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक है कि जब वे डाक्टर बाहर निकलेंगे तो जो चिकित्सा सुविधायें होंगी वे मंहगी होगी। यह जो शुल्क बढ़ाया गया है इसे खत्म किया जाना चाहिये या कम किया जाना चाहिये ताकि हम इस प्रदेश के गरीब छात्रों को सस्ती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करा सकें, जनता को सस्ती चिकित्सा सुविधा का लाभ उपलब्ध करा सकें। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इसमें अपनी सिफारिश करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो मडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा में फीस बढ़ोत्तरी हुई है वे आम अभिभावकों के लिये बहुत कष्टकारी है। मान्यवर, इस बढ़ोत्तरी से जो कठिनाई पैदा हुई हैं, उस सम्बन्ध मे माननीय सदस्यों ने कहा। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई बार जो जिला चिकित्सालयों में दरों में वृद्धि हुई है, मेडिकल कालेज की दरों में वृद्धि हुई हैं, उससे जो जनता के समक्ष कठिनाई उपस्थिति हुई है, उसके सम्बन्ध में निर्णय लेने की बात कही, आज सत्र खत्म हो रहा है, अभी तक कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आयी है, कोई घोषणा भी नहीं हुई है। यह कोई राजनैतिक विषय नही है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें तो उस समय यह स्पष्ट घोषणा करें कि जो बड़ी हुई दरें हैं उन्हें हम वापस ले रहे हैं। आज प्रैक्टिकल लेबोरेट्री में जो आपरेटस काम आते हैं, उनकी दरें बेताहाशा बढ़ गई है। यह केवल विधायक की ही चिन्ता नहीं है अपितु पूरे सदन की, पूरे प्रदेश की जनता की व अभिभावकों की चिन्ता है। इसलिए माननीय मंत्री जी बड़ी हुई दरों को वापस लेने की घोषणा करेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जबसे यह सरकार अस्तित्व में आयी है पूरे प्रदेश में यह संदेश गया है कि यह सरकार दलितों की पक्षपाती है। परन्तु जो शासनादेश सरकार ने किया है, उसके अनुसार 3 हजार रुपए ये दलित भाईयों से भी लेंगे। ये बेचारे साधन हीन हैं। यदि उनसे भी 3 हजार रुपए लिया जायेगा तो शासन की जो नीति है व छवि है वह इस शासानदेश के कारण विपरीत हो गयी है। 20 कालेज आपके पास हैं। बड़ी मुश्किल से डेढ़-दो करोड़ रुपए आयेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बढ़ी हुई फीस को माननीय मंत्री जी तत्काल वापस ले लें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की हैं, उससे मैं भी सहमत हूं। जहां तक सरकार की प्रतिबद्धता का सवाल है, हम चाहते हैं कि जो हमारे डाक्टर तैयार हों, वह कुशल व योग्य हों, उन्हें अच्छी जानकारी मिले, उनकी अच्छी सुविधा व पढ़ाई मिले। परन्तु मान्यवर, 1960 से पहले जो शुल्क लगता था, वही शुल्क आज तक लग रहा था। माननीय सदस्य स्वयं इस बात पर विचार करें कि 1960 से पहले जो रुपए की वैल्यू थी, उसमें आज कितना ह्रास हुआ है। दूसरी तरफ हमारे जो डाक्टर विद्या अर्जन करते हैं, उनके लिए इन्स्ट्रूमेन्टस लगते हैं, प्रयोगशालायें होती हैं क्योंकि इसमें किताबी अध्ययन से ज्यादा प्रेक्टिकल अध्ययन की होती है।

तब वह परिपक्व डाक्टर बन सकते हैं। तो चिकित्सा के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। यह प्रकरण मंत्रिपरिषद् में विचार के लिए 1994 से चल रहा था। 1994 में मंत्रिमण्डल की एक उपसमिति बनी और उसने अपनी संस्तुति दी। उस संस्तुति के अनुसार 24-1-94 को विचार किया गया और उसके बाद तत्कालीन सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा 24-9-94 को शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की उप समिति के समक्ष रखा गया और उसके बाद 2-9-95 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया और 23-12-95 को तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल के अध्यक्षता में हुई वह निर्णय के अनुपालन में निर्णय लिया गया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर विचार कर लिया जाय। विचार करने के बाद 3-1-97 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था, तो उसके बाद सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया, परामर्शदात्री समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया, दिनांक 31-1-97 को शासनादेश निर्गत किया गया। जिसके तहत वृद्धि हुई है। यह आज की नहीं है। यह जो 1960 से पहले की स्थिति है, उसमें गुणात्मक वृद्धि हो क्वालिटी इम्प्रूवमेन्ट हो, जो डाक्टर निकलें वह विश्व स्तर के हो तो राष्ट्रपति शारान में इस तरह का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ एक रिट याचिका हाई कोर्ट में हुई और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें। आज हम एक समिति बनाकर के उसके हर गुण-दोष पर कि कितना रखना चाहिए, क्या फैरिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इस बिन्दु पर विचार करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय सदस्यों की समिति बनायें।

श्री बी० आर० वर्मा–

हम एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनायेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो भारत की प्रशासनिक सेवा में, पुलिस की सेवा में और वन की सेवा में आते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वह सरकारी मानदेय पर दी जाती है और जो डाक्टरी की परीक्षा पास करके आते हैं उनसे यह पैसा ले रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमारे भी माननीय सदस्य हैं जो एम० बी० बी० एस० हैं और एम० एस० हैं उनकी एक समिति बना दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर कहने दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस समिति के बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता हो रही है ।

श्री ओम प्रकाश–

माननीय मंत्री जी जिस तरह से उत्तर दे रहे थे उससे लगता ही नहीं था कि किसी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह 1994 में निर्णय हुआ था, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय का निर्णय है ।

श्री अधिष्ठाता–

जब चर्चा समाप्त की जाती है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं अपनी बात को स्पष्ट तो कर दूं । जो समिति बन रही है वह उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार बन रही है । इसलिये यह मजबूरी है । इसलिए जो एक्सपर्ट है उनको समाहित नहीं कर सकते हैं । वह समिति सभी बिन्दुओं का परीक्षण करेगी और जो आख्या देगी उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

मेरठ के महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या, प्रयोगशाला में संसाधनों का अभाव नये कालेजों/सेवाओं का न खुलना आदि के संबंध में नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या पर चर्चा करने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या है । मेरठ में जितने छात्र बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम और बी० एड० में पास होते हैं वह अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, 50 प्रतिशत से कम छात्र ही प्रवेश ले पाते हैं । मेरी याद में कोई नया डिग्री कालेज मेरठ में नहीं खुला है । सरकार की नीतियों के कारण वह साबित हो गया है कि नये महाविद्यालयों को खोलने के लिए जनता की रुचि नहीं रह गयी है और जो महाविद्यालय पहले से चल रहे हैं उनके संसाधनों का अभाव हो गया है, अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं वह एक कमरा भी बढ़ाने की स्थिति में नहीं है । मान्यवर, इसके विपरीत छात्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है । यह बड़ी महत्वपूर्ण और ज्वलन्त समस्या है । डिग्री कक्षायें पास करने के उपरान्त जुलाई मास में अगली कक्षाओं में पढ़ाई करने के लिए अपना पंजीकरण कराते हैं, तो कहीं पर प्रवेश परीक्षा होती है और कहीं पर मर्जी के अनुसार प्रवेश होता है । प्रवेश न हो पाने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं । मान्यवर, मैंने नियम–51 में यह प्रश्न उठाया था । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक लाख तीस हजार छात्रों ने प्रवेश के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया और उनमें से 85 हजार छात्र प्रवेश नहीं पा सके । माननीय मंत्री जी ने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि एक लाख तीस हजार में से कितनों को प्रवेश दिया गया । 85 हजार छात्रों ने व्यक्तिगत परीक्षा दी है, इसका मतलब यह है कि वहां पर 85 हजार छात्रों को पढ़ने के लिए प्रवेश नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दी । यह अपने आप में एक प्रमाण है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सांध्यकालीन कक्षाओं का दौर शुरू हुआ था, अध्यापकों की संख्या कम है इसलिए ट्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है और उसको 1100/–रुपया प्रतिमाह दिया जाता है । सप्ताह में 18 पीरियड पढ़वाकर छात्रों की संख्या से भाग दिया जाता है, जितना आता है वह छात्रों से फीस के रूप में वसूल किया जाता है । इस

प्रकार से सांध्यकालीन कक्षाओं की जो फीस है वह दिन के क्लासेज के मुकाबले कई गुना अधिक है। मान्यवर, अगर कोई गरीब छात्र प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण सांध्यकालीन कक्षाओं में पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं होता है।

मान्यवर, आज महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में समस्या हो गयी है। सांध्य कक्षाओं में महिलाओं का प्रवेश लेना आज की परिस्थितियों में समीचीन नहीं है।

सांध्य कक्षाओं में एक हजार से ढाई हजार तक फीस ली जाती है जबकि दिन की कक्षाओं में चार सौ रु० फीस ली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब तक नये विद्यालयों की स्थापना नहीं की जाती है और पुराने विद्यालयों में संसाधन नहीं बढ़ाये जाते हैं और उनमें कमरों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है और अध्यापकों की व्यवस्था नहीं होती है तब तक ट्यूटर की फीस जो छात्रों से ली जा रही है वह न ली जाय और वह 11 सौ रुपया जो मानदेय ट्यूटरों को दिया जाता है वह सरकार वहन करे। इससे छात्रों की समस्या तत्काल हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके स्थायी हल के लिये कोई बड़ी योजना बनाई जाय और प्राइवेट लोगों को महाविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रेरणा मिले इसके अलावा महाविद्यालयों के संसाधन बढ़ाने के लिये प्रेरित किया जाय। इसी तरह से महिलाओं के लिये कक्षायें बढ़ाने के लिये प्रेरित किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि इस चर्चा का उत्तर देने के लिये जब वह खड़े हो तो अधिकारियों द्वारा तैयार किया हुआ जवाब न दें बल्कि छात्रों के हित में कुछ न कुछ उत्तर देने की कृपा करें।

* श्री बालचन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस प्रदेश की समस्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उच्च शिक्षा उसमें प्रवेश की जो समस्या है उस पर बोलने की अनुमति दी है।

श्रीमन्, आप इस बात को स्वयं स्वीकारेंगे और यह सारा सदन स्वीकारेगा कि मनुष्य और पशु में जो मूलतः अन्तर है वह शिक्षा का है, मनुष्य और पशु में जो अन्तर परिलक्षित होता है वह शिक्षा से ही प्रभावित होकर परिलक्षित होता है और उसी से संस्कृति और ज्ञान का वर्धन होता है। श्रीमन् एक श्लोक याद आ गया है –

"विद्या नाम नरस्यरूपमधिकं, प्रच्छन्न गुप्तं धनः,
विद्या भोग करी, यशः सुखकरी, विद्यागुरूणामं गुरुः
विद्या बन्धुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता,
विद्या राज, पूजते, नतु धनं, विद्याविहीनः पशुः।"

मान्यवर, मनुष्य और पशु में जैसा मैंने निवेदन किया विद्या की ही महत्वपूर्ण भूमिका है जो दोनों में अन्तर करती है। मान्यवर, आज उच्च शिक्षा में प्रवेश की बहुत बड़ी समस्या हैं। एक कक्षा में प्रवेश के लिए 85 हजार और एक लाख से अधिक छात्र वंचित रह जाते हैं। और वे प्राइवेट परीक्षा में बैठते हैं। इससे उनकी जो प्रतिभा है, उनका उन्नयन कैसे होगा ? श्रीमन् प्रश्न यह नहीं है कि कितने लोगों को शिक्षा दी जा सकती है, प्रश्न यह है कि प्रवेश के न मिलने के परिणाम स्वरूप इस पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय विकास में और अखिल भारतीय सेवाओं में, चाहें वह आई० ए० एस० हो या आई० पी० एस० हो, कितने छात्र सफल हुए हैं ? मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश इस मामले में धीरे-धीरे पीछे हट रहा है और प्रतियोगिताओं में यहां के छात्र आगे नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि उच्च शिक्षा उन्हें कायदे से नहीं मिल पा रही है । जब तक अच्छे शिक्षकों से उनका ज्ञानवर्धन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के छात्र इन प्रतियोगिताओं में आने से वंचित हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

अखिल भारतीय सर्विसेज में उ० प्र० के छात्रों का कम आना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

प्रदेश की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है उस पर आज गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । जनसंख्या के हिसाब से विद्यालयों के स्थापना का आज सरकार को नियोजन करना पड़ेगा तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पायेगा । यह जो विषय आज उठाया गया है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको एक गंभीर विषय मानकर तत्परता के साथ इस पर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है ।

(सदन में अपने आसन पर एक माननीय सदस्य द्वारा समाचार पत्र पढ़ने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अमरमणि जी, आपके साथ बैठे सदस्य पेपर पढ़ रहे हैं। अगर पेपर पढ़ना है तो लाबी में चले जायं ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, शिक्षा समाज का दर्पण होती है आज जो प्रदेश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था है उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है । मैं अपने भदोही जनपद के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर पूरे जनपद में केवल एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है और वहां की जनसंख्या 50 लाख है । इसके अलावा वहां पर कन्या डिग्री कालेज है ही नहीं । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की उच्च शिक्षा की क्या स्थिति होगी । आज पूरे प्रदेश की लगभग यही स्थिति है । प्रदेश में उच्च शिक्षा में व्याप्त अव्यवस्था के कारण आज जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगात्मक परीक्षायें हैं जैसे आई० ए० एस० और पी० सी० एस० उनमें प्रदेश के विद्यार्थी यह परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं और इनकी संख्या गिरती जा रही है । आज विद्यालय भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है उच्च शिक्षा महज एक कल्पना बन कर रह गयी है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में शिक्षा के गौरव और गरिमा को स्थापित किया जाय और उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाय इसके लिये हमारे जनपद में जहां-जहां महाविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता है वहां ऐसे महाविद्यालय स्थापित किये जायं और उनमें अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की जाय ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके और विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा नहीं पा सकते हैं उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि उन परिवारों के बच्चे भी उच्च शिक्षा पा सकें। उच्च शिक्षा में व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है यह मेरी अपनी मान्यता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह गंभीर प्रकरण है। मैं मानता हूं कि यह अकेले शिक्षा मंत्री का ही काम नहीं है हम माननीय सदस्य जो इस विधान सभा में बैठते हैं उनको भी आज सोचने की जरूरत है। प्रदेश की बढ़ती हुयी जनसंख्या, शिक्षा का प्रसार, स्कूलों के भवनों की कमी यह ऐसी समस्यायें हैं जिन पर सारे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिये और गंभीर चिन्तन करना चाहिए। हम सरकार को या किसी मंत्री को कोस दें इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जो महाविद्यालय हैं उनमें 3 पाली में कक्षायें चलायी जायं जिससे राहत मिल सकती है। इसी तरह से कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनकी शिक्षा पत्राचार के माध्यम से दी जा सकती है इसलिये पत्राचार शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। जहां पर महाविद्यालयों की आर्थिक स्थिति ठीक है और वह मान्यता चाहते हैं उनको मान्यता देनी चाहिए। जिन जगहों पर विद्यालय लोग बनाने के उत्सुक हैं वहां ग्रांट एड देनी चाहिए तब जाकर इस गंभीर समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकेगा। आप प्रोफेसर रहे हैं और इन चीजों से अवगत हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिये आप मेरे सुझावों पर विचार करें ताकि शिक्षा व्यवस्था में सामने आ रही गंभीर समस्याओं का निदान हो सके।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी ही गंभीर समस्या की ओर डा० बाजपेई जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। आज पूरे स्टेट में उच्च शिक्षा में प्रवेश की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निराकरण करने का दायित्व केवल सत्ता पक्ष का नहीं होता। माननीय सदस्य इस पर गंभीर रूप से विचार करें। प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तारीकरण कैसे हो सकता है, इसको कैसे बलवती बनाया जाय इस पर विचार करना होगा निजी क्षेत्र में खुलने वाले विद्यालयों की संख्या निरन्तर घट रही है जिससे प्रवेश की समस्या और गंभीर होती चली जा रही है। नये विद्यालयों का सृजन नहीं हुआ है। कुछ राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हुई है लेकिन आवश्यकता को देखते हुए इनकी संख्या बहुत कम है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उच्च शिक्षा जैसे प्रश्न पर इस प्रदेश में गंभीर रूप से चिन्ता नहीं की गई है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिये कितने महाविद्यालयों के सृजित करने की आवश्यकता होगी कि आने वाले दिनों में प्रवेश छात्रों को मिल सके। कहीं विद्यालय हैं तो शिक्षक नहीं हैं, कहीं भवन नहीं है तो कहीं इतनी कम संख्यायें हैं कि विद्यालय से निकल कर छात्रों को उसमें प्रवेश नहीं मिल पाता। आज प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है जो मौलिक आवश्यकता है, विद्यार्थियों को हम प्रवेश भी नहीं दे सकते हैं तो यह कल्याणकारी सरकार कहलाने का इसे हक नहीं रह जाता। आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आपको एक मास्टर प्लान बनाना होगा, 10 वर्ष की योजना बनायें कि आने वाले 10 वर्षों में कितने महाविद्यालयों की आवश्यकता होगी, कितनी छात्र संख्या बढ़ेगी, कितने नये विद्यालय सृजित करने होंगे। मान्यवर, कई क्षेत्र शिक्षा जगत से अछूते छूटे हैं। कहीं-कहीं पर तो 25-30 महाविद्यालय हैं और कहीं-कहीं पर एक-दो महाविद्यालय पूरे जनपद में है। उनको उच्च शिक्षा का लाभ कैसे दे सकते हैं। इसके लिये समीचीन व्यवस्था हो। समीचीन कार्यक्रम बनाये जायं। एक मास्टर प्लान बनाया जाय। योजनाएं बनाई जायं कि भविष्य में कितने विद्यालयों की आवश्यकता होगी और इसके लिये परिव्यय निर्धारित किया जाय। उच्च शिक्षा का बजट बहुत कम रखा गया है कि इसके द्वारा इसमें सुधार लाना संभव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० बाजपेयी जी अब आप समाप्त करें। मा० शुक्ला जी जरा संक्षिप्त में अपनी बात रखियेगा।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, डा० बाजपेयी द्वारा रखे प्रस्ताव पर डा० बाजपेयी के बोलने के बाद मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में आज पूरे सदन के लिये यह एक गंभीर विषय है। हम सभी लोग जब बाहर जाते हैं सदन के बाद जब छुट्टी मिलती है तो अपने जिले में पहुंचते हैं वहां पर 25-50 लोग मिल जाते हैं कि कहीं आप पत्र लिख दीजिये। प्रवेश करवा दीजिये। मान्यवर, यह इतनी विकट समस्या हो गई है। इण्टरमीडिएट की हो या डिग्री कालेज की वहां उच्च शिक्षा की स्थिति बदतर है। मैं कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री जी से मिला था उनसे बात की थी उन्होंने विश्वविद्यालय में एक आदेश किया है कि सांयकालीन कक्षाएं चलाने के लिये, उसमें जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको रखने की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है। रिटायर्ड पर्सन से अनुभव अवश्य मिलेगा लेकिन जो लोग पी० एच० डी० करके, डी० लिट् करके बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिली है अगर उनको भी इस सायंकालीन कक्षा के लिये ले लेंगे तो बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और उनको जो मानदेय मिलेगा उससे वे अपने परिवार का जीवकोपार्जन कर सकते हैं। इसी तरह से डिग्री कालेज में सायंकालीन कालेज चलवाने की एक व्यवस्था करवा दें।

(सात बजे)

प्रबन्धकों को बुलाएं और प्रबन्धकों को बुलाकर बात करें और कहें कि मान्यता दी जायेगी थोड़ा वहन करें और वहन की बात कहें सरकार की तरफ से मान्यता दी जाए ताकि वहां पठन-पाठन की व्यवस्था कर सकें। जो हम लोगों के पास प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं और जो प्रवेश के लिए अभिभावक जूता पटकते रहते हैं ट्यूशन के लिए पैसा देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अभिभावक होने के नाते हजारों रुपया खर्चा करते हैं और अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिला पाते हैं तो मैं आग्रह करूंगा इसमें ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी आप बोलें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सायंकालीन प्रवेश की समस्यायें को तत्काल हल करने के लिए सायंकालीन कक्षाओं का विस्तारीकरण करें इस पर आने वाले व्यय को शासन व्यय करे इसी के साथ प्रवेश में भी सुविधा हो सके।

(श्री दलबहादुर कोरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

दलबहादुर जी आप बैठ जाएं बार-बार खड़े हो जाते हैं। अपना स्थान ग्रहण करें।

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने कई पहलुओं पर अपने विचार रखे यह गंभीर समस्या है। मान्यवर, कुछ समय पूर्व उच्च शिक्षा का बजट जब मैं प्रस्तुत कर रहा था उस समय एक बात कही थी और अब मैं चर्चा के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जब तक शिक्षा के बारे में जितने सम्मानित सदस्य बैठे हैं हम सब चिन्ता नहीं करेंगे तब तक प्रदेश के अन्दर शिक्षा का जितना विस्तार हम चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा और न ही उसकी गुणवत्ता बढ़ सकेगी। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में जब से भाजपा और बसपा गठबन्धन सरकार आई है उच्च शिक्षा के कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया है। सम्मानित कुलपतियों के साथ, शिक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया है। इसमें परिणाम धीरे-धीरे सामने दिखाई देंगे। यह हम सभी सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मुख्यतः जो प्रवेश की समस्या है अभी डा० अशोक बाजपेयी जी, गोरखनाथ पाण्डेय जी, शिवप्रताप शुक्ल जी और लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने चिन्ता व्यक्त की मैं उनकी चिन्ता से स्वयं को जोड़ता हूं। उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते पूरा प्रयास कर रहे हैं उच्चतर विश्वविद्यालय में हम छात्र बढ़ाना चाहते हैं जितना भी शासन और सरकार से होगा उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा।

शासन स्तर से हर विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अनुरोध किया गया है जो विश्वविद्यालय के अन्तर्गत या महाविद्यालय के अन्तर्गत सायंकालीन क्लासेज की बातें आई, कि सायंकालीन क्लासेज खोले जायं। तो इस संबंध में मैं सम्मानित सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले चार महीने के अन्दर विद्यार्थियों में नये विषयों को खोलने की जो बात आई है उसमें 150 को क्लीयरेंस और विस्तारीकरण करने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। इसी तरह से मेरठ के बारे में कहा गया मेरठ विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात उठी। तो कई महाविद्यालयों के लिए निर्णय लिया गया है सेल्फ फाइनेंसिग कोर्स मैनेजमेन्ट कोर्सेज प्रारम्भ करने के लिए 17 प्रस्तावों को क्लीयरेंस दिया गया है। स्नाकोत्तर के 6 शिक्षण संस्थानों में एम० सी० ए० और एम० बी० ए० के लिए अनुमति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय का उच्चीकरण किया जायेगा। स्नातक के दस कालेजों को क्लीयरेंस दिया गया है। जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें से दस प्रस्तावों को क्लीयरेंस दिया गया है। मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा कि शासन की मंशा यह है कि कोई प्रस्ताव प्रदेश के अन्दर कोई अशासकीय विद्यालय खोलने का आएगा तो शासन स्तर से देरी नहीं करेंगे ताकि प्रदेश की समस्या का समाधान हो सके।

मान्यवर, जो हमारे पास वित्तीय संसाधन थे उसके हिसाब से 10 नये राजकीय महाविद्यालय इस वर्ष खोलने का प्राविधान किया है। पिछली बार जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था तो अपने बजट भाषण में कहा था कि पिछले 15-20 सालों में शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजन के लिए किसी सरकार ने चिन्ता नहीं किया था किन्तु हमने 2 करोड़ रुपये की इस मद में व्यवस्था किया है और पदों को सृजित करेंगे। जिससे प्रदेश में शिक्षकों की जो कमी है वह दूर हो सके। इसलिए शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में सरकार का प्रयास रहेगा फिर वह चाहे राजकीय महाविद्यालय हों, विश्वविद्यालय हों या अशासकीय महाविद्यालय हों वहां जितने पद रिक्त होंगे सरकार उनको भरेगी।

मान्यवर, कुछ रोस्टिंग की प्रक्रिया के कारण कठिनाई आ रही है लेकिन शीघ्र ही बैठक करके हम निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे विश्वविद्यालयों के अन्दर शिक्षकों की नियुक्तियां की जा सकें। राजकीय महाविद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उन्हें भरा जायेगा और इसके लिए लोक सेवा आयोग में विज्ञप्ति के लिए भेज दिया है। जहां तक अशासकीय महाविद्यालय जो हैं उच्चतर शिक्षा आयोग इस संबंध में कार्यवाही करेगा और शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं उन्हें भरा जायगा।

मान्यवर, इवनिंग क्लासेज में जो ट्यूटर पढ़ायेंगे उनके संबंध में हम परीक्षण करा रहे हैं और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्च शिक्षा में जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं जिन्हें ग्यारह सौ रुपये मिल रहा है वह बहुत कम है जिसको बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं। ट्यूटर्स जो शाम की कक्षाओं में पढ़ाते हैं, रिटायर्ड टीचर्स की जो व्यवस्था है उसमें हम विचार करेंगे जिससे बेरोजगारी दूर हो सके।

मान्यवर, जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा के लिए, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए जो राजनीतिक सोच है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जैसे पहले भाजपा की सरकार थी और उस समय भी मैं इस पद पर था तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाये थे जिसके संबंध में बताना चाहता हूं इसी कारण वश उस समय भी, राजनैतिक कारणों से उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। इसलिए जब तक राजनीतिक सोंच में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का भला नहीं होगा और समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो सकेगा। अन्त में जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में जो बातें कही हैं उनके संबंध में उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रवेश की समस्या के लिए जो संसाधन हैं जुटाकर हम समस्या का समाधान करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब चर्चा हम समाप्त करते हैं और अगली मद संख्या–15 को ले रहे हैं।

सम्पूर्ण प्रदेश में निजी एवं अन्य राज्यों की लाटरियों के खुलेआम बाजार में बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में जो अवैध रूप से लाटरियां चल रही हैं और जिसके कारण प्रदेश के प्रत्येक शहरों, तहसीलों और गली कूचों में जिस तरह सूरज की पहली किरण के साथ लाटरी की दुकाने खुलती हैं।

और वह गरीब और मेहनतकश अपनी सारी मेहनत की कमाई उस लाटरी में जुआ खेलकर लगा देता है इससे प्रतिदिन तमाम परिवार कंगाली की ओर बढ़ जाते हैं। यह कैंसर से भी ज्यादा जहर है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं उसने पूरे प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है। तमाम घरों में स्थिति यह है कि लोगों को इस तरह से लाटरी खेलने की लत लग गई है कि वह सारे दिन की खून पसीने की कमाई लाटरी में खेलकर घर के बर्तन तक बेच डालता है। कंगाल होने के बाद आये दिन समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं लोग आत्म हत्या तब कर रहे हैं। एक तरफ तो यह सरकार गरीबों, दलितों की अलम्बरदार अपने को बताती है दूसरी तरफ प्रदेश में लाटरी से तबाही उत्पन्न हो रही है। उस दिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लाटरी बन्द करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है। यह केन्द्रीय कानून है। आज आप सच्चे हृदय से कह दीजिए आज बलिया से लेकर सहारनपुर तक लोग तबाह हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के गांवों, गलियों और कूचों में जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं वह लाटरी की लत लग जाने के कारण स्कूल न जाकर कापी किताबें बेचकर लाटरी खेल आते हैं। आज सभी वर्गों के परिवारों की महिलाएं भी इस दल से अछूती नहीं रही हैं। आज पूरी की पूरी पीढ़ियां तबाह हो रही हैं।

समाज का हर वर्ग चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग हो, इससे बर्बाद हो रहा है। इससे समाज के किसी वर्ग का भला नहीं हो सकता है। अगर कोई कानून आड़े आ रहा हो तो सम्मानित सदन में प्रस्ताव लाए आप इस संबंध में केन्द्र सरकार को लिखें कि हम उत्तर प्रदेश की सीमा में निजी लाटरियों को बन्द करना चाहते हैं। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था चौपट हो रही है। आप

उत्तराखण्ड के बारे में प्रस्ताव केन्द्र को भेज सकते हैं उसी का प्रस्ताव लाटरियों के संबंध में भी आप भेजे । इस समय लाटरी का एक लाबी हो गयी है जिस तरह से किसी जमाने में गन्ने और चीनी मिलों की स्ट्रांग लाबी हुआ करती थी । उत्तर प्रदेश में शराब के तमाम व्यवसायी हैं उनका सिंडीकेट बन गया है । आज लोगों में एक तरह का व्यसन पैदा हो गया है लोग शराब भी नहीं पीते सारा पैसा लाटरी में खेल डालते हैं । आज शराब के व्यवसायियों का सिंडीकेट जो बन गया है वह इस पर सरकार को प्रभावित कर रहा है । इस प्रश्न पर उस दिन जब चर्चा हुई थी जिसमें मा० अमर मणि जी व प्रमोद तिवारी जी ने अपनी बातें रखी थी । मा० प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि इस विधान सभा के बाहर प्रतिभा टाकीज, कैपिटल टाकीज, दारुलशफा आदि जगहों पर अवैध लाटरियां बिक रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आज उत्तर प्रदेश का सारा पैसा दिल्ली में बैठे हुए व्यवसायियों के हाथ में जा रहा है । लाटरी-लाबी के लोग कागजों को बेचकर बलिया से लेकर देवरिया तक तथा गाजीपुर से लेकर सहारनपुर तक का पैसा अपनी जेबों में भर रहे हैं । सारी मेहनत की कमाई न उनके घर में लग रही है, न उत्पादन में लग रहा है न तालीम में लग रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक-दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । पूरे उत्तर प्रदेश में आज 700 लाटरियां चल रही हैं उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जो लाटरी के टिकट बिक रहे हैं वह फेड टिकट बिक रहे हैं, कोई छानबीन नहीं हो रही है । जिस सरकारी लाटरी की आय से हम अस्पताल के निर्माण में पैसा देते थे अन्य सामाजिक कार्य में उस पैसे को लगाते थे उस सरकारी लाटरी को तो बन्द कर दिया लेकिन प्रदेश के निजी लोगों के हितों की रक्षा के लिए आपने प्राइवेट लाटरियों की छूट दे दी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, 8-10 माननीय सदस्यों की इस विषय पर सूचना है, वह भी बोलेंगे और आधे घंटे की चर्चा है, कृपया अब समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रदेश की मुख्यमंत्री ने इसी सदन में लाटरी को बन्द करने की घोषणा की थी, ऐसी कौन सी इच्छाशक्ति हुई कि वह पुनः कैन्सर की तरह प्रचलित हो गयी जिससे लाखों, करोड़ों परिवार तबाह हो गये हैं । मान्यवर, क्या यह सरकार लाटरी को पूर्ण रूप से बन्द करने की आज इस सदन में घोषणा करेगी ।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, लाटरी इस प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है और इससे पूरे उत्तर प्रदेश का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। पूरा प्रदेश इस विषय पर चिन्तित है। जहां एक तरफ हम इस बात के लिये चिन्तित हैं कि लाटरी से इस प्रदेश में अव्यवस्था फैली है और हजारों, लाखों नौजवानों लाटरी की जाल में फंस चुके हैं और परिवार, गांव तथा समाज बरबादी के कगार पर हैं ऐसी स्थिति में प्राइवेट लाटरी को चालू रखना कहीं न कहीं से इस सरकार के दामन में बदनुमा दाग है। श्रीमन्, जब सरकार में बैठने वाले लोग जब सरकार की कुर्सी पर बैठें तो उनकी दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए और इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि समाज के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। आप पता कर लें अधिष्ठाता महोदय, आज प्राइवेट लाटरी से कितने लोग आहत हैं अगर इसकी छानबीन करा लें तो पूरी बात का खुलासा हो जायेगा। अभी माननीय पाल साहब जो बात कह रहे थे कि जिस तरह से शुगर लांबी और शराब लांबी थी उसी तरह से लाटरी लांबी पूरे प्रदेश में रन कर रही है, गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है। गरीबी-अमीरी की खाई बढ़ रही है, इस प्रदेश के हिफाजत के लिए जहां सरकारी आंकड़ों में 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, वहां लाटरी चलाना प्रदेश के लिए बदनुमा दाग है। अगर सरकार चाहे और वह यह संकल्प ले ले तो जो प्राइवेट लाटरी की दुकानें हैं वह कल बन्द हो जाये लेकिन यह बात साफ है कि कहीं न कहीं से यह सरकार और इस प्रदेश की नेता लाटरी व्यवसायियों से पैसे लेती हैं और इस वजह से लाटरी व्यवसाय की खुली दुकान चलाने का काम कर रही हैं जिससे प्रदेश के लाखों, हजारों नौजवान हताश हैं, उदास हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आज जो यह सरकार दलित की रहनुमाई कर रही हैं मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस बुराई से दलित परिवार के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनके घर उजड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल-कारखाने कम हैं, खेती पर ही ज्यादातर लोग आश्रित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है ऐसे में ये प्राइवेट लाटरियां भी इनको प्रभावित कर रही हैं। आज लाटरियों के कारण तमाम अपराध हो रहे हैं लेकिन लाटरी लांबी कहीं न कहीं से सरकार को प्रभावित कर रही है जिससे सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह इस प्रदेश की सेहत के लिये ठीक नहीं है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिये अनुज्ञा दी। लाटरी के चलन के संबंध में, मैं एक निवेदन के साथ, यह बात कहना चाहता हूं कि न केवल इस सूबे को, बल्कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एक चीज ने हजारों वर्षों से किया है तो वह नियतिवादी प्रवृत्ति है, जिसने इस मुल्क को बहुत तबाह किया और आज जो राज्य सरकार में बैठे हुये लोग हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आज प्रदेश में इस प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले। आप जानते हैं और जैसा कि सम्मानित मित्रों ने भी कहा है। आज प्रदेश की 14 करोड़ आबादी को 43 प्रतिशत गरीबी-रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जिस मिजाज और तहजीब के लोग सरकार में बैठे हैं, उनका लगाव, प्रतिबद्धता और जिस संकल्प को वह बार-बार वक्तव्य करते हैं, उनका संकल्प यदि वास्तव में उस 43 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनकी बेहतरी और बहबूदी के लिये होता, तो निश्चित रूप से अच्छा होता। वे प्रदेश में लाटरी को अनुमति नहीं देते क्योंकि आज इस प्रदेश में लाटरी की चपेट में वे लोग ही आ रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीबी की रेखा के ऊपर के लोग हैं, वह इस लाटरी के कुप्रभाव से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अप्रभावित हैं लाटरी से नियतिवाद को बढ़ावा मिला रहा है । इसलिये इस सरकार में बैठे हुये लोगों का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सूदे में क्षेत्रों के जीवन पद्धति को बदलें, उनके जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन लायें । मान्यवर, जो इस गठबन्धन की सरकार में बैठे लोग हैं, आधे के हिस्सेदार जो वह महाभारत काल के युगपुरुषों के उपदेशों तथा विचारों से वाहक हैं, महाभारत के युद्ध में इसी धरती पर इसी जुआ के चलते बहुत खून बहाने का काम हुआ है । आज यदि लाटरी के प्रकोप से अगर कोई आदमी प्रभावित हो रहा है तो वह समाज का सबसे गरीब मजलूम, दलित आदमी है । कहीं न कहीं सरकार की कमजोरियों और संरक्षण के चलते आज यह जुआ की प्रवृत्ति ताकतवर हो रही है, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विगत दिनों भी इस पर चर्चा हुई थी और सरकार की तरफ से जिम्मेदार लोगों ने इस बात को कहा कि इसे बंद करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं । मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी है और इसे बंद करने में कहीं कोई कानूनी या तकनीकी दिक्कत नहीं है । आज इस प्रदेश में लाटरी के चलते गरीब आदमी तबाह हो रहा है, और इसके चलते प्रदेश में बड़े पैमाने पर आत्महत्या की घटनाएं भी हो रही है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने के लिये राज्य सरकार यह निर्णय ले और सदन में इस बात की घोषणा करे कि उत्तर प्रदेश में अब लाटरी या जुआ खेलने का सिलसिला बंद होगा, जयहिन्द ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, कभी कोई बीमारी यदि होती है और 10–20 लोगों की मृत्यु होता है तो न केवल सरकार में हंगामा मच जाता है बल्कि तमाम बड़ी से बड़ी योजनाएं बनना शुरू हो जाती हैं । लेकिन यह लाटरी का रोग ऐसा है कि इससे सैकड़ों नहीं हजारों हजार लोग खत्म हो रहे हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं । यह ऐसी बीमारी है जो प्रदेश को खत्म कर देगी । इस बीमारी को खत्म करने के लिए जो भी हो यत्न किया जाना चाहिए और मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लाटरी को आपने बन्द कर दिया लेकिन जो बाहर की लाटरियां यहां पर हैं उन पर कड़ाई से रोक लगानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि लाटरी निदेशालय में 7–7, 8–8 वर्षों से दैनिक वेतन लिपिक काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इनको कोर्ट से स्थगन आदेश भी मिला हुआ है इनको नियमित करने की कृपा करें ।

श्री अमर मणि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर उस दिन बड़ी गम्भीरता और उत्तेजना को देखते हुए आधे घंटे की चर्चा स्वीकार की गयी थी । इस पर खुलकर हम सभी लोगों ने हमारे भाई जगदम्बिका पाल, सुदाप श्रीवास्तव ने सभी लोगों ने सीधे आरोप सरकार पर लगाया था । जैसा अभी आपने कहा कि एक सिण्डीकेट था शराब व्यवसायियों का, इस धन को जो सत्ता के गलियारों के दलाल हैं उनके माध्यम से ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए लोगों तक पहुंच रहा है । मैं नाम अंकित करा रहा हूं–नवीन खण्डेलवाल बरेली का रहने वाला है, शराब व्यवसायी है और लाटरी का काम कर रहा है, बोटी चड्ढा यह प्रदेश में जाना जाने वाला मुख्यात नाम है, लाटरी माफिया किशनलाल जवाहर, जैसवाल, गोयल जी है ऐसे-ऐसे माफिया हैं जो करोड़ों करोड़ रुपये कमा रहे हैं । मैं सीधा आरोप लगाना

चाहता हूं कि इस सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश की लाटरी को बन्द करा दिया है लेकिन ऐसे-ऐसे लाटरी माफियाओं को करोड़ों रुपया कमाने की छूट दे रही है। मैं आपके माध्यम से शासन से चाहूंगा कि जो खुल्लमखुल्ला जुआ खिलवा रही है जो खुल्लमखुल्ला ऐसे जघन्य अपराधों के लिए लोगों को प्रेरित कर रही जैसा कि तमाम वक्ताओं ने कहा, लोग आत्महत्या के लिए बाध्य हो रहे हैं। यह गम्भीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समय हो गया आप समाप्त करें मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है। यह सारी बाते पाल साहब ने कह दी है।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि लाटरी पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा लाटरी माफियाओं को रासुका में निरुद्ध किया जाय।

* श्री अफजाल अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह लाटरी का मसला ऐसा है कि इस समय यदि पूरे सदन मौजूद होते और सबकी राय ली जाती तो यही होती। मान्यवर, लाटरी प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के बच्चों के लिए एक नजीर स्थापित कर रही है। मान्यवर, घर के बच्चे जब सौदा लेने के लिए बाजार जाते हैं तो पैसे के अन्दर कटौती करते हैं और आधे पैसे का वह लाटरी का टिकट लेकर आते हैं।

और आने के बाद घर में कह देते हैं कि गल्ला लेकर आये हैं। इससे चोरी आदि बहुत बढ़ रही है। इस पर रोक नहीं लगी तो चोरों की तादाद बहुत बढ़ जायेगी। इस पर सबकी राय ली जाती और इस कैन्सर को समाप्त करने का काम किया जाता। आज लाटरी विद्यालयों के सामने, कोर्ट के सामने, विधान सभा के सामने बिक रही है। अगर यह खत्म नहीं होगी तो यह माना जायेगा कि लाटरी का चलन इस सरकार के माध्यम से हो रहा है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, उ० प्र० के सभी क्षेत्रों में निजी और सरकारी लाटरियों का बोलबाला है। सरकार जानबूझकर यह बिकवा रही है। दलित तबके के 65 प्रतिशत लोग-रिक्शे वाले, श्रमिक इस लाटरी के माध्यम से जुआ खेल रहे हैं। यह दलित तबके के दैनिक कमाने वाले लोग लाटरी में अपनी आय गवां रहे हैं। इसका पूरे समाज में जहर फैल गया है। यह सरकार दलितों के उत्थान की बात करती है इस लाटरी के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग और नीचे जा रहे हैं। इस सरकार को कानून लाना चाहिये जिससे यह लाटरी का व्यवसाय बंद हो।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, इस लाटरी के माध्यम से प्रदेश में खुले आम जुआ हो रहा है देहात में लोग ताश पत्ते खेलते हैं तो पुलिस पकड़ कर बंद कर देती है, यह खुले आम लाटरी के माध्यम से लोग जुआ खेल रहे हैं। इस लाटरी प्रथा को तत्काल समाप्त किया जाय। गरीब आदमी पर इससे कुठाराघात हो रहा है और पूंजीपति लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। इस मिली जुली सरकार में लूटपाट की छूट है। लूट सको तो लूट लो नहीं तो प्राण जायेगा छूट।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस लाटरी व्यवसाय पर अपने विचार रखे सरकार इस जुए के जरिये राजस्व की बात सोच रही है । गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के परिवार इससे तबाह हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं इसमें राज्य सरकार मुख्य सहयोगी बनी हुई है । मान्यवर, हर वस्तु के क्रय पर कर व्यवसाय कर लिया जाता है । लाटरी के 11 रु० के टिकट पर 1 रु० व्यवसाय कर जो लिया जाता है इससे साफ है कि नियत प्रोत्साहित करने की है यदि प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं तो पूरी कीमत पर व्यवसाय कर लगायें । लाटरी व्यवसाय से जुड़े सिन्डिकेट, शराब माफिया, दीमक के रूप में समाज को खाना चाहते हैं । लाटरी की प्रथा को तत्काल बन्द कराया जाना चाहिए ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं कही हुई बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं । मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह भी इस लाटरी से अछूते नहीं हैं । शासन के चाहे कोई आदेश हों, मंत्री के सामने चाहे जो कुछ कहें परन्तु उनके असली आका यही लोग हैं । हमारे यहां एक घटना घटी । उसके खिलाफ पत्रकारों व नेताओं ने आवाज उठायी तो उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा दिये गये ।

(इस समय 7 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आज वे लोग कचहरी में खड़े हुए हैं । एक ने अपनी धर्मपत्नी को कर्ज के कारण गिरवी रख दिया । इस प्रकार के अनैतिक कार्य इस लाटरी में हो रहे हैं । इसमें आपके प्रशासन के अधिकारी भी लिप्त हैं । इसलिए सरकार इस लाटरी को तत्काल बंद करे और यदि बंद नहीं कर सकती है तो केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए । यही मेरा कहना है ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, किसी शायर ने कहा है-नशा शराब में होता तो नाचती बोतल । कोई नशे की लाटरी खेल रहा है तो कोई वोट की लाटरी खेल रहा है । खेल सब लाटरी ही रहे हैं । आप इसे रुकवाने की बात कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पर अपने विचार यहां रखे । आज प्रदेश में सरकार अपराधों पर तब तक नियंत्रण नहीं लगा सकती जब तक कि लाटरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लग जाता । जब कोई व्यक्ति लाटरी में हारता है तो वह अपराध की तरफ उन्मुख होता है । अपराधी और लाटरी का चोली दामन का साथ है । इसलिए इस लाटरी को रोकने की आप घोषणा करें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री वी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं भी सहमत हूं । 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा । हमारे संविधान की अनुसूची-7 में जो यूनियन लिस्ट है, उसकी प्रविष्टि-40 पर जो स्टेट आरगेनाइज्ड लाटरीज हैं और केन्द्र आरगेनाइज्ड लाटरीज हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार का है । प्रदेश में जो लाटरियों का जो प्रचलन हुआ वह 1960 से हुआ था । 1969 से उत्तर प्रदेश सरकार ने लाटरियों का प्रचलन शुरू किया था । आज मैं यह सोच रहा

---

[1] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था कि इस सराहनीय कदम के लिए जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे कि यह पहली सरकार थी जिसने अपने 100 करोड़ रुपये के राजस्व के घाटे को बर्दाश्त करते हुए 1995 में जब हमारी सरकार बनी थी, इस अप्राधिकृत लाटरी पर रोक लगायी थी। हमने उसके लिए एक एक्ट बनाया उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 और उसे सख्ती से लागू किया। आज हमारे सामने जो समस्या है उससे मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा वह समस्या यह है कि हरियाणा स्टेट बनाम सुमन इन्टरप्राइजेज का मुकदमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिये। उन्होंने चार शर्तें रखीं।

(1) योजना में राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के निर्देश पर छपाये जाने वाले टिकटों पर राज्य सरकार की चिन्ह अंकित हो ताकि उक्त योजना का अधिकृत होना और उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके तथा ऐसे टिकटों के डुप्लीकेशन की सम्भावना न रहे।

(2) सरकार स्वयं ऐसे टिकटों की बिक्री करे अथवा आवश्यक समझे तो थोक विक्रेता या सेलिंग एजेन्ट आदि के माध्यम से भी टिकटों की बिक्री करायी जा सकती है परन्तु टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय सरकारी कोष में जमा की जानी चाहिए।

(3) योजना में लाटरी के ड्राज का संचालन स्वयं सरकार द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए।

(4) यदि कोई पुरस्कार की राशि किसी पुरूष द्वारा क्लेम न किये जाने के कारण भुगतान न की जा सके तो वह राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी। तो जो इन चार शर्तों को पूरा करती है उन लाटरियों के प्रचलन में कोई राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें जो स्थिति है उस स्थिति के कारण हमने कोशिश की और हर स्टेट से सूचना मांगी और उसमें तीन स्टेट से सूचनाएं प्राप्त हुई। इन तीन स्टेटों में मणिपुर की 48 लाटरी, मिजोरम की 25 लाटरी और नागालैण्ड की 50 लाटरियां, इस तरह से कुल 123 लाटरियां इसके अन्तर्गत आती है। तो हमारे सामने मजबूरी है हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज कोई भी अप्राधिकृत लाटरी नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो यह सरकार का सहयोग होगा, हम उस माननीय सदस्य के आभारी होंगे, उसकी सूचना माननीय सदस्य हमें दें। हम निश्चित तौर पर कार्यवाही करके माननीय सदस्य को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ... यह हमारी मंशा है और यह हमारी चाहत है। बहुत सी सरकारें आयीं और चली गयीं लेकिन किसी सरकार ने लाटरी पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमने कानून बनाकर इसको प्रतिबन्धित किया है और सभी जिलाधिकारियों को और सभी पुलिस अधीक्षकों निर्देशित किया है कि इस पर सख्ती से पालन हो। इस समय भी निर्देशित किया गया है कि इसको फिर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह सूचना जानी चाहिये कि किसी प्रकार की अगर अप्राधिकृत लाटरी कोई बेच रहा है, तो उस पर सर्च और सीजर की कार्यवाही की जाये। यह अधिकार दिया है और इसको दन्डनीय अपराध माना गया है, जो भी मिलेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। तो इस तरह से मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें आप हमारा सहयोग करें और अगर ऐसी लाटरी दिखाई पड़ती है तो लिखित रूप से दे दें, मैं उनका उपकार मानूंगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। एक्ट में जो प्राविधान है, उसके अनुरूप कार्यवाही करूंगा और उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार की कोई लाटरी चल रही है तो उसको निश्चित रूप से बन्द करूंगा। हमारी चाहत है कि कोई भी लाटरी न बिकने पावे और अगर केन्द्र सरकार कोई एक्ट बना देती है कि

स्टेट आर्गनाइज्ड लाटरी है, उनको भी न बेचने पावें, तो कोई भी लाटरी नहीं बिकने पायेगी । जो आपके नेता केन्द्र सरकार में हैं, उनसे भी आप कहें कि इस पर कानून बनावें, मेरा किसी प्रकार का आरोप लगाने की भावना नहीं है, मंशा केवल यही है कि लोगों को लाटरी से मुक्ति मिले । इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश की जनता को निजात मिलेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा उनकी मजबूरी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सभी प्रकार की लाटरियों पर रोक लगा दी गयी है तो क्या उसी प्रकार से आप रोक नहीं लगा सकते हैं ।

श्री अमर मणि–

माननीय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है कि 123 प्रकार की लाटरियों को बेचने का अधिकार दिया है । क्या वह इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे और उस आदेश को निरस्त करायेंगे और समस्त लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगायेगें ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, लाटरियों के जो स्टाल लग रहे हैं वह सार्वजनिक स्थानों पर लग रहे हैं, कचेहरियों पर लग रहे हैं, इनको अगर शहर के बाहर फेंक दिया जाये, तो लाटरी कोई लेने नहीं जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैंने माननीय सदस्यों से अर्ज किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसके तहत स्टेट अधिकृत लाटरियों पर रोक नहीं लगा सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं । हमने धारा 144 लगा कर कोशिश की लेकिन लम्बे समय तक 144 लगाये रखना सम्भव नहीं है । तो यह कहना कि फिंकवा दें कैसे सम्भव है ? इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और संविधान में प्राविधान है यूनियन लिस्ट में नम्बर 40 में अधिकार है इसलिये मजबूरी है हम स्टेट प्राधिकृत लाटरियों को नहीं रोक सकते हैं । हां सारी सरकारें कटिबद्ध हो जायं और केन्द्र कानून बना दे एक बार कानून बना कर सारी लाटरियां बंद कर दे तो फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, दोहरायें नहीं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसलिये हमारी दिक्कत है जो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा समाप्त हुई ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत कुल–53 सूचनायें प्राप्त हुई । जिनमें निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

1–श्री चन्द्रनाथ सिंह — नगरपालिका प्रतापगढ़ बेलहा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में ।

2–डा० रामबाबू हरित — आगरा महानगर में आवास विकास परिषद् में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने तथा आवंटियों को राहत दिलाये जाने के संबंध में।

3–श्री बावन सिंह — जनपद गोण्डा के थाना-कोतवाली कर्नेलगंज के पुलिस कर्मियों द्वारा जन सामान्य को आतंकित करने तथा झूठे केसों में फंसाकर प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।

4–श्री हरवंश कपूर — दून कैनाल सिंचाई विभाग द्वारा संचालित कारगी माइनर की क्षतिग्रस्त हालत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5–श्री बिन्दु लाल — जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी में मझगवां बांध की जमीन पर सिंचाई विभाग गोण्डा द्वारा किये गये पट्टों में व्याप्त अनियमितता के संबंध में।

6–श्री विनय कुमार पाण्डेय — जनपद रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा में कक्षा–5 का परीक्षाफल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया — जनपद गाजियाबाद के धौलाना विकास खण्ड के ग्रामों में जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8–श्री बाबू लाल
8–(क) श्री सरदार सिंह — जनपद आगरा में मान्ट ब्रांच गंगानहर मथुरा के टूटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9 श्री राम नक्षत्र — राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् मुख्यालय में शासनादेशों की अनदेखी कर नियुक्तियों में की गयी धांधली के संबंध में।

10–श्री राम पाल सिंह व
श्री राम विशुन आजाद — जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना तथा मनकापुर में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में।

11–श्री गौरीशंकर एडवोकेट — उत्तर प्रदेश शासन के कृषि विभाग के अन्तर्गत आने वाले राजकीय कृषि फार्मों को निजी क्षेत्र में दिये जाने की कार्यवाही को जनहित में रोके जाने के संबंध में।

12–श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिला मंत्री श्री अशोक शर्मा, एडवोकेट सहित तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13–श्री गंगा सिंह चौहान — हरदोई जनपद में ग्राम मलवा अखदेलपुर में सुखेता नाला पर पुल का पुनः निर्माण (ऊपर उठाकर) कराने के संबंध में।

14–श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में धनतुलसी–डेंगरपुर गंगा नदी घाट पर पीपा पुल का निर्माण न होने से अन्तर्राज्यीय राजमार्ग पर आवागमन में हो रही कठिनाई के संबंध में।

15–श्री हरिशंकर तिवारी — जनपद गोरखपुर मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

16–श्री मुन्ना चौहान — जनजाति विकास निदेशालय द्वारा जनजाति क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत ग्वासा स्थित आई० टी० आई० को संचालित न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

17–श्री राजेन्द्र सिंह — जनपद देहरादून के कतिपय ग्रामों में कलंगा नहर से प्रदूषित जलापूर्ति के कारण फैल रही बीमारियों के संबंध में।

18–श्री राजेन्द्र सिंह पटेल — जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खिन्दकी के ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

19–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" — प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षकों के नियमितीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

20–श्री अफजाल अहमद — जनपद जौनपुर की मड़ियांव तहसील अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्थान प्राइमरी इमदादी मकतब कुरानियां के छात्रों को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति तथा पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत मिलने वाले खाद्यानों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

21–श्री अरिमर्दन सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह तथा श्री गोपाल कृष्ण। — जनपद महोबा में किसी पत्रकार को जिले की मान्यता न मिलने से समाचार संकलन में हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

22–श्री पारसनाथ यादव — राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला, चिनहट, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

23–श्री सूर्य प्रताप शाही — शासन द्वारा इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल बोर्ड के परीक्षा शुल्क में भारी वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

24–श्री विक्रमादित्य मौर्य — श्रीमती केशरी देवी, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, इलाहाबाद की सुरक्षा हेतु लगे गनर को हटाये जाने के संबंध में।

25–श्री सीताराम निषाद — जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

26–श्री रामपाल राजवंशी — जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में वार्षिक स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

27–श्री जगदीश नारायण — जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्र अन्तर्गत जलालपुर बाजार में सई नदी पर स्थित शाही पुल का रख-रखाव जिला परिषद् द्वारा कराये जाने के संबंध में।

28–श्री श्याम लाल रावत — सीतापुर जनपद के अटरिया स्कीम के मेन्टीनेन्स में जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

29–श्री जयप्रकाश — जनपद गाजियाबाद में धार्मिक स्थल, विद्यालयों के निकट एवं अम्बेडकर ग्रामों में शराब के ठेकों को बन्द कराये जाने के संबंध में।

30–श्री दुर्गा प्रसाद — जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

31–श्री लाखी राम जोशी — टिहरी गढ़वाल की चम्बा–मसूरी फलपट्टी ग्रामसमूह पेयजल पम्पिंग योजना के शीघ्र निर्माण के संबंध में।

32–श्री धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र अन्तर्गत 30 शैय्याओं वाले अस्पताल तथा कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

33–श्री सरवर अली खां — जनपद बाराबंकी में ब्लाक सूरतगंज में टूटी पुलिया का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में।

34–श्री सुरेश कुमार खन्ना — जनपद आगरा के महात्मा गांधी मार्ग पर सहकारिता विभाग द्वारा निर्मित कराये गये शापिंग काम्प्लेक्स की अवैध कब्जेदारियों को रोके जाने के संबंध में।

35–श्रीमती उर्मिला यादव — जनपद प्रतापगढ़ में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

36–श्री मित्रसेन यादव — जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर के ग्राम विजयपुर में निजी भूसम्पत्ति पर अवैध कब्जेदारी एवं निर्माण से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में।

37–श्री रमेश राही — जनपद सीतापुर की रामगढ़ चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

38–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी — जनपद मेरठ की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

39–श्री मोतीलाल — जनपद लखीमपुर खीरी के विद्युत वितरण खंड द्वितीय द्वारा चयनित अम्बेडकर ग्रामों में कथित रूप से फर्जी विद्युतीकरण के संबंध में।

40–श्री रंगनाथ मिश्र — प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिये शासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना तथा शिक्षण की व्यवस्था समुचित रूप से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

41–श्री संजय गर्ग — सहारनपुर नगर में बाईपास न होने के कारण बढ़ते ट्रैफिक से होने वाली दुर्घटनाओं एवं ट्रैफिक जामों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

42–श्री कोविद कुमार सिंह — जनपद शाहजहांपुर के थाना–कांठ, तिलहर व कटरा में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने एवं उनको संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

43–श्री दीपलाल भारती — पड़वा प्रजनन केन्द्र छितौनी, (नेबुईबंगल) विकास खण्ड खड्डा, जनपद कुशीनगर को लोकहित में पुनः चालू कराये जाने के संबंध में।

44–श्री सन्तराम सिंह — जनपद जालौन के उरई नगर में जनता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मार्ग को पार्क में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

45–श्री अमरमणि — गोरखपुर में स्थापित कतिपय बड़े उद्योगों द्वारा कथित रूप से की जा रही विद्युत चोरी के सम्बन्ध में।

जिनकी सूचनाएं अस्वीकार हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं:–

श्री जगदम्बिका पाल, श्री अमर मणि, श्री विशम्भर सिंह, श्री राम नक्षत्र, श्री राजा राम पाण्डेय, श्री रणधीर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (एटा)।

(आठ बजे)

जनपद मेरठ के थाना बहसूमा के कस्बा रामराज में शिवरात्रि के अवसर पर एकत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा बिना चेतावनी गोली चलाये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, दिनांक 31/11-8-97 की रात्रि 2 व 4 बजे के मध्य कस्बा.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[रामराज के कुछ व्यक्तियों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवरियों की मदद से बिजनौर रोड तिराहे पर अम्बेडकर पार्क के समीप कस्बा रामराज थाना बहसूमा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध रूप से शिव प्रतिमा स्थापित कर दिये जाने तथा प्रतिमा स्थापना का कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किये जाने के सम्बन्ध में थाना बहसूमा पर सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष बहसूमा श्री आर० के० सिंह उपलब्ध पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि उक्त तिराहे पर लगभग साढ़े चार फिट ऊंचे चबूतरे पर शिव प्रतिमा स्थापित है, जिसके चारों ओर गोल दायरे में लोहे की जाली लगी हुई है। वहां उपस्थित जनसमुदाय द्वारा सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति अवैध रूप से मूर्ति स्थापना का उद्देश्य जानना चाहा और प्रचलित शासनादेशानुसार सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति स्थापना को गैर कानूनी बताया।

थानाध्यक्ष बहसूमा द्वारा उपस्थित भीड़ को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। स्थिति तनाव पूर्ण होते देख थानाध्यक्ष बहसूमा द्वारा क्षेत्राधिकारी मवाना एवं परगनाधिकारी, मवाना को सूचना दी गई। इन दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर उपस्थित भीड़ को समझाने का प्रयास किया, किन्तु भीड़ अत्यन्त उत्तेजित होने लगी। फलस्वरूप क्षेत्राधिकारी, मवाना द्वारा मूर्ति स्थापित किये जाने की घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया।

उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक, मवाना एवं थानाध्यक्ष हस्तिनापुर सशस्त्र फोर्स के कस्बा रामराज पहुंचे तथा पुलिस लाइन मेरठ से "बी" कम्पनी पी० ए०सी० का एक प्लाटून भी कस्बा रामराज पहुंचा।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिन भर क्षेत्राधिकारी/परगनाधिकारी, मवाना एवं थानाध्यक्ष बहसूमा द्वारा मूर्ति स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को काफी समझाने का प्रयास किया जाता रहा कि वे शिवमूर्ति को ससम्मान किसी निजी स्थान पर ले जाकर स्थापित कर दें, किन्तु उपस्थित भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी और हुड़दंग करते रहे। इन लोगों द्वारा किये गये हुड़दंग से सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त रहा और आस-पास के दुकानें/बाजार बन्द रहे। अन्ततः शिवमूर्ति को ससम्मान सार्वजनिक भूमि से हटाया गया।

इस दौरान काफी संख्या में स्त्री-पुरुष जमा होने लगे और पुलिस दल पर पथराव करने लगे। पथराव कर रही भीड़ को उनके घरों को भेजने का प्रयास भी किया तो वे निराहे से लगभग सौ मीटर दूर आस-पास के घरों एवं गलियों से मोर्चा लेकर पथराव एवं जान से मारने की नियत से पुलिस दल पर फायर करने लगे। भीड़ द्वारा किये गये पथराव व गोली बारी से परगनाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, मवाना प्रभारी निरीक्षक, थाना मवाना, थानाध्यक्ष हस्तिनापुर व 7 कान्सटेबिल घायल हुए। पुलिस कर्मियों तथा स्वयं को चारों ओर से घिरा पाकर परगनाधिकारी, मवाना ने पथराव एवं फायरिंग कर रही भीड़ को बलपूर्वक तितर-बितर करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया गया, किन्तु भीड़ पर लाठी चार्ज का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ और वे सब आस-पास के मकानों, गलियों व सड़क पर से पथराव एवं फायरिंग करते रहे। भीड़ की इस अवैध आचरण हिंसा के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को जीवन भय व्याप्त हो गया। भीड़ को तितर-बितर करने के आशय से पांच राउन्ड फायर सड़कल से किये गये। भीड़ द्वारा घायल किये गये कर्मियों को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया।

पथराव एवं गोलीबारी कर रही भीड़ में से विनोद, अजय, रोहित, रणपाल, नरेन्द्र व रोहताश को गिरफ्तार किया गया। रोहताश के दाहिने हाथ से एक देशी तमंचा 12 बोर व बांये हाथ से दो जीवित कारतूस 12 बोर भी बरामद हुये थे। इनके अलावा फूलसिंह चौहान, सतीश झावड़ा, नरेशी लाल, धनेश, मक्कड़ आढ़तिया, रस्तोगी मास्टर व गुलाब राय भी शामिल थे। भीड़ ने पथराव करके पी० ए० सी० के ट्रक नं० यू०पी० 25-6400 को क्षतिग्रस्त कर दिया। थानाध्यक्ष बहसूमा द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों, शिव प्रतिमा एवं रोलिंग को थाना बहसूमा पर लाकर दाखिल किया गया।

इस घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन थानाध्यक्ष बहसूमा द्वारा थाना बहसूमा पर दिनांक 1-8-97 को मुक० अप० सं० 100/97 धारा 147/148/149/447/307/336/332/353/427 भा०दं०वि० उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया। रोहताश के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में मु० अप० सं० 101/97 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत हुआ।

घटना में जनता के 7 व्यक्ति घायल हुए, जो मेडिकल कालेज, मेरठ में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत सन्तोषजनक है।

इस घटना के बाद पथराव एवं फायरिंग में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकरण के बाद कस्बा बहसूमा की स्थिति सामान्य है। स्थानीय नागरिकों द्वारा दिनांक 2,3 व 4 अगस्त, 1997 को अपनी दुकाने बन्द रखी थीं, किन्तु अब दुकाने खुल गयी हैं और जन-जीवन सामान्य है।

भागती हुई भीड़ पर पुलिस ने जान से मारने की नियत से गोली वर्षा की, का आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा दिनांक 31/1-8-97 की रात्रि में शिव प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना आरम्भ कर दी थी, जिसे स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा ससम्मान एवं सद्भावना पूर्वक विवादित स्थल से हटा दिया गया था। किसी भी अपराधी/असामाजिक तत्व के विरुद्ध जाति/वर्ग का भेद किये बिना निष्पक्ष एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई है।]

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस पर मुझे कुछ स्पष्टीकरण मांगना है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य के लिए है ।

श्री अध्यक्ष–

यह छपने में हो गया है, केवल वक्तव्य के लिए नहीं है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस सारी घटना में जिला प्रशासन को निर्दोष करार दिया गया है जबकि कांवरियों के ऊपर इस प्रकार गोली बारी हुई है उसके लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से दोषी है । जो गोलियां चली हैं उसमें किसी की जांघ पर गोली लगी है, किसी के हाथ पर गोली लगी है, किसी की पीठ पर गोली लगी है, और एक महिला के आंख में गोली लगी है । इस प्रकार सात लोग मेडिकल कालेज में भर्ती हैं । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच मेरठ के कमिश्नर के द्वारा कराई जाये ताकि सारे तथ्य सामने आ जायें । यह जो वक्तव्य दिया गया है यह नितान्त भ्रमक है सही नहीं है । घटना के तथ्यों को छुपाकर दिया गया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वहां की स्थिति एकदम सामान्य है । यह अवश्य दुख है कि स्थिति नियंत्रित करने में कुछ लोगों को चोटें आयीं, इसका भेद है । चूंकि इस घटना के सारे तथ्य आ चुके हैं इसलिये इसमें पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

गढ़वाल मण्डल के कर्ण प्रयाग क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इंटर कालेजों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–5। के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्राप्त सूचनानुसार.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के 35, प्रधानाध्यापक के 22, प्रवक्ता के 151 तथा सहायक अध्यापक (एल० टी० ग्रेड) के 1(5) पद रिक्त हैं ।

प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के संबंध में आयोग के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है । प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिये प्रोन्नति की कार्यवाही की जा रही है तथा प्रवक्ता के सीधी भर्ती के पदों को भरने हेतु अधीनस्थ चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है तथा पदोन्नति कोटे को भरने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है । एल० टी० वेतनक्रम के अधिकांश पदों पर नियुक्ति अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से की जा चुकी है तथा शेष पदों के भरने के लिये भी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

उपरोक्त समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पन्न करने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रभावी/त्वरित कार्यवाही की जा रही है । फलस्वरूप इन पदों को अतिशीघ्र भर दिया जायेगा ।]

---

[1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वक्तव्य अभी तक मिला नहीं है स्पष्टीकरण क्या पूछूं।

श्री अध्यक्ष–

मिल रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के नियंत्रणाधीन जो व्यवस्था है उसके बारे में न कुछ कहा जाता है और न कोई प्रश्न उठाया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आपको वक्तव्य मिल गया है, स्पष्टीकरण पूछें।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, संबंधित मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो 7-8 वर्षों से विज्ञान, गणित, और एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों के पद खाली हैं उनको क्या निश्चित समय में भर दिया जायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सही है कि काफी संख्या में पद रिक्त हैं। 35 प्रधानाचार्य के, प्रधानाध्यापक के और 22 प्रवक्ता के तथा 151 सहायक अध्यापक (एल० टी० ग्रेड) के 100 पद रिक्त हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इन पदों को भर दिया जाय।

जनपद गाजीपुर की नगर पंचायत, दिलदारनगर में जनसुविधाओं का अभाव तथा जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मा० सदस्य.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[ ] द्वारा दिलदार नगर, नगर पंचायत में जनसुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, की सूचना दी गई है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि नगर पंचायत, दिलदार नगर में पेयजल/सफाई व्यवस्था व सड़क तथा रोशनी की सुविधा उपलब्ध है।

जहां तक जलभराव व कूड़े के सड़ने से बीमारी फैलने तथा मकान गिरने की नौबत का प्रश्न है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि नगर पंचायत दिलदार नगर में कूड़े की सफाई की समुचित व्यवस्था है। इस नगर पंचायत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि इसके तीन तरफ नगर तथा एक तरफ रेलवे लाइन है जिसका लेविल नगर पंचायत के लेविल से काफी ऊंचा होने के कारण जलभराव की स्थिति बरसात में उत्पन्न हो जाती है।

नगर पंचायत, दिलदार नगर में किसी बीमारी की फैलने की कोई सूचना नहीं है। जल शुद्धीकरण तथा सफाई की समुचित व्यवस्था प्रतिदिन करायी जा रही है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पंचायत, दिलदार नगर की भौगोलिक स्थिति जैसा कि उल्लिखित होने तथा जमीन नीचे होने से अत्यधिक वर्षा व जलभराव से मकानों के क्षति की संभावना रहती है, परन्तु जलभराव एवं बरसात के कारण मकान गिरने की सम्प्रति कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है। ।

प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग कालेजों में कार्यरत अनुदेशकों, कार्यदेशकों की वेतन विसंगति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के .....

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

। समस्त इंजीनियरिंग कालेजों के अनुदेशकों/कार्यदेशकों के वेतनमान को चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा प्रदेश में समता समिति की निर्धारित प्रक्रिया के अधीन पुनरीक्षण दिनांक 1-1-86 से करने पर विचार किया गया।

अनुदेशकों/कार्यदेशकों के वेतनमानों को अन्य संस्थाओं के समान दिये जाने के प्रत्यावेदनों पर समता समिति की निर्धारित प्रक्रिया के अधीन विचार किया गया तथा पाया गया कि इन पदधारियों को अन्य विभागों में चल रहे संस्थानों के समान वेतनमानों के निर्धारण के प्रश्न पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कालेजों के अनुदेशकों/कार्यदेशकों को समता समिति के अनुसार वेतन विसंगति नहीं पाई गई।

प्रश्नगत वेतन विसंगति के प्रकरण पर आवेदकों ने मा० उच्च न्यायालय में भी वाद दायर करके लाभ दिये जाने की याचना की किन्तु उक्त वाद मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 16-5-97 को खारिज कर दिया। ।

प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में विशेषकर आगरा में साधन सहकारी समितियों द्वारा नकली खाद बिक्री किये जाने संबंधी नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

। सीमावर्ती जनपदों विशेषकर आगरा जनपद के साधन सहकारी समितियां कुर्रा चित्तरपुर, सिकन्दरा विकास खण्ड शमशाबाद, साधन सहकारी समिति लि० मलोखरा व बेगमपुर विकास खण्ड फतेहाबाद में कोई भी नकली खाद बरामद नहीं हुई।

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि० बरौली अहीर के दिगनेर स्थित गोदाम में नकली खाद होने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका नमूना लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया व गोदाम सील कर दिया गया। परीक्षणोपरान्त उर्वरक सही मानक का पाया गया। जिला अधिकारी, आगरा के स्तर से खण्ड विकास अधिकारी, बरौली अहीर को गोदाम खुलवाकर उर्वरक वितरण कराये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। इसमें नकली खाद की बात अशुद्ध पाई गई।

माल साधन सहकारी समिति कुर्रा चित्तरपुर विकास खण्ड शमशाबाद में क्षेत्रीय जनता की अनियमित उर्वरक वितरण के संबंध में शिकायत पर तहसीलदार फतेहाबाद द्वारा समिति का गोदाम

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 26-10-96 को सील कर दिया गया था जिसे मुख्य विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 4-11-96 द्वारा जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० आगरा एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 5-11-96 को गोदाम खुलवाकर अपने सम्मुख उर्वरक का वितरण कराया गया था। इस प्रकरण में मात्र अनियमित उर्वरक वितरण की शिकायत थी। नकली खाद संबंधी कोई शिकायत नहीं थी।]

सहारनपुर नगर में काष्ठ कला में लगी आरा मशीनों को बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-51 के अन्तर्गत कथन वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आरा मशीनों.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[की स्थापना एवं उनके विनियमन हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा-51ए के अधीन "उ० प्र० आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली-1978" बनायी गयी है। इस नियमावली के नियम-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार समस्त आरामिल मालिकों को आरामिल चलाने के लिये लाइसेन्स प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपना आवेदन-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित लाइसेन्स शुल्क सहित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। तत्पश्चात् स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आरा मशीन चलाने के लिये निर्धारित अवधि के लिये लाइसेन्स जारी किया जाता है। निर्धारित अवधि समाप्ति के पूर्व आरामिलों के लाइसेन्स का नवीनीकरण नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत कराया जा सकता है। लाइसेन्स/नवीनीकरण की अवधि कालातीत होने के उपरान्त आरामिल गैर लाइसेन्सशुदा मानी जाती है।

2-मा० उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित रिट याचिका संख्या-202/1995-टी० एन० गोडावर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत सरकार व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 4-3-1997 को यह आदेश पारित किये गये कि प्रदेश में चल रही समस्त गैर लाइसेन्सशुदा आरामिलों को तत्काल बन्द करा दिया जावे। इसके साथ ही यह भी आदेश पारित किये गये कि राज्य सरकार ऐसी आरामिलों को चलाने हेतु कोई नयी अनुमति/लाइसेन्स देने की शर्तों को न तो बढ़ायेगी और न ही शिथिल करेगी। तदनुसार मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश में बिना लाइसेन्स प्राप्त किये चल रही समस्त आरा मशीनों को बन्द करा दिया गया है।

3-मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 4-3-1997 के अनुपालन में सहारनपुर जनपद में स्थित 463 आरा मशीनों में से 348 गैर लाइसेन्सशुदा आरामिलों को ही बन्द किया गया है, शेष 115 लाइसेन्सशुदा आरा मशीनें चल रही हैं, जिनसे काष्ठ कला (वुड कार्विंग) कार्य के लिये भी लकड़ी की आपूर्ति हो रही है।

4-उक्त रिट याचिका मा० उच्चतम न्यायालय में अभी अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है। मा० उच्चतम न्यायालय के अग्रेतर आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर में साउंखोर परसार छपिया में पशु चिकित्सालय हेतु धन उपलब्ध होने के बाद भी उसका निर्माण न होने के बारे में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, श्री हरशिंकर तिवारी, मा० विधायक.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[द्वारा दिनांक 4-8-1997 को नियम 51 के अन्तर्गत एक नोटिस प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि गोरखपुर जनपद में छपिया साऊंखोर परसार नामक स्थान पर पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु दो वर्ष पहले वित्तीय व्यवस्था की गयी थी किन्तु विभाग ने उक्त धन को पी० एल० ए० में डाल दिया है और पशु चिकित्सालय का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है ।

उपरोक्त के संबंध में स्थिति यह है कि वर्ष 1994-95 में प्रदेश में 19 जनपदों में कतिपय पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों हेतु शासनादेश संख्या 1008/12–प–2-20(30)/95, दिनांक 31-3-1995 के द्वारा रु० 71,02,300/- की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित कर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की गई थी कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग की सहमति से 30 जून, 1995 तक व्यय किया जायेगा । वित्तीय वर्ष का अन्तिम दिवस होने के कारण उक्त धनराशि उप निदेशक, सघन पशु विकास प्रयोजना, लखनऊ के वैयक्तिक खाते (पी० एल० ए०) में जमा कर दी गयी थी । उपरोक्त में से रु० 53,98,400/- की धनराशि पशु चिकित्सालय के भवनों के निर्माण के लिये पूंजीगत मद में तथा रु० 17,03,900/- की धनराशि राजस्व मद में स्वीकृत की गयी थी ।

उक्त स्वीकृत धनराशि में जनपद गोरखपुर में दो पशु चिकित्सालय यथा लकवापाकड एवं चौरीचौरा हेतु प्राप्त विधायी स्वीकृति के अन्तर्गत कुल रु० 9,73,800 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

शासनादेश दिनांक 31-3-1995 में स्वीकृत कुल रु० 71,02,300/- की धनराशि में से राजस्व मद में स्वीकृत रु० 15,11,550/- पूर्व में ही अवमुक्त किये जा चुके हैं । सम्प्रति वैयक्तिक लेखा खाते में रु० 55,90,750/– की धनराशि जमा है । इसमें कुछ धनराशि की व्यवस्था तत्समय वेतन भत्ते आदि के मद में की गयी थी जिसको अब अवमुक्त करने का औचित्य नहीं है । अतः वेतन भत्ते तथा विद्युतीकरण मद की धनराशि को छोड़ते हुए सम्प्रति शेष रु० 52,37,400/- की धनराशि वैयक्तिक लेखा खाते से आहरित कर 31-3-98 तक उपयोग हेतु निदेशक, पशुपालन के निस्तारण पर रखे जाने का शासनादेश जारी किया जा चुका है ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31-3-1995 के शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि में छपिया साउंखोर परसार जनपद गोरखपुर पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी ।]

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी यह केवल वक्तव्य था, इस पर स्पष्टीकरण नहीं होते हैं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बस्ती में नीलगायों द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की व्यवस्था के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर,

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को पहुंचाई जा रही क्षति पर नियंत्रण करने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाले उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिये अधिसूचना संख्या–736/14-4-94-854/92, दिनांक 9 मार्च, 1994 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है, ताकि जनपद स्तर पर ही इस समस्या का निराकरण हो सके ।

2—समस्याग्रस्त क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को मारने/नष्ट करने के लिये संबंधित जिलाधिकारी से आखेट अनुज्ञा (शूटिंग परमिट) प्राप्त कर इन्हें आवश्यकतानुसार नष्ट किया जा सकता है । यही इस समस्या का एक मात्र प्रभावी उपाय है । इस संबंध में जिलाधिकारी, बस्ती को शासनादेश संख्या–3050/14–4–97–854/92, दिनांक 11 अगस्त, 1997 द्वारा निर्देश भी दे दिये गये हैं ।]

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में कहा है कि वन विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है । उत्तर में कहा गया है कि 1994 में राजाज्ञा जारी कर दी गयी है । लेकिन आज भी बस्ती जनपद में नीलगायों का भारी आतंक है और यह आतंक बढ़ता जा रहा है । राजाज्ञा 1994 की है उसके अनुसार वन विभाग के अधिकारी नीलगायों का आतंक रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि यह वनरोज (नीलगायों) के मारने के बारे में है । इसके बारे में जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वहां शूटिंग के बारे में, आखेट के बारे में कोई परमिट लेना चाहता है तो वहां की स्थिति क्या है इसकी संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि वहां की स्थिति से जिलाधिकारी भिज्ञ होंगे । यह निश्चित तौर से वहां पर नुकसान कर रही हैं । किसान की फसल बर्बाद हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये गये हैं । जिलाधिकारी को प्राधिकृत कर दिया है ।

श्री दिवाक्रम विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं । मान्यवर, वहां पर स्थिति यह है कि फसल शून्य हो गयी है और वहां की स्थिति को देखते हुए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । क्या इस पर कोई नियंत्रण होगा कि नहीं ?

[illegible]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

निश्चित तौर पर 11 अगस्त, 97 को निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन हो रहा है। कहीं पर नहीं हो रहा है तो माननीय सदस्य मुझे बताने की कृपा करेंगे वहां पर निश्चित तौर पर अनुपालन कराया जायेगा।

प्रदेश में व्यवसायिक कोर्सों (एम० बी० ए०, बी० बी० ए०, होटल मैनेजमेंट, एम० सी० ए०) का व्यापारीकरण रोकने, समुचित मानक के अनुसार स्थापना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, प्रदेश में व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) की निजी क्षेत्र में स्थापना की योजना के संबंध.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

1 में प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 में शासनादेश संख्या–292/95-सोलह-1-281/94, दिनांक 04 मार्च, 1995 द्वारा निर्णय लिया गया।

2–उक्त शासनादेश दिनांक 4 मार्च, 1995 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कोई भी संस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी क्षेत्र में अभियंत्रण कालेज की स्थापना कर सकती है :–

(1) कोई भी संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, न्यास अधिनियम, 1882, वक्फ अधिनियम, 1954 या राज्य में चल रहे समकक्ष कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिये।

(2) आवेदक संस्था को अपना प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होता है। राज्य सरकार प्राप्त आवेदन पत्रों एवं समाहित प्रस्तावों की समीक्षा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० की अध्यक्षता में गठित एक समीक्षा समिति द्वारा किया जाता है। समीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी उन प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली को प्रेषित करती है। इस प्रकार राज्य सरकार की अनापत्ति किसी संस्था को संचालित करने के लिये प्रदान की जाती है।

(3) उल्लेखनीय है कि किसी भी संस्था को अनापत्ति देने से पूर्व उसके पास 7.5 हेक्टेयर भूमि एवं प्रस्ताव का 10 प्रतिशत अभावर्तक मद में धनराशि अथवा रु० 30.00 लाख की सावधि जमा का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संस्था के पास भवन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण एवं स्टाफ एवं उनका वेतन ए० आई० सी० टी० ई० के मानकों के अनुसार होना चाहिये।

3–निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे सभी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थानों में प्रवेश की कार्यवाही संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रदेश में कार्यरत अशासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रधानाचार्य/निदेशक सदस्य होते हैं। जो संस्थान जिस वर्ष परीक्षा आयोजित कराता है उस संस्थान के निदेशक समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

4–निजी क्षेत्र में स्थापित सभी संस्थानों में ली जाने वाली ट्यूशन फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस संबंध में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी तथा उक्त समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियरिंग संस्थानों में बी० टेक० के लिये ट्यूशन फीस प्रति वर्ष छात्र रुपये 3,00,000/- निर्धारित की गयी।

नोट :– 1 यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-महामहिम श्री राज्यपाल के स्तर से यह भी निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र में स्थापित किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति के द्वारा प्रवेश की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उक्त संस्थान को कुलाधिपति के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान न कर दी जाय।

अतः उपरोक्त में इंगित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे संस्थानों को राज्य सरकार की अनापत्ति दिये जाने, इन संस्थानों में प्रवेश की कार्यवाही किये जाने, पेड सीट्स के विरुद्ध दण्डात्मक की लिये जाने तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये समुचित आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मेरी संख्या-51 की दिनांक 5-8-97 की सूचना का उत्तर आया है। सभी बिन्दुओं का जवाब है किन्तु एक बिन्दु छोड़ दिया गया है। मैंने अपनी सूचना में कहा था कि जिन संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है उनमें कुछ संस्थाओं ने पुराने शासनादेश के अनुसार अपने क्षेत्र से अतिरिक्त विद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है। आज के शासनादेश के द्वारा वह अपने क्षेत्र तक ही प्रतिबंधित हैं तो जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों का भी लिया है उनके खिलाफ जो पहले ले चुके हैं ऐसे केसेज के हल के लिये कोई नई व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इस संबंध में जो यह कहना चाहता हूं कि जो एन० ओ० सी० देने के संबंध में गाइड लाइन है उसके अनुसार बी० बी०ए०, बी० सी० ए० के लिये मानक नहीं थे। एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई और उस रिपोर्ट के मिलने पर परीक्षण के बाद कार्यवाही की जायेगी।

जनपद चमोली में भूस्खलन एवं नदियों के भारी कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

जनपद भरतोड़ी में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मलेरिया के भयानक प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, मलेरिया से बचाव के लिये आम जनता को अवगत कराने हेतु माह जून, 1997 में मलेरिया जन-जागरण मनाया गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रदेश के सभी जनपदों को इस संबंध में परिपत्र भी निर्गत किये गये। प्रदेश व जनपदों को उनके द्वारा मांगी गई औषधियों यथा क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन गोलियों की आपूर्ति की गई। भारत सरकार निर्धारित मानकों के आधार पर (जैसे जहां 2 ए० पी० आई० से अधिक मलेरिया केसेज पाये जाते हैं) जनपद में छिड़काव कार्य कराया जाता है। जन-जागरण के कुछ कार्यक्रमों में मैं स्वयं उपस्थित रहा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहां तक जनपद भदोही में मलेरिया कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि मुख्यालय से संयुक्त निदेशक (मलेरिया) द्वारा जनपद भदोही में मलेरिया व अन्य कार्यक्रमों का हाल ही में निरीक्षण किया गया है । संयुक्त निदेशक मलेरिया ने अपने निरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औराई, गोपीगंज एवं डीप में मानक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में छिड़काव के लिये 22 मीट्रिक टन डी० डी० टी० 50 प्रतिशत उपलब्ध है तथा मलेरिया निरोधी कीटनाशक दवा का छिड़काव कार्य चल रहा है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवापुरी कीटनाशक छिड़काव के मानक में नहीं आता है, फिर भी कीटनाशक (डी० डी० टी०) से फोकल स्प्रे की व्यवस्था है । सभी चिकित्सालयों पर खून जांच एवं आवश्यक दवायें (क्लोरोक्वीन गोली) पर्याप्त में उपलब्ध है, जिसे रोगियों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही द्वारा चिकित्सालयों हेतु चादरें एवं फिनायल उपलब्ध कराया जा रहा है । समस्त सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनरेटर चालू हालत में उपलब्ध हैं जो नियत निर्मित कक्ष में स्थापित है ।

मलेरिया की रोकथाम करने हेतु सभी जनपदों को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक औषधियों को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है, जो प्रत्येक जनपदों में उपलब्ध है ।]

जनपद एटा में नालों की सफाई न होने के कारण जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 की सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर मद संख्या–28 स्थगित की जाती है ।

उत्तरांचल क्षेत्र में हाई स्कूल व इन्टर कालेजों के खोलने के संबंध में जिलों से शिक्षा विभाग द्वारा गलत सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में बताया गया है कि उत्तरांचल क्षेत्र में हाई स्कूल व इन्टर कालेज खोलने के संबंध में सभी जिलों के .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[शिक्षा विभाग से मंगाई गई हैं । जिला देहरादून से गलत सूचनायें शासन को भेजी गई है । उदाहरण के लिये जिला देहरादून में विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत ग्राम क्यारी में हाई स्कूल खोलने के संबंध में गलत सूचनायें प्रेषित की गई हैं । बताया गया है कि जूनियर हाई स्कूल मुन्धान, जूनियर हाई स्कूल क्वासा व जूनियर हाई स्कूल मरोड़ के छात्र भी क्यारी जायेंगे । वास्तविकता यह है कि मुन्धान व क्वासा के लिये क्यारी से ज्यादा नजदीक स्थान नागघात में इन्टर कालेज है और मरोड़ के बहुत नजदीक नैनबाग में इण्टर कालेज है और ग्राम क्यारी में अभी जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माणाधीन है और कक्षा 6, 7 व 8 संचालित नहीं है । कक्षा 8 संचालित हुये बिना हाई स्कूल खोलने का औचित्य क्या होगा । ग्राम क्यारी में भविष्य में हाई स्कूल खोलना उचित हो सकता है परन्तु तब जब कक्षा 6, 7 व 8 ठीक से संचालित हो जायें । इसका दुष्परिणाम यह है कि उन स्थानों पर विद्यालय नहीं खुल पायेंगे जहां तात्कालिक आवश्यकता है जैसे कालसी विकास खण्ड के ही अन्तर्गत ग्राम कचटा में नितान्त आवश्यक है ।

उपरोक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि क्यारी के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार परिषदीय जूनियर हाई स्कूल क्यारी के भवन को निर्माणाधीन बताया गया है तथा कक्षा 6, 7 व 8 अभी तक

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

संचालित नहीं किये जाने का उल्लेख है । विभागीय अधिकारियों ने मानकों के आधार पर उक्त विद्यालय के उच्चीकरण की संस्तुति नहीं की है ।

इस प्रकार से माननीय विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के अन्तर्गत जो बिन्दु उठाये गये हैं उनका उल्लेख जनपद स्तर से प्रेषित सूचना में भी है । अतः जनपद–स्तर से गलत सूचनायें प्रेषित करने का प्रश्न नहीं उठता तथा सदन में चर्चा का औचित्य नहीं बनता ।]

सम्पूर्ण प्रदेश में दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले लघु मध्यम श्रेणी समाचार-पत्रों के लिये टेलीप्रिंटर लगाये जाने की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, विधायक, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी गयी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[लघु एवं मध्यम श्रेणी के, दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के लिये टेलीप्रिंटर की अनिवार्यता करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । डा० बाजपेयी ने नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा है कि दिनांक 16 जून, 1997 को शासनादेश जारी करके दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के लिये टेलीप्रिंटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

इस संबंध में विनम्र निवेदन है कि दिनांक 7 जनवरी, 1991 से शासन द्वारा स्वीकृत विज्ञापन नीति तथा विज्ञापन मान्यता नियमावली दिनांक 1-2-1991 से लागू की गयी । उत्तर प्रदेश समाचार-पत्र विज्ञापन मान्यता नियमावली के नियम 10 में व्यवस्था की गयी है कि–

"जो दैनिक समाचार पत्र दस हजार प्रसार संख्या का दावा करते हैं, उनकी विज्ञापन मान्यता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह किसी समाचार एजेंसी की सेवा (टेलीप्रिंटर) जिस नगर से समाचार पत्र प्रकाशित एवं मुद्रित होता है, ले रहा हो ।"

नियमावली के उक्त नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के क्रम में ही सूचना निदेशालय के विज्ञापन प्रभाग द्वारा दिनांक 16 जून, 1997 को मात्र एक नोटिस जारी करके दस हजार से अधिक प्रसार संख्या दर्शाने वाले समाचार-पत्रों का ध्यान नियमावली में दी गयी टेलीप्रिंटर लगाने की अनिवार्यता की ओर आकृष्ट करते हुए उनसे अपेक्षा की गयी है कि वे एक माह में टेलीप्रिंटर लगवाकर सूचित करें । इस प्रकार यह तथ्यात्मक नहीं है कि टेलीप्रिंटर लगाने की अनिवार्यता विषयक कोई नया शासनादेश जारी किया गया है ।

प्रदेश में इस समय कुल 381 दैनिक समाचार पत्र विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं जिनमें से अनेक दैनिक समाचार पत्रों ने पूर्व से प्रवृत्त नियमावली केअनुसार टेलीप्रिंटर लगवा लिये हैं, अतः अब ऐसा कोई औचित्य स्थापित नहीं होता कि शेष समाचार पत्र, जिन्हें नोटिसें जारी की गयी हैं, को इस नियम से छूट प्रदान की जाय ।

जहां तक लघु तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों पर टेलीप्रिंटर की स्थापना के व्यय भार का प्रश्न है, यह सूचनीय है कि यदि किसी भी दैनिक समाचार पत्र को औसत कीमत प्रत्येक प्रति एक रुपया भी मान ली जाय तो दस हजार से अधिक प्रतियां प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र की दैनिक न्यूनतम आय दस हजार रुपये एवं मासिक आय लगभग तीन लाख रुपये होनी चाहिये । टेलीप्रिंटर की स्थापना पर, प्रसार संख्या के अनुसार सात से तेरह हजार रुपये का व्यय आता है जो इतनी आय के परिप्रेक्ष्य में अधिक नहीं कहा जा सकता । यह भी उल्लेखनीय है कि टेलीप्रिंटर सेवा प्राप्त करने में समाचार पत्रों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय को देखते हुए शासन ने माह मई, 1991 से ही टेलीप्रिंटर की स्थापना पर होने वाले वास्तविक व्यय पर अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की है। एतद्विषयक शासनादेश दिनांक 17 मई, 1991 के अनुसार 25 हजार से कम प्रसार संख्या वाले लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को टेलीप्रिंटर सेवा प्राप्त करने प्रथम वर्ष में कुल व्यय का 25 प्रतिशत अथवा 15 हजार रुपये, जो भी कम हो, द्वितीय वर्ष में व्यय का 25 प्रतिशत अथवा 10 हजार रुपये, जो भी कम हो एवं उर्दू समाचार पत्रों के मामलों में तृतीय वर्ष में भी व्यय का 25 प्रतिशत या पांच हजार रुपये, जो भी कम हो, शासकीय अनुदान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् विद्यमान है। इस प्रकार शासन स्वच्छ एवं अद्यावधिक पत्रकारिता में लघु तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को हर प्रकार का सहयोग एवं सहायता देने के प्रति कटिबद्ध है।

सन् 1982 में सूचना विभाग द्वारा प्रदेश के जनपदों में स्थित सूचना कार्यालयों में टेलीप्रिंटर लगवाये गये थे, जिनका उद्देश्य सूचना केन्द्र में आने वाले पत्रकारों एवं जन-सामान्य को सूचनायें उपलब्ध कराना था। जिन जनपदों से यह सूचनाएं प्राप्त हुई कि सूचना कार्यालयों में लगे टेलीप्रिंटर्स का उपयोग पत्रकारों एवं जन-सामान्य द्वारा अब नहीं किया जा रहा है, वहां शासकीय व्यय में मितव्ययिता की दृष्टि से, टेलीप्रिंटर सेवायें समाप्त कर दी गयी, जब कि प्रदेश के अन्य जिलों में अब भी टेलीप्रिंटर सेवायें सूचना केन्द्रों में उपलब्ध है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जन-सामान्य को तथ्यात्मक एवं अद्यतन सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार है। रेडियो तथा टेलीविजन से प्रसारित होने वाले संक्षिप्त समाचार बुलेटिनों से जन-सामान्य को सभी आवश्यक सूचनायें सविस्तार प्राप्त नहीं हो सकतीं। यह कार्य समाचार पत्र ही कर सकते हैं तथा ऐसा करने के लिये समाचार पत्रों को समाचार एजेंसियों की सेवाएं लेनी ही चाहिए, क्योंकि समाचार एजेन्सियों का अपना सुव्यवस्थित सूचना तंत्र होता है, जो सूचनाओं का संकलन करके टेलीप्रिंटर्स के माध्यम से इन्हें अपने ग्राहकों तक प्रसारित करता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश केवल शासकीय नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य महत्वपूर्ण शासकीय सूचनाओं का समाचार पत्रों तक प्रसार अपनी विभागीय प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से करता है। केवल सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किये जा सकते। जन-सामान्य को समग्र वांछित सूचनायें समाचार पत्रों के माध्यम से मिल सकें, इसी उद्देश्य से नियमावली में टेलीप्रिंटर लगाये जाने की अनिवार्यता वर्ष 1991 से ही की गयी है।

जहां तक सूचना विभाग की पत्र सूचना शाखा द्वारा समाचार एकत्रित करके सभी समाचार पत्रों को फैक्स द्वारा भेजने के उल्लेख का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि सभी समाचार पत्रों के पास फैक्स सुविधा नहीं है, फैक्स सुविधा द्वारा सूचना दिये जाने का उल्लेख व्यवहारिक नहीं है। वैसे भी सूचना विभाग केवल अपनी विज्ञप्तियां ही जारी कर सकता है एवं अन्य प्रकार के समाचारों को जारी करने का न तो सूचना विभाग का दायित्व है और न यह सूचना विभाग की भूमिका ही है।

पत्रकारिता एक पुनीत कार्य है तथा समाचार पत्रों से यह अपेक्षित है कि वे अपना स्तर बनाये रखते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। अधूरे एवं संक्षिप्त समाचार प्रकाशित करने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। सूचना क्रान्ति के इस युग में देश-विदेश तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित समाचारों के लिये यह आवश्यक है कि समाचार पत्र टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ताकि पाठक वर्ग को विस्तृत और अद्यावधिक समाचार प्राप्त हो सकें।

लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने की शासकीय नीति के अनुसार भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञापन की मद में होने वाले कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों को उन्हें दिये जाने वाले विज्ञापनों के भुगतान के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती

है । सूचना विभाग द्वारा न तो अपने उत्तरदायित्व से विरत रहने विषयक कोई कार्य किया गया है और न ही समाचार पत्रों के उत्पीड़न का कोई आशय विद्यमान रहा है ।

इस प्रकार टेलीप्रिंटर लगाने की अनिवार्यता करके उत्पीड़न करने का माननीय सदस्य द्वारा किया गया उल्लेख तथ्यात्मक नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे इसमें जानकारी करनी है माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है कि 16 जून 97 को शासनादेश जारी किया गया । यह शासनादेश पिछली सरकार द्वारा लागू था । 16 जून, 97 को उत्तर प्रदेश विज्ञापन विभाग ने इसके तहत टेलीप्रिन्टर लगाना अनिवार्य किया है जबकि सरकार स्वयं चालित केन्द्रों पर टेलीप्रिन्टर को बन्द कर रही है और आज वह फैक्स की सुविधा की मांग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण बता दें ।

*समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

टेलीप्रिन्टर, समाचार पत्रों को लगाने की आवश्यकता महसूस हुई है । 10 हजार प्रचार-प्रसार क्षमता अखबार की है एक रुपये का अखबार बेचेंगे, दस हजार डेली अखबार बिकता है तो भी दस हजार हो गया । टेलीप्रिन्टर में सात-आठ हजार रुपया खर्चा देकर उसको लगाने के लिये अध्यावधिक सूचना प्रदर्शन करनी है । साढ़े नौ बजे रेडियो न्यूज सुनी । दो तीन घंटे के बीच में कही घटनायें होती है यह जनता तक पहुंचाने के लिये टेलीप्रिन्टर की व्यवस्था की गई है । यह लोग प्रचार प्रसार की क्षमता 50 हजार की दिखाते हैं अखबारी कागज के लिये दिखाते हैं, विज्ञापन के लिये दिखाते हैं । टेलीप्रिन्टर का प्रस्ताव हो रहा है 16 दिन का नोटिस दिया है इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है इनके प्रति सरकार को पूरी सहानुभूति है यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के प्रतीक हैं इनको सब सुविधायें दी जा रही हैं इनको नोटिस दी गई है न सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी कि उनको परेशानी हो ।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवनों का हुडको के निर्देशन के विपरीत मूल्य बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण के दुर्बल आय वर्ग सहित .....

(सदन सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[अन्य वर्गों के भी अपनी श्रद्धापुरी आवासीय एवं पल्लवपुरम आवासीय योजनाओं में निश्चित धनराशि पर भवन एवं भू-खण्ड आवंटित कर बैनामें जनता के हित में किये थे । दुर्बल आय वर्ग के भवनों का मूल्य एवं मानक हुडकों राष्ट्रीय संस्था के निर्देशों के अनुरूप रखा था । किन्तु इसी सप्ताह में अनेकों आवंटियों को एक माह का नोटिस देकर दोगुने व ढाई गुने अधिक धनराशि की अतिरिक्त मांग करनी प्रारम्भ कर दी है जो हुडकों के मानकों का उल्लंघन भी है स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के दिन हजारों परिवार बढ़ाये मूल्य ना देने की स्थिति के कारण बेघर कर दिये जाएंगे । जनता ने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है । विधान सभा अधिवेशन की समाप्ति तक स्थिति जटिल हो जायेगी । अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय होने के कारण सरकार का ध्यानाकर्षण एवं वक्तव्य अति आवश्यक है ।"

तथ्यात्मक स्थिति यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना–फेस–1 के लिये ग्राम दातल की कुल 105.23 एकड़ भूमि 1985 में अर्जित की गयी । जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रथम बेल्ट में 1.03 एकड़ भूमि का रु० 37.50 वर्ग गज की दर से तथा द्वितीय बेल्ट में 52.48 एकड़ भूमि का रु० 28.13 प्रति वर्ग गज की दर से एवार्ड घोषित किया गया । जिलाधिकारी के एवार्ड से क्षुब्ध होकर भू-स्वामियों द्वारा जिला न्यायालय में सन्दर्भ योजित किये गये । जिला न्यायाधीश द्वारा प्रथम बेल्ट के लिये रु० 75.00 प्रति गज वर्ग की दर से तथा द्वितीय बेल्ट में रु० 70.00 प्रति वर्ग गज की दर से एवार्ड निर्धारित किया गया । जिला न्यायालय के आदेशों से असंतुष्ट होकर प्राधिकरण तथा भू-स्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपीलें दायर की गयीं । इन अपीलों में कुल 48.44 एकड़ भूमि सम्मिलित थी । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 10-2-95 को अपीलें निस्तारित करते हुए रु० 70.00 प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध होकर भू-स्वामियों ने तथा प्राधिकरण ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकायें दायर की । इसी प्रकार श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–8, डिफेन्स इन्क्लेव एवं सैनिक विहार योजनाओं के लिये ग्राम नगलाताशी कासिमपुर की कुल 498.8 एकड़ भूमि वर्ष 1987 में अर्जित की गयी । जिलाधिकारी द्वारा उक्त भूमि का एवार्ड रु० 50.00 प्रति वर्ग गज की दर से घोषित किया गया । भू–स्वामियों द्वारा उक्त एवार्ड के विरुद्ध जिला न्यायालय में सन्दर्भ योजित किये गये । इन सन्दर्भों में रु० 240.00 वर्ग प्रति गज की दर से प्रतिकर दिये जाने का आदेश दिया गया । प्राधिकरण द्वारा दायर की गयी प्रथम अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय ने 75.00 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से प्रतिकर भुगतान के आदेश दिये । प्राधिकरण की पल्लवपुरम आवासीय योजना के लिये 416.02 एकड़ भूमि वर्ष 1980 में अधिग्रहीत की गयी थी । इस योजना में जिलाधिकारी द्वारा प्रथम बेल्ट में 34.46 एकड़ भूमि तथा द्वितीय बेल्ट में 368.32 एकड़ भूमि का एवार्ड घोषित किया गया । इस एवार्ड में मुख्य सड़क से 100 गज की गहराई तक प्रथम बेल्ट निर्धारित करते हुए प्रतिकर की धनराशि रु० 30.00 प्रतिवर्ग गज घोषित की गयी तथा 100 गज की गहराई के बाद शेष भूमि के लिये द्वितीय बेल्ट निर्धारित करते हुए रु० 11.25 प्रतिवर्ग गज की दर से एवार्ड घोषित किया गया । इस एवार्ड से क्षुब्ध होकर भू-स्वामियों ने जिला न्यायालय मेरठ में सन्दर्भ योजित किये । जिला न्यायालय ने इन सन्दर्भों को निस्तारित करते हुए प्रथम बेल्ट में 33.45 एकड़ भूमि का प्रतिकर रु० 70.00 प्रतिवर्ग गज की दर से तथा द्वितीय बेल्ट में 369.38 एकड़ भूमि के लिये रु० 37.50 प्रतिवर्ग गज की दर से प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की गयी । जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलें दायर की गयी जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम बेल्ट के लिये 33.46 एकड़ भूमि का मुआवजा रु० 55.00 प्रतिवर्ग गज की दर से तथा द्वितीय बेल्ट के लिये 368.32 एकड़ भूमि का प्रतिकर रु० 30.00 प्रतिवर्ग गज की दर से निर्धारित किया ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की उपरोक्त योजनाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध भू-स्वामियों ने तथा प्राधिकरण ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकायें दायर की । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30-4-97 को इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निस्तारण करते हुए श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–1 में ग्राम दातल के लिये भूमि के प्रतिकर की धनराशि 85.00 रु० प्रति वर्ग गज की दर से भुगतान करने के आदेश दिये । इसी प्रकार श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–2 के अन्तर्गत नगलाताशी में भूमि के प्रतिकर की धनराशि रु० 175.00 प्रति वर्ग गज की दर से भुगतान करने के आदेश दिये । पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम पलेहड़ा की भूमि का मुआवजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रु० 85.00 प्रतिवर्ग गज की दर से भुगतान किये जाने का आदेश दिया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकर के साथ 30 प्रतिशत धनराशि सोलेशियम के रूप में 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि, कब्जे की तिथि से प्रथम एक वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा उसके भुगतान किये जाने की तिथि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भू-स्वामियों को दिये जाने का आदेश दिया है ।

प्राधिकरण ने कलेक्टर द्वारा घोषित एवार्ड के आधार पर सम्पत्तियों (भवनों एवं भूखण्डों) का समय-समय पर मूल्यांकन करके उन्हें आवंटियों को आवंटित किया । प्राधिकरण ने कलेक्टर द्वारा घोषित धनराशि एवार्ड घोषित होने के समय ही कलेक्टर कार्यालय में जमा करा दी थी । श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस-1 में मूल एवार्ड की धनराशि रुपये 1 करोड़ 28 लाख 38 हजार थी, इसी प्रकार श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–2 का मूल एवार्ड रुपये 15 करोड़ 4 लाख 89 हजार तथा पल्लवपुरम आवासीय योजना का मूल एवार्ड रुपये 6 करोड़ 57 हजार था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-4-97 के द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1997 तक ब्याज शामिल करते हुए प्रतिकर की धनराशि क्रमशः रुपये 8.49 करोड़, 100.28 करोड़ तथा 86.87 करोड़ हो जाती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकर की बढ़ी हुई धनराशि को आवंटियों से वसूल करने की व्यवस्था भी दी है इसलिये उन्हें आवंटित भूमि के समानुपात में वसूल किये जाने की नोटिस दिये गये । उपरोक्त आवासीय योजनाओं में आवंटियों को समय-समय पर जो भूखण्ड/भवन आवंटित किये गये थे उनमें सम्मिलित भूमि का मूल्यांकन कलेक्टर द्वारा घोषित एवार्ड पर आधारित था । इन योजनाओं में समय-समय पर आवंटित भवनों एवं भूखण्डों में सम्मिलित भूमि के मूल्यांकन एवं अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बढ़े हुए मूल्य का तुलनात्मक विवरण संलग्नक–I पर संलग्न है । इसी प्रकार इन योजनाओं में उच्च आयवर्ग, मध्यम आयवर्ग, निम्न आय वर्ग तथा दुर्बल आयवर्ग में प्रभावित आवंटियों का विवरण संलग्नक–II पर संलग्न है ।

विकास प्राधिकरण का गठन नगरों की आवासीय समस्या के समाधान के लिये लोगों को बिना लाभ-हानि के भूमि का अर्जन कर नियोजित ढंग से भवन एवं भूखण्ड दिये जाने के उद्देश्य से किया गया है । विकास प्राधिकरणों को इस कार्य के लिये सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है । भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमि के विकास में हुये व्यय एवं प्रतिकर की धनराशि सम्मिलित करते हुए भवन एवं भूखण्डों का मूल्य निर्धारित किया जाता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्णय के अनुसार ही प्रतिकर की बढ़ी हुई धनराशि आवंटियों से वसूल की जा रही है । मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा 150 करोड़ से इस वृद्धि को स्वयं वहन किया जाना सम्भव नहीं है ।।

संलग्नक–1

भवनों एवं भूखण्डों की कीमतों में वृद्धि का विवरण †

योजना का नाम	मूल्यांकन का वर्ष	पूर्व निर्धारित दर (रु० प्रति वर्गमीटर)	बढ़ी हुई नई दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) (31-7-97 तक ब्याज सहित)	दरों में कुल वृद्धि (रु० प्रतिवर्गमीटर)
1	2	3	4	5
पल्लवपुरम	1985	176.00	1035.74	859.74
	1988	375.00	1164.41	789.41
	1990	500.00	1281.98	781.98
	1991	600.00	1362.67	762.62
	1992	700.00	1443.37	743.37

† नोट वक्तव्य का उपरोक्त अंश भी पढ़ा हुआ माना गया ।

पल्लवपुरम	1993	800.00	1524.05	724.05
	1994	850.00	1564.40	714.40
श्रद्धापुरी फेस–1	1988	385.00	883.30	498.30
	1992	600.00	1027.13	427.13
	1994	840.00	1214.16	374.16
	1996	1200.00	1535.56	335.56
श्रद्धापुरी फेस–2	1991	600.00	1573.76	973.76
	1992	840.00	1761.46	921.46
	1995	850.00	1771.46	921.46
सैनिक विहार	1989	570.00	1553.51	983.51
	1992	700.00	1667.79	967.79
	1992	750.00	1717.79	967.79
डिफेन्स एन्क्लेव	1992	600.00	1761.37	1161.37

संलग्नक–11

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-4-97 द्वारा प्रतिकर में वृद्धि के फलस्वरूप बटोत्तरी से प्रभावित आवंटियों का विवरण†

सम्पत्ति का विवरण	प्रभावित आवंटियों का विवरण				
भवनों की श्रेणी	पल्लवपुरम योजना	श्रद्धापुरी योजना फेस–1	श्रद्धापुरी योजना फेस–2	सैनिक विहार	डिफेन्स इन्क्लेव
1	2	3	4	5	6
एच० आई०जी०	568	60	00	00	00
एम०आई०जी०	868	285	18	00	00
एल०आई०जी०	549	123	95	124	00
दुर्बल आयवर्ग	2416	538	270	1342	00
योग ..	4401	1006	383	1466	00
भूखण्ड की श्रेणी					
एच० आई०जी०	849	123	79	137	502
एम०आई०जी०	503	168	91	82	00
एल०आई०जी०	338	87	105	24	00
दुर्बल आयवर्ग	67	26	08	00	00
योग ..	1784	404	283	243	502

† नोट–वक्तव्य का उपरोक्त भी पढ़ा जाना गया।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों की गिरती स्थिति को सुधारने के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश में 6 राजकीय मेडिकल कालेज और एक लखनऊ ....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[विश्वविद्यालय के अन्तर्गत के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ स्थापित है। जहां कुल 930 एम बी० बी० एस० छात्र तथा 730 स्नातकोत्तर छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था है। 1697 जूनियर रेजीडेंट डाक्टरों को भी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा में कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध है।

एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा के लिये पिछले 3 वर्षों की स्थिति एवं वर्तमान वर्ष में औषधियों एवं अन्य सम्बन्धित मदों में व्यय हेतु उपलब्ध कराये गये बजट की स्थिति निम्नवत् है :---

वर्ष	औषधि	अन्य व्यय	लाख रुपये में योग
1994-95	48.00	30.60	78.60
1995-96	48.00	30.60	78.60
1996-97	48.00	30.60	78.60
1997-98	48.00	30.60	78.60

मेडिकल कालेजों में आने वाले मरीजों की संख्या घट नहीं रही है वरन दिन प्रतिदिन मेडिकल कालेजों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप आगरा मेडिकल कालेज में ही पिछले 3 वर्षों में इलाज किये गये रोगियों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :---

वर्ष	शैय्याओं की संख्या	रोगियों की संख्या	
		बाह्य	अन्तः
1994-95	976	147440	32176
1995-96	976	180565	46279
1996-97	976	181166	46639

उक्त से स्पष्ट है कि उपलब्ध मेडिकल कालेज स्टाफ एवं चिकित्सक स्टाफ की सहायता से आने वाले रोगियों को भरसक चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है और कालेजों में रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है।

इस संबंध में यह सूचित करना समीचीन है कि मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में राज्य के सीमित संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में अस्पताल में आने वाले रोगियों का इलाज किया जाता है और उन्हें उपर्युक्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक.....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[विश्वविद्यालय, कुमारगंज की स्थापना पूर्वांचल में कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नवीन शोधों के प्रचार/प्रसार के उद्देश्य को लेकर की गयी थी । शासन इस बात के लिये बराबर सचेष्ट है कि उक्त विश्वविद्यालय में जहां एक ओर पठन पाठन सुचारुरूप से चलता रहे वहीं दूसरी ओर शोध छात्रों एवं वैज्ञानिकों को शोध के लिये प्रोत्साहन दिया जाय । इसके लिये आवश्यक है कि शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान व सुविधा का सही उपयोग हो तथा विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बना रहे ।

2—कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में वर्तमान कुलपति के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से गम्भीर वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 7(2) के अधीन जांच कराई जा रही है । नियम 56 के अन्तर्गत ही श्री मित्रसेन यादव, श्री रामतेज यादव तथा श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी नोटिस के संबंध में दिनांक 24-7-97 को सदन में चर्चा हुई है जिसमें वर्तमान कुलपति के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराये जाने का निर्देश पीठासीन अधिष्ठाता द्वारा शासन को दिया गया है । जांच में दोषी पाये जाने पर ही कुलपति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । भ्रष्टाचार के मामले में जांच कराये जाने के प्रकरण में शासन की नीति पारदर्शी है । अतः किसी जाति विशेष के अधिकारियों को अनुचित संरक्षण दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

3—जहां तक विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के संदर्भ में तत्कालीन कुलपति के विरुद्ध जांच कराये जाने का प्रश्न है, मामले में सी० आई० डी० जांच प्रचलित है । कृषि विभाग द्वारा इस जांच को शीघ्र पूर्ण करने हेतु गृह विभाग से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है । इस संबंध में दिनांक 23 मई, 1997 को कृषि सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, गृह से इस जांच को अविलम्ब पूरा कराने का अनुरोध किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सचिव, गृह ने अपने पत्र दिनांक 16-6-97 द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग को तत्काल जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है । आशा की जाती है कि उक्त जांच रिपोर्ट यथाशीघ्र शासन को प्राप्त हो जायेगी । जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जायेगी ।

4—वर्तमान कुलपति द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरुद्ध चुनौती को स्वीकार कर अभियान चलाने की कोई ठोस जानकारी शासन को नहीं है ।]

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, कृषि कार्य के लिए 1992 में प्रश्न के संदर्भ में सी० बी० सी० आई० डी० में एक जांच शासन के द्वारा की गयी और आज तक उसमें किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं आयी है जबकि वर्तमान कृषि सचिव हैं यह कृषि सचिव महोदय और दो बार कृषि सचिव रह चुके हैं इस विषय में अनियमितता की गयी है । तत्कालीन कुलपति के द्वारा, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी । जांच वर्तमान शासन के द्वारा की गयी है और दूसरा मान्यवर, किस आधार पर वर्तमान सचिव ने वेतन आदि पर रोक लगाई । उसी तरह से तीस जुलाई को वित्त नियंत्रक महोदय ने वेतन नहीं दिया सात दिन रोके रहे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक विशेष व्यक्ति जो शासन का है, के कहने के बाद ग्रान्ट रिलीज की गयी है ।

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)—

जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जो बातें रखी गयी हैं उनकी जांच सी० आई० डी० से पहले से ही चल रही है माननीय सदस्य ने कृषि सचिव के बारे में कहा है कृषि सचिव ने प्रमुख सचिव

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गृह को शीघ्र जांच कराने के संबंध में 23 जुलाई, 1997 को पत्र लिखा उसके उपरान्त प्रमुख सचिव, गृह ने दिनांक 16-6-96 को अपराध अनुंधान द्वारा जांच कराने के लिये पत्र लिखा इसकी जांच शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, जिन बिन्दुओं के आधार पर पहले जांच सी० बी० सी० आई० डी० से हुई है इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है और उन्हीं बिन्दुओं को लेकर वर्तमान कुलपति से कोई संबंध नहीं है किन्तु उन्हें आरोपित करके दूसरी जांच की कैसे व्यवस्था की गयी है ?

उच्च न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश में कहा है कि जिन कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्ति हो गयी है, इनके समय में नहीं बल्कि पहले वाले कुलपति के समय में हुई है, सदन के सामने लिस्ट रखूं तो 300 नाम ऐसे हैं जो एक ही बिरादरी के नाम हैं लेकिन उसके बावजूद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उन कर्मचारियों को जब तक न्यायालय आदेश नहीं देता यह चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है वेतन दिया जायेगा। इसलिए किस आधार पर वेतन रोका गया है ? और वर्तमान कुलपति को इस दायरे में क्यों लाया गया है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जांच सी० आई० डी० से हो रही है। दूसरी बात का जवाब यह है कि वर्तमान कुलपति जो हैं उनके संबंध में यहां प्रश्न आया था तो उत्तर दिया था कि वर्तमान कुलपति जो हैं, गोली चली, हत्या हुई, इस सारे प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव, भारी उद्योग से कराई जा रही है।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं जाननां चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण वर्तमान कुलपति पर जांच कराई जा रही है। वर्ष 1992 से लेकर 1997 तक वर्तमान प्रमुख सचिव 3 बार कृषि सचिव रह चुके हैं लेकिन आज तक किसी सचिव ने उन कुलपतियों के कार्यकाल का हिसाब नहीं मांगा।

श्री अध्यक्ष–

वर्ष 1992 की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और 1997 मई में कृषि सचिव लिखते हैं कि गृह सचिव से जांच करा ली जाय। तो इतने कम समय में यह सब हो रहा है। इस नये कुलसचिव के लिए जांच पूरी हो गयी, यह क्या बात है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे कुलपति हो या और कोई अधिकारी हो यदि गलत काम किया है तो उसके खिलाफ जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, क्या मंत्री जी वहां की गम्भीर आरोपों और अनियमितताओं को देखते हुए, जोकि 1992 से लेकर आज तक काफी अनियमिततायें की गयी हैं, क्या सरकार इसकी सी० बी० आई० से जांच करायेगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

पहले जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है । अब इस पर.....

जनपद मुजफ्फर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मुजफ्फर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर.....

एक माननीय सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[विनाश लीला खेली गई । सैकड़ों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा आवासीय भवनों को ध्वस्त कर दिया गया । जिला प्रशासन ने नियमों एवं मान्यताओं के विपरीत बिना किसी सूचना के दिये अधिकांश विषमारी रात के समय को जिससे दुकानदारों की लाखों रुपये की सम्पत्ति या तो लूट ली गयी या क्षतिग्रस्त हो गयी । जनपद के मुजफ्फर नगर, शामली, कैराना, बुढ़ाना नगर तबाही के शिकार हुए हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के बुल्डोजर लगाकर ऐसी-ऐसी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, जो पचासों साल पुरानी थीं और जिनके नक्शे भी विधिवत् पास कराये गये थे । कैराना नगर में तो लगभग सौ वर्ष पुराने अस्पताल को भी ध्वस्त कर दिया गया । बरसात होने के बावजूद विषमारी का तांडव अभी भी चल रहा है । हजारों गरीब परिवार बेघर व बेरोजगार हो गये हैं । समस्त क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त है । यह एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

1—उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 से सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अतिक्रमण को संज्ञेप अपराध घोषित किया जा चुका है और उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अधीन अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम जनपद मुजफ्फर नगर में चलाया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन भवनों अथवा भवनों के उन हिस्सों को हटाया गया है, जो लोक निर्माण विभाग/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की सार्वजनिक सड़कों अथवा नालियों पर अतिक्रमण करके बनाये गये थे और जिस कारण सड़क काफी संकरी हो गयी थी एवं जन सामान्य को आवागमन तथा यातायात में अवरोध का सामना करना पड़ रहा था । सार्वजनिक/राजकीय सम्पत्ति पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से बताकर तथा सार्वजनिक रूप उद्घोषणा करके सूचना दे दी गयी थी और संबंधित विभाग द्वारा कई बार अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की मौजूदगी में मार्गों पर निशान लगाये गये थे । अतएव अतिक्रमण हटाने का कार्य सूचना देने के उपरान्त ही किया गया है ।

2—दुकानदारों की सम्पत्ति लूटे जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने की बात तथ्यों पर आधारित नहीं है । इसी प्रकार हजारों गरीब परिवारों के बेघर एवं बेराजगार होने की बात सत्य नहीं है, अपितु अधिकांश अतिक्रमण करने वाले तथा अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रशासन को सहयोग देते हुए अपने

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अवैध कब्जे और निर्माण स्वयं ही हटा लिये गये । जिन अवैध निर्माणकर्ताओं की पूरी दुकान सार्वजनिक भूमि पर से हटाई गई है, उनको वैकल्पिक दुकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है और मुजफ्फर नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बाजारों का निर्माण प्रगति पर है एवं दुकानों द्वारा पंजीयन राशि जमा करके पंजीयन भी करा लिया है ।

3—मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में जिस अस्पताल को ध्वस्त करने का उल्लेख है, उस भवन में न तो वर्तमान में कोई अस्पताल कार्यरत है और न उस भवन को गिराया गया है । भवन में कार्यरत अस्पताल अनेक वर्ष पूर्व अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुका है । प्रश्नगत भवन के आगे लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों को ही हटाया गया है । जहां तक रात के समय अतिक्रमण हटाने की बात है, केवल मुजफ्फर नगर में भगत सिंह मार्केट के निकट तुलसी पार्क एवं जी० टी० रोड पर सरवर चौराहे के पास अतिक्रमण रात में इस कारण हटाया गया कि यह मार्ग अत्यन्त संकीर्ण है और दिन में यह कार्यवाही करने में आवागमन मे जनता को अवरोध होता है । अतिक्रमण अभियान के दौरान ऐसा कोई निर्माण नहीं तोड़ा गया, जिसका मानचित्र स्वीकृत हो ।

4—मुजफ्फर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में सड़कों और नालियों पर किये गये अतिक्रमण को नियमों के अन्तर्गत पूर्व सूचना देकर जनता के सहयोग से हटाया गया है । यह कार्य योजनबद्ध तथा चरणबद्ध ढंग से नियमों एवं मान्यताओं के अन्तर्गत हुआ है, जिससे बड़े-बड़े अतिक्रमण और अवैध निर्माणकर्ता ही प्रभावित हुए हैं । इस अभियान से निर्धन तथा गरीब व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

5—इस कार्यवाही के संबंध में कतिपय शिकायतें शासन के संज्ञान में लायी गयी हैं । सम्यक् विचारोपरान्त इन शिकायतों की जांच आवास आयुक्त द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है । जांच आख्या शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया जा चुका है ।।

जनपद प्रतापगढ़ की सीमा प्रारम्भ होने के स्थल से इलाहाबाद प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा उक्त मार्ग की मरम्मत के नाम पर किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 35 मा० मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों को किसी अन्य आरक्षित वर्ग से भरने के आदेशों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मा० सदस्य ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों.....

एक मा० सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[के लिए आरक्षित कोटे के पदों को दूसरे आरक्षित वर्गों से भर दिये जाने के कारण जनजातियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं ।

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए क्रमशः 21,2 तथा 27 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे । उक्त अधिनियम की धारा–3 (7) के अन्तर्गत 10 अक्टूबर, 1994 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में भी क्रमशः 21 व 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है । अधिनियम की धारा–3(2) एवं (3) की व्यवस्था के अनुसार यदि भर्ती के किसी वर्ष के संबंध में किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियत रिक्तियां न भर पायी जायं तो उन रिक्तियों को संबंधित आरक्षित वर्ग से भरने के लिये यथाआवश्यक तीन बार विशेष भर्ती की जायेगी । परन्तु यदि तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भरी जायेगी । स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुमन्य आरक्षण नियतांश को पूरा करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था अधिनियम में की गयी है । यदि उसके पश्चात् भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तभी अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने की व्यवस्था है ।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य आया है उसका सारांश यह है कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित पद होते हैं उन पदों पर तीन बार भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है । यदि तीन बार में पद नहीं भरे जाते हैं तो अगली बार उसको दूसरी आरक्षित श्रेणी से भर दिया जाएगा । मैंने यह कहा था इसको वाइस वर्सा तो नहीं किया । यह जो एक्ट के अन्दर विसंगति है इस विसंगति को दूर करने की कार्यवाही मंत्री जी करेंगे । दूसरे मैंने यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि इस तरह की व्यवस्था पहले भारत सरकार ने की है । भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह व्यवस्था की है कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित पद तब तक डिरिजर्व नहीं हो सकते जब तक उसको डिनोटीफाइड न किया जाए । मेरी निश्चित जानकारी है कि आज कल इसका दुरुपयोग हो रहा है । जब भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसका बैकलाग बनाया जाना चाहिए जब तक अभ्यर्थी न मिले तब तक उसको संचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चीज स्पष्ट करना चाहते हैं ?

श्री मुन्ना चौहान–

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद को अनुसूचित जाति के भरने की व्यवस्था वक्तव्य में कही गई है । भारत सरकार का स्पष्ट नोटीफिकेशन है कि उसको

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डिरिजर्व नहीं किया जा सकता । बैकेंसी को कैरी फारवर्ड करेंगे ताकि भविष्य में जब योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं तब उसको भरा जाए । क्या इसकी व्यवस्था प्रदेश में करेंगे ।

महिला कल्याण बाल विकास मंत्री (श्री हरी किशन)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि नियम यह है कि तीन बार विशेष भर्ती के समय यदि अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उसके उपरान्त जो वह रिक्त स्थान है वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भरा जाएगा । अन्य जाति से नहीं भरा जायेगा । यह भी एक तरह से सावधानी की गई है । केन्द्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यदि जनजाति का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो वह स्थान रिक्त ही रहेगा परन्तु जो उत्तर प्रदेश शासन की व्यवस्था है वह स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के उत्तर में आ गई है यदि जनजाति का व्यक्ति नहीं मिलता है । तो व्यवस्था का उल्लेख कर दिया गया है । तीन बार उसकी प्रतीक्षा की जायगी उसके बाद भी भरा जायेगा तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति से ही भरा जायेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि अगर जनजाति का व्यक्ति नहीं मिला तो अनुसूचित जाति से भरेंगे और अनुसूचित जाति का नहीं मिला तो क्या वाइस वर्सा लागू करेंगे या फिर जनजाति से भरेंगे ?

श्री हरी किशन–

यह आपकी केवल कल्पना है कि जनजाति का व्यक्ति नहीं मिला तो अनुसूचित जाति से भरेंगे । इसका कोई उत्तर नहीं है यह मात्र कल्पना है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय सदस्य को मालुम है कि अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस पद को कैरी फारवर्ड करते हैं ।

मेरठ जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन के दूर करने हेतु उद्योगपुरम औद्योगिक स्थान पर दिल्ली, आगरा एवं मथुरा से स्थानान्तरित उद्योगों को एक पैकेज के तहत मेरठ में स्थापित कराये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ताज ट्रेम्पेजियम क्षेत्र के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[की कोल पर आधारित औद्योगिक इकाइयां जो गैस लेने की स्थिति में नहीं हैं तथा "नो गैस जोन" की औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र स्थापित किये जाने के संबंध में उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, कानपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक जनपद मेरठ के औद्योगिक आस्थानों का संबंध है, उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम ने मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ दिल्ली, मार्ग, परतापुर के समीप उनकी शताब्दी नगर परियोजना के अन्तर्गत औद्योगिक उपयोग हेतु आरक्षित 96.436 एकड़ भूमि ली है । निगम द्वारा प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त विकास कार्य पूर्ण हो चुका है । उद्योगपुरम में कुल 264 भूखण्ड

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(क्षेत्रफल 70.14 एकड़) विकसित किये गये हैं, जिसमें से 97 भूखण्ड का आवंटन हो चुका है और 30.29 एकड़ कुल क्षेत्रफल पर 167 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है, जिसका आवंटन प्रगति पर है। आवंटियों को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु दी जाने वाली समय सीमा समाप्त नहीं हुई है और दो आवंटियों ने निर्माण कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है। इन औद्योगिक क्षेत्र में अन्य आवंटियों द्वारा निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, इसमें आप कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में माननीय मंत्री जी से "नो गैस जोन" की औद्योगिक इकाईयों को अन्यत्र स्थापित करने के लिए आकर्षक पैकेज देने का विचार करेंगे ? इस संबंध में माननीय मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं है। क्या मेरठ की बेरोजगारी दूर करने के लिये "नो गैस जोन" के विस्थापित उद्योगों का मेरठ में स्थापित करने के लिए यू० पी० एस० आई० डी० सी० से अनुरोध करने की कृपा करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

हम तो मान्यवर, चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का औद्योगीकरण हो। हम आगरा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जहां तक मेरठ की बात है तो मेरठ में हमने उद्योगपुरम की स्थापना कर दी है और 264 भूखण्ड विकसित किये गये हैं, 97 भूखंडों का आवंटन हो चुका है और 167 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं, उनका आवंटन चल रहा है।

लोअर एवं अपर आगरा कैनाल तथा मांट ब्रांच की पटरियां टूटने तथा अन्य खामियों के कारण किसानों को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मांट ब्रांच गंगा नहर, अपर आगरा नहर एवं लोअर आगरा कैनाल आगरा के अधिकारियों द्वारा किये गये सरकारी धन के.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[के दुरुपयोग एवं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से कराये जाने के आदेश दिनांक 10-6-97 को दिये गये। मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने इस संबंध में अपनी जांच आख्या अपने पत्र संख्या–1159 सी० टी० ई०/27–सी–1239–ए/97 दिनांक 25-7-97 को शासन को भेजी है। प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में उन्होंने सिल्ट की सफाई कराने, संदिग्ध माप पर भुगतान करने मिट्टी की माप अधिक अंकित करने, गलत मापी के आधार पर भुगतान किये जाने आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही करने की संस्तुति की है। प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2–आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा ने दिनांक 21-4-97 को एक पत्र अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ को लिखी था जिसमें अधिशासी अभियन्ता मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के तथाकथित

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रूप से सामान्यतः अपने मुख्यालय पर न रहने की बात कही गयी थी, जिसके संबंध में प्रमुख अभियन्ता से जांच कर आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुयी है ।

3–उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मामले में शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । अतः मा० विधायक का यह कहना है कि सिंचाई मंत्री जी कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।]

इलाहाबाद क्लाइव रोड स्थित "सिटिल फोक्स स्कूल" के मध्य सत्र में बन्द कराए जाने में उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, श्री राजाराम पाण्डेय, विधायक द्वारा 40 साल पुराने प्रश्नगत स्कूल को 31 जुलाई, 1997 को डी० आई० जी० इलाहाबाद के दवाव में आकर.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[इन्सपेक्टर, सिविल लाइन द्वारा बन्द कराने के आरोप लगाते हुए मध्य सत्र में उक्त स्कूल के बच्चों की पढ़ाई अध्यापिकाओं/कर्मचारियों के सामने जीविका का संकट आदि के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद तथा जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के अवगत कराने का निर्देश दिया गया था ।

प्राप्त आख्याओं से निम्नांकित तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हुई है :–

(1) प्रश्नगत स्कूल जिस भवन में स्थित है, उसका नया नं० 17 (पुराना नं० 15) है । उक्त भवन क्लाइव रोड, इलाहाबाद में स्थित है ।

(2) प्रश्नगत भवन के मालिक श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद हैं ।

(3) जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1958 में पारित आदेश के अनुसार उक्त भवन श्रीमती एच० एस० ग्रीनबुल्ड पत्नी श्री एन० ग्रीनबुल्ड, नि०–64 लूकरगंज इलाहाबाद को आवंटित किया गया था ।

(4) श्रीमती ग्रीनबुल्ड उक्त भवन में प्रश्नगत स्कूल चला रही थीं ।

(5) दिनांक 23-7-97 को श्रीमती ग्रीनबुल्ड ने उक्त स्कूल के संचालन हेतु श्री अनुपम मिश्र, नि०–इलाहाबाद को नियुक्त किया ।

(6) दिनांक 29-7-97 को श्रीमती ग्रीनबुल्ड द्वारा उक्त मकान भवन के स्वामी श्री महेश चन्द्र अग्रवाल को सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में कथित तहरीर देना बताया गया ।

(7) इस प्रकार प्रश्नगत भवन के कब्जे को लेकर श्री महेश चन्द्र अग्रवाल व श्री अनुपम मिश्र के मध्य श्रीमती ग्रीनबुल्ड द्वारा दोनों व्यक्तियों के पक्ष में कथित परस्पर विरोधी तहरीरों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ ।

(8) प्रभारी निरीक्षक, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद ने जिला मजिस्ट्रेट, को इस संबंध में तथ्यात्मक आख्या दिनांकित 31-7-97 प्रस्तुत की, जो जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 4-8-97 को प्राप्त हुई । संदर्भित पुलिस आख्या पर अपर जिलाधिकारी (नगर) ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट (नगर) द्वितीय को समस्त घटनाक्रम की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करके एक सुस्पष्ट आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(9) श्रीमती पी० लेमेक पुत्री श्री ग्रीनबुल्ड ने पत्र दिनांकित 9-8-97 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रश्नगत स्कूल को बन्द कराने के संबंध में कथन लिये गये हैं ।

(10) प्रश्नगत स्कूल दिनांक 31-7-97 को बन्द बताया गया है । कार्यकारी मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किये जायेंगे ।]

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के निराकरण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, प्रदेश में लगभग 17 हजार प्राइमरी तथा 16,893 उच्च प्राथमिक विद्यालय निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा विभाग से मान्यता प्राप्त कर संचालित है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं वेतन भुगतान आदि के संबंध में नियमावली में प्राविधान किया गया है । निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करते समय इस बात की स्पष्ट शर्त रखी जाती है कि वे इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विभाग द्वारा निर्धारित वेतन एवं सुविधायें उपलब्ध करायेंगे । मान्यता की शर्तों एवं अन्य विभाग के निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की व्यवस्था है ।

अनुदान सूची पर लिये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध मे उ० प्र० वेतन वितरण अधिनियम, 1978 के अधीन वेतन भुगतान किया जाता है ।

वर्ष 1984 से वर्ष 1996-97 तक कुल 898 जूनियर हाई स्कूल अनुदान सूची पर लिये गये हैं । प्रदेश में लगभग 2900 जूनियर हाई स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त है जो अनुदान सूची पर नहीं हैं । एक जूनियर हाई स्कूल को अनुदान सूची पर लिये जाने में एक वर्ष में लगभग 5 लाख रुपये का व्यय आता है । ऐसी स्थिति में शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में सभी जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है ।

उल्लेखनीय है कि निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल में परिवार नियोजन तथा विशेष वेतन देने की, सामूहिक जीवन बीमा व विकलांग भत्ता देने की व्यवस्था सम्प्रति नहीं है । मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति करने की व्यवस्था अनुमन्य करा दी गयी है । प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा भी उपलब्ध है परन्तु विशेष यात्रा अथवा ऋण की कोई सुविधा नहीं है । निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापकों को जिन्हें राष्ट्रपति अथवा राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उन्हें सेवा में दो वर्ष का विस्तरण दिये जाने की व्यवस्था है ।

जहां तक आगरा महानगर में मानिक चन्द्र जूनियर हाई स्कूल, जगदीशपुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही का प्रश्न है, इस संबंध में नियमानुसार जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी । निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व निजी प्रबंधतंत्र का है ।

बेसिक शिक्षा की व्यवस्था का चुस्त-दुरुस्त एवं फलपरक बनाने की दशा में शासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है असेवित बस्तियों में जहां विद्यालयों की आवश्यकता है और वहां पर निजी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय संचालित नहीं है वहां प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं जिसके फलस्वरूप 6–11 वय वर्ग में शिक्षक सत्र 96-97 में 184 लाख बच्चे विद्यालयों में पंजीकृत हैं और 11–14 वय वर्ग में 69 लाख बच्चे पंजीकृत हैं । शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालयों के पाठ्यक्रम में यथा आवश्यक संशोधन कक्षा–3 से वर्तमान शिक्षा सत्र में संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का शिक्षण, पंचाग का निर्माण, विद्यालय परिवेश को सुसज्जित किया जाना, नैतिक शिक्षा एवं मूलपरक शिक्षा प्रदान करना तथा अध्यापकों को रुचिपूर्ण शिक्षा में प्रशिक्षित कर सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को समग्र रूप में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु शासन प्रयत्नशील है ।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के नाम पर की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री नवाब सिंह नागर द्वारा विधान सभा में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में नोयडा से प्राप्त की गयी सूचना ...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[के अनुसार स्थिति निम्नवत् है । नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकर का गठन औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत वर्ष 1976 में किया गया । उक्त गठन के समय तक प्राधिकरण हेतु अधिसूचित भूमि विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के आवासीय उपयोग हेतु क्रय की जा चुकी थी । इन समितियों ने शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने का विरोध किया एवं प्रत्यावेदन दिए जिन पर विचार करते हुए तत्कालीन आवास आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश श्री बी० के० खोदाई जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी । गठित समिति में विभिन्न सहकारी समितियों के कार्यकर्ता भी सदस्य थे । उपरोक्त के सम्बन्ध मे विभिन्न बैठकों के उपरान्त आपसी सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अर्जित भूमि का अधिकतम 40% तक भूमि विभिन्न सहकारी समितियों के ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 1-5-76 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे, को आवंटित कर सकता था । इसके अन्तर्गत विभिन्न 11 समितियों के सदस्यों को भूमि आवंटित की गयी । केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० ने उपरोक्त निर्णय का विरोध करते हुए भूमि अर्जित किये जाने के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की, जिसमें सफलता न मिलने पर मा० उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दायर की जो खरिज हो गयी । जिसके उपरान्त समिति ने प्राधिकरण को आवंटन हेतु अनुरोध किया । इसी सन्दर्भ में समिति के पत्र दिनांक 30-4-94 पर कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 12-8-94 द्वारा आवंटन की सूचना दे दी ।

प्राधिकरण द्वारा सचिव केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० को आवंटन के सम्बन्ध मे भेजे गये पत्र दिनांक 12-8-94 में यह उल्लेख किया गया कि समिति के केवल ऐसे सदस्य ही आवंटन हेतु अर्ह होंगे, जिन्होंने दिनांक 27-2-88 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर ली थी । दिनांक 27-2-88 के औचित्य का आधार समिति की भूमि अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को माना गया था । समिति के सभी सदस्यों को अर्जित की गयी कुल भूमि के अधिकतम 40% में से ही भूमि आवंटित की जानी थी । इसी पत्र के क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22-2-95, 28-2-95 एवं 1-3-95 को समिति द्वारा सूचित 1754 सदस्यों को आवंटन पत्र जारी किये गये । आवंटन पत्र जारी करने के समय तक इन सदस्यों द्वारा तत्कालीन

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रचलित भू-दर रुपये 1200/- प्रति वर्गमीटर का 40% अर्थात् रुपये 840/- प्रति वर्गमीटर की दर से धनराशि जमा की गयी थी । शेष 60% धनराशि 10 छमाही किश्तों में ब्याज सहित ली जानी थी । जिसके अन्तर्गत इन आवंटियों से अभी तक देय तीन किश्तें प्राप्त की जा चुकी हैं ।

प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटन किये जाने के पश्चात् समिति के कुछ कथित सदस्यों द्वारा इस बात की शिकायत की गयी कि समिति द्वारा आवंटन प्राप्त करने से पूर्व काफी मात्रा में फर्जी सदस्य पंजीकृत कर आवंटन प्राप्त किया गया है । इस सम्बन्ध में जांच की गयी एवं यह पाया गया कि समिति ने गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर वास्तविक अर्जित की गयी भूमि के 40% से अधिक भूमि का आवंटन प्राप्त कर लिया तथा समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी भूमि भी सहायक जिला निबन्धक द्वारा प्रमाणित नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा समिति तथा उसके सदस्यों को दिनांक 8-7-97 को 30 दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । समिति तथा कुछ सदस्यों से उक्त नोटिस के उत्तर में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।]

प्रदेश के उत्तरांचल में भूस्खलन से तथा अति वृष्टि से हुई भारी तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जनपद चमोली में गैरसैण विकास खण्ड के अन्तर्गत कटाव से ग्राम मालकोट, लाटूगैर, टैटंडा, भाईधान, धामदेव एवं सिगली तथा कर्ण प्रयाग में प्राप्त....

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[सूचनानुसार लोगों का जीवन संकट में नहीं है । पिन्डर नदी में वर्षा के कारण जल स्तर अवश्य बढ़ा था परन्तु किसी भी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं है । इसी प्रकार कर्ण प्रयाग के आस-पास के ग्रामों में भी मृत्यु की कोई सूचना नहीं है । जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य सजग है ।

जनपद, पिथौरागढ़ में दिनांक 3-8-97 को भारी वर्षा से जौलजीवी पुलिस स्टेशन एरिया में काली नदी पर बना ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया तथा 12 मकान क्षतिग्रस्त हो गये । तहसील में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गये तथा 50 नाली, जमीन गोरी नदी के कटान से नदी में विलीन हो गयी । एक बच्ची की मृत्यु हो गई । राहत तथा बचाव कार्य जारी है ।

जनपद, टिहरी गढ़वाल के तहसील टिहरी के ग्राम खुरेत पट्टी व मुण्ड में दिनांक 2 व 3 अगस्त, 1997 को अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण 2 व्यक्तियों एवं 2 मवेशियों, ग्राम झकोगी मध्ये टंगर नायक तोक (पटवारी क्षेत्र बगीयाल) में 5 व्यक्तियों एवं ग्राम उनियाल गांव पट्टी सकलाना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुइ है । तहसील नरेन्द्र नगर के क्षेत्रान्तर्गत पट्टी कजणी के स्थान बेमण्डा में मोटर रोड स्थित नाले पर पानी बढ़ जाने से श्री विजय बहुगुणा, एस० बी० आई० कर्मचारी चम्बा तथा श्री रमेश लाल चौधरी कर्मचारी आयुर्वेदिक वन वाटिका चम्बा, नाले को पार करते समय नाले में पानी बढ़ने के कारण बह गये । दोनों कर्मचारी मोटर साइकिल पर सवार थे ।

जनपद-पौड़ी गढ़वाल में दिनांक 02-08-97 को ग्राम डानाखेत मलनिया पट्टी अजमीर बल्ला में अतिवृष्टि के कारण मकान गिरने से एक पशु की मृत्यु हो गई है ।

जिलाधिकारियों द्वारा प्रभावित परिवारों में अनुग्रह अनुदान, गृह अनुदान एवं अहेतुक सहायता का वितरण किया जा रहा है । प्रत्येक जिलाधिकारी को 12.10 लाख की धनराशि से धन की स्वीकृति की

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रत्याशा में कोषागार नियम–27 के अन्तर्गत धन का आहरण कर तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाय।

वर्षा/बाढ़/अतिवृष्टि/भूस्खलन आदि से प्रभावितों को तत्काल सुरक्षा एवं राहत प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 15-05-97 को समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों/समस्त सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिवों/सचिवों, पुलिस, पी०ए०सी०/सेना के अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में पुनः उत्तरांचल के समस्त जिलाधिकारियों को तत्काल दैवी आपदा की स्थिति में युद्धस्तर पर कार्यवाही करते हुए राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद महोबा के नगर क्षेत्र से सम्बद्ध ग्रामों की भूमि के ''रक्षा अनुसंधान एवं रेंज फैसिलिटी हेतु अधिगृहण के समय किये गये अग्रीमेन्ट को न मानने से उत्पन्न स्थिति के संबध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, ग्राम छिकहरा में रक्षा विकास की रेंज फैसिलिटी हेतु वर्ष 1989-90 में भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया बल्कि ग्राम छिकहरा की ...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[1314-01 एकड़ भूमि का अधिग्रहण विज्ञप्ति दिनांक 5-3-92 द्वारा किया गया। इसमें से 1222.18 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 16-4-95 को लिया गया। दिनांक 16-4-93 को ग्राम छिकहरा में ही 85.18 एकड़ भूमि का और कब्जा लिया गया, इस प्रकार छिकहरा की कुल–1307.36 एकड़ भूमि रक्षा विभाग के लिए अधिग्रहित की गयी थी। शेष 2.99 एकड़ भूमि ग्राम सभा की थी तथा 3.66 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल अधिक विज्ञापित हो गया था, जिसका बाद में संशोधन हो गया है। ग्राम फतेहपुर बजरिया, नथुपुरा में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की जानी है। ग्राम करहरा की भूमि के अर्जन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम छिकहरा में कृषकों की अधिगृहित भूमि का मुआवजा नियमानुसार रुपया 1,47,69,301-79 निर्धारित हुआ जिसमें से रुपया 1,46,22,874–85 वितरित हो गया है तथा रुपया 1,46426–94 की धनराशि वितरण हेतु शेष है , जो कि कृषकों के उपस्थित न होने के कारण वितरित नहीं हुई। यह धनराशि रेवेन्यू डिपाजिट के अन्तर्गत कोषागार, हमीरपुर में जमा है।

भूमि अधिग्रहण के समय प्रभावित किसानों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने तथा बाजार दर पर मुआवजा दिये जाने हेतु कोई एग्रीमेन्ट ग्राम छिकहरा के सम्बन्ध में नही हुआ है। यही स्थिति ग्राम नथुपुरा, फतेहपुर बजरिया तथा करहरा के सम्बन्ध में भी है। स्पष्ट है कि भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा अर्जित की गयी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावित परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दिये जाने हेतु कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है।]

(श्री अरिमर्दन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाह रहे हैं ?

श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूं कि जनपद-महोबा के ग्राम छिकहरा में जिन गरीब किसानों की जमीनें ली गयी हैं जो कि अत्यन्त गरीब किसान हैं उनके बच्चों परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी ? क्योंकि महोबा अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है यहां के लोग

अपना पेट पालने के लिये दिल्ली जाते हैं लेकिन काम न मिलने के कारण पुनः वह अपने गांव लौट आते हैं तो जिनकी जमीनें ली गयी है उनको सरकार नौकरी देगी तथा क्या उनकी जमीनों का उचित मुआवजा सरकार देगी ? इसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है वक्तव्य में इसलिये इन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री (श्री हरी किशन)–

मान्यवर, जो सूचना थी उसके अन्तर्गत आपका कथन था कि भूमि अधिग्रहण के समय प्रभावित किसानों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने तथा बाजार दर पर मुआवजा दिये जाने का एग्रीमेन्ट हुआ था ।

इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य भी आ गया है कि ऐसा कोई एग्रीमेन्ट शासन में और उन किसानों के बीच नहीं हुआ है क्योंकि जो अधिग्रहण होता है, वह सरकार करती है और अधिग्रहण करने के बाद जमीन रक्षा विभाग को दे दी गई । रक्षा विभाग का ऐसा कोई एग्रीमेन्ट नहीं है, इस कारण न यह सम्भव है और न यह कोई आश्वासन दिया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दी जायगी । मुआवजे के लिये भी नियम बने हैं, उसके अनुसार उनका मुआवजा दिया गया है ।

जनपद गढ़वाल के कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरसात से मोटर मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–44 स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश में टेन्ट एवं डिकोरेटर व्यवसायियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

भारत के संविधान के छियालिसवें संशोधन के द्वारा बिक्री की परिभाषा में किसी वस्तु के....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण से सम्बन्धित व्यवहार को शामिल किया गया है । इस संशोधन के आधार पर दिनांक 13-9-85 से उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-च के अन्तर्गत माल के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर कर लगाने की व्यवस्था की गयी थी । दिनांक 1-5-87 से वातानुकूलित संयंत्र, मोटर यान अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित मोटर यान (मोटर वेहिकिल्स) जिसके अन्तर्गत मोटर यान का चेसिस भी है, संयंत्र और मशीन जिसके अन्तर्गत क्रेन भी है तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रानिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स जिसके अन्तर्गत उनके यन्त्र, साधित्र और उपकरण भी है, के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर 4 प्रतिशत की दर से लगाया था, अगर व्यापारी की वार्षिक बिक्री एक लाख रुपये से अधिक हो । दिनांक 1-3-97 से सभी वस्तुओं के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है, यदि व्यापारी की वार्षिक बिक्री एक लाख रुपये से अधिक हो । इस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 1-3-97 से टेन्ट हाऊस, लाईट डेकोरेटर्स, पंडाल इत्यादि के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण करने पर प्राप्त होने वाली धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय हो गया है ।

माननीय विधायक जी द्वारा प्रेषित सूचना में टेन्ट डेकोरेटर व्यवसाइयों द्वारा लगाये गये व्यापार-कर के स्थान पर समाधान योजना लागू करने की मांग प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख करते हुए पूरे प्रदेश के व्यवसाईयों द्वारा अनिश्चित कालीन तथा प्रभावी हड़ताल पर रहने की बात लिखी गयी है तथा उत्तर

प्रदेश में व्यापार कर के स्थान पर समाधान योजना लागू करने की घोषणा करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये सेवा कर के स्थान कर समाधान योजना लागू करने के लिए पत्र भेजने की मांग की गयी है ।

जहां तक व्यापार-कर के स्थान पर समाधान योजना लागू किये जाने का प्रश्न है, समाधान राशि व्यापारी द्वारा देय व्यापार-कर की धनराशि के विकल्प में ली जाती है अतः यह राशि व्यापारी की टर्नओवर तथा उस पर देय व्यापार-कर पर निर्भर करती है । समाधान योजना वैकल्पिक योजना होती है तथा व्यापारी को यह विकल्प होता है कि वह इस समाधान योजना में भाग ले अथवा नहीं । टेन्ट एवं डेकोरेटर व्यवसाईयों द्वारा अभी तक समाधान योजना लागू करने तथा समाधान धनराशि निर्धारित करने के आधार के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है जबकि पूर्व में उनके प्रतिनिधियों से समाधान धनराशि निर्धारित करने के आधार सहित समाधान योजना लागू करने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव देने की बात कही गयी थी ।

सूचना में व्यापार-कर के विकल्प में समाधान योजना लागू न करने के कारण पूरे प्रदेश के टेन्ट एवं डेकोरेटर व्यवसाइयों के अनिश्चित कालीन तथा प्रभावी हड़ताल पर होने का उल्लेख है, शासन तथा कमिश्नर व्यापार-कर कार्यालय में इस प्रकार के हड़ताल की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सूचना में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये सेवा कर के सम्बन्ध में समाधान योजना लागू करने का पत्र भेजकर हड़ताल को समाप्त कराने की मांग की गयी है, शासन तथा कमिश्नर व्यापार-कर के कार्यालय में टेन्ट तथा डेकोरेटर व्यवसाइयों के हड़ताल पर जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है । केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं पर जो सेवा कर लगाया गया है उसके सम्बन्ध में निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा भी लिया जा सकता है । ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । वक्तव्य में कहा गया कि टेन्ट-डेकोरेटरर्स का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि 22 तारीख को दिन में 2 बजे उनके प्रतिनिधियों ने आपसे वार्ता की थी और अपना एक लिखित प्रस्ताव उन लोगों ने आपको दिया था, उसकी कापी मेरे पास है । आपने यह भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि उनकी कोई हड़ताल चल रही है । मैं बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त को एक भी कुर्सी-शामियाना मिलने की स्थिति नहीं है ।

तीसरी बात जानना चाहता हूं कि हमारे यहां विभाग में व्यापार-कर और समाधान योजना दोनों लागू है, मंत्री जी इतना आश्वस्त कर दें कि यह सरकार टेंट-डेकोरेटर व्यवसाय के क्षेत्र में कंपाउंड स्कीम लागू करने को तैयार है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय बाजपेयी जी ने प्रश्न किया है । हमारी व्यापारियों से पहले भी बात हो चुकी है और मैंने कहा कि अगर आप लोग व्यवस्था दें तो हम लोग व्यवस्था करें । हम यह चाहते हैं कि उनकी एसोसियेशन कोई अच्छा प्रस्ताव दे तो हम समाधान योजना लागू करा देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो टेन्ट-डेकोरेटर्स का काम करने वाले लोग हैं, उन पर 4 प्रतिशत का व्यापार कर लगाया गया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस कारण से जो उनकी हड़ताल चल रही है, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी प्रदेश में इस तरह की 4 प्रतिशत व्यापार कर लागू है ? मान्यवर, इसी तरह का एक शुल्क हरियाणा प्रदेश में लागू किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ है कि यह बिक्री की परिधि में नहीं आता है । यह लोग तो अपना

सामान किराये पर देते हैं और कुछ देर के लिये देते हैं, उसके बाद स्वयं ही अपना सामान उठवा लेते हैं, इसको बिक्री की परिधि में न माना जाय । स्वयं माननीय मंत्री जी व्यापारी हैं । जो लोग किसी तरह 25 हजार, 50 हजार, एक लाख रुपया ऋण लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं, इससे उनका बड़ा अहित हो रहा है । यह जो 4 प्रतिशत व्यापार कर लगाया गया है, इसको मंत्री जी समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, यह कर संशोधन के आधार पर दिनांक 13-9-85 से उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ख के अन्तर्गत माल के प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर कर लगाने की व्यवस्था की गयी थी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न बड़ा सीधा है, क्या व्यापार कर समाप्त करने की पहल करेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यदि व्यापारी हैं तो पहले जानने की कोशिश करें कि बिक्रीकर और व्यापार कर कहां लगता है ? यह टेन्ट तो केवल किराये पर जाता है तो जो व्यापार कर में नहीं आता है उसके ऊपर व्यापार-कर कैसे लागू किया जा रहा है ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ सदस्य भलीभांति जानते हैं और मैंने यह वितरण भी किया है इसमें लिखा हुआ है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह बहुत बड़ी विडम्बना है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी बता दें कि आपने कभी टेन्ट हाउस खरीदा है कभी अपने घर पर शामियाना खरीदकर लगवाया है, आपके घर पर भी समारोह हुए होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी, बहुत छोटा सा सवाल है स्पष्टीकरण के रूप में है कि यह जो टेन्ट और डिकोरेटर के व्यवसायी है यह किसी चीज की बिक्री नहीं करते हैं केवल किराये पर देते हैं तो व्यापार-कर क्यों लगाया जा रहा है, क्या इसको व्यापार-कर से मुक्त करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, यह राइट टू यूज में आता है । मान्यवर, संशोधन जुटाने की आवश्यकता है और पहले से इसकी व्यवस्था है । मैंने माननीय बाजपेयी जी को यह भी कहा कि हम पूरा-पूरा सहयोग करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने उपयोग को बिक्री की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, यह बिक्रीकर में नहीं आता है व्यापार-कर में आता है ।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधूरे विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, इस संबंध में आपके संज्ञान में...

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[लाना है कि इस उपकेन्द्र पर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है । फेंसिंग तथा बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है । उपकेन्द्र के लिये आंशिक सामग्री आवंटित कर दी गयी है, जिसमें मुख्यतः स्ट्रक्चर्स, 132 के वी सीटी तथा एलए का आवंटन सम्मिलित है । 132 केवी आजमगढ़ फूलपुर लाइन में 97/120 फाउन्डेशन एवं 72/120 टावर इरेक्शन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । परिषद् की आंतरिक संसाधनों की विषय परिस्थिति के कारण इस कार्य हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की जा सकी है परिणाम स्वरूप कार्य अवरुद्ध है । शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग रु० 600 लाख धनराशि की आवश्यकता होगी ।]

हरदोई जिले के संडीला कोतवाली के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपहृत कर हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मद संख्या –47

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, दिनांक 20-7-1997 को.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[रात्रि में 8.00 बजे सईद अहमद पुत्र मुन्ने अंसारी निवासी मोहल्ला अशरफ टोला कस्बा व थाना संडीला अपनी दुकान बन्द करके अपने दोस्त बज्मी के साथ पेट्रोल पम्प से पेट्रोल भरवाकर मोटर साईकिल से संडीला से चले गये और किसी होटल पर उन्होंने कुछ खाया पिया । रात्रि के करीब 11.00 बजे टेलीफोन पर सईद के पिता श्री मुन्ने अंसारी को यह सूचना दी गयी कि 2.00 लाख रु० लेकर कुरना रोड पर दिन में 11.00 बजे चले आओ नहीं तो उसके पुत्र सईद को खत्म कर दिया जायगा । इस सूचना पर श्री मुन्ने अंसारी एवं उसके साथ कुछ लोग अपने तरीके से दि० 21-7-97 को कुरना रोड पर पहुंचे । वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला । सईद के साथी बज्मी के घर पर पूछताछ करते हुए मृतक सईद के पिता स्वयं भी रिश्तेदारियों में सईद की तलाश करते रहे ।

दिनांक 22-7-97 को सर्वप्रथम दिन में 12.15 पर मृतक के पिता श्री मुन्ने अंसारी द्वारा उक्त घटना की लिखित सूचना थाने पर दी गयी जिस पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या–143/97 धारा 365 भा० द० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी नकल वादी को दे दी गयी ।

अभियोग पंजीकृत करते ही अपहृत सईद अहमद की तत्परता से पुलिस तलाश करने लगी और उसके साथी बज्मी की तलाश हेतु उसके घर पर तथा उसकी रिश्तेदारियों में एवं सम्भावित स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गयी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 24-7-1997 को प्रातः लगभग 5.00 बजे ग्राम आसू सराय, संडीला के पास भूमि सुधार भवन के पीछे एवं पानी के गड्ढे में अपहृत सईद की लाश मिली । लाश जिस स्थान पर मिली वहां पर कोई ढांचा नहीं है । लाश की शिनाख्त उसके परिवार वालों द्वारा की गयी ।

लाश का पंचनामा भरते समय ही यह सूचना मिली कि संडीला चौराहे पर जनता ने सड़क जाम कर दी है । इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक एवं परगना मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे । उत्तेजित भीड़ को यह बतलाया गया कि मुल्जिम पकड़ा गया है । अतः जाम खोल दिया जाय । लेकिन भीड़ में स० पा० समर्थकों द्वारा अचानक मारपीट शुरू कर दी गयी और चारों तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया । भीड़ द्वारा थाना व चौकी की दीवारों को क्षतिग्रस्त किया गया तथा सरकारी कागजात, फर्नीचर एक मोटरसाइकिल एवं 4 साइकिलों को भी जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया । इसके अतिरिक्त अजीज प्रधान के मकान के अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया तथा अराजक तत्वों द्वारा मजहर हुसैन के ढाबे पर पहुंचकर तोड़–फोड़ की गयी ।

पुलिस ने इस दौरान कहीं भी कोई गोली नहीं चलायी । जनता का कोई भी आदमी पुलिस के बल प्रयोग से जख्मी नहीं हुआ । न पुलिस के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया बल्कि पथराव में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चोटे आयी हैं । इस घटना में अमरनाथ सिंह, प्रभारी निरीक्षक, संडीला की बायीं आंख, बायीं पसली व पैर में चोट आयी है । कां० वीरेन्द्र सिंह चौहान, राम खिलावन वर्मा, राजेश्वर प्रसाद दुबे, सुनील कुमार पाण्डे एवं वासुदेव को भी चोटें आयी हैं । जनता के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस द्वारा पीटे जाने की कोई सूचना थाने पर दर्ज नहीं करायी है ।

उपरोक्त घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या–144/97, 144ए/97, 144बी/97, 144सी/97 एवं 144डी/97 पंजीकृत हुए हैं । इन पंजीकृत अभियोगों की विवेचना क्षेत्राधिकारी, संडीला के निकट पर्यवेक्षक के प्रभारी निरीक्षक, बेनीगंज द्वारा करायी जा रही है । समस्त मुकदमों में कुल 24 अभियुक्त गिरफ्तार किए गये हैं । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । मुकदमा अपराध संख्या–143/97 धारा–365 भा० द० वि० धारा–302/201 भा० द० वि० में दिनांक 24-7-1997 को ही तरमीम कर दिया गया है । इस मुकदमें में नामजद अभियुक्त बज्मी को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं मृतक की मोटर साइकिल भी बरामद हो चुकी है ।

यह कहना गलत है कि अपहरणकर्ता/अभियुक्त स्थानीय विधायक के रिश्तेदार हैं । यह भी कहना गलत है कि ब० स० पा० विधायक के इशारे पर स० पा० कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत करके उत्पीड़न किया जा रहा है । वास्तविकता यह है कि जिन व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ आगजनी की घटना की गयी उन्हीं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है । पुलिस द्वारा किसी को भी अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया गया और पुलिस द्वारा किए गए मामूली बल प्रयोग से जनता को कोई भी आदमी घायल नहीं हुआ है । स्थिति पूर्णतः सामान्य है ।]

नरेन्द्र सिंह भाटी सदस्य, विधान सभा की गिफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष–

सदन को कुछ सूचनाएं देनी है ।

जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने अपने फैक्स संदेश दिनांक 13-8-97 द्वारा सूचित किया है कि श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर) को आज दिनांक 13 अगस्त, 1997 को अपराह्न लगभग 13.50 बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–151/160/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जिला कारागार बुलन्दशहर में निरुद्ध किया गया है ।

बबराला काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज श्री अम्बिका चौधरी ने बबराला कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सदन की विगत कार्यवाही 21 जुलाई, से संबंधित है । अध्यक्ष पीठ से यह निर्देश दिया गया था कि बबराला कांड के बारे में जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाये ऐसा उनका कहना था । मैंने 21 जुलाई की कार्यवाही को निकाल कर देखा अध्यक्ष पीठ से यह कहा गया–

यह विषय संवेदनशील है, जांच अच्छी तरह से हो, विस्तार से हो इसकी अपेक्षा हमको, आपको सब लोगों को है, यह सदन का अभी तक का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ है वह 12 अगस्त तक का है, 7, 8, 9, 10 को सदन की बैठक नहीं है चार दिन के अवकाश का लाभ भी मिल जायें इसलिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि सदन की जांच की प्रगति से अवश्य ही अवगत करा दें और इस सत्र में अवगत करा दें । अब मैं इस प्रकरण को समाप्त कर रहा हूं ।

मैंने वैसा कोई निर्देश नहीं दिया था केवल अवगत कराने के लिये कहा था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अवगत करा दिया है कि 11 अगस्त को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उसका परीक्षण हो रहा है ।

मिर्जापुर के अम्बेडकर ग्राम मुंसीपुर में सड़कों के ध्वस्त होने विषयक आज की कार्य सूची के नत्थी 'ग' के अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष के निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 अगस्त, 1997 को विधान सभा की कार्यसूची की नत्थी "ग" के अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य माननीय डा० सरजीत सिंह डंग ने इस आशय के व्यवस्था का प्रश्न सदन में उठाया था कि उन्होंने उक्त प्रश्न लोक निर्माण मंत्री से पूछा था किन्तु उसका उत्तर राज्यमंत्री, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से प्राप्त हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि उक्त प्रश्न में संदर्भित मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से संबंधित नहीं है और इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है ।

मैंने इस संबंध में पत्रावली देखकर स्थिति ज्ञात करने की बात कहीं थी । मैंने संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया उक्त प्रश्न पहले लोक निर्माण मंत्री को ही दिनांक 25 जुलाई, 1997 को भेजा गया था तत्पश्चात् शासन लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग ने दिनांक 7 अगस्त, 1997 के पत्र के माध्यम से यह सूचित करते हुए कि उक्त प्रश्न लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित था परन्तु मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग वाराणसी द्वारा या अवगत कराया गया है कि उक्त प्रश्न ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से संबंधित है और जिसका उत्तर अल्प अवधि में दिया जाना संभव नहीं है । उक्त प्रश्न को आगामी बुधवार हेतु निर्धारित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के नाम स्थानान्तरित करते हुए निर्धारित करने का अनुरोध किया था ।

यह प्रश्न पहले लोक निर्माण मंत्री के लिए निर्धारित किया गया था इसे शासन के उक्त अनुरोध पर चौथे बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या–128 के रूप में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के नाम स्थानान्तरित किया गया शासन के अनुरोध पर लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के लिए प्रश्न स्थानान्तरित किये जाने के उपरान्त उक्त प्रश्न का सदन में या उत्तर दिया जाना कि यह मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से संबंधित नहीं है अनिश्चित है अतः यह विसंगति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस प्रश्न को आगामी सत्र के लिए स्थगित करता हूं ।

हरदोई जिले के संडीला कोतवाली के अन्तर्गत एक यक्ति को अपहृत करके हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरुप प्रदर्शन कर रहे नागीरकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 47 पर वक्तव्य आ गया है । अशोक बाजपेयी जी स्पष्टीकरण के लिए खड़े है । मैंने पहले बुलाया था तो कोई खड़ा नहीं हुआ । मैं उनको अवसर दे रहा हूं । मैं उसी क्रम में ले लूंगा पहले मद संख्या 47 फिर उसके बाद यह सूचना आ जायेगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, वक्तव्य का पृष्ठ–2 पर देखें ।

"लाश का पंचनामा भरते समय ही यह सूचना मिली कि संडीला चौराहे पर जनता ने सड़क जाम कर दी है । इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक एवं परगना मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे । उत्तेजित भीड़ को यह बतलाया गया कि मुल्जिम पकड़ा गया है । अतः जाम खोल दिया जाय । लेकिन भीड़ में स० पा० समर्थकों द्वारा अचानक मारपीट शुरू कर दी गयी और चारों तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया ।" मान्यवर, यह लिखित वक्तव्य में आया है ।

इसमें पुलिस की अकर्मण्यता को नहीं बताया गया है । मान्यवर, जानबूझकर गंभीर मामलों में राजनीति को लक्ष्य बना कर इन सारी चीजों को डाइलयूट करने का काम किया जा रहा है । इसी तरह से तीसरा पैरा देखने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पष्टीकरण करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

उपरोक्त घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 144/97, 144ए/97, 144बी/97, 144सी/97 एवं 144डी/97 पंजीकृत हुए हैं । ये मुकदमें उनके ऊपर चलाये गये जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पष्टीकरण पूछें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब वहां पर भीड़ लगी हुई थी और जाम लगा हुआ था तो इन्हें कैसे मालूम हुआ कि यह सपा के कार्यकर्ता हैं और दूसरा यह है कि 23 तारीख को रिपोर्ट लिखी गयी और आपने 22 तारीख को कहा है तो कृपया इन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे दें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि यह कैसे पता चला कि सपा के माननीय सदस्य हैं । तो मान्यवर, एक सपा के सीधे सादे सज्जन से व्यक्ति संडीला से चुनाव लड़े थे । 20 तारीख की घटना है 21 तारीख को कुछ नहीं हुआ और 22 तारीख को कुछ नहीं हुआ । दो दोस्त थे, कहीं जा रहे थे तो मोटर साईकिल में बैठाकर ले गये और उसकी हत्या कर दी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

आपने इसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सूचना हमको उसके पिता द्वारा दी गयी कि वह दोस्त के साथ खीर खाने गया है। 22 तारीख को जैसे ही हमको सूचना मिली हमने दर्ज किया। जो सज्जन आदमी है उन्होंने षड़यंत्र के तहत जाकर लोगों को उकसाया। वहां पर जनता का कोई आदमी पुलिस के बलप्रयोग से जख्मी नहीं हुआ। इस घटना में अमरनाथ सिंह, प्रभारी निरीक्षक, संडीला की बायीं आंख/बायीं पसली व पैर में चोट आयी। कां० वीरेन्द्र सिंह चौहान, राम खिलावन वर्मा, राजेश्वर प्रसाद दूबे, सुनील कुमार पाण्डे एवं वासुदेव को भी चोटें आयीं परन्तु पुलिस के बल से कोई जख्मी नहीं हुआ और पुलिस ने बड़ा ही संयम बरता। तो इससे चिढ़कर उन सज्जन ने लोगों को उकसाया ताकि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो। लेकिन मान्यवर, वह अपने मंसूबे में सफ़ल नहीं हो पाया। तो यह वही सज्जन है जो सज्जनता की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर नहीं आ पाया। माननीय मंत्री जी ने अपना सुन्दर सा भाषण दे दिया। भाषण तो मैं भी दे सकता हूं। उन्होंने पुलिस वालों के नाम गिना दिये जिन्हें चोटें आयीं। लेकिन जनता के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया, मारा-पीटा गया लोगों का मेडिकल नहीं कराया गया। लोगों के घरों पर पुलिस ने छापे डलवाये। मंत्री जी इतना बता दें कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमें चलाये गये हैं और कौन-कौन सी धारायें लगायी गई हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो-जो लोग कानून-व्यवस्था बिगाड़ने में लगे रहे, वे सभी लोग इसमें हैं।

गोरखपुर मण्डल में संग्रह अमीनों तथा चपरासियों को कार्यमुक्त किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा को सूचना दाता सदस्यों के अनुपस्थित से निरस्त किये जाने की सूचना

(मद संख्या–48 पर माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं।

आज की कार्यसूची की चर्चाओं का समय कम किये जाने की मांग

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं। अभी कार्य सूची में 11 चर्चायें बाकी हैं। यदि इसी प्रकार आधा घण्टा हर चर्चा को दिया गया तो आज के दिन में यह कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए आज के दिन में यह कार्य पूरा हो जाय, इन चर्चाओं का समय घटाकर 10 मिनट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पांच मिनट माननीय सदस्य बोलेंगे और पांच मिनट माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देंगे।

हरिद्वार तीर्थ का मर्यादा एवं पवित्रता की रक्षा हेतु मेला 1998 को दृष्टिगत रखते हुए शराब की दुकानें नगर पालिका सीमा से 13 कि०मी० दूर करने हेतु शासनादेश जारी किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपने चर्चा में बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। यह विषय प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। हरिद्वार एक बहुत पवित्र स्थान है और इसका एक पौराणिक महत्व भी है। कपिल ऋषि के श्राप से राजा सगर के 60 हजार पुत्र भस्म हो गये थे। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को हरिद्वार में लाये और उन 60 हजार लोगों की मुक्ति हुई। तब से जो लोग हिन्दू धर्म में आस्था रखते हैं, उनकी कामना होती है कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियां हरिद्वार में प्रवाहित की जायं ताकि उनको मोक्ष मिल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ लोग वहां पर आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हरिद्वार को मद्यनिषेध क्षेत्र बनाये जाने की वकालत इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी। वह चार बार हरिद्वार में पधारे। 1929 में जब वह पधारे तो उन्होंने यह कहा कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हरिद्वार में पूर्ण मद्यनिषेध लागू न हो सके। पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द आदि अनेकों संतों ने इस काम के लिए प्रयास किये और 1954 में इस पर सफलता मिली जब पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमण्डल पदारूढ़ हुआ और हरिद्वार को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मद्यपान, मद्य बेचना और उसके आयोग को अपराध घोषित कर दिया गया और नगरपालिका के उप नियमों में भी इसको स्थान दिया गया।

(इस समय 8 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, इसमें जो व्यवस्था की गयी थी, उसके अनुसार हरिद्वार के आठ मील के अन्दर जिसका अर्थ 13 किलोमीटर होता है उसमें मद्यनिषेध किया गया है। मदिरा का उपयोग करके कोई व्यक्ति हरिद्वार की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन धीरे-धीरे इस सीमा को घटाया गया और एक शासनादेश के माध्यम से पहले पांच किलोमीटर किया गया और फिर पांच किलोमीटर से घटाकर 3 किलोमीटर किया गया। यह शासनादेश 13 मार्च, 1993 का है जिसमें पांच किलोमीटर से 3 किलोमीटर कर दिया गया है। बार-बार इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माह फरवरी में महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर पहुंचे थे तो उनसे भी यह बात कहीं गयी। मान्यवर, हरिद्वार के चारों ओर शराब की दुकानों के दर्शन होते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि गुरुकुल कांगड़ी के मुख्य द्वार पर आज शराब का ठेका खुला है और बार-बार ध्यान दिलाने के बाद भी सरकार की संवेदना जागृत नहीं होती है। पेरियार साहब का 14 सूत्री कार्यक्रम था उसमें भी मद्य निषेध एक कार्यक्रम था। मान्यवर, पूरे विश्व की आस्था का सवाल है क्योंकि विश्व के हर कोने से यहां पर यात्री आते हैं और यह प्रदेश के लिए कलंक होगा इससे निन्दनीय और कोई बात नहीं हो सकती है। मान्यवर, अगर शराब की दुकानों को बन्द किया जाता है तो तीन करोड़ 56 लाख 68 हजार का घाटा उठाना पड़ेगा। अगर इस घाटे को उठाकर पवित्रता की रक्षा हो सकती है तो यह महंगा नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे और 13 किलोमीटर के सिद्धान्त को लागू करें।

(डा० रमेश पोखरियाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय मंत्री जी को बुला लिया है अब आप बैठें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, तो फिर चर्चा क्या हुई ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था में यह कह दिया है कि पांच मिनट माननीय सदस्य बोलेंगे और पांच मिनट में माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष ने आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की है । आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप आधे घण्टे से कुछ कम समय कर दें लेकिन चर्चा तो होने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा का देखना है और समय को भी देखना है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हरिद्वार में मद्य निषेध घोषित है लेकिन वहां पर लोग शराब पीकर घूमा करते हैं । जो यात्री बाहर से आते हैं, उनको शराब पीये हुए लोग मिलते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर शराब की दुकानें न खोली जाये । हरिद्वार के संबंध में जो बिन्दु उठाया गया है, वह हम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह जो वर्तमान में चर्चा हो रही है उसका विषय है हरिद्वार के आस-पास मद्यनिषेध लागू करने के संबंध में । यह मामला किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का नहीं है । यह हिन्दुस्तान की संस्कृति का सवाल है और हिन्दुस्तान की मान्यताओं का सवाल है । इस देश के करोड़ों करोड़ हिन्दुओं की भावनाओं से लगा हुआ यह सवाल है कि जो लोग हरिद्वार को अपना आस्था स्थल के रूप में मानते हैं । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हरिद्वार में जो अभी बड़ा कुम्भ का मेला होने वाला है जहां करोड़ों करोड़ श्रद्धालु एकत्रित होंगे । अगर वह शराब पिये होंगे तो क्या स्थिति होगी । कानून व्यवस्था कैसे बनी रहेगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं । इससे वहां एक गंभीर स्थिति पैदा हो जायेगी मान्यवर, मैं एक हृदय विदारक घटना की याद दिलाना चाहता हूं । सन् 1986 में हरिद्वार में कुम्भ मेले के अवसर पर 400 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं । लिहाजा यह राजनैतिक या दोषारोपण का सवाल नहीं है । मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं जहां आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उसमें अगर यह मद्यनिषेध लागू करने से थोड़ी बहुत जो राजस्व की क्षति होगी उसे भी बर्दाश्त कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई अब समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो करोड़ों लोगों की भावना मर्माहत होगी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मुझे यही निवेदन करना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी यहां पर कांवरियों का प्रकरण उठा था चूंकि हरियाणा में मद्य निषेध है और वहां से जब लोग कांवर लेकर आते हैं । चूंकि उनके यहां शराब पीने को नहीं मिलती है यहां उ० प्र० में आकर वह शराब पीकर एक विषम स्थिति पैदा कर देते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार में भी यही होगा तो हमारी मर्यादा का क्या होगी ।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जो भी धार्मिक स्थल हैं जिनमें हमारी भावनायें जुड़ी हुई हैं उनका सब आदर करते हैं आज यहां पर चर्चा का जो विषय बना है वह है हरिद्वार में जो मेला लग रहा है उसके 3 कि०मी० पर मद्यनिषेध लागू है और 13 कि०मी० दूर पर इसकी दुकानें होंगी । इन धार्मिक स्थलों की मान्यता का आदर करते हुए हमने नगर पालिका क्षेत्र के 3 कि०मी० तक मद्यनिषेध लागू किया है और जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं उन दिनों में शराब की दुकानें बन्द रहेंगी । माननीय चौहान साहब ने "ला एण्ड आर्डर" की समस्या के बारे में कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें हमने आबकारी एक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी को अधिकार दे दिया है कि इस समस्या से निपटने के लिए वह स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं । हमारे कुछ साथियों ने एक काण्ड का उल्लेख किया है मैं उन्हें 1991-92 के ऋषिकेश में जो सबसे बड़ा लीकर काण्ड उत्तर प्रदेश में हुआ उसकी याद दिलाना चाहता हूं । उसमें कितने ही लोगों की मृत्यु हो गयी तो यहां पर 13 कि० मी० की दूरी में 12 दुकानें आती हैं । व्यावहारिक दृष्टि से भी अगर देखें तो पड़ोसी राज्य हरियाणा में जहां शराब बंदी है उसकी स्थिति यह है कि शाम को आप देख लें बदरपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग शराब पीने हरियाणा से आते हैं । आज हरियाणा में शराब की स्मगलिंग हो रही है । यही स्थिति आज आंध्र प्रदेश की है । इससे मजबूर होकर मद्यनिषेध उन्हें वापस लेना पड़ा है । इस तरह के 19 प्रदेशों में सरकारों ने मद्यनिषेध को वापस लिया है । तो इस धार्मिक स्थल को दृष्टि में रखते हुए यह किया गया है कि 13 किमी० दूर यह दुकानें होंगी और त्योहार के दिन वह बन्द रहेंगी और 3 कि०मी० तक कोई शराब नहीं बेच सकेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब इस पर चर्चा समाप्त होती है ।

जिला भदोही वूलेन्स लिमिटेड के बन्द हो जाने के फलस्वरूप उसके छटनी शुदा कर्मचारियों के सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने की मांग के विषय में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, भदोही जनपद से 1200 करोड़ रुपयों की कारपेट का निर्यात होता है । भदोही वूलेन लि० की स्थापना इस उद्देश्य से हुयी थी कि 1200 करोड़ रुपये के कारपेट निर्यात करने वाले उद्योग में जो धागा प्रयोग होता है वह वहां के व्यवसाइयों बुनकरों को सस्ती दर पर मिलेगा । लेकिन अफसोस की बात यह है कि 75 करोड़ रुपयों की लगी हुयी भदोही वूलेन लि० कुप्रबन्ध और अफसरों की तानाशाही के कारण बन्द हो गयी । समय-समय पर विधान सभा में, 12 वीं विधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुयी । कई बार इस संबंध में मामला उठाया गया जिसमें सरकार की तरफ से जवाब आया था कि इस मिल को वाइंड अप किया जा रहा है और उच्च न्यायालय ने इसके लिक्वीडेशन की कार्यवाही की है । यह भी बात आयी कि इस मिल को बेचकर जो यहां काम करने वाले हैं उनको वेतन दे दिया जाय । यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने की भी बात आयी थी । पिछले दिनों एक तारांकित प्रश्न का जवाब आया था कि कर्मचारियों को समायोजित करने का विचार नहीं है । यहां पर साढ़े तीन सौ कर्मचारी हैं जिनमें लेबर, क्लर्क और अधिकारी वर्ग के कर्मचारी हैं । यह लोग आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । पिछली जो सरकार थी उसकी विवेकहीनता, संकल्पहीनता के कारण आज स्थिति उत्पन्न हुयी है कि आज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है । समायोजित करने की कौन कहे । लिक्वीडेशन करने की कार्यवाही में भी प्रगति नहीं हो रही है इसके लिये कौन जिम्मेदार है । आज कर्मचारियों के समायोजित की बात छोड़ दीजिये इस मिल को बेचने की कार्यवाही कुछ आगे बढ़ी थी और 10 लाख रुपया एक व्यापारी ने अर्नेस्ट मनी के रूप में दिया था लेकिन वस्त्र निगम द्वारा जो सब्सिडी दी गयी है, अफसर शाही के चलते, कमीशन न मिलने की वजह से इस मिल के बेचने की गति

बन्द हो गयी और 10 लाख रुपया सूर्या कारपेट का डूब गया और मिल को बेचने की कार्यवाही नहीं हुयी । इस मिल में करोड़ों रुपयों की विदेशी मशीनरी लगी है । भदोही में तमाम प्राइवेट मिले हैं जो करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रही हैं और नयी-नयी कंपनियां खोल रही हैं लेकिन इस मिल में विदेशी मशीनरी लगी होने के बावजूद कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गयी । यदि यहां पर अच्छे प्रशासक नियुक्त किये जायं और जो मिल का धन डूब गया है जो कमीशन लेकर गुंडों बदमाशों को उधार में सामान दिया गया है उसकी यदि रिकवरी की जाय तो उस पैसों से कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है । यदि अच्छे प्रशासक की नियुक्ति की जाय तो इस मिल को मुनाफे में चलाया जा सकता है । यदि ऐसा संभव न हो और बेचने की कार्यवाही आवश्यक हो तो इसको तत्काल बेच दिया जाय ताकि कर्मचारियों का वेतन दिया जा सके । जिस प्रकार से ए० टी० एल० के कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर समायोजित किया गया है उसी प्रकार से इस मिल के कर्मचारियों को जो नये जिले बने हैं, जहां कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहां पर समायोजित किया जाय । यदि चलाना संभव हो तो भदोही वूलेन लि० को अच्छे प्रशासक की नियुक्ति करके और सब्सिडी देकर एक बार चलाने का काम किया जाय । ताकि वह चल जायं और उनके घरवालों का जीवन-यापन, गुजर-बसर हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी चूंकि यह हमारे जनपद की समस्या है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भदोही जनपद कुटीर उद्योग के रूप में कालीन बनाता है और करोड़ों रुपये अर्जन करके देता है । उसी जनपद में एक वूलेन मिल गर्वनमेन्ट व्यवस्था से चलाई गई । वहां पर प्राइवेट संस्थाएं मिल चला रही हैं और वह मुनाफे में चल रही हैं । गर्वनमेन्ट द्वारा चलाई गई मिल किन्हीं दुर्भाग्यवश वजहों से बन्द हो गयी । इसमें सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे मिल बन्द हो जाने के कारण वह 3/4 साल से बेकार घूम रहे हैं उनको कहीं समायोजित किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । उनके परिवार के लोग पालन पोषण के लिये पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो गये हैं, उनके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ? आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कालीन उद्योग से करोड़ों रुपये का अर्जन हो रहा है वहां पर सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण वह बन्द हो रही हैं । उनके परिवार के लोग रोटी के लिये लालायित हैं, उनके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, दो बातों का उत्तर आ जायं । एक तो यह कि कर्मचारियों को वेतन सरकार कब तक दिलायेगी और दूसरा यह कि उन कर्मचारियों को समायोजित कर लिया जाय और नये जिले खुले हैं ।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अधिष्ठाता जी हमारे सम्मानित सदस्य माननीय मिश्रा जी इस प्रश्न को 94 में नियम–51 के तहत उठाया था और अभी तारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत किया था उसका जवाब भी दिया गया था । मान्यवर, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि भदोही वूलेन मिल्स लिमिटेड को रूग्ण इकाई मानते हुए विशेष प्राविधान 85 के अन्तर्गत बी०आई०एफ०आर० में सन्दर्भित किया गया था । 16-12-92 को इस कम्पनी को बीमार इकाई घोषित किया गया । बी०आई०एफ०आर० ने इस इकाई को रूग्ण पाया और अपनी सुनवाई में 28-5-95 को बाइंडिंग अप की घोषणा की और बाइंडिंग अप की कार्यवाही के लिये माननीय उच्च न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया गया । इस कम्पनी की लिक्विडेशन की कार्यवाही चल रही है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिक्विडेशन नियुक्त किया गया है । लिक्विडेशन की कार्यवाही की जा रही है । मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि चूंकि मामला

माननीय उच्च न्यायालय के तहत विचाराधीन है इसलिये इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जहां तक देयों के भुगतान की बात है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिक्विडेशन उसकी पूरी परि सम्पत्ति को बेचकर उसका भुगतान करेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र–

दो बातें कहीं, वेतन कब दे रहे हैं ? और समायोजन कब कर रहे हैं ? समायोजित करेंगे या नहीं ? न्यायालय द्वारा बेचने की घोषणा हो गई तो उनके कर्मचारियों को समायोजित करेंगे या नहीं ? समायोजन के प्रतिपक्ष में 31-5-93 को कार्मिक विभाग ने अपना मत दिया है। यह सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार से उनकी देनदारियों को लिक्विडेशन दिया गया, समायोजन उनका नहीं किया जा सकता है।

(मद संख्या–51 पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं अतः दूसरी मद ले रहे हैं।

जिला भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थापित किए जाने एवं उसके निर्माण हेतु शासन द्वारा अब तक अवमुक्त की गई धनराशि के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, जिला भदोही में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उद्घाटन किया था। पहले बजट सत्र में भदोही और पडरौना जिले के लिए ढाई करोड़ रुपया बिल्डिंग निर्माण और भूमि अर्जन के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन वह ढाई करोड़ रुपया बजट में आरक्षित होने के बाद भी नहीं दिया गया मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं दिया जा रहा भदोही और पडरौना को ढाई करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। 1995 में जुलाई से 25 अगस्त तक सत्र चला माननीय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हृदय नारायण दीक्षित जी बैठते थे उन्होंने कहा समीक्षा की जाएगी निश्चित रूप से बजट में प्राविधान है ढाई करोड़ रुपये को देने की बजट में घोषणा हुई है जो भवन निर्माण और भूमि अर्जन के लिए देना था। मैंने सदन में इस मामले को तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया तो सरकार ने बताया ढाई करोड़ रुपया नहीं देंगे मैं जानना चाहता हूं सदन में जो बातें कही जाती हैं इस सदन में जो आय-व्यय का प्रस्ताव रखा जाता है विधान सभा पैसा देती है खर्चा करने के लिए, वह बजट के रूप में श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता है। उसमें गड़बड़ी नहीं होती है पिछली सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने औनेपौने ढंग से विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया इसमें छोटे-मोटे प्राविधान किया कि इस जिले के लिए धन दिया जाएगा उसका भी दुरुपयोग किया बजट में घोषणा करने के बाद राज्य सरकार को पैसा आरक्षित करने के बाद पैसा नहीं दिया गया। सदन का इससे अपमान हुआ है सदन में जो घोषणायें होती हैं अपेक्षा यह की जाती है कि उसमें कार्यवाही की जाती है उससे प्रदेश और देश आश्वस्त रहता है कि विधान सभा में यह बात कही गई। इसको लागू किया जाएगा। वरना बाहर तो घोषणायें लोग करते रहते हैं कि व्यापार कर समाप्त कर दिया जाएगा, गुण्डा एक्ट समाप्त कर देंगे। नकल अध्यादेश समाप्त कर देगें। लेकिन सदन में जो बात आती है सच्चाई के रूप में जानी जाती है। यह जो कपोलकल्पित घोषणायें बाहर करते रहते हैं उस तरह से सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। सदन को गुमराह किया गया कि ढाई करोड़ रुपया देंगे फिर नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भदोही में शिलान्यास हुआ। चार साल हो गए कलेक्ट्रेट वही है जो बिल्डिंग थी वही है, कोई अधिकारी वहां नहीं बैठते हैं मिर्जापुर भाग जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

वहां पर भवन निर्माण नहीं हो रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह भारतीय जनता पार्टी और बसपा की संवेदनशील सरकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समात करें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, ढाई करोड़ रुपया जो भदोही जनपद का है उसको भदोही जनपद को दिलाया जाए ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, भदोही जनपद की घोषणा हुये 4 वर्ष हो गये हैं लेकिन आज भी वहां की स्थिति तहसील जैसी है । मुख्यालय के अभाव में आज भी अनेक अधिकारी हैं जो वाराणसी में रहते हैं । इससे जनता की कठिनाई बढ़ रहीं हैं । जब से जिला भदोही घोषित हुआ और ज्ञानपुर को मुख्यालय बनाया गया लेकिन अधिकारी आज भी वाराणसी में बैठते हैं इसलिए उनकी जनता से मुलाकात नहीं हो पाती है । 2.5 करोड़ रुपये की यहां घोषणा हुई लेकिन यह धनराशि अभी तक भदोही के विकास के लिए नहीं मिली है । इसलिए मांग है कि जिले के विकास के लिए जो 2.5 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है उसे शीघ्र आवंटित किया जाय जिससे ज्ञानपुर में मुख्यालय स्थापित किया जा सके और अधिकारी वाराणसी के बजाय ज्ञानपुर में बैठ सकें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं श्री रंगनाथ मिश्र जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था । मान्यवर, भदोही जिले की स्थापना के लिए श्री मिश्र जी को साधुवाद देना चाहिए था लेकिन अक्रमण्यता की एक सीमा होती है कि मुलायम सिंह जी ने भदोही को जिला बनाया और ढाई करोड़ रुपया स्थापना के लिए स्वीकृत किया था किन्तु उसके बाद इनके सौजन्य से ऐसे लोगों के हाथों में सरकार आई जिनको प्रदेश का भूगोल ही नहीं पता था कि प्रदेश का कैसे विकास किया जाय इसलिए वह धनराशि निरस्त कर दी गई । मान्यवर, उस सरकार के श्री मिश्र जी भी सहयोगी थे और उनकी पार्टी भी सहयोगी थी । यदि उनको प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का पता होता तो उनको आज रोना नहीं पड़ता । उन्हीं के कारण ही भदोही जनपद के मुख्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है जिससे अधिकारी लोग वाराणसी में बैठकर भदोही जनपद का संचालन कर रहे हैं । आपने एक बार तो समर्थन किया लेकिन दुबारा उधर चले गये इसलिए आपका तो यह हश्र होना ही चाहिए था ।

मान्यवर, विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग के संबध में जो कहा गया है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि श्री मुलायम सिह जी ने उस कोष का उपयोग प्रदेश के जनहित में किया था, शिक्षा के विस्तार में उस कोष का उपयोग किया था जिसका रोना आज श्री रंगनाथ मिश्र जी यहां रो रहे हैं । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज यह सरकार एक हजार करोड़ रुपये अम्बेडकर उद्यान पर खर्च कर रही है । इसके अलावा पिछले 15 दिनों में हजरतगंज में दूसरी अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है और इस तरह एक हजार करोड़ रुपये बर्बाद किया जा रहा है जिसके संबंध में श्री मिश्र जी कुछ नहीं कर रहे हैं और मजबूरी में सरकार को समर्थन दे रहे हैं । लेकिन 6 महीने की अवधि मुख्य मंत्री की और बढ़ रही है तो भदोही का कैसे विकास होगा ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, ढाई करोड़ रुपया जहां गया हो उसके संबंध में मंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और भदोही के विकास के लिए यह धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रगंनाथ मिश्र जी को जो पीड़ा है उससे मैं सहमत हूं पीछे क्या हुआ क्या नहीं ? यह सरकार कटिबद्ध है प्रदेश का विकास करने के लिए जिलों का विकास करने के लिए और उसी के तहत श्री मिश्र जी को अब दुखी नहीं होना पड़ेगा कि वहां जिला हेड क्वार्टर नहीं बना रहा है वहां पैसा नही जा रहा है । वहां पर एक तारीख को सुश्री मायावती जी जा रहीं हैं । वहां पर वह शिलान्यास करेंगे । सरकार पैसे का इन्तजाम करने जा रही है । माननीय सदस्य का इतना विवेक था उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है । 1994-95 में बजट पास हुआ जून, 1995 में सरकार आई है । पूर्व में कोई भी घपला रहा हो लेकिन अब भदोही का विकास होगा । भदोही को विकास से वंचित नहीं किया जाएगा ।

2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड आन्दोलन कारियों पर ढाए गए जुल्म में दोषी पाये गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, दिनांक 2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों पर ढाये गए जुल्म में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के विषय में दिनांक 28 जुलाई, 1997 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में पूछा गया था कि क्या उस काण्ड में दोषी पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है ? क्या एसे अधिकारियों को जो दोषी पाए गए, उनको पदोन्नति दी गई । उस उत्तर में यह आया था हां । इस प्रदेश में बहुत वरिष्ठ अधिकारी बुआ सिंह को पदोन्नत किया गया । उस उत्तर में यह आया था कि उस तिथि तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था । उससे पहले ही सी०बी० आई० जांच में यह सारे के सारे अधिकारी जितने भी अधिकारी थे, यह दोषी पाए गए थे तथा इनको चिन्हित किया गया था । उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित हो गई थी । उनको चार्ज शीट देने की बात हो गयी थी । उसके बाद भी ऐसे पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत देने का कोई औचित्य नहीं था इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि जितने भी ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने मां बहनों की इज्जत लूटने में जिन लोगों के कारण, मां बहनों का सम्मान नहीं बच सका, जिनके कारण इतना बड़ा कलंक लगा ऐसे कोई भी अधिकारी क्षम्य नहीं है । उसको किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जाना चाहिए । यदि अधिकारी चिन्हित हो गए हैं तो उनको इस प्रकार की जिम्मेदारी जो सीधे-सीधे महत्वपूर्ण है इस प्रकार की जिम्मेदारी देने का औचित्य नजर नहीं आता । एक जी० एम० को नैनीताल भेज दिया वहां आन्दोलन चल रहा है । वहां के सिटी मजिस्ट्रेट जो तैनात थे उनको उत्तराखण्ड भेज दिया गया शुगर फैक्ट्री में जनरल मैनेजर बनाकर । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं तथा इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जितने भी लोगों को पदोन्नति दी गई है उनको तत्काल पीछे किया जाए तथा उनको दंडित करने की कार्यवाही की जाए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर दो-तीन बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दो अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस तथा लालबहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर इतना बड़ा काण्ड जिन अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ हो तथा ऐसे अधिकारी जब सी०बी०आई० और न्यायिक

जांच के कटघरे में आ गए हों ऐसे अधिकारियों को पदोन्नति देने क्या यह मान्यता के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं है ? दूसरी बता मैं यह जानकारी करना चाहता हूं इस पूरे घटना क्रम के जितने जिम्मेदार अधिकारी थे उनमें से प्रोन्नत के लिये केवल बुआ सिंह का ही नम्बर क्यों आया ? अन्य को प्रोन्नति नहीं किया गया केवल बुआ सिंह जी को ही प्रोन्नति दी गयी क्या यह पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं थी । इस लोमहर्षक काण्ड के जितने जिम्मेदार अधिकारी थे और जो प्रोन्नत हो गये हैं उनसे प्रोन्नति वापस ली जानी चाहिए । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस काण्ड के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये तथा बुआ सिंह की प्रोन्नति को वापस लिया जाये ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी डा० निशंक व डा० बाजपेयी जी ने एक बहुत ही गम्भीर विषय पर यहां चर्चा की । एक दर्दनाक घटना जो 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिन था उस दिन मुजफ्फरनगर में घटी वह सभी लोगों के लिए विशेषकर उत्तराखण्ड क्षेत्र के जनमानस के लिए बड़े भारी दुःख का विषय था । मैं बहुत ज्यादा इस विवाद की यहां चर्चा नहीं करना चाहता । उसके बैक ग्राउण्ड में कौन सी चिजें रहे "वोन आफ कन्टेन्सन" क्या था कौन सी बातें मूलभूत आघात बनी लेकिन श्रीमन्, लोकतंत्र के अन्दर सरकारों का एक दायित्व बनता है यह भी हम रोजमर्रा में देखते हैं । लोकतंत्र के अन्दर चुनी हुई सरकारों के कार्यकाल में शासन-प्रशासन के काम में कभी-कभार कोई सख्ती होती है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, इस बात के भी हम लोग गवाह हैं लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र का एक तकाजा है कि लोकतंत्र के अन्दर जो चुनी हुई सरकारों के कार्यकाल में कोई बात होती है तो...

श्री अधिष्ठाता–

चौहान जी, अब समाप्त करें ।

(श्री बी० आर० वर्मा द्वारा माननीय चौहान जी से प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, बोलने की अनुमति दी है तो बोल रहा हूं, अनुमति नहीं देंगे तो बैठ जाऊंगा । मैं यह कह रहा था कि जो अधिकारीतंत्र इस वीभत्स घटना के लिये जिमेदार थे उनके खिलाफ यह उम्मीद कर रहे थे कि उनके खिलाफ जांच होगी , अनुशासनहीनता की कार्यवाही होगी, उन लोगों के खिलाफ प्रोसीक्यूशन होगा, उनकी पदोन्नति रोकी जायेगी, एडवर्स एन्ट्री दी जायेगी लेकिन एक अजीबोगरीब स्थिति आयी कि जो अधिकारी इन्वाल्व थे, दोषी थे उनको पदोन्नति देने का काम किया गया आर यही नहीं बजाय वहां के लोगों के जजबातों पर मरहम लगाने का काम किया जाता उन अधिकारियों को जो दोषी थे, उत्तराखण्ड के लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने वाले अधिकारी थे उनको प्रोन्नति देकर निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के जनमानस के साथ एक खिलवाड़ किया गया । मैं आपके माध्यम से आपकी गरिमामय पीठ से इस बात का आग्रह करता हूं कि आप इस सरकार को निर्देश दें कि जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी हैं उनको न केवल वापस लिया जाये बल्कि पदावनति किया जाये तथा उनको जेल में भेजने का काम किया जाये ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, 2 अक्टूबर, 1994 को जो घटना हुई, वह निश्चित रूप से दुःखद है । उस समय मान्यवर, जो सरकार थी उसने ही प्रोन्नति देने का काम किया । 21 नवम्बर, 1995 को अभियोजन स्वीकृत हुआ उसके बाद हमने कोशिश की है कि एक भी अधिकारी, एक अधिकारी की प्रोन्नति का मामला आया था । नसीम जो कि उस समय डी०आई०जी० में थे उनके प्रमोशन का मामला आया था किन्तु जब से यह सरकार बनी है किसी भी दोषी अधिकारी को प्रमोशन नहीं दिया गया है । मान्यवर, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जैसा न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुरूप हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

28 नवम्बर, 95 को अभियोजन हुआ, उसके बाद दोष सिद्ध हो गया । यदि दो अक्टूबर से पहले पदोन्नति दी गई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद पदोन्नति दी गई है, यह एक साजिश के तहत पदोन्नति दी गई है, इसका कोई औचित्य नहीं है, यह पदोन्नति निरस्त होनी चाहिये, मैं इसकी मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपकी पूरी बात पहले आ चुकी है । मैं अगली मद ले रहा हूं ।

(श्री नवाब सिंह नागर के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–52, 53 हो गई, मैंने पद संख्या–51 पर आपको पुकारा, आप नहीं आये ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, मैं लाबी में चला गया था ।

ग्रेटर नोएडा के किसानों को मुआवजा 160/- रुपये प्रति गज की दर से दिये जाने, किसानों पर अधिग्रहीत भूमिका 10 प्रतिशत उनके लिये छोड़े जाने एवं वहां लगाये जाने वाली फैक्ट्रियों से उक्त किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दिये जाने संबंधी शासन की घोषणा के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री नवाब सिंह नागर–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है । मेरे क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा तथा एन० टी० पी० सी० तीन ऐसी संस्थायें हैं जो वहां की जमीन को अधिग्रहण करने के पश्चात् विकास कर रही हैं, इसके संबंध में मैंने प्रश्न लगाया था, 24 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, उस विषय में कहना चाहूंगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों के साथ एक करार किया था, जिसमें 160 रुपये प्रति गज की दर से मुआवजा देने और 10 प्रतिशत जमीन किसानों के भविष्य के लिये छोड़े जाने तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का माननीय राजस्व मंत्री तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक वह करार पूरा नहीं हो रहा है, उसका अनुपालन कब तक होगा, यह मैं जानना चाहता हूं । मान्यवर, वहां 450 किसानों को गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया है । वहां 160 रुपये प्रति गज देने का जो करार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किया, उसके संबंध में माननीय राजस्व मंत्री सार्वजनिक सभाओं में भी घोषणा कर चुके हैं । उनके पी० आर० ओ० के माध्यम से प्रेस रिलीज भी किया जा चुका है,लेकिन निर्णय अभी तक लागू नहीं हुआ है । यदि वह निर्णय लागू नहीं होता है तो .....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, अभी जब आपको पुकारा गया तो आप थे नहीं, उसके बाद अब समय लेते जा रहे हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

यह जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यह बात तय हुई थी, जनप्रतिनिधि भी शामिल थे,नोएडा और किसानों के बीच 160 रुपये गज की दर से किसानों को मुआवजा दिया जायेगा, उसके बाद फिर कई और बैठकें हुईं, उसके बाद शासन की तरफ से कोई दिक्कत थी, यह मामला फिर आया, फिर बैठकें हुईं, उसमें 160 रुपये प्रति गज देने का निर्णय हो चुका है, शासनादेश भी नोयडा के लिये जारी कर दिया गया है, नोएडा ने एग्रीमेंट जो

किया है, वह उसके लिये स्वतंत्र हैं, जैसा चाहें, जहां चाहें, वह इसको लागू कर सकते हैं, सरकार इसके बीच आड़े नहीं आयेगी, यह शासनादेश अभी चला गया है ।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देश पर आधे मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराये जाने के विषय में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं सीधा साधा और सूक्ष्म कि यह जो व्यवस्था है गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का आधी कीमत पर एक माह में 10 किलो गेहूं देने की जो केन्द्र सरकार ने की है इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं । पहली खामी यह है कि एक व्यक्ति को जो राशन मिलता था वह प्रति यूनिट के हिसाब से मिलता था अब उन्होंने कर दिया कि एक कार्ड पर 10 किलो देंगे तो बाकी लोग कहां जायं । केन्द्र सरकार ने यह जो व्यवस्था की यह बहुत ही हानिप्रद है । इसके अलावा कटेगरी बना दिया गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की आमदनी के हिसाब से 3 कटेगरी बना दी और उनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है । मान्यवर, एक महीने में 3 रुपये किलो के हिसाब से 30 रुपये की सहायता दी गयी । इस केन्द्र सरकार ने 3 रुपये की सहायता देकर एक साल में 360 रुपये की सहायता दी इसकी जगह एक व्यक्ति को अगर रोजगार देने की व्यवस्था हो गयी होती कि रोजगार देंगे तो उन्हें 50 रुपये के हिसाब से 600 रुपये मिल जाते तो यह जो गल्ला देने वाली व्यवस्था है यह बहुत दोषपूर्ण है अभी तो पूरे राशन कार्ड भी नहीं बन पाये हैं और जिनको जरूरत है उनको गल्ला नहीं मिल पाया उनको 10 किलो के बाद ऊंची कीमत पर गल्ला खरीदना पड़ा यह संकट खड़ा है खाद्य मंत्री के सामने कि वह 10 किलो से अधिक का गल्ला बेचें या मार्केट में ले जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में तमाम सुधार की आवश्यकता है और बहुत दोषपूर्ण है इसको ठीक किया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात कह दी । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसका अपने उत्तर भाषण में जरूर समाधान करने का प्रयास करें । जब भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ती दर पर अन्न की उपलब्धता करायेंगे तो जो पूरे प्रदेश में राशन कार्ड बनाने का दायित्व इनके विभाग का है आज भी आप देखें तो सारे जनपदों में, स्वयं जिन लोगों ने कहा कि आय 8000 रुपये से कम है उनको गरीबी की रेखा के नीचे मान लिया । मान्यवर, गरीबी की रेखा से नीचे चिन्हित करने का इनका राजस्व विभाग के साथ कोई समन्वय नहीं स्थापित है । मान्यवर, वाकई जो प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे है उन्हें सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध हो जाय वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है । मान्यवर, पी० डी० एस० के माध्यम से वितरण हो रहा था और उसके बाद यह योजना लागू कर दी गयी उसका नतीजा यह हुआ कि जो फेयर प्राइज शाप हैं वहां अन्न की कमी हो गयी । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज तमाम शिकायतें जनपदों से आ रही हैं उसके बारे में क्या उपाय करेंगे और सस्ते दरों के दुकानदार जो ब्लैक कर रहे हैं उसके संबंध में क्या रिकमेन्ड करेंगे ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, राशन कार्ड गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के अभी तक नहीं बन पाये हैं। जब तक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को आप चिन्हित नहीं कर लेते तब तक पूरी वितरण व्यवस्था इससे प्रभावित है। मैं आग्रह करूंगा कि कोई अभियान चलाकर उन लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, चिन्हित करने का काम किया जाय हर परिवार का राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित कराया जाय तभी इन योजना का लाभ उन गरीब परिवारों तक पहुंच सकता है। चिन्हित न होने के कारण तमाम खाद्यान्न फेयर प्राईज शाप में बचा रहता है जिसकी ब्लैक में बिक्री हो रही है। जो सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करने का लक्ष्य है वह इस तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। अभियान चलवाकर इसमें प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, हरदोई में निर्धारित समय से दुकानें नहीं खुलती हैं सस्ते गल्ले की। राशन कार्ड सभी लोगों के अभी तक नहीं बने हैं अनाज, शक्कर, मिट्टी का तेल बराबर दुकानदार उठा रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को कैसे फायदा हो सकता है जब तक राशन कार्ड नहीं बनेंगे और समय से दुकानें नहीं खुलेंगी ? इसमें आप सर्वे करा लें। गांव में पार्टीबंदी है, प्रधान अपनी पार्टी के कार्ड बनवा रहे हैं इसका तथा विरोध पक्ष के कार्ड नहीं बनवा रहे हैं इसका ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन अवश्य करवा लिया जाय। तत्काल सभी के राशन कार्ड बनवा दिये जायें तथा निर्धारित समय पर सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायें।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

मान्यवर, प्रदेश में जितनी भी खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था की योजना है, यह सारी योजना भारत सरकार की होती है। उसमें जितना भी आवंटन होता है वह प्रदेश सरकार को किया जाता है, केवल वित्त का काम प्रदेश सरकार करती है। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भारत सरकार ने बनायी है। गरीबी की रेखा के नीचे और ऊपर-दो श्रेणियां पूर्व में यूनिट के आधार पर वितरण किया करते थे, भारत सरकार ने उसे समाप्त कर एक नयी योजना दी है। इसमें निर्देशित है कि 95 लाख 48 हजार गरीबी की नीचे रहने वाले हैं, चिन्हिकरण का काम हमने किया है, अभी जारी है। अभी लगभग 82 लाख परिवार ही चिन्हित किये जा सके हैं। इसमें निर्देशानुसार 10 किलोग्राम में 7 किलो गेहूं रु० तीन के हिसाब से और चावल 3 किलो रु० चार के हिसाब से है। जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें कार्ड दे चुके हैं उनको हम बांट रहे हैं। किसी प्रकार की व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। सभी अंचलों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आई० एस० आई०) द्वारा विध्वंसक की तीखे प्रयासों को रोकने के विषय में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में आज आई० एस० आई० ने जिस तरह से अपना जाल बिछाया है, उससे इस प्रदेश की शान्ति व्यवस्था व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से अपने एजेन्ट तैयार कर रखे हैं किसी भी समय प्रदेश में महाराष्ट्र व मद्रास जैसे भीषण विस्फोट होने का खतरा पैदा हो गया है। अपने षड़यंत्र को अंजाम देने के लिये वह विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जाली नोटों के माध्यम से वह इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर पलीदा लगाने का काम कर रहे हैं। उस पैसे से हथियार खरीदकर उन्हें अपराधी तत्वों के हाथों में देकर इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर पलीदा लगाने का काम कर रहे हैं और अपने एजेन्टों के

माध्यम से मिशनरियों को पैसा देकर इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसके लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया जाय ताकि इस प्रदेश से आई० एस० आई० का तंत्र छिन्न-भिन्न हो सके, वह बेनकाब हो सके और इस प्रदेश की जनता को राहत मिले और मद्रास तथा महाराष्ट्र जैसी घटनायें यहां पर न हो सकें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, दो बातें जानना चाहता हूं। यह एक गम्भीर समस्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद जो नेपाल से सटे हुए हैं जैसे गोण्डा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, पडरौना आदि तमाम जनपद जिनकी सीमायें खुली हुई हैं और सरकार के संज्ञान में भी यह है कि नेपाल में आई० एस० आई० ने अपना एक मजबूत नेटवर्क बना लिया है और प्रदेश के इन सटे हुए जिलों में उसने खुलेआम अपनी कार्यवाही चला रखी है। पिछली 28 तारीख को इस पर सदन में चर्चा हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सटे हुए जनपदों में आज आई० एस० आई० के कारण वहां की शान्ति-व्यवस्था व सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। चर्चा के बाद जो बिन्दु उभर कर आये, उन पर सरकार ने कोई जांच करायी कि नहीं करायी ? यदि कराई तो उसका परिणाम क्या निकला और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, काफी गम्भीर प्रकरण है। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और सरकार ने भी इसे उतनी ही गम्भीरता से लिया है। जिस चिन्ता से माननीय सदस्यों ने इसको लिया है, उसी के अनुसार इन्तजाम भी किये गये हैं। हमने बार्डर रेंज बनाये हैं। एक एडीशनल डी० जी० को इस पर लगाया है, उनके नीचे दो आई० जी व डी० आई० जी० की टीम तैयार की है, जो इसे देख रही है। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता बताई, उसकी जांच हमने की। जांच के बाद यह पाया गया कि इस प्रकार का कोई भी मदरसा आई० एस० आई० द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। परन्तु एहतियात के तौर पर हम सतर्क हैं। मैं यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भले ही उनके मनसूबे हो सकते हैं परन्तु वह मंसूबा कामयाब नहीं होगा और हम प्रदेश को किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में शामिल नहीं होने देंगे।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, बहुत ही संवेदनशील मामला है। अभी कुछ दिनों पहले दून एक्सप्रेस में एक बम विस्फोट होते-होते रह गया। इसके अन्दर एक सोफेस्टिकेटेड टाइमर लगा हुआ था। तो क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि उसमें किसी फोरेन एजेन्सी का हाथ था या फिर स्थानीय आतंकवादी ग्रुप का इसमें हाथ था ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं मैं मद संख्या 56 ले रहा हूं।

पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाली खाद्यान्न की मात्रा में माह अप्रैल, 1997 से भारी कमी कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं उसके निराकरण के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि 1997 में शुरु में खाद्यान्न की कटौती हुई थी जिसके कारण पर्वतीय अंचल में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। मान्यवर, पर्वतीय अंचलों की तुलना शहरी क्षेत्रों से नहीं की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की है, तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी

खाद्यान्न का संकट बना है, उसे दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या-क्या उपाय किये हैं, यह बता दें ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, पहाड़ का यह विशेष मुद्दा है । जब इस संबंध में प्रश्न आया था । तब आपकी पीठ से अनुमति दी गयी थी कि इसमें आधे घंटे की चर्चा होगी । मैं माननीय मंत्री जी से दो तीन बातें कहना चाहता हूं । एक तो यह है कि पहले यूनिट के हिसाब से था अब वह कार्ड के हिसाब से हो गया है । मान्यवर, पहाड़ में संयुक्त परिवार में तीस-तीस लोग रहते हैं तो 30 लोगों के लिये भी एक कार्ड है और एक व्यक्ति के लिये भी एक कार्ड है । दूसरा यह कि जो जनसंख्या है उसका डेढ़ गुना यूनिट ज्यादा है । जैसे पौड़ी में अगर जनसंख्या साढ़े सात लाख है तो यूनिट 10 लाख है, तो तीन-तीन चार लाख यूनिट बढ़ रहे हैं यह क्यों बढ़ रहे हैं इसके कारण भी खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है । और तीसरा यह कि जो बंगलादेशी घुसपैठिये वहां पर आ गये हैं और उनके राशन कार्ड बन गये हैं उससे भी संकट पैदा हो गया है । इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप उत्तरांचल में खाद्यान्न के लिये कोई स्थायी समाधान सुनिश्चित करें । मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तरांचल की समस्या के लिये ध्यान दिया है ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

जितनी भी खाद्यान्न से संबंधित व्यवस्था है, वह भारत सरकार के दिशा निर्देश पर है । जो पहले व्यवस्था खाद्यान्न वितरण की थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया है । अब गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी की रेखा के ऊपर की व्यवस्था की गयी है । पहले खाद्यान्न यूनिट के आधार पर मिलता था लेकिन अब परिवार के आधार पर मिलता है । पूर्वान्चल में लोग परेशान रहते हैं, इसलिये यह व्यवस्था की गयी है कि मैदानी क्षेत्र से खाद्यान्न उत्तरांचल को डाइवर्ट किया गया है, जिससे वहां पर जो परेशानी है वह दूर हो सकेगी । मैं यह बताना चाहता हूं कि जो खाद्यान्न दिया गया है, वह पर्वतीय क्षेत्र में उठाया नहीं गया है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है ।

जनपद मथुरा की तहसील मांट के ग्राम डामोली में परमपूज्य देवरहवा बाबा के समाधि स्थल पर यमुना नदी से दो हजार एकड़ भूमि का कटान तथा कटान से समाधि स्थल को खतरा उत्पन्न हो जाने के विषय में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जमुना नदी के किनारे बाबा जी की समाधि है, वहां पर भूमि का कटान हो रहा है और भूमि के कटान के कारण बाबा की समाधि को खतरा उत्पन्न हो गया है । इसके लिये 25.0 लाख रुपया स्वीकार किया गया था और मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, इससे भूमि का कटान बन्द हो जाये और समाधि की भी सुरक्षा हो जाये । इसमें लगाने के लिये पत्थर खनिज निगम से लेने थे, लेकिन लिये नहीं गये, जो पत्थर बाबा जी के भक्तों ने लाकर दिया है, उसी को लगा दिया गया है और फर्जी एडजस्टमेंट कर दिया गया है । जो पत्थर लगाया गया है, वह हल्के किस्म का है । इस प्रकार से बाबा की समाधि को खतरा उत्पन्न हो गया है, इसकी जांच करायी जाये ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

माननीय सरदार सिंह ने जो प्रकरण उठाया है, वह गम्भीर किस्म का है और हम इसके पूरे तथ्यों पर विचार करेंगे ।

नवसृजित जनपद महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 1995-96 से खनिज सम्पदा का अवैध रूप से अपनी पत्नी एवं लड़के के नाम पट्टा कराये जाने के विषय में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, महोबा जनपद के पुलिस अधीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग किया और तमाम सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम और लड़के के नाम पट्टा करा लिया है । यह भ्रष्ट अधिकारी है । उसने अमानत में खयामत की है । ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । यह दलितों की सरकार है और यह सरकार अपने को पारदर्शी बताती है, लेकिन इसके अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं । महोबा एक गरीब जिला है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपनी पत्नी के नाम तमाम सम्पत्ति का पट्टा कराया है । मान्यवर, अगर इस तरह से अधिकारी काम करेंगे तो प्रदेश की हालत पहले से ही खराब है । इन्होंने इस पांच महीने के अन्दर और भी हालत खराब कर दी है तो आगे क्या स्थिति होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं । मेरा अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और जो पट्टा किया है वह निरस्त किया जाय और उस पट्टे को वहां के शरीफ लोगों को दिया जाय । उन्होंने जो जमीन ली है वह कौड़ियों के भाव ली है उसका रेट अभी खादी ग्रामोद्योग में कई लाख लगाये हैं । (लाल बत्ती) इस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गरीबों से मजदूरी कराई है । पुलिस अधीक्षक जिले का मालिक होता है इससे वह दबाव में यह काम करा लेता है । वहां जो जरीब और अनपढ़ हैं उनकी स्थिति दयनीय है इसलिये मेरा अनुरोध है कि उनके पट्टे समाप्त किये जायें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह चर्चा का विषय इसलिये हुआ कि माननीय अरिमर्दन सिंह ने एक प्रश्न किया था जिसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि वहां के पुलिस अधीक्षक की पत्नी रामरती और उनके पुत्र के नाम तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पट्टे हुए हैं । जिस पर उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार उसकी जांच कराकर पट्टे निरस्त करेगी ? तो उसके उत्तर में कहा है कि प्रश्न नहीं उठता । तो यहां यह स्थिति हो तो उस सरकार से निष्पक्षता की आशा कैसे की जा सकती है । जहां पर आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो वहां की गरीब जनता एवं नौजवान की स्थिति क्या होगी ? मान्यवर, इनका क्षेत्र गरीब क्षेत्र है वहां के नौजवान बेरोजगार हैं । उनको खनिज उद्योग का पट्टा न मिलकर बड़े अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार वालों और अपने लड़कों के नाम पट्टे करवा लिये हैं और इस प्रकार करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित कर ली है । माननीय सदस्य ने इस विषय में एक प्रश्न किया था कि क्या इनका पट्टा निरस्त करेंगे तो जबाव इनका है प्रश्न नहीं उठता । तो जहां इतनी असंवेदनशील सरकार हो और सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार पनप रहा हो तो गरीबों की क्या स्थिति होगी ? यह एक गम्भीर विषय है । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आचार संहिता लागू होनी चाहिये और उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिये और जो सम्पत्ति उन्होंने अर्जित की है उसकी जांच होनी चाहिये । उन्होंने जो सम्पत्ति अर्जित की है, यह प्रदेश के राजस्व में अंकित हो जानी चाहिये । यह सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करती है तो वह दिल में संकल्प करती नहीं है । चूंकि जब माननीय सदस्य यह संकल्प लाये हैं तो उधर से जबाव आता है कि प्रश्न नहीं उठता । आप मान्यवर, हमारे हितों के संरक्षक हैं और अपना विवेक प्रयोग कर जांच कराने के आदेश दें अन्यथा अधिकारियों का यह प्रदेश चरागाह बन जायेगा जैसे बिहार में हुआ है उत्तर प्रदेश में भी अधिकारी चरने लगेंगे तब स्थिति क्या बनेगी यह आप समझ सकते हैं । तो मैं इस घटना के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हों जिन्होंने अवैध सम्पत्ति अर्जित की हो उनकी जांच कराई जाय ।

(दस बजे)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह बात शासन के संज्ञान में आयी है तो शासन ने निर्णय लिया कि यह जो आई० पी० एस० अधिकारी [illegible] हैं इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा खुली जांच कराने का शासन ने निर्णय लिया है। तो कुछ जांच के आधार पर आयेगा उसके तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में बन्द पड़े 78 शीतगृहों को तत्काल चालू कराकर उनमें भण्डारण कराये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

माननीय अध्यक्षता जी, सहकारी कोल्ड स्टोरेज को चालू किये जाने के संबंध में यह जो चर्चा रखी गयी है मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे जिले फर्रुखाबाद में 3 सहकारी कोल्ड स्टोरेज हैं। इनमें आलू का भंडारण किया गया था और इन तीनों कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ गया। किसानों से एडवांस में आलू का भाड़ा ले लिया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इन कोल्ड स्टोरेज की जांच करायें और जिन किसानों का आलू सड़ने के कारण नुकसान हुआ है उनको उसका मुआवजा दिलाया जाय। जिस समय पूर्व वर्ष में आलू रखा गया था तब भाड़ा 44 रुपये क्विंटल था किसान ने वही भाड़ा समझ कर इस बार आलू रखा।

(इस समय 10 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जब किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया तो कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को भाड़ा तय करने की छूट दे दी गयी जिससे किसानों के साथ भारी अन्याय हुआ। अगर किसानों को पहले से मालूम होता कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भाड़ा तय करने की छूट दी जायेगी तो किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू न रखता। मैं कहना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद जनपद में पूरे प्रदेश का 1/4 आलू का उत्पादन होता है जिसके कारण हमारे जिले के किसानों के सामने काफी संकट पैदा हो गया। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और कोल्ड स्टोरेज मालिकों को जो भाड़ा तय करने की छूट दी गयी है उसको समाप्त किया जाय। हमारे जिले में किसानों से कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने एडवांस में पैसा लिया था लेकिन उनके आलू का बीमा नहीं किया गया है जिससे किसानों को बीमे का पैसा न मिलने से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इस मामले की गम्भीरता से जांच करायी जाय और किसानों को तत्काल मुआवजा दिलवाया जाय। हमारे जिले के आलू की बाहर निर्यात करने की व्यवस्था करायी जाय और हमारे जिले में आलू पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाय ताकि किसानों का हित हो सके। इन शब्दों के साथ मान्यवर, चर्चा में आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों ने चर्चा की मांग की थी सूर्य प्रताप शाही, बनवारी लाल दोहरे, श्री केशव मेहरा, वह खड़े नहीं हुये। कैलाश जी खड़े हुये। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लाल सिंह वर्मा, श्री दल बहादुर कोरी नहीं हैं इसलिये यह चर्चा समाप्त की जाती है। अब चर्चा समाप्त की जाती है। जिन माननीय सदस्यों की है वह उपस्थित नहीं हैं। नियमों के अनुसार यह चर्चा निरस्त की जानी चाहिये।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर दो-दो मिनट चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम विरुद्ध हो जायेगा। अगर एक भी माननीय सदस्य होते तो मैं जरूर सुन लेता।

डा० अशोक बाजपेयी–

सारे नियमों को शिथिल कर दें इस पर चर्चा के लिये।

श्री अध्यक्ष -

अभी तक किसी नियम को शिथिल नहीं किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा) -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष -

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन के सफल संचालन हेतु व्यक्त किये गये आभार

श्री अध्यक्ष -

माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस सत्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से उन लोगों ने तत्परता से अपने प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, तर्क युक्त बातों को रखकर के सरकार को जवाब देने के लिये मजबूर किया उस सब के लिये मैं सभी माननीय सदस्यों को चूंकि यह लम्बा सत्र चला और समय अधिक लिया उसके लिये हम सभी माननीय सदस्यों के आभारी हैं और सबसे ज्यादा हम आभारी हैं इस अध्यक्ष पीठ पर आपके कुशल नेतृत्व में आपके जैसे विद्वान द्वारा उस कुर्सी पर बैठे रहने जिस तरह का सफल संचालन आपने किया है और निष्पक्ष होकर आपने अगर कभी अवसर आया है तो मंत्रियों को भी कहा है और आपसे प्रेरणा लेकर के सभी मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने काफी तैयारी करके, मेहनत करके सदन के माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश भी की है इसलिये विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से भी ज्यादा जो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी उसके प्रति मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो सहयोग दिया है उसके लिये सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आपके सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी जो रात-रात तक रहे। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है कि रात के 1.00 बजे तक विधान सभा का सत्र चला और दूसरे दिन फिर सभी कर्मचारी, अधिकारी 11.00 बजे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मिले। आपके यहां तो मान्यवर, 9 बजे से नोटिस लेना शुरू हो जाता है। यह भी आपके कुशल नेतृत्व में सम्भव हो पाया जो यह कीर्तिमान विधान सभा का सत्र स्थापित किया है शायद ही इतने लम्बे समय तक बैठने का गौरव किसी विधान सभा के सत्र को मिल पायेगा। दूसरी ओर खास तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय नेता विरोधी दल का। वैसे आज इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने तो मुझे काफी सहयोग दिया है उसके लिये मैं व्यक्तिगत आभारी हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

और मान्यवर, यह जो दूसरे दल के माननीय नेता गण हैं, उनका भी मैं आभारी हूं कि उन लोगों ने भी हर तरह से सहयोग दिया है और सरकार का ध्यान ज्वलंत समस्याओं की तरफ दिलाया है। हम उन ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने की हर संभव कोशिश करेंगे, प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश बने। भयरहित लोगों का जीवन हो उद्योग धन्धे आयें कानून का राज्य कायम हो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार

लोगों को रोजगार मिले प्रदेश तरक्की करे इसके लिये हम सतत प्रयास करते रहेंगे। हम आभरी हैं जो प्रेस दीर्घा में प्रेस के पत्रकार बन्धु बैठते हैं वह भी सदन में निर्देशानुसार सदन की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने का काम किये हैं। मीडिया के भी हम आभारी हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के खासतौर से मुख्य मंत्री जी के भाषण को, या दूसरे कार्यक्रम हैं काफी निष्पक्षता से जनता के सामने प्रस्तुत किया है। जो अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य का और जो हमारे सत्तापक्ष के मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं इन लोगों ने भी काफी मेहनत की है आगे बहुत कुछ सीखा है। मंत्रि परिषद् में नये सदस्य हैं इनका ज्ञानवर्धन हुआ है मेरा भी काफी ज्ञानवर्धन हुआ है और बहुत कुछ माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों से सीखने को मिला है इसके लिये हम सबके आभारी हैं। विशेष रूप से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब संसदीय कार्य मंत्री जी अनिश्चित काल के लिये उठने का प्रस्ताव कर रहे थे, अनिश्चित काल औपचारिक शब्द है हम जानते हैं सदन जब उठता है अनिश्चित काल के लिये उठता है हम सब इतने दिन तक विधान सभा में आते रहे सत्ता पक्ष और इस पक्ष के सदस्य एक साथ बैठते थे संसदीय जीवन में ऐसे आत्मीयता के क्षण आते हैं। भले ही अलग-अलग दलों में बैठते हैं लेकिन सदन के दरवाजे मे प्रवेश करते हैं तो सब सदन के सदस्य होते हैं। प्रदेश की समस्याओं को रखते हैं मांग करते हैं। दलों की परिधि से बंधकर आलोचना करते हैं और सुझाव देते हैं इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आलोचना और समालोचना करने का कार्य हमारा रहता है। अनिश्चित काल के लिये उठने का प्रस्ताव आया इससे कभी-कभी मन को पीड़ा होती है हम सोचे थे कि इसके साथ अगला सत्र होगा। बजट सत्र में प्रदेश की तमाम ज्वलन्त समस्याओं पर सदन में उपस्थित होकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आपकी व्यवस्थायें आईं और उचित मार्ग दर्शन दिया। इधर भी और सरकार को भी। ग्राह्यता या संवेदनशीलता पर बल दिया। अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रदेश को विकास की दिशा को कैसे आगे बढ़ा सकें इस संबंध में जो योगदान होता है इसका प्रयास करते हैं। यह प्रयास रहता है कि प्रदेश के हित में हम चिन्तन करें लेकिन कभी-कभी तनाव की स्थिति आ जाती है उसका बाद में कोई प्रभाव नहीं रहता है तात्कालिक घटना के प्रभाव से कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब कभी भी ऐसी स्थिति अयी है वह क्षणिक रही है। हम आपके इस निर्देशन में इस गरिमामय पीठ पर बैठने के लिये सराहना करते हैं।

हमने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी को देखा तो नहीं है लेकिन उनके संबंध में पढ़ा जरूर है, तो आप उनकी ही प्रतिमूर्ति हैं, जब उस आसन पर बैठते हैं तो नहीं लगता है कि आप किसी दल से सम्बद्ध हैं। वहां पर बैठकर हमारे अधिकारों की रक्षा करना, सरकार को सहयोग देना और विपक्ष की आवाज दबने न पाये यह आपका हमेशा प्रयास रहा है। कई बार ऐसा होता है कि नये सदस्य अपनी बात को प्रश्नों के माध्यम से यहां उठाना चाहते हैं लेकिन उनके प्रश्न सुसंगत नहीं होते हैं तो आप मा० सदस्यों की भावना को देखते हुए कई बार मौका दे देते हैं और सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित हो जाये और कार्यवाही कर दी जाए, यह आपका लगातार प्रयास रहा है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पिछले 25 दिनों में कई बार विरोध पक्ष ने आक्षेप किये होंगे लेकिन उन्होंने सहृदय होकर विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया और हम लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसलिये मैं उनकी सराहना करता हूं कि इस सदन को संचालन करने में उन्होंने अपूर्व सहयोग दिया है। विपक्ष के सभी मा० सदस्यों ने और नेताओं ने प्रदेश की समस्याओं को समय-समय पर यहां उठाकर अपने दायित्वों के निर्वहन का काम किया है। और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के बजट को अच्छे ढंग से पास कर पाते,

उस पर विचार कर पाते और मा० सदस्य अपनी-अपनी राय और अपने-अपने सुझाव दे देते जिसका निरन्तर प्रयास भी मा० सदस्यों ने किया और आपकी भी यही इच्छा रही । मान्यवर, बजट सत्र जैसा भी हो लेकिन एक-एक दिन में कई-कई मदें आने से उन पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी। लेकिन जो भी हुआ है मैं समझता हूं कि कम से कम हमारे सभी सदस्यों और नये सदस्यों को इस विधान सभा की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिला है । मान्यवर, यह सदन तो निरन्तर शिक्षा का है और कितने ही दिन यहां रह लिया जाए लेकिन एक जिज्ञासु और एक विद्यार्थी ही रहना है । इसलिये हम सभी इस सदन के विद्यार्थी हैं और समय-समय पर आपसे हमको मार्गदर्शन मिलता रहा और हमें अपने दायित्वों के प्रति आप सजग करते रहे हैं ।

मा० अध्यक्ष महोदय, कभी अवसाद के समय में हमारे साथी लोग कुछ आचरण ऐसा किये हैं जिससे आपको पीड़ा हुई हो तो उसके लिये मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे क्षमा चाहूंगा । मान्यवर, जब आप कभी दुखी दिखाई पड़े हैं तो हम सभी को अंतरपीड़ा रही है । आपसे किसी को शिकायत नहीं रही है । सरकार से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मान्यवर, सरकार से गुस्सा रहती है लेकिन पीठ के प्रति नहीं । इसलिये मैं आपसे क्षमा चाहूंगा । यदि कभी सत्ता पक्ष के सदस्यों अथवा दूसरे मा० सदस्यों से कभी तनाव हो गया हो तो उसको वह मलाल न रखें ।

मान्यवर, अन्त में मैं सभी मा० सदस्यों को अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रुचि लेकर 12-12 बजे रात तक सदन के चलने पर उपस्थित रहे और आज भी सदन इतनी देर तक बैठा हुआ है । तो यह विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी हमारे परिवार के अंग हैं और विधायकों से रिश्ता जुड़ा है तो विधान सभा कर्मचारियों से जुड़ा है । यह हमारे सुख दुख से जुड़े हुए लोग हैं । इन्होंने रात दिन काम किया है । रात को देर से जाना और सुबह जल्दी आना जो भी सम्भव हो सका प्रश्नों के उत्तर मंगाने की कार्यवाही इस सबमें इन्होंने अपना योगदान दिया है । मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ तथा इस अपेक्षा के साथ कि आप सदन को जल्दी ही आहूत करेंगे । अनिश्चित काल की औपचारिकता केवल औपचारिकता रहेगी कोई निश्चित अवधि में हमारा पुनः समागम होगा मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"-

मान्यवर, आज इस बजट सत्र का अवसान हो रहा है । शीघ्र ही फिर से मिलेंगे इस भावना के साथ हम विदा हो रहे हैं । विदाई की आज की तिथि भी बहुत शुभ है आज श्रावण की 22वीं तिथि है । प्रस्थान के लिये आज की तिथि बड़ी शुभ मानी जाती है । यहां से हम अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं । जिनके हित साधन हेतु हम यहां आये थे उन्हीं के लिये आज हम विदा ले रहे हैं । शीघ्र मिलेंगे यह भावना है । आज की शुभ तिथि के दिन विदाई का यह अवसर आया है । यह बड़ा संयोग रहा है । आपने जिस कुशलता के साथ अनेक व्यवधानों के बाद भी इस सदन का संचालन किया है उसे देखकर मन का विश्वास बढ़ा है कि यह 13वीं विधान सभा अपने कार्यकाल को आपकी अध्यक्षता में पूरा करे । जब कभी हमारे साथी सदन के फ्लोर में कूद पड़ते थे तो उस समय मार्शल सहित सभी सुरक्षा कर्मी उनको किस तरह से प्यार से पकड़ कर उनसे लिपट जाते थे । इस प्रकार वह अपने कर्तव्य का पालन करते थे। वह पूरे आदर भाव के साथ उनको पकड़ते थे । यह बातें याद रहेंगी । रिपोर्ट्स और पत्रकार बन्धुओं ने जिस प्रकार अपना योगदान दिया है मैं समझता हूं कि सभी उसके आभारी हैं । इस सदन में हम सभी साथी अनेक विषयों पर जिस तरह से चर्चा करते रहे हैं मैं समझता हूं वह सुखद भी था और शिक्षा प्रद भी था । इस सत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं लेकिन बजट समितियों के गठन का निर्णय बड़ी उपलब्धि है । केरल में 1980 से बजट समितियां चल रही हैं । इस विषय का कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के पूर्व केरल विधान सभा में 1980 से जो समिति चल रही हैं उसका पूरा अध्ययन कर लिया जाए जिससे उसमें कुछ जोड़कर उसे अपने यहां लागू कर सकें । आज हमारे बहुत से नौजवान

साथी जो भटक गये थे अब कहने लगे हैं कि नियुक्तियों पर जो रोक लगी थी वह रोक हट गयी है चलो मेरे जीवन की धन्य हो गयी। कभी-कभी ऐसा लगता था कि वातावरण खिन्नता में बदल जायेगा लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी देर में फिर से आपस में मिल जुल कर बात करते थे। इस नाते कुछ मीठे और कुछ कड़वे अनुभव भी आये लेकिन विदाई की इस वेला में हम उसको भुल जायें। उन सभी मित्रों, साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए फिर से शीघ्र मिलने की अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी ने और हमारे सम्मानित डा० अशोक बाजपेयी जी ने, हरीश जी ने इस सत्रावसान के अवसर पर जो अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त किये हैं, मैं सभी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। आज सत्रावसान है कल से अगर कुछ शेष रह जायेंगी तो स्मृतियां रह जायेंगी, हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे, इस सदन के पिछले 25 दिन के सत्र की वह तमाम स्मृतियां समेटे हुए माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में रहेंगे। तमाम उत्तेजना और तनावपूर्ण क्षण आने के बावजूद भी सभी की याद आयेगी कि फिर हम कब मिलेंगे। एक बात पूरे सदन के लिये गौरव का विषय है कि इस 13वीं विधान सभा की आज 13वीं तारीख है आज की कार्यवाही ने भविष्य के इतिहास का सृजन किया है। आज इस कार्यसूची में देखें तो 16 चर्चायें लगी थीं। इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने उनमें भाग लिया, 31 वक्तव्य थे। यह लग रहा था कि शायद ही यह चर्चा आज पूरी होगी। विगत दिन में जैसे हम काम से बोझिल हो जाते थे, तब इनको स्थगित करने की प्रार्थना आपसे करते थे और आप कृपा पूर्वक करते भी थे लेकिन आज सत्र का अन्तिम दिन था, काम का बोझ भी रहा लेकिन अभिरुचि देखिये कि अर्द्ध रात्रि के करीब पहुंच चुके हैं इसके बावजूद भी उसी उमंग और जोश से बैठे हुए हैं और तमाम सदस्यों ने उमंग के साथ चर्चा में भाग लिया और वक्तव्यों पर अनुपूरक प्रश्न भी किये।

जब बजट सत्र प्रारम्भ हुआ तो मेरे जैसे सेवक के मन में यह था कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें सदन को सुचारु रूप से संचालित करने में बहुत सी कठिनाइयां आयेंगी, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और आपके लिये भी लेकिन यह आशंका निर्मूल साबित हुई और यकीनन इस पीठ पर बैठकर, आपके निर्णयों से फैसलों और व्यवस्थाओं से सभी सम्मानित सदस्यों के मन में विश्वास पैदा कि या तथा तमाम हमारे नये माननीय सदस्यों के मन में विश्वास पैदा किया। नये सदस्यों को भी अहसास हो गया कि अगर आप पीठ पर बैठे हैं तो सभी सदस्यों को बल्कि जो नये सदस्य हैं उनको अधिक से अधिक अपने क्षेत्र की, प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को उठाने का मौका देंगे। आपने पूरे सदन को सुचारु रूप से चलाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। संसदीय कार्यमंत्री या मंत्रियों को भी पूर्ण सहयोग किया और आपके द्वारा उन्हें सहायता मिलती रही। हम प्रतिपक्ष के लोग जब बैठते थे तो हमें इस बात का विश्वास होता था कि हमें आपका पूर्ण विश्वास मिल रहा है और अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर रहे हैं। तमाम नये सदस्यों की प्रतिभाओं में निखार आया चाहे मुन्ना चौहान जी हो, अम्बरीश जी हों या सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव हो तमाम सदस्य यहां उपस्थित नहीं है सत्ता पक्ष में भी तमाम माननीय सदस्यों को अपनी प्रतिभायें प्रस्फुटित करने का मौका मिला वह आपकी पीठ को श्रेय जाता है। आपका हमेशा प्रयास रहा है कि संसदीय परम्पराओं के निर्वाह में किसी तरह से नये सदस्यों को मौका मिले। मान्यवर, उन परिस्थितियों का जो समन्वय और सामंजस्य आपने किया, उसके लिये मैं आपका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्रीमन् माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि लम्बे समय तक यह सत्र चला। सत्र तो लम्बे समय तक नहीं चला, सत्र तो छोटा ही चला, किन्तु लम्बे समय तक बैठकर हम लोगों ने कार्य अवश्य किया। कभी 12 बजे रात तक बैठे, कभी 1 बजे रात तक बैठे। कभी-कभी ऐसा लगता था कि बजट पर चर्चा नहीं हो पायेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब लोगों की रूचियां थीं और कम समय में अधिक से अधिक सदस्यों

ने अपनी हिस्सेदारी निभाई, अपनी जवाबदेही निभाई और जो मतदाताओं के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति, जनमानस की जो आकांक्षायें थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप कसौटी पर खरे उतरने का प्रयास किया । जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है, कुछ उपलब्धियां अवश्य हुई हैं । कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हुये हैं, जैसे 5 साल, 10 साल के कैजुअल डेलीवेजेज को रेगुलराइज करने की बात हो । सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि आपके नेतृत्व में संसदीय समितियों के गठन का प्रस्ताव हुआ है, अगले सत्र में जब हम लोग मिलेंगे, तो हम सब संसदीय समितियों के साथ पूर्तपूर्ण होंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

मान्यवर, यह सत्र निश्चित रूप से तब और ऐतिहासिक हो जाता, तवारीखी हो जाता, यदि इस सत्र में सरकार की तरफ से विधायक विकास निधि के गठन की घोषणा हो जाती । मैं समझता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने भविष्य के कार्य को देखा होगा तो निश्चित तौर से अगले सत्र के बारे में आपसे परामर्श भी किया होगा । तमाम सम्मानित विधायकों की जो कठिनाईयां हैं, हम सब लोगों की अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उसका निर्वहन करने के लिये जल्द ही सत्र पुनः आहूत हो, यह मेरी उम्मीद है । बहुत से ऐसे मौके आये, जब राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद भी विकास के सवाल पर पूरा सदन एकमत था । कई बार विषय उठा, आपसे मैं कितना मतैक्य था और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी सूचना के अधिकार का और 311 के प्रस्ताव पर भी अपने विचारों को हमसे सम्बद्ध किया, वह इस बात का द्योतक है कि इस सदन में जब हम आते हैं, केवल राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर, एक दूसरे से अलग पार्टियों के होते हुये भी केवल विरोध के लिये ही विरोध नहीं करते, बल्कि सभी ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है और पूरी निष्ठा के साथ जिस चीज को महसूस किया, वह इस पूरे प्रदेश के लिये आवश्यक है । अन्त में मैं अपने सभी सम्मानित साथियों, दलीय नेताओं का विशेष रूप से आभारी हूं और आपका विशेष रूप से आभारी हूं, जो आपने हम लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया । विधान सभा रिपोर्टर्स का तथा अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम आसरे पासवान–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय डा० अशोक बाजपेई जी, आदरणीय नेता भाजपा, आदरणीय नेता कांग्रेस आई ने जो विचार भरे सम्बोधन दोनों पक्ष के लिये किये हैं मैं अपने विचारों से उनके विचारों को सम्बद्ध करता हूं और दोनों पक्षों के सदस्यों का हृदय से अभिनन्दन करता हूं हम सब लोगों ने मिलकर प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को हल किया यह सब कार्यवाही आपके माध्यम से सफल हुई है इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय डा० अशोक बाजपेयी जी, माननीय हरीश जी, माननीय पाल साहब, माननीय पासवान जी ने जिस खुशी के माहौल में आज के अन्तिम क्षणों में जो सुन्दर माहौल पैदा किया इसके लिए मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूं । श्रीमन्, आपके मार्ग दर्शन में और आपके निर्देशन में माननीय सदन में ऐसे अवसर आये जिसमें मर्यादाओं की, संसदीय परम्पराओं की नई अनुभूति हुई और जाने अनजाने में माननीय सदस्यों ने जिन मर्यादाओं का निर्वहन करने के लिये अपने पग बढ़ाये उस संकटपूर्ण क्षणों में आपने जो निर्देश दिया उससे इस सदन में जो गरिमायम स्थिति पैदा हुई उसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । श्रीमन्, सुरक्षा कर्मियों ने और सारे कर्मियों ने जिस मर्यादा का निर्वाह किया इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिस गरिमा और निष्ठा के साथ संकटपूर्ण क्षणों में हंसमुख मुद्रा से हम सभी सदस्यों को आनन्दित करने का काम किया उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद देते हैं । इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इस सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया

इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर,सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों तथा विशेषकर विधान सभा के रिपार्टर भाइयों का, उनके साथ जो दुर्व्यवहार के क्षण आये इस पर भी जो मर्यादा और दायित्व निभाने का सराहनीय कार्य किया इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हमारी सुरक्षा से बढ़कर जिस प्रकार से हम सब के साथ मिलकर इस सदन की मर्यादा को बढ़ाने में उनका योगदान है और संकटपूर्ण क्षणों में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए हम सभी सदन के सदस्य क्षमा चाहते हैं ।आप सब का बहुत बहुत आभारी हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सारे वरिष्ठ सदस्यों का बहुत आभारी हूं हम लोग तो नये सदस्यों के रूप में प्रथम बार इस सभा में आये थे बहुत शंकाए मन में थी लेकिन सभी वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से और आपके मार्ग दर्शन से वह शंकाएं दूर हुई और हम लोग अपनी बात रखने में सफल हुए । मैं आपका बहुत आभारी हूं जिस व्यक्ति को आप जैसा मार्ग दर्शक मिलता है कौन उसके भाग्य से ईर्ष्या नहीं करेगा, मेरा ऐसा सोचना है ? मान्यवर, जब बलराम जाखड़ जी लोक सभा के स्पीकर थे तो वह हरिद्वार आये थे । अपनी स्थिति का वर्जन करते हुए दो लाइने पढ़ी थी–

ये कैसा दस्तूरे जुबां बन्दी है तेरे महफिल का किताब करने को तरसती है जुबां मेरी ।

लेकिन मान्यवर, स्पीकर की उस स्थिति को आपने यहां बिलकुल बदल दिया आपका और हम लोगों का इतना संवाद रहा कि यह जो स्पीकर के बारे में कहते हैं कि स्पीकर नाम होता है लेकिन वह चुप रहता है, यह सारी परम्परा इस सदन में बदल दी गयी । मैं पुनः अपने वरिष्ठ सदस्यों का और आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और यह वायदा भी आपसे करता हूं और सभी वरिष्ठ सदस्यों से करता हूं कि हम सभी नये सदस्य लोग यह प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक परम्पराओं को जीवित रखने का काम करें ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं सभी कर्मचारियों का,सुरक्षा कर्मियों का और खास तौर से प्रतिवेदकों का आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय डा० अशोक बाजपेयी जी, माननीय श्री हरीश चन्द्र "हरीश" जी, माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय श्री रघुवर दयाल वर्मा,माननीय श्री राम आसरे पासवान जी, माननीय श्री अम्बरीश कुमार जी और सभी माननीय सदस्यगण–बजट के सत्र का आज सत्रावसान हो रहा है । यह कोई अवसाद का क्षण नहीं है । संविधान में एक सीमा निर्धारित की गयी है कि एक सत्र और आगे आने वाले सत्र में 6 महीने का अन्तराल नहीं होगा तो 6 महीने की अवधि तक विधान सभा अगर बनी रही तो उस अवधि के भीतर तो हमें पुनः मिलना ही है ।

इस सत्र में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना था और हुए भी । मैंने जो 2-3 विशेष बातें देखी हैं उनका ही कुछ उल्लेख करना चाहूंगा । इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों में असीम क्षमता संसदीय लोकतंत्र की रक्षा लिये मुझे दिखाई पड़ी । पुराने कुछ माननीय सदस्यों के अन्दर यह भी व्यग्रता दिखाई पड़ी कि लोग इस सदन की परिपाटी को उनसे सीखें । अध्यक्ष पीठ से मैं प्रयास करता रहा कि यथा संभव अधिक से अधिक माननीय सदस्य इस सदन की कार्यवाही में भाग ले सके । विभिन्न कार्य से, कभी परिस्थितियों के कारण, कभी समय के अभाव के कारण, कभी कुछ तनाव के क्षण आ गये उस कारण सदन का स्थगन हुआ । समय की उस कमी को सायंकाल 5 बजे के बाद भी बैठकर पूरा करने का प्रयास किया गया और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि काफी देर तक बैठ कर कार्य को सम्पूर्ण कराने में सब ने सहयोग दिया । हो सकता है कि मेरे निर्णयों और व्यवस्थाओं से कुछ माननीय सदस्य संतुष्ट न हुए हों पर मेरा प्रयास यही था कि यथा संभव सदन चलता रहे और कार्य सूची का क्रम

बढ़ता रहे और इसी का जो थोड़े बहुत नियमों में अपने आप शिथिलता हो जाती थी उसको जानते हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की ।

सत्ता पक्ष के लोगों को कभी-कभी इस बार व्यवस्था का प्रश्न उठाने का भी अवसर मिल गया । परन्तु चाहे विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य हों, सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य हों, मेरी भावना और विश्वास को पहचानते रहे कि उसके पीछे न किसी को प्रताड़ित करने की भावना रही और न कोई दुर्भावना । केवल सदन में कार्य चलता रहे इसीलिये मैंने यह प्रयास किया था, एक प्रयोग था, एक प्रकार से और मेरी दृष्टि में वह सम्पन्न हुआ । विपक्ष के शस्त्रागार में जितने शस्त्र थे, शासन पर प्रहार करने के लिए, उनका उन्होंने प्रयोग किया और सरकार की ओर से भी विपक्ष की बातों का समुचित उत्तर दिया गया । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने लगभग अकेले ही, दूसरे माननीय मंत्रिगण अपने को उपेक्षित न समझें, सरकारी पक्ष को बड़ी कुशलतापूर्वक, बड़ी विनम्रतापूर्वक और जहां पर दृढ़ता की आवश्यकता हुई, वहां दृढ़तापूर्वक रखने का प्रयास किया । विपक्ष की ओर से भी सभी दलों के माननीय नेतागण ने और उनके दलों के अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी क्षमता भर सरकार की आलोचना की लेकिन उस आलोचना के साथ-साथ रचनात्मक सुझाव भी दिये । इस सदन के अन्दर मोटेतौर पर सद्भाव का वातावरण बना रहा । एक-दो अवसर ऐसे आये जब लगा कि कहीं तनाव न बढ़ जाय लेकिन सभी के सहयोग से शीघ्र ही सद्भाव का वातावरण बना, एक सहयोग की भावना इस सत्र में मुझे दृष्टिगोचर हुई ।

मैं माननीय नेता विरोधी दल का भी आभारी हूं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही के संचालन में मुझे और मुझसे भी अधिक सरकार की सहायता की । अनेक अवसर ऐसे आये, जिन पर मेरी इच्छा थी कि विभिन्न विभागों के अनुदानों पर, वे माननीय सदस्यगण जिन्होंने घण्टों पुस्तकालय में जाकर अपने भाषण तैयार किये थे, उनको अवसर मिल सके परन्तु विभिन्न कारणों से उनको अवसर नहीं मिल सका फिर भी काफी माननीय सदस्यों ने, जिन-जिन अनुदानों पर चर्चा हुई, उसमें भाग लिया और अपने मूल्यवान सुझाव भी दिये । सत्ता पक्ष की ओर से भी जो पहली बार मंत्रि-परिषद् के सदस्य हुए थे, ऐसे मंत्रियों ने भी सन्तोषजनक ढंग से इस सदन में अपने दायित्वों का निर्वहन किया । उनमें कई मंत्रियों के अन्दर मुझे भविष्य में अच्छी सम्भावना दिखायी पड़ी । मुझे विश्वास है कि संसदीय लोकतन्त्र को परिपुष्ट करने में, उसकी परम्पराओं को और सुदृढ़ करने में, विधान सभा के इस बजट सत्र में जो अनुभव आये, वे सभी सहायक होंगे । इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों, मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलों के माननीय नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद भी देता हूं । मैं अपने सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो भी दायित्व उन्हें दिया गया, चाहें वह कार्यालय समय से पहले आने का हो और देर रात तक कार्य को अंजाम देने का हो, सभी को उन्होंने बहुत ही सफलता पूर्वक पूरा किया । मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने रिपोर्ट्स को । क्योंकि जब भी विपक्ष वैल पर आ गया तो सबसे पहले और सबसे नजदीक रिपोटर्स वर्ग उनके सामने आया, उन सभी ने अपने संयम का परिचय दिया । मैं विशेष रूप से अपने सुरक्षा कर्मचारियों का भी उल्लेख करना चाहूंगा । जिन्हें थोड़ी बहुत शिकायत थी लेकिन उन्होंने उस शिकायत को भी अपनी ड्यूटी समझा, अपने कर्तव्य का एक अंग मानकर सारी बातें सहन कर गये और एक अच्छे वातावरण में इस सदन का कार्य संचालित किया । आज सत्रावसान हो रहा है और हम लोग एक-दूसरे के प्रति बढ़े हुए विश्वास को

लेकर जा रहे हैं, वहीं एक नया स्नेह और सद्भाव को लेकर भी जा रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूं । अब हम लोग राष्ट्रीय-गान गायेंगे ।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य विधाता ॥
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे , जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं ।

इसके बाद सदन रात्रि 10 बजकर 57 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
दिनांक 13 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'ग' में ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

आयुर्वेद

भारतीय चिकित्सा संस्था अर्जन एवं प्रकीर्ण (उपबन्ध) विधेयक का उल्लंघन करते हुए प्रदेश में चल रही आयुर्वेदिक संस्थाओं की सूची।

1–गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा।
2–गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार।
3–हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद।
4–राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सुहागपुर धामपुर, बिजनौर।
5–मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया।
6–स्वामी विवेकानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, अरौल, कानपुर।
7–महावीर आयुर्वेद महाविद्यालय, अम्बेरा, मिर्जापुर, सोनभद्र।
8–श्री दूधनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, जेलरोड, सुल्तानपुर।
9–परशुराम पुरिया, आयुर्वेद महाविद्यालय, खेतासराय, जौनपुर।
10–श्री दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, बटजेवारा, सरधना रोड़, मेरठ।
11–विवेकानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय वैद्य भवन, नौतनवां बाजार, गोरखपुर।
12–दयानन्द आयुर्वेद कालेज, अल्हागंज, शाहजहांपुर।
13–धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलखुआ, गाजियाबाद।
14–पं० मोती लाल नेहरू आयुर्वेद महाविद्यालय, डी०एल०डब्लू, ककरमत्ता, वाराणसी।
15–श्री बड़े महादेव आयुर्वेद महाविद्यालय, मऊ रानीपुर, झांसी।
16–श्री कल्याणदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, अनूपशहर, बुलन्दशहर (सात सरायकोहना डिप्टीगंज, डाकघर, बुलन्दशहर)।
17–अर्जुन आयुर्वेद महाविद्यालय, रामपुरी, जगतगंज, वाराणसी।
18–स्वामी दिव्यानन्द जी भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद महाविद्यालय, सन्तकृपाल नगर, सण्डीला, हरदोई।
19–राजा राधवर्सल आयुर्वेद महाविद्यालय, गांधीनगर, बस्ती।
20–धनवन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, पंडरी बाजार, गोरखपुर।
21–महर्षि चरक आयुर्वेद कालेज रुड़की रोड, देवबन्द, सहारनपुर।
22–हिमालयन आयुर्वेद कालेज, एल-4,इण्डस्ट्रीज एरिया, परसाखेड़ा, बरेली।
23–गढ़वाल आयुर्वेदिक कालेज, बल्लीवाल चौक देहरादून।
24–सत्यसाईं आयुर्वेद महाविद्यालय, मानव कल्याण संस्थान, नारायणपुर, मिर्जापुर।
25–सरस्वती एजूकेशनल सोसाइटी, मुरादाबाद, नयागंज, पी०ए०सी० तहसील, सदर मुरादाबाद।
26–ख्वाजा गरीब एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, 178, बल्लूपुर, देहरादून।
27–शकुन्तला देवी, न्यू नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मंगलौर चौकी, देवबन्द, सहारनपुर।
28–श्री श्यामदेव यादव आयुर्वेद मेडिकल कालेज, नन्दगंज, गाजीपुर।
29–सन्त कबीर आयुर्वेदिक कालेज, मगहर, बस्ती।
30–देहरादून आयुर्वेदिक कालेज, सहस्त्र धारा रोड, देहरादून।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

31–अरन्स सेवा समिति मेडिकल कालेज, पलीनगर, बुलन्दशहर ।

यूनानी

भारतीय चिकित्सा संस्था अर्जन एवं प्रकीर्ण (उपबन्ध) विधेयक का उल्लंघन करते हुए प्रदेश में चल रही यूनानी संस्थाओं की सूची

1–अब्बास मिनातुल्लाह यूनानी मेडिकल कालेज, 120-सी, जाजमऊ, कानपुर ।

2–डा० जाकिर हुसैन, यूनानी मेडिकल कालेज, बेगमवार्ड, 25/11, प्रतापगढ़ ।

3–हाजी मुर्शरफ मेमोरियल, सोसाइटी, तेलीबाग, लखनऊ ।

4–अजमत खां, तिब्बिया कालेज, विमलाना रोड, मुजफ्फरनगर ।

5–राजीव उददिल्लाह एजूकेशनल, कोतवाली कोटद्वार रोड, नजीराबाद, बिजनौर ।

6–अमीर खुसरो गंज डुंडवारा, एटा ।

7–बुन्देलखण्ड यूनानी मेडिकल कालेज, उरई, जालौन ।

8–फातिमा मेडिकल इस्टीट्यूट सोसाइटी, 535 रसीदनगर, लिसार रोड, मेरठ ।

9–फखरुद्दीन अली अहमद तिब्बिया कालेज, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर ।

एलोपैथिक

1–एस० आर० मेडिकल कोलेज, सीतापुर ।

2–डा० राम मनोहर लोहिया डेन्टल कालेज, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

स्लैक एवं ब्रीज कोल उपभोग करने वाली औद्योगिक इकाईयों की सूची

क्रमांक	इकाई का नाम व पता	उत्पादन
1	मै० प्रिया इण्टरप्राइजेज, जमालपुर, शाहपुर, नरायनपुर, मिर्जापुर	कोल ब्रिकेट
2	मै० प्रशान्त इन्टरप्राइजेज, जमालपुर, शाहपुर, मिर्जापुर	,,
3	मै० रिलायन्स इन्टरप्रइजेज, शाहपुर, नरायनपुर, मिर्जापुर	,,
4	मै० आर० आर० इन्टरप्राइजेज, सिखाड़, मिर्जापुर	,,
5	मै० चन्द्रा कोल ब्रिकेट, सिखरा, बरायनपुर, मिर्जापुर	,,
6	मै० फ्रेण्ड्स इन्टरप्राइजेज, वरडेहा, घलिया, मिर्जापुर	,,
7	मै० द्विवेदी कोल ब्रिकेटिंग, बघेरी रोड, शेरपुर, मिर्जापुर	,,
8	मै० सोनी कोल ब्रिकेट्स, बघेरी रोड, शेरपुर, मिर्जापुर	,,
9	मै० बामा कोल ब्रिकेट, शेरपुर, मिर्जापुर	,,
10	मै० अमर इन्टरप्राइजेज, बहादुरपुर, कवालपुर, मिर्जापुर	,,
11	मै० पारस कोल ब्रिकेट, पछेवर, चुनार, मिर्जापुर	,,
12	मै० चुनार कोल ब्रिकेट्स, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर	,,
13	मै० अमर इन्डस्ट्रीज पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर	,,
14	मै० प्रकाश फ्यूल इण्ड०, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर	,,
15	मै० फेयर्स इन्टरप्राइजेज, जमालपुर, शाहपुर, मिर्जापुर	,,
16	मै० चुनार फ्यूल इण्ड० बहरामेगंज, चुनार, मिर्जापुर	,,
17	मै० परमजीत इन्टरप्राइजेज, जमालपुर, नरायनपुर, मिर्जापुर	,,
18	मै० गंगा इण्ड० पथरहिया, बल्लीपुर, चुनार, मिर्जापुर	,,
19	मै० आनन्द इन्टरप्राइजेज, समासपुर, बहरामगंज, चुनार, मिर्जापुर	,,
20	मै० न्यू इण्डिया इन्टरप्राइजेज, ज्वालापुर, सहापुर, मिर्जापुर	,,
21	मै० विनय इण्ड० पथरहिया, चुनार, मिर्जापुर	,,
22	मै० लक्ष्मी कोल बिकेट्स, सुक्रति, मिर्जापुर	,,
23	मै० गंगोत्री ट्रेडिंग के०, मारफा, मिर्जापुर	,,
24	मै० सिंह इण्ड० मारफा, मिर्जापुर	,,
25	मै० बिरला इन्टरप्राइजेज, मारक्का, मिर्जापुर	,,
26	मै० ब्रिकेटिंग इन्टरप्राइजेज, चुनार, मिर्जापुर	,,
27	मै० महादेव इण्ड० मारफन, चुनार, मिर्जापुर	,,
28	मै० पारस इन्टरप्राइजेज, मारफा, चुनार, मिर्जापुर	,,
29	मै० विपिन एण्ड कं० मारफा, चुनार, मिर्जापुर	,,
30	मै० मॉ इन्टरप्राइजेज, मारफा, चुनार, मिर्जापुर	,,
31	मै० गनपति इन्टरप्राइजेज, चुनार, मिर्जापुर	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
32	मै० अचित्य इन्टरप्राइजेज, कैलिहट, मिर्जापुर	,,
33	मै० वसुन्धरा उद्योग, कैलिहट, चुनार, मिर्जापुर	,,
34	मै० गिरिराज इन्टरप्राइजेज, चुनार, मिर्जापुर	,,
35	मै० कुमार कोल ब्रिकेट्स इण्ड०, कैलिहट, चुनार, मिर्जापुर	,,
36	मै० जय मां शारदा कोल ब्रिकेट्स इण्ड० कुमारपुर, मिर्जापुर	,,
37	मै० लक्ष्मी फ्यूस, कनवायी, चुनार, मिर्जापुर	,,
38	मै० राजदीप इन्टरप्राइजेज, मगराहा, मिर्जापुर	,,
39	मै० मुन्ना इण्ड० कमालपुर, नरायनपुर, मिर्जापुर	,,
40	मै० जय श्री राम कोल ब्रिकेट्स, जंगी रोड, मिर्जापुर	,,
41	मै० प्रेम कोल ब्रिकेट्स, शिकरा, बरईपुर, मिर्जापुर	,,
42	मै० प्रिया इन्टरप्राइजेज, कमालपुर, नरायनपुर, मिर्जापुर	,,
43	मै० विन्ध्य इण्ड०, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर	,,
44	मै० देवी फ्यूस, अमरावती, मिर्जापुर	,,
45	मै० श्री गोपाल फ्यूस, मुजेहरा, मिर्जापुर	,,
46	मै० विन्ध्याचल फ्यूस एवं कैमिकल्स, सिधोरा, मिर्जापुर	,,
47	मै० कोहिनूर फ्यूस, रामबाग रोड, चुनार, मिर्जापुर	,,
48	मै० जनता किचंन प्रोडक्ट, वसुन्धरा, हलिया, मिर्जापुर	,,

जनपद मिर्जापुर में स्टीम कोल उपभोग करने वाली औद्योगिक इकाइयां

क्रमांक	इकाई का नाम व पता	उत्पादन
1	मैसर्स श्री पूरना लाइम इण्ड०, गोसाईपुर, पो० चुनार, मिर्जापुर	लाइम
2	मैसर्स चन्देल लाइम वर्क्स, बरकच्चा, मिर्जापुर	,,
3	मैसर्स राजपूत लाइम स्टोर, बरकच्चा, मिर्जापुर	,,
4	मैसर्स शारदा लाइम इण्ड० गोसाईपुर, चुनार, मिर्जापुर	,,
5	मैसर्स अन्नपूर्ण कारपेट प्रा० लि०, नकहाशा रोड, मिर्जापुर	ऊलेन्डाइंग यार्न
6	मैसर्स अमर केमिकल इण्ड०, डी०-12,इण्ड० स्टेट, मिर्जापुर	डाईग कैमिकल्स, पेन्ट्स
7	मैसर्स कल्यान कोल डिपो प्रा० लि०, सिविल लाइन्स रोड, मिर्जापुर	स्पेशल स्मोकलेस फ्यूल तारकोल
8	मैसर्स लक्ष्मी डाईग हाउस, भरुहाना, मिर्जापुर	डाईग ऊलेन यार्न
9	मैसर्स गिरजा डाईग सेन्टर, जंगीरोड, मिर्जापुर	–तदैव–
10	मैसर्स मौर्या रंग इम्पोरियम, मो० मिशन कम्पाउण्ड, मिर्जापुर	ऊलेन कारपेट
11	मैसर्स गौतम एक्सपोर्ड, ग्रा० व पो० विजयपुर, मिर्जापुर	–तदैव–
12	मैसर्स डिलाइट हैण्डीक्राफ्ट पैलेस, लि०, भरुहाना, मिर्जापुर	डाइंग ऊलेन यार्न
13	मैसर्स तिवारी कारपेट, ग्रा० पटलुकिया, मिर्जापुर	ऊलेन कारपेट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
14	मैसर्स जय शक्ति डाइंग एवं वाशिंग फ्लान्ट नटवोर का चौराहा, मिर्जापुर	ऊलेन यार्न डाइंग
15	मैसर्स राधा पाटरी वर्क्स, स्टेशन रोड, चुनार, मिर्जापुर	पाटरी गुड्स
16	मैसर्स स्टैण्डर्ड डायर, दुर्गानगर, मिर्जापुर	ऊलेन डाइंग यार्न
17	मैसर्स ईव्हील एण्ड कं० लि०, कामरिया, मिर्जापुर	ऊलेन कारपेट
18	मैसर्स पटेल पाटरी वर्क्स, स्टेशन रोड, चुनार, मिर्जापुर	मग, जार, खिलौने
19	मैसर्स ओ०बी०टी० लि० बरियाघाट, मिर्जापुर	कालीन
20	मैसर्स हीरा पाटरी वर्क्स, स्टेशन रोड, चुनार मिर्जापुर	क्राकरी, अर्दनपार्ट्स पाटरी गुड्स, खितौरा एवं सिनेटरी वेयर
21	मैसर्स विश्व पाटरी वर्क्स, स्टेशन रोड, चुनार, मिर्जापुर	मग, जार, प्राटरी
22	मैसर्स सुहरिफ पाटरी वर्क्स, चुनार, मिर्जापुर	अर्दनाटस, खिलौने, हैण्डी सेनेटरी वेयर, पाइप फिटिंग

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

अम्बेदकर ग्राम पटिहन में

क्र०सं०	मद		लक्ष्य	पूर्ति
1	आई०आर०डी०पी०		35	78
2	इन्दिरा/ निर्बल वर्ग आवास		223	185
3	निःशुल्क बोरिंग		11	36
4	स्वच्छ शौचालय		145	145
5	किसान/वृद्धावस्था पेंशन		0	11
6	विधवा पेंशन		0	6
7	पेयजल हैण्ड पम्प		14	14
8	प्रा० वि० भवन		1	1
9	खड़ण्जा/नाली	कि०मी०	1.71	1.68
10	सम्पर्क मार्ग	कि०मी०	1.50	1.50
11	विद्युतीकरण		हां	हां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०-74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

वर्ष	मद	स्थान (जहां कार्य कराया गया)
89-90	पड़न्जा	ग्राम वाजिदपुर शिवनरायन मुराऊ के दरवाज़े से मुंशी कलवार के दरवाजे तक 300 मीटर ।
	हैण्डपम्प	ग्राम अल्हादादपुर, जराखन मुल्ला तथा श्रीपाल के दरवाजे पर ।
	सम्पर्क मार्ग	वाजिदपुर ग्राम में पश्चिम भरी गाड़ ताल तक तथा ताल की पटाई 100 मीटर तथा कुल लम्बाई 750 मीटर ।
90-91	खड़न्जा	मजरासेमरा में चिरन्जू के दरवाजे से विशेश्वर के दरवाजे तक 2500 मीटर ।
	सम्पर्क मार्ग	ग्राम वाजिदपुर में दोस्त मोहम्मद के दरवाजे से नियर तालाब तक 550 मीटर ।
	हैण्ड पम्प–2	ग्राम वाजिदपुर में रहमान फकीर के दरवाजे पर तथा एक हैण्ड पम्प रामनाथ गड़रिया के दरवाजे पर ।
	तालाब पटाई	ग्राम अल्हादादपुर में ग्राम के दक्षिण तालाब की पटाई 3 मीटर ।
	गूल सफाई	ग्राम वाजिदपुर में मथुरा गड़रिया के बाग से बिजई के खेत तक 1500 मीटर ।
	ह्यूम पाइप	ग्राम वाजिदपुर में ठाकुर सदानन्द के खेत के पास डाला गया ।
92-93	कूप मरम्मत	अल्हादादपुर में गांव के दक्षिण तालाब के पास पानी सतह से मरम्मत कराया गया ।
	सम्पर्क मार्ग	ग्राम वाजिदपुर में गांव के दक्षिण नियर तालाब के पास से पश्चिम की ओर तिलकपुरवा के बार्डर तक 1200 मीटर ।
	हैण्ड पम्प–3	1–आल्हादादपुर में पूरन बढ़ई के दरवाजे पर । 2–ग्राम वाजिदपुर में दिवान चन्द्र के दरवाजे पर । 3–ग्राम वाजिदपुर में जसमन्त के दरवाजे पर ।
	खड़न्जा	वाजिदपुर में छेदा के दरवाजे से नहर तक 200 मीटर ।
93-94	खड़न्जा निर्माण	1–ग्राम वाजिदपुर में हृदयनरायन के दरवाजे से मुन्ना चिकवा के दरवाजे तक 100 मीटर । 2–ग्राम वाजिदपुर में शैलेन्द्र के दरवाजे से पश्चिम नहर तक 275 मीटर ।
	सम्पर्क मार्ग	1–नियर ताल से बृजकिशोर के खेत तक 250 मीटर । 2–बृजकिशोर के खेत से मजरा सेमरा तक 1585 मीटर अल्हादादपुर में घुंण्डी के मकान से मुंशी लाला के खेत तक तथा गांव के पूरब तक तथा ताल पटाई 930 मीटर ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 101 का उत्तर पीछे 66 पर)

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादराबाद में चयनित अम्बेदकर ग्रामों में कराये गये कार्यों का विवरण

क्र०सं	अम्बेदकर ग्राम	चयनित वर्ष	आई० आर० डी०	नि:शुल्क बोरिंग	इन्दिरा/ निवआ०	पेयजल हैण्ड पम्प	प्राथमिक विद्यालय	विद्युती-करण	सम्पर्क मार्ग	नाली/ खड़न्जा	स्वच्छ शौचालय	किसान पेंशन	विधवा पेंशन
			पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति	पूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अन्नेकी हेलपुर	90-91	12	6	9	–	हैं	हैं	हैं	0.70	51	25	29
2	रावली महदूद	90-91	12	–	33	5	हैं	हैं	हैं	0.70	176	7	30
3	लालढंग	90-91	36	–	51	4	हैं	हैं	हैं	1.80	164	18	13
4	रसूलपूर मिट्ठीबेरी	93-94	19	–	114	7	हैं	हैं	हैं	2.00	135	36	16
5	बादशाहपुर	94-95	39	45	24	10	हैं	हैं	हैं	0.77	51	10	6
6	पीतपुर	94-95	8	48	24	–	हैं	हैं	हैं	0.75	29	3	4
7	जीयापोता	94-95	18	–	13	1	हैं	हैं	1.50	13	30	11	1
8	मेडीखाता	94-95	7	6	153	2	हैं	हैं	–	85	188	21	3
9	रायपुर दरेडा	94-95	8	24	27	–	हैं	हैं	150	65	36	2	4
10	झिबरहेडी	94-95	6	14	9	3	हैं	हैं	150	.70	45	1	–
11	पुरणपुरसला	94-95	8	3	26	टंकी	हैं	हैं	–	80	24	6	2
12	अलवलपुर	94-95	27	–	–	4	हैं	हैं	0.50	.10	23	3	–
13	टकावरी	94-95	36	–	–	टंकी	हैं	हैं	–	.11	25	3	3
14	बेगमपुर खेलड़ी	94-95	4	–	18	5	हैं	हैं	–	30	20	2	1
15	डालूबालकला	94-95	29	16	36	टंकी	हैं	हैं	–	04	32	6	–
16	सहदेवपुर	96-97	20	7	50	2	हैं	हैं	–	10	113	21	7
17	जगजीतपुर	96-97	40	–	50	8	हैं	हैं	–	1.84	188	40	31
18	अहमदपुर ग्रंट	96-97	25	15	50	3	हैं	हैं	–	0.70	140	16	8
19	मिन्सरपुर	96-97	24	21	–	हैं	हैं	हैं	–	0.75	41	9	5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में चयनित अम्बेदकर ग्रामों में कराये गये कार्यों का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	महेश्वरी	90-91	70	–	47	2	है	है	है	0.30	30	3	4
2	खानपुर	92-93	46	–	76	3	है	है	है	030	50	4	6
3	नागल	94-95	57	28	44	1	है	है	1.5	10	20	2	1
4	डाडली	94-95	15	1	27	1	है	है	है	064	25	8	2
5	दरियापुर दयालपुर	94-95	68	37	44	2	है	है	है	065	25	5	2
6	मो	94-95	18	15	34	2	है	है	है	080	25	11	3
7	फक्करहेड़ी	94-95	28	9	20	—	है	है	है	017	22	4	–
8	बालूपुर	96-97	17	1	30	—	है	है	है	055	13	2	1
9	अमरपुरकाजी	96-97	11	1	9	1	है	है	है	0.60	25	2	–
10	धीरमजरा	96-97	24	8	18	—	है	है	है	0.90	50	6	6
11	हबीबपुर निवादा	96-97	45	20	20	—	है	है	है	0.58	25	5	8
12	रोहालकी दयालपुर	96-97	24	—	24	2	है	है	है	0.65	30	54	6
13	छांगा भजरी	96-97	13	6	20	2	है	है	है	1.00	20	4	1
14	विदुख्डक	96-97	30	3	40	2	है	है	है	0.56	38	5	8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 397 विधान सभा ( )-1997-813 (कम्प्यूटर/आफसेट) ।